दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अक्तूबर भाग-2

2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 7

- नवीन वाहन स्क्रैपेज/कबाड़ नीति 7
- विश्व खाद्य दिवस 8
- कला संस्कृति विकास योजना 10
- पहला'हर घर जल' राज्य 11
- डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिये पीआईबी मान्यता 13
- COVID-19 संक्रमण के चरम बिंदु की समाप्ति 14
- स्वायत्त संस्थानों का सुव्यवस्थीकरण 15
- चुनावी व्यय सीमा की समीक्षा हेतु समिति 17
- इंटीग्रिटी पैक्ट 19
- इंटीग्रिटी पैक्ट 20
- डेटा संरक्षण पर संसदीय समिति की कार्रवाई 22
- एकल पुरुष अभिभावक के लिये चाइल्ड केयर लीव 23
- मृदा-संचारित हेलमनिथेसिस के प्रसार में कमी 24
- जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीदने की इजाज़त 26
- न्यायालय की कार्यवाही का लाइव प्रसारण 27
- PLACID परीक्षण 28
- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट- 2020 30
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग 32
- आदर्श आचार संहिता 34
- कम नामांकन वाले विद्यालयों का विलय 35
- पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स-2020 37

आर्थिक घटनाक्रम 39

- सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर भारत और बांग्लादेश 39
- क्षतिपूर्ति मुआवज़े का नया विकल्प 41
- भारत में हींग कृषि परियोजना 42
- उर्वरक सब्सिडी: अर्थ और महत्त्व 43

दृष्टि The Vision

नोट :

➢ पंजाब सरकार के कृषि विधेयक 45
➢ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' अंतर्वाह 46
➢ उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का विस्तार 48
➢ भारतीय अर्थव्यवस्था में विरोधाभास की स्थिति 49
➢ औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 50
➢ ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 51
➢ सी-प्लेन सर्विस 53
➢ ब्याज स्थगन घोषणा पर दिशा-निर्देश 54
➢ डायरेक्ट पोर्ट एंट्री' सुविधा 55
➢ महामारी और राज्यों की वित्तीय स्थिति 56
➢ IFSCA के तहत रेगुलेटरी सैंडबॉक्स 58
➢ जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के लिये मानदंड 59
➢ शहरी बेरोज़गारी में गिरावट 60
➢ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 62

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 64

➢ जिनेवा कन्वेंशन 64
➢ 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन'की तीसरी बैठक 65
➢ पाकिस्तान UNHRC के लिये फिर से निर्वाचित 68
➢ थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन 70
➢ इज़राइल-बहरीन शांति समझौता 72
➢ मालाबार नौसैनिक अभ्यास एवं ऑस्ट्रेलिया 73
➢ न्यू स्टार्ट संधि 75
➢ भारत-ताइवान संबंध और चीन 76
➢ यूरेनियम आपूर्ति 78
➢ श्रीलंका का 20वाँ संविधान संशोधन पारित 80
➢ G-20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्यसमूह की पहली बैठक 81
➢ इज़राइल-सूडान शांति समझौता 83
➢ कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान का आक्रमण 84
➢ भारत: ILO के शाषी निकाय का अध्यक्ष 86
➢ चिली में नए संविधान के लिये जनमत संग्रह 87
➢ तीसरा भारत-अमेरिका टू-प्लस-टू वार्ता 89
➢ सीमा शुल्क डेटा का इलेक्ट्रॉनिक विनिमय 90
➢ फ्राँस के समर्थन में भारत 91
➢ भारत-मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक 92

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **94**

- कोविरैप 94
- मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ 95
- भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास 96
- भारतीय जीनोम डेटासेट: इंडीजेन 97
- चावल के पौधों में पोटेशियम की कमी में सुधार हेतु प्रयास 99
- कमरे के तापमान पर अतिचालकता 100

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **102**

- नीलगिरी हाथी कॉरिडोर 102
- पर्ल रिवर एश्चुरी में डॉल्फिन 104
- पारिस्थितिक गरीबी की अवधारणा 105
- भारत में स्किंक की प्रजातियाँ 107
- समुद्री-घास का पारिस्थितिकीय महत्त्व 108
- बायोरेमेडिएशन तंत्र तकनीक 109
- कालेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई परियोजना 111
- भारत में वायु प्रदूषण और नवजात स्वास्थ्य 111
- मृत पशुधन के सुरक्षित निपटान पर दिशा-निर्देश 113
- हिमालयन ब्राउन बियर 114
- भारत सुनामी के खतरे से ज्यादा सुरक्षित: INCOIS 115
- नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में 30% की वृद्धि 117
- वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड 118
- प्रवाल भित्तियाँ और मुंबई तटीय सड़क परियोजना 118
- शिवालिक एलीफेंट रिज़र्व: उत्तराखंड 120

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **122**

- हिमालयन विवर्तनिक क्षेत्र 122

सामाजिक न्याय **124**

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक- 2020 124
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 125
- भारत में लिंगानुपात में सुधार की आवश्यकता 127
- खाद्य उपभोग पर रिपोर्ट: डब्ल्यूडब्ल्यूएफ 128
- आधुनिक दासता पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 130
- COVID-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर 131

नोट :

- भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि 132
- गर्भपात और पोलैंड में विरोध प्रदर्शन 133

कला एवं संस्कृति 136

- बूंदी स्थापत्य कला 136

आंतरिक सुरक्षा 138

- बोडोलैंड राज्य आंदोलन 138
- पूर्वोत्तर में सीमा विवाद 139
- एकीकृत थियेटर कमांड' की आवश्यकता 141
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम: आवश्यकता और आलोचना 142
- होलोग्राफिक इमेजिंग आधारित विधि 145
- मधुका डिप्लोस्टेमोन 145

चर्चा में 145

- नंदनकानन प्राणी उद्यान 146
- जोजिला सुरंग 147
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 147
- क्वानॉन 148
- आकाशगंगा में तारों के निर्माण संबंधी गतिविधियों में गिरावट 149
- सारस के प्रवास मार्ग की ट्रैकिंग 149
- 'कपिला' कलाम कार्यक्रम 150
- ब्रह्मोस का नौसैनिक संस्करण 151
- 'घर तक फाइबर' योजना 151
- स्लीनेक्स-20 152
- ओसीरिस-रेक्स 152
- आयुष्मान सहकार योजना 153
- फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड इनोवेशन सेंटर 155
- साधना दर्रा 155
- कैट जियोग्लिफ्स 156
- राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस 157
- भारत का पहला मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 158
- भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2020 159
- PMKSY-AIBP के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग 160
- चुनावों में खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जाँच के लिये समिति 160

नोट :

- उड़ान दिवस 161
- ब्लू डॉट नेटवर्क 161
- नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण 162
- आईएनएस कवरत्ती 162
- बिच्छुओं की दो नई प्रजातियों की खोज 163
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय संग्रहालय 164
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना 164
- दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम 165
- विदेशी मुद्रा भंडार 165
- 'लाइफ इन मिनिएचर' परियोजना 166
- विश्व पोलियो दिवस 166
- किसान सूर्योदय योजना 167
- आसन संरक्षण रिज़र्व 167
- कोच्चि-मुज़िरिस बिएनेल 168
- भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनामी हैकथॉन 169
- प्रोजेक्ट-37 169
- येलो डस्ट 170
- एनिग्माचन गोलम 170
- ओहाका खादी 171
- पैंटानल वेटलैंड्स 171
- अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट-01 172
- कुम्हार सशक्तीकरण योजना 172
- सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन 173
- इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस 173
- टाइफून मोलावे 174
- सर्ब-पावर योजना 175
- मेरी सहेली पहल 175
- राष्ट्रीय एकता दिवस 176
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 176
- पेलागोर्निथिड्स 177

विविध **178**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

नवीन वाहन स्क्रैपेज/कबाड़ नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'विज्ञान और पर्यावरण केंद्र' (Centre for Science and Environment- CSE) द्वारा पुराने वाहनों के संबंध में प्रभावी स्क्रैपेज नीति और बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर एक रिपोर्ट जारी की गई।

प्रमुख बिंदु:

- 'विज्ञान और पर्यावरण केंद्र' (CSE) नई दिल्ली स्थित एक सार्वजनिक हित में अनुसंधान और समर्थन करने वाला गैर-लाभकारी संगठन है।
- वर्तमान में सरकार पुराने वाहनों के बेहतर निपटान के लिये 'नवीन वाहन कबाड़/परिमार्जन नीति' को लागू करने की योजना बना रही है।

नीति की आवश्यकता:

- वर्ष 2025 तक भारत में लगभग दो करोड़ से अनुपयोगी पुराने वाहन होंगें। इन वाहनों के अलावा अन्य अनुपयुक्त वाहन भारी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति का कारण बनेंगे।
- भारत को 'हरित अर्थव्यवस्था' की दिशा में आगे ले जाने के लिये कबाड़ नीति को एक साधन के रूप में प्रयोग करने का सुअवसर है।
- 'भारत स्टेज VI' (बीएस-VI) उत्सर्जन मानकों और इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीतियों को लागू किया जा रहा है, जिससे पुराने वाहनों के उचित प्रबंधन की आवश्यकता है।
- प्रदूषित नगरों में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme- NCAP) के तहत पुराने वाहनों को 'स्वच्छ वायु कार्रवाई' के हिस्से के रूप में बाहर किया जाना है।

CSE प्रमुख सिफारिश:

अवसंरचना की स्थापना:

- नवीन नीति के तहत पुराने वाहनों के अधिकतम उपयोग का लाभ उठाना चाहिये और इसके लिये वाहनों के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण अवसंरचना को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- 'वाहन कबाड़/परिमार्जन के निपटान के लिये पर्यावरणीय रूप से अनुकूलित बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाया जाना चाहिये। वाहनों से स्टील, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक जैसी सामग्री की पुनर्प्राप्ति के लिये देश-व्यापी स्तर पर आवश्यक अवसंरचना को स्थापित किया जाना चाहिये।

राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus):

- नवीन परिमार्जन नीति को भारत स्टेज VI वाहनों से पुराने वाहनों को प्रतिस्थापित करने की नीति तथा आर्थिक सुधार एवं राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को जोड़ने की आवश्यकता है।
- परिमार्जन नीति में उन प्रोत्साहन उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है जो पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रतिस्थापन को बढ़ावा।

नोट :

विनिर्मताओं को जिम्मेदारियां:

- नीति का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि यह वाहन विनिर्माताओं पर पुराने वाहनों के न्यूनतम 80-85 प्रतिशत भाग को पुनः प्रयोज्य, पुनर्प्राप्ति योग्य, पुनर्चक्रण (Reusable, Recyclable, Recoverable- 3R) करने के लिये बाध्य करती हो।
- वाहनों के निर्माण में सीसा, पारा, कैडमियम या हेक्सावैलेंट क्रोमियम जैसी ज़हरीली धातुओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- नीति में 'विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी' (Extended Producer Responsibility- EPR) जैसे प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिये, नियमों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चहिये कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण:

- नीति के तहत बंदरगाहों के पास पुनर्चक्रण क्लस्टर स्थापित किये जाने की योजना है जो देश में ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देगी।

नीति का महत्त्व:

- ऑटोमोबाइल उद्योग के लिये कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा, क्योंकि नवीन वाहनों के उत्पादन में इन पुराने वाहनों से निकले प्लास्टिक, रबर तथा एल्यूमीनियम, ताँबा जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाएगा।
- वाहन-जनित प्रदूषण में पुराने वाणिज्यिक वाहनों का हिस्सा बहुत अधिक (लगभग 65% तक) है। इन पर प्रतिबंध लगाने से वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- इस नीति के लागू होने से नवीन वाहनों के उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

- पर्यावरणीय नुकसान और उत्सर्जन को कम करने तथा COVID-19 महामारी के बाद के समय में भारत को 'हरित अर्थव्यवस्था' बनाने के हिस्से के रूप में कबाड़ से सामग्री को पुनर्प्राप्त करने के लिये एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई नवीन परिमार्जन/कबाड़ नीति की आवश्यकता है।

विश्व खाद्य दिवस

चर्चा में क्यों ?

16 अक्तूबर, 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 'विश्व खाद्य दिवस' (World Food Day) के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

थीम:

- वर्ष 2020 के लिये 'विश्व खाद्य दिवस' की थीम 'ग्रो, नौरिश, सस्टेन टूगेदर' (Grow, Nourish, Sustain Together) है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवसर पर FSSAI के 'ईट राइट इंडिया' अभियान का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इस अभियान का लक्ष्य पर्यावरण की दृष्टि से एक स्थिर तरीके से सभी के लिये सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन को बढ़ावा देना है।
    - यह सभी नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के अधिकार का एक हिस्सा है। इससे खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा।

वर्ष 2022 तक भारत को ट्रांस फैट (Trans Fats) से मुक्त करना:

- भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित लक्ष्य से एक वर्ष पहले ही हासिल कर लिया जाएगा।

नोट :

ट्रांस फैट (Trans Fats) से नुकसान:

- आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों (Partially Hydrogenated Vegetable Oils- PHVOs) जैसे- वनस्पति (Vanaspati), शॉर्टनिंग (Shortening), मार्जरीन (Margarine) आदि में तले हुए खाद्य पदार्थों में एक खाद्य टॉक्सिन ट्रांस फैट (Trans Fats) देश में गैर संचारी बीमारियों के बढ़ने का प्रमुख कारक है।
- ट्रांस फैट (Trans Fats) कार्डियोवस्कुलर बीमारियों (Cardiovascular Diseases) के लिये एक परिवर्तनीय जोखिम कारक है।
- गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को ट्रांस फैट से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज:

- इस अवसर पर स्कूलों के लिये 'ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज' की शुरुआत की गई।
- यह एक पोस्टर एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य स्वस्थ आहार आदतों को बढ़ावा देना है।

ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज:

- इस अवसर पर 'स्मार्ट सिटी मिशन' और द फूड फाउंडेशन, यू.के (The Food Foundation, UK) के साथ साझेदारी में FSSAI के 'ईट स्मार्ट सिटी' चैलेंज का भी शुभारंभ किया गया।
- इससे भारत के स्मार्ट शहरों में सही भोजन प्रक्रियाओं एवं आदतों हेतु माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का 75वाँ स्थापना दिवस:

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के 75वें स्थापना दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में विकसित फसलों की 17 किस्मों जैसे- एमएसीएस 4028 गेहूँ, मधुबन गाजर आदि को राष्ट्र को समर्पित किया।
  - भारत में कुपोषण को दूर करने के लिये एमएसीएस-4028 किस्म को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) द्वारा सराहा गया है और यह नई किस्म भारत की राष्ट्रीय पोषण रणनीति: कुपोषण मुक्त भारत- 2022 को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है।
- प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिये 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस (World Food Day) के रूप में मनाया जाता है।
- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी।
- FAO ने विश्व खाद्य कार्यक्रम का आरंभ डॉ बिनय रंजन सेन (Dr Binay Ranjan Sen) के नेतृत्त्व में शुरू किया था।
- FAO ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (International Year of Millets) घोषित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
  - इससे पोषण युक्त खाद्य पदार्थों के उपयोग में वृद्धि होगी और इसकी उपलब्धता बढ़ाने से छोटे किसानों को लाभ पहुँचेगा। .
  - उल्लेखनीय है कि छोटे एवं मध्यम किसान जल की कमी और ज़मीन की कम उपजाऊ क्षमता जैसी समस्याओं के कारण मोटे अनाजों की खेती करते हैं। इससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को लाभ पहुँचेगा।

भारत में कुपोषण की समस्या:

- स्वस्थ आहार, भोजन और पोषण आपूर्ति हेतु एक आवश्यक तत्त्व है।
- भारत में पिछले कुछ सालों में काफी हद तक खाद्य उपभोग के पैटर्न में बदलाव आया है जहाँ पहले खाद्य उपभोग में विविधता के लिये पारंपरिक अनाज (ज्वार, जौ, बाजरा आदि) उपयोग में लाया जाता था, वहीँ वर्तमान में इनका उपभोग कम हो गया है।
- पारंपरिक अनाज, फल और अन्य सब्जियों के उत्पादन में कमी के कारण इनकी खपत भी कम हुई जिससे खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई।

- हालाँकि आज़ादी के बाद से खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कुपोषण का मुद्दा अभी भी चुनौती बना हुआ है।

कुपोषण खत्म करने के लिये भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- कुपोषण को खत्म करने के लिये भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए कार्यक्रमों में राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान), स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण, मिशन इंद्रधनुष, जल जीवन मिशन और सस्ती दर पर सैनिटेशन पैड उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त कुपोषण को खत्म करने के लिये प्रोटीन, आयरन, ज़िंक इत्यादि पोषक तत्त्वों से समृद्ध खाद्यान्न अनाजों को प्रोत्साहित किया गया।

कला संस्कृति विकास योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) ने केंद्रीय क्षेत्र की कला संस्कृति विकास योजना (Kala Sanskriti Vikas Yojana- KSVY) के विभिन्न घटकों के तहत आभासी/ऑनलाइन मोड में सांस्कृतिक कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 के प्रकोप का व्यापक प्रभाव मंचन कलाओं और सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा है जिसके कारण इनसे जुड़े कई कार्यक्रम या तो रद्द करने पड़े या उन्हें स्थगित करना पड़ा। मौजूदा स्थितियों में कलाकारों और निष्पादन कलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रस्तुति देने के लिये वैकल्पिक या अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु संस्कृति मंत्रालय के संस्थानों द्वारा गहन प्रयास किये जाते रहे हैं।
- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय (प्रदर्शन कला ब्यूरो) ने अपनी कला संस्कृति विकास योजना के तहत कई योजनाएँ शुरू की हैं जिनके तहत ऐसे कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित करने के लिये अनुदान स्वीकृत किया जाताहै, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक शामिल होते हैं।
- जहाँ हाल ही में सीमित संख्या में दर्शकों वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है, वहीं मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने उन कलाकारों/संगठनों को वर्चुअल तरीके से अपनी प्रस्तुतियाँ देने के लिये दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं जिनके लिये पहले से ही कला संस्कृति विकास योजना के विभिन्न घटकों के तहत अनुदान मंज़ूर किया जा चुका है।
- नए दिशा- निर्देशों के अनुसार, ऐसे कलाकार और संगठन पहले की तरह भौतिक तरीके से कार्यक्रमों का मंचन करने में सक्षम न होने के बावजूद योजना के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वर्तमान संकट से निपटने के लिये उन्हें निरंतर वित्तीय मदद मिलती रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत प्रावधान:

- नई व्यवस्था के तहत पहले से ही अनुदान प्राप्त कर चुके कलाकारों/संगठनों को योजनाओं के विभिन्न घटकों के तहत कला और शिल्प से संबंधित फेसबुक और यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया माध्यमों के ज़रिये वर्चुअल कार्यशालाएँ आयोजित करने, व्याख्यान-सह-प्रदर्शन, वेबिनार, ऑनलाइन कार्यक्रम/त्योहार आदि मनाने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।
- योजना का लाभ लेने के लिये इसके तहत समाहित गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की ज़रूरत को फिलहाल निलंबित रखा गया है और अनुदान की मंज़ूरी के लिये सॉफ्ट कॉपी स्वीकार की जा रही है।
- जो संगठन वर्चुअल तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, वे अगर कार्यक्रम के विवरण से संबधित वीडियो लिंक/रिकॉर्डिंग प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें इनके प्रमाण के तौर पर कार्यक्रम के बारे में समाचार-पत्रों में छपी खबरों के एकत्रीकरण से छूट मिल सकती है। विवरण में डिजिटल माध्यम से ऐसे कार्यक्रम की पहुँच कितने दर्शकों तक हुई इसका उल्लेख भी करना ज़रूरी है।
- उपयोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate- UC) में खर्च का जो ब्योरा दिया गया है, वह आभासी माध्यम से संपन्न किये गए कार्यक्रम के संदर्भ में तर्कसंगत होना चाहिये।

नोट :

योजना से संबंधित विभिन्न अनुदान/कार्यक्रम:

- रिपोर्टरी ग्रांट (Repertory Grant):

रिपोर्टरी ग्रांट के तहत कलाकारों का उनके संबंधित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन ऑनलाइन आयोजित किया जा सकता है। उपयोगिता प्रमाणपत्र के लिये हॉल, पोशाक, प्रकाश, डिज़ाइन, कलाकारों की पारिश्रमिक की रसीदें, रिपोर्टरी ग्रांट से संबंधित अनुदान जारी करने के लिये स्वीकार की जाएंगी।

- राष्ट्रीय उपस्थिति (National Presence):

राष्ट्रीय उपस्थिति कार्यक्रम के तहत कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम/ त्योहार/ सेमिनार आदि ऑनलाइन आयोजित किये जा सकते हैं। उपयोगिता प्रमाणपत्र के लिये हॉल, थिएटर, कलाकारों को पारिश्रमिक, उपकरणों की खरीद आदि के लिये किराए की रसीदें, योजनाओं के घटकों को संचालित करने से संबंधित विभिन्न अन्य गतिविधियों के प्रदर्शन के लिये किये गए व्यय को योजना के दिशा-निर्देशों के तहत अनुदान जारी करने हेतु स्वीकार किया जाएगा।

- सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान (Cultural Function & Production Grant- CFPG):

CFPG के तहत सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, रिसर्च, वर्कशॉप, फेस्टिवल, प्रदर्शनियाँ, संगोष्ठियाँ, डांस प्रोडक्शन, ड्रामा-थिएटर, संगीत आदि और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर छोटे शोध प्रोजेक्ट संचालित किये जा सकते हैं। ऑनलाइन उपयोगिता प्रमाणपत्र के लिये हॉल, थिएटर, कलाकारों को पारिश्रमिक, उपकरणों की खरीद आदि के लिये किराया रसीदें, योजनाओं के घटकों को संचालित करने से संबंधित विभिन्न अन्य गतिविधियों के प्रदर्शन के लिये किये गए खर्च को योजना के दिशा-निर्देशों के तहत अनुदान जारी करने के लिये स्वीकार किया जाएगा।

- हिमालयी धरोहर (Himalayan Heritage):

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता के तहत अध्ययन और अनुसंधान, संरक्षण और प्रलेखन, ऑडियो विज़ुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रसार, पारंपरिक कला और 'फोल्ड आर्ट' (Fold Art) में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। उपयोगिता प्रमाणपत्र के लिये हिमालय योजना के इन घटकों से संबंधित गतिविधियों को अनुदान जारी करने हेतु स्वीकार किया जाएगा।

- बौद्ध/तिब्बती (Buddhist / Tibetan):

बौद्ध/तिब्बती कला के विकास के लिये वित्तीय सहायता के तहत अनुसंधान परियोजना, पुस्तकों की खरीद, प्रलेखन और कैटलॉगिंग, भिक्षुओं को छात्रवृत्ति, विशेष पाठ्यक्रमों और संस्कृति की धारणा, ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग/प्रलेखन, मठवासियों के लिये आईटी आधारित प्रशिक्षण सहायता, शिक्षकों का वेतन आदि को ऑनलाइन किया जा सकता है। उपयोगिता प्रमाणपत्र के लिये बौद्ध योजना के इन घटकों से संबंधित गतिविधियों को अनुदान जारी करने हेतु स्वीकार किया जाएगा।

- छात्रवृत्ति/फैलोशिप (Scholarship/Fellowship):
- कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये छात्रवृत्ति और फैलोशिप योजना के तहत भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, स्वांग, दृश्य कला, पारंपरिक और स्वदेशी कला तथा सरल शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भारत के भीतर उन्नत प्रशिक्षण और ऑनलाइन अनुसंधान किया जा सकता है एवं रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भी प्रस्तुत की जा सकती है।

पहला'हर घर जल' राज्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोवा, ग्रामीण क्षेत्रों में 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connections- FHTCs) उपलब्ध कराकर देश का पहला 'हर घर जल'(Har Ghar Jal) का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रारंभिक उपलब्धि: राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं तेज़ प्रयासों के कारण समय से पहले (राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2024 तक निर्धारित) इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।

नोट :

- वार्षिक कार्ययोजना: गोवा द्वारा वर्ष 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करने के लिये एक वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan- AAP) तैयार की गई थी।
    - गोवा राज्य द्वारा 'जल जीवन मिशन' (Jal Jeevan Mission-JJM) से प्राप्त होने वाले सभी लाभों का उपयोग किया गया जिनका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना एवं ग्रामीण समुदायों के लिये 'आसानी से जीवन यापन' (Ease-of-living) की सुविधा उपलब्ध कराना है।
    - इसके लिये वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा गोवा को वितरित की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 12.40 करोड़ रुपए कर दिया गया।
- योजनाओं का रुपांतरण: पेयजल स्रोतों, जल आपूर्ति, ग्रे वाटर (सीवेज को छोड़कर किसी भी प्रकार का घरेलू अपशिष्ट जल) के उपचार एवं उसके पुन: उपयोग एवं संचालन के लिये राज्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम MGNREGA), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 15वाँ वित्त आयोग की सिफारिश इत्यादि द्के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है ।
- जल परीक्षण सुविधाएँ: राज्य में जल परीक्षण को और बेहतर बनाने के लिये राज्य सरकार 14 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं (Water Quality Testing Laboratories) के लिये ' गुणवत्ता राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़'(National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories-NABL) से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
    - जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गाँव में 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है विशेषकर महिलाओं को 'फील्ड टेस्ट किट'(Field Test Kits) का उपयोग करने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि गाँवों में पानी का परीक्षण किया जा सके।

जल जीवन मिशन:

- जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission-JJM) वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
- JJM स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग एवं आपूर्ति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल का प्रबंधन, आदि के लिये स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण एक आवश्यक शर्त है।
- यह मिशन सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है एवं इस मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- JJM जल संरक्षण के लिये एक जनांदोलन है जो जल के लिये प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता को सुनिश्चित करता है।
- वित्तपोषण: केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विभाजन इस प्रकार है:
    - हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये केंद्र एवं राज्यों का अंश 90:10 है।
    - अन्य राज्यों के लिये 50:50।
    - केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र द्वारा 100% वित्तीय आवंटन का प्रावधान है।
- योजना के लिये आवंटित कुल धनराशि तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक है ।

आगे की राह:

- लोगों की जल तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के बाद राज्य अब एक सेंसर-आधारित (Sensor-Based), सेवा वितरण निगरानी प्रणाली(Service Delivery Monitoring System) की योजना बना रहा है ताकि पीने योग्य पानी की पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता की निगरानी की जा सके।
- गोवा द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के इस लक्ष्य को प्राप्त करना अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय है।
    - विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान, जब घरों के भीतर सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है।

नोट :

- मौन क्रांति के रूप में ग्रामीण भारत में घरेलू नल कनेक्शन से जल उपलब्ध कराने वाली यह पहल भारत को 'न्यू इंडिया'(New India) बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम साबित होगी ।

डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिये पीआईबी मान्यता

चर्चा में क्यों ?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार निकट भविष्य में डिजिटल करेंट अफेयर्स और समाचार मीडिया संस्थाओं को अन्य पारंपरिक मीडिया संस्थानों की तरह ही लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- इन लाभों के तहत डिजिटल मीडिया संस्थानों के पत्रकारों, कैमरामैन और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता (PIB Accreditation) प्रदान की जाएगी, जिससे उन पत्रकारों और अन्य मिडियाकर्मियों को सरकार से अधिक विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने और आधिकारिक कार्यक्रमों जैसे- प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।
- इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्व-विनियमन निकायों की तरह ही डिजिटल मीडिया की इकाइयाँ भी अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ बातचीत के लिये स्वयं-विनियमन निकाय बना सकती हैं।
- लाभ
  - इसके माध्यम से इन मिडियाकर्मियों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme-CGHS) का भी लाभ मिल सकेगा और साथ ही वे रेल किराये में रियायत प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।
  - इस निर्णय के लागू होने से डिजिटल मीडिया संस्थान भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के तहत सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिये पात्र हो जाएंगे।
    - ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) समेत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संगठनों द्वारा विज्ञापन के लिये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।

पृष्ठभूमि

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) का यह कदम केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के एक निर्णय के अनुरूप है, जिसमें डिजिटल करेंट अफेयर्स और समाचार मीडिया संस्थाओं के लिये सरकार के अनुमोदन के तहत 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा निर्धारित की गई थी।
  - अब सरकार ने यह भी निर्धारित किया है कि ऐसे मीडिया संस्थानों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का भारतीय होना आवश्यक है, साथ ही ऐसे संस्थानों में 60 दिनों से अधिक समय तक काम करने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों को सरकार से सुरक्षा मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भारत में डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) संबंधी कोई नीति नहीं थी, वहीं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में FDI की सीमा क्रमशः 26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

पीआईबी कार्ड और उसका महत्त्व

- पीआईबी मान्यता प्राप्त कार्ड केवल उन पत्रकारों को दिया जाता है जो दिल्ली या उसके आस-पास के क्षेत्रों में रहते हैं और एक ऐसे मीडिया संस्थान के साथ कार्यरत हैं जो कम-से-कम एक वर्ष से लगातार कार्य कर रहा है और उनके द्वारा प्रदान किया जा रहा 50 प्रतिशत कंटेंट सामान्य जनहित की खबरों से संबंधित हो।
  - साथ ही उनके द्वारा दी जाने वाली खबरों में भारत सरकार के मंत्रालयों और संगठनों की खबरें भी शामिल होनी चाहिये।
- पीआईबी मान्यता प्राप्त कार्ड हासिल करने के लिये एक पत्रकार अथवा कैमरामैन को न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिये अथवा एक फ्रीलांसर के तौर पर न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

लाभ

- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों आदि से संबंधित कुछ सार्वजनिक आयोजनों में केवल PIB मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही प्रवेश दिया जाता है।
- पीआईबी से मान्यता प्राप्त पत्रकार और उनके परिवार के सदस्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।
- पीआईबी मान्यता प्राप्त कार्ड पत्रकारों को उनके पेशेवर दायित्त्व को पूरा करने में मदद करता है। इस प्रकार कार्ड के माध्यम से पत्रकारों को उनके स्रोत की गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलती है।

COVID-19 संक्रमण के चरम बिंदु की समाप्ति

चर्चा में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक समिति द्वारा किये गए "COVID-19 इंडिया नेशनल सुपरमॉडल" (COVID-19 India National Supermodel) नामक अध्ययन के अनुसार, भारत में COVID-19 महामारी सितंबर माह में संक्रमण के चरम बिंदु को पार कर गई है और यदि वर्तमान रुझान जारी रहता है, तो फरवरी तक "न्यूनतम मामले" होंगे।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 महामारी के भविष्य को लेकर गठित सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गए अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किये गए हैं।
- "COVID-19 इंडिया नेशनल सुपरमॉडल" नामक मॉडलिंग अध्ययन, समिति द्वारा गणितज्ञों और महामारी विज्ञानियों के विश्लेषण के परिणाम के आधार पर किया गया है।
- भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समूहों द्वारा महामारी के कई गणितीय मॉडल-आधारित अनुमान लगाए गए हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- अध्ययन के अनुसार, भारत में अगले वर्ष की शुरुआत तक 106 लाख संक्रमितों के ठीक होने की उम्मीद है और दिसंबर में 50,000 से कम सक्रिय मामले होने की उम्मीद है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) ने अगस्त में अपने नवीनतम सीरो-सर्वेक्षण में अनुमान लगाया था कि भारत में लगभग 7% वयस्क आबादी वायरस से संक्रमित है।
- समिति के अनुसार, कई शहरों में छोटे स्तर पर किये गए सीरो सर्वेक्षण के अनुसार, आबादी में 22 से 30% के बीच एंटीबॉडी प्रसार दिखा।
- समिति के अनुसार, अगस्त में लगभग 14% आबादी के संक्रमित होने की संभावना थी।
- समिति के अनुसार, COVID-19 महामारी सितंबर माह में संक्रमण के चरम बिंदु को पार कर गई है लेकिन यह निम्नगामी प्रवृत्ति केवल तभी जारी रहेगी जब हम सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करते रहेंगे।
- भारत में पहले से ही संक्रमण के चरम बिंदु को पार कर जाने का एक संभावित कारण वायरस के प्रति अलग-अलग लोगों की बदलती संवेदनशीलता हो सकती है।
- वायरस से संक्रमित कुछ लोग बीमारी विकसित करते हैं और कुछ लोग केवल एंटीबॉडी विकसित करते हैं। समिति के अनुसार, 'हर्ड इम्यूनिटी' विकसित करने के लिये 60 -70% आबादी को संक्रमित होने की आवश्यकता होगी।
- अगर भारत में कोई लॉकडाउन लागू नहीं होता तो जून तक 40-147 लाख तक सक्रिय संक्रमण के मामले देखे जाते और 1 अप्रैल या मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन में जुलाई तक 30-40 लाख संक्रमण के मामलों का चरम बिंदु देखा जाता।
- व्यापक लॉकडाउन के साथ विभिन्न सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे- मास्क पहनना, सामाजिक दूरी को एक साथ लागू करना आदि ने भारत को कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में पहुँचाया है।

- मौजूदा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूर्ण रूप से जारी रखने की आवश्यकता है। अन्यथा संक्रमण में तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेष रूप से बंद स्थानों में भीड़भाड़ से बचना, बच्चों तथा 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध व्यक्तियों की विशेष देखभाल और इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है।

स्वायत्त संस्थानों का सुव्यवस्थीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) के अंतर्गत कार्य करने वाले पाँच स्वायत्त संस्थानों को इससे अलग करने तथा दो अन्य संस्थानों का विलय करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार मंत्रालय के अधीन आने वाले 16 स्वायत्त संस्थानों की संख्या को घटाकर 9 किया जाना प्रस्तावित है।

पृष्ठभूमि:

- वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई यह सिफारिश उस रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे सामान्य वित्त नियम, 2017 के नियम 229 (Rule 229 of General Finance Rules, 2017) के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।
  - नियम 229 'स्वायत्त संगठनों की स्थापना के लिये सामान्य सिद्धांतों' से संबंधित है।
  - रिपोर्ट का उद्देश्य न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन तथा सार्वजनिक कोष के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त निकायों के सुव्यवस्थीकरण (Rationalisation) के लिये विशिष्ट एवं कार्रवाई योग्य सिफारिशें करना है।

MoEFCC के लिये की गई सिफारिशें:

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII) देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (Indian Institute of Forest Management- IIFM) भोपाल, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (Indian Plywood Industries Research & Training Institute) बंगलूरू, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र, चेन्नई एवं पर्यावरण शिक्षा केंद्र, अहमदाबाद को MoEFCC से विस्थापित करने की सिफारिश की गई है।
  - विस्थापन में दो मुख्य पहलुओं को शामिल किया जाना है: पहला, संस्था को प्रबंधन से अलग समयबद्ध तरीके से सरकारी सहायता प्रदान करना और दूसरा, संबंधित संस्थान/हितधारकों को उन्हें चलाने की अनुमति देना।
  - सरकार द्वारा तीन वर्ष की समयावधि तथा प्रत्येक वर्ष 25% की क्रमिक बजट कटौती के साथ विघटन की सिफारिश की जाती है।
  - WII तथा IIFM दोनों को डीम्ड विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट (Society of Integrated Coastal Management), नई दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (National Centre for Sustainable Coastal Management), तमिलनाडु में विलय करने की सिफारिश की गई है क्योंकि दोनों ही संस्थान तटीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये समान भूमिका का निर्वहन करते हैं। इससे कार्यों के दौहराव से बचा जा सकेगा।
- सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History), तमिलनाडु जिसे MoEFCC मंत्रालय से सालाना 14 करोड़ रूपए प्राप्त होते हैं, को मंत्रालय के साथ विलय करने की सिफारिश की गई है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board), केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority-CZA), राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority-NTCA), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority) जैसे सांविधिक निकायों को MoEFCC से वित्तीय सहायता एवं सहयोग मिलने की बात कही गई है।
  - इन निकायों को 'स्व-वित्तपोषित'(Self-financed) बनने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

नोट :

सराहनीय पहल:

- यह पहली बार है कि इस तरह का ऑडिट उन संस्थानों के लिये किया गया है जिन्हें पूरा होने में लगभग चार वर्ष का समय लगा।
- WII एवं अन्य संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्राप्त होने से संस्थानों को अधिक पाठ्यक्रम शामिल करने एवं अधिक सुविधा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

आलोचना:

- संस्थानों में इस प्रकार का विघटन/अलगाव इनके समक्ष अनुसंधान के बजाय वित्तीय मुद्दों को लेकर चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।
    - पर्यावरण एक सार्वजनिक मुद्दा है और इसकी सुरक्षा के लिये अच्छे सार्वजनिक संस्थानों की आवश्यकता है।
- इन संस्थानों का सरकार से अलगाव को निजी हाथों में भेजने की दिशा में पहला कदम (The First Step Towards Sending Them into Private Hands) के रूप में देखा सकता है।

यदि सरकार को लगता है कि धन का उपयोग सही प्रकार से नही हो पा रहा है या संस्थान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिये अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे उन छात्रों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा जो इन विशिष्ट विषयों का अध्ययन करने का सपना देखते हैं, वहीं दूसरी ओर निजी विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली उच्च फीस को वहन करना उनके लिये संभव नहीं है।

इस दिशा में अन्य संबंधित कदम:

- हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा 'अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड'(All India Handloom Board) और 'अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड'(All India Handicrafts Board) को समाप्त कर दिया गया है।
- वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वायत्त निकायों, 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' (Rashtriya Arogya Nidhi-RAN) और 'जनसंख्या स्थिरता कोष' (Jansankhya Sthirata Kosh-JSK) को बंद करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई थी तथा इनके कार्यों को 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग' (Department of Health & Family Welfare-DoHFW) में शामिल करने को कहा गया।

स्वायत्त निकाय:

- इन निकायों की स्थापना दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सरकारी हस्तक्षेप के बिना, स्वतंत्रता एवं लचीलेपन के साथ करने की ज़रूरत को ध्यान में रखकर की जाती है।
- इन्हें मंत्रालय/विभागों द्वारा संबंधित विषय के साथ स्थापित किया जाता है तथा अनुदान के माध्यम से पूर्ण या आंशिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे संस्थान अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों को किस सीमा तक उत्पन्न करते हैं।
    - ये अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा ज़ारी निर्देशों के साथ-साथ संबंधित पदों एवं शक्तियों इत्यादि के निर्देशों के माध्यम से विनियमित किये जाते हैं।
- स्वायत्त/अनुदान प्राप्त निकायों के लिये कुल वितरित राशि 799.55 बिलियन रुपए थी , जिसे वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 943.84 बिलियन रुपए कर दिया गया।
- अधिकांश स्वायत्त संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हैं एवं कुछ मामलों में इन्हें विभिन्न अधिनियमों में निहित प्रावधानों के तहत वैधानिक संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया है।
- इन स्वायत्त संस्थानों की सरकारी कार्यों में प्रमुख भागीदारी (Stakeholder) होती है क्योंकि नीतियों के लिये रूपरेखा तैयार करने से लेकर अनुसंधान करने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण इत्यादि में ये गतिविधियाँ शामिल हैं।
    - तकनीकी, चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान इस श्रेणी में शामिल हैं।

आगे की राहः

स्वायत्त निकायों के शासन की समीक्षा करने की आवश्यकता है, साथ ही इनके लिये एक समान प्रक्रिया को विकसित करने की ज़रूरत है। कई स्वायत्त निकाय सरकार और जनता के बीच कड़ी/इंटरफेस (Interfaces) का कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिये। जिन कारणों एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन निकायों की स्थापना की गई है उन्हें एक समान उद्देश्य वाले संगठन के साथ विलय करने या फिर समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि फिर से इन निकायों का नवीनीकरण किया जा सके।

चुनावी व्यय सीमा की समीक्षा हेतु समिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) ने चुनाव के दौरान उम्मीदवार द्वारा किये गए कुल व्यय सीमा से संबंधित मुद्दों की जाँच/समीक्षा के लिये एक समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदुः

- समिति के बारे में:
  - इस समिति को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निर्वाचकों की संख्या में परिवर्तन और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index-CII) में परिवर्तन का आकलन और हाल में संपन्न चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च पैटर्न पर पड़ने वाले असर का आकलन करने का काम सौंपा गया है।

पृष्ठभूमिः

- आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर राजनीतिक दलों ने कहा कि COVID-19 महामारी के कारण बढ़े हुए डिजिटल अभियान के खर्चों को पूरा करने के लिये बिहार विधानसभा चुनावों की खर्च सीमा में वृद्धि की जाए।
- विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव नियम, 1961 के नियम 90 के एक संशोधन को अधिसूचित किया गया। इसके तहत तत्काल प्रभाव से लागू व्यय की सीमा में 10% की बढ़ोत्तरी कर दी गई।

पूर्व में किये गए संशोधनः

- चुनावी खर्च की सीमा को अंतिम बार वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था जबकि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के बाद वर्ष 2018 में उनके चुनावी खर्च सीमा में संशोधन किया गया।
- उसके बाद वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के दौरान मतदाताओं की संख्या में 834 मिलियन से 921 मिलियन तक की वृद्धि होने के बावजूद खर्च सीमा में वृद्धि नहीं की गई है और वर्ष 2014 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index), 220 से बढ़कर वर्ष 2020 में 301 हो गया।

व्यय सीमा

- यह वह राशि है जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च की जा सकती है जिसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है।
- विधानसभा चुनावों के लिये यह सीमा 20 लाख रुपए से 28 लाख रुपए तक तथा लोकसभा चुनाव के लिये 54 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक है।
- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act-RPA), 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किये गए सभी व्यय का एक अलग और सही खाता रखना होता है।
- चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को ECI के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है।

- उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर RPA, 1951 की धारा 10 के तहत ECI द्वारा उसे तीन साल के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- ECI द्वारा निर्धारित व्यय सीमा चुनाव के दौरान किये जाने वाले वैध खर्च के लिये निर्धारित है क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा गलत एवं अवांछित कार्यों पर खर्च किया जाता है।
- अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि चुनावी खर्च की यह सीमा अवास्तविक है क्योंकि उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च वास्तविक व्यय से बहुत अधिक होता है।
- उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान अधिकतम खर्च की सीमा के निर्धारण के संदर्भ में दिसंबर 2019 में एक निजी सदस्य द्वारा संसद में बिल पेश किया गया-
  - यह कदम इस आधार पर उठाया गया कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च के संबंध में किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा खर्च की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है, जिस कारण अक्सर राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का शोषण किया जाता है।
- हालाँकि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होता है।

राज्यों द्वारा चुनाव की फंडिंग:

- इस प्रणाली में राज्य द्वारा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च वहन किया जाता है।
- यह प्रणाली वित्तपोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकती है क्योंकि यह चुनावों में इच्छुक सार्वजनिक वित्तदाताओं के प्रभाव को सीमित कर सकती है तथा इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

राज्य अनुदान पर सिफारिशें:

- इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राज्य द्वारा वित्तपोषण आर्थिक रूप से कमज़ोर राजनीतिक दलों के लिये एक समान आधार को सुनिश्चित करेगा एवं ऐसा कदम सार्वजनिक हित में होगा।
  - यह भी सिफारिश की गई कि राज्य द्वारा यह धन केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को दिया जाना चाहिये तथा यह आर्थिक सहायता उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के रूप में दी जानी चाहिये।
- विधि आयोग की रिपोर्ट (1999) के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव के लिये राज्य द्वारा वित्तीय सहायता देना वांछनीय/उचित (Desirable) है, बशर्ते राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त न करे ।
- संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये गठित राष्ट्रीय आयोग (वर्ष 2000) द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया गया लेकिन इसके द्वारा उल्लेख किया गया कि राजनीतिक दलों के नियमन के लिये एक उपयुक्त रूपरेखा को राज्य द्वारा वित्तपोषण से पहले लागू करने की आवश्यकता है।
- चुनाव आयोग राज्य को चुनावों के आधार पर धन देने के पक्ष में नहीं है। आयोग का पक्ष है कि वह राज्य द्वारा प्रदत्त धनराशि का उपयोग उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की जाँच करने और अन्य खर्चों पर रोक लगाने सक्षम नहीं होगा।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक

- इसका उपयोग मुद्रास्फीति के कारण वर्ष-दर-वर्ष माल और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिये किया जाता है।
- इसकी गणना महँगाई दर की कीमतों से मिलान करने के लिये की जाती है। सरल शब्दों में समय के साथ मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होगी।
- मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक = पूर्व वर्ष के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) में औसत वृद्धि का 75%।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कीमतों में हुई वृद्धि की गणना करने के लिये पिछले वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट की लागत की तुलना वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं (जो अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं) की बास्केट कीमत से करता है।
- केंद्र सरकार द्वारा CII कोआधिकारिक गजट में अधिसूचित किया जाता है।

इंटीग्रिटी पैक्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) ने सरकारी संगठनों में खरीद गतिविधियों के लिये 'इंटीग्रिटी पैक्ट/समझौता '(Integrity Pact) अपनाने के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- नवीनतम आदेश जनवरी 2017 में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया को संशोधित करता है।
- CVC द्वारा एक संगठन में इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनीटर्स (Integrity External Monitors- IEMs) के कार्यकाल को अधिकतम तीन वर्ष तक के लिये सीमित किया गया है।

इंटीग्रिटी पैक्ट:

- इंटीग्रिटी पैक्ट एक प्रकार का सतर्कता उपकरण है, यह भावी विक्रेताओं/ बोलीदाताओं एवं खरीदार के मध्य एक समझौते की परिकल्पना प्रस्तुत करता है जो अनुबंध के किसी भी पहलू पर भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग रोकने के लिये दोनों पक्षों को प्रतिबद्ध करता है।
  - यह पैक्ट/समझौता सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्द्धा को सुनिश्चित करता है।

इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनीटर्स:

- इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनीटर्स (Integrity External Monitors-IEM) द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से दस्तावेज़ों की समीक्षा की जाती है, साथ ही इस बात का निर्धारण किया जाता है कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन सही से किया है या नहीं।
- अगर IEM को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत गंभीर अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं, तो वे संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance Officer- CVO) और CVC को इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

IEM की प्राथमिकता:

- संशोधित प्रावधान: संशोधित प्रावधान के तहत IEM का विकल्प सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertakings- PSU) के अधिकारियों तक ही सीमित होगा जो सचिव स्तर से केंद्र सरकार के पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनका वेतनमान समान हैं।
  - PSUs के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (Chairman and Managing Directors (CMDs) पद के लिये सेवानिवृत्त अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में अनुसूची 'ए' कंपनियों तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी स्तर के अधिकारी और कम-से-कम अतिरिक्त सचिव स्तर या इसके समकक्ष अधिकारी नियुक्ति के पात्र होंगे।
  - सशस्त्र बलों के अधिकारी जो जनरल के समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त हुए हों , की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है।
  - उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने किसी अन्य क्षेत्र में कार्य किया हो या किसी संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance Officer-CVO) के रूप में कार्यरत रहे हों।
- पूर्व प्रावधान: वर्ष 2017 के आदेश के तहत वे अधिकारी जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर पर या इससे ऊपर के स्तर या समकक्ष वेतनमान से सेवानिवृत्त हुए हों, वे सार्वजनिक उपक्रमों, अनुसूची 'ए' कंपनियों, पीएसबी, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में बोर्ड स्तर के अधिकारी पद के लिये पात्र थे।
  - सशस्त्र बलों के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट-जनरल और उससे ऊपर के पद से सेवानिवृत्त हुए हों, उनकी नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता था।

IEM के रूप में नियुक्ति:

- संशोधित प्रावधान के तहत IEM के रूप में नियुक्ति के लिये संबंधित मंत्रालय, विभाग या संगठन को CVC के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल को अग्रेषित करना होगा।
- पूर्व प्रावधान: वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार, CVC द्वारा बनाए गए पैनल में पहले से ही नियुक्त लोग शामिल हो सकते हैं या वे अन्य उचित व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
- कार्यकाल:
  - संशोधित प्रावधान के अनुसार, IEM को किसी संगठन में तीन साल की अवधि के लिये नियुक्त किया जाएगा।
  - पूर्व प्रावधान: वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार IEM का प्रारंभिक कार्यकाल तीन वर्ष के लिये था जिसे संबंधित संगठन से CVC द्वारा प्राप्त अनुरोध पर दो वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिये बढ़ाया जा सकता था।

केंद्रीय सतर्कता आयोग:

- CVC एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त है।
- यह केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी के अलावा केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को योजना बनाने, क्रियान्वयन, समीक्षा करने और उनके सतर्कता कार्यों में सुधार करने से संबंधित सलाह प्रदान करता है।
  - यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी जबावदेहिता केवल संसद के प्रति है।
- इसकी स्थापना फरवरी 1964 में के. संथानम (K. Santhanam) की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (CVC Act) को CVC पर वैधानिक स्थिति प्रदान करते हुए अधिनियमित किया गया है।

इंटीग्रिटी पैक्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) ने सरकारी संगठनों में खरीद गतिविधियों के लिये 'इंटीग्रिटी पैक्ट/समझौता '(Integrity Pact) अपनाने के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- नवीनतम आदेश जनवरी 2017 में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया को संशोधित करता है।
- CVC द्वारा एक संगठन में इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनीटर्स (Integrity External Monitors- IEMs) के कार्यकाल को अधिकतम तीन वर्ष तक के लिये सीमित किया गया है।

इंटीग्रिटी पैक्ट:

- इंटीग्रिटी पैक्ट एक प्रकार का सतर्कता उपकरण है, यह भावी विक्रेताओं/ बोलीदाताओं एवं खरीदार के मध्य एक समझौते की परिकल्पना प्रस्तुत करता है जो अनुबंध के किसी भी पहलू पर भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग रोकने के लिये दोनों पक्षों को प्रतिबद्ध करता है।
  - यह पैक्ट/समझौता सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्द्धा को सुनिश्चित करता है।

इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनीटर्स:

- इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनीटर्स (Integrity External Monitors-IEM) द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से दस्तावेज़ों की समीक्षा की जाती है, साथ ही इस बात का निर्धारण किया जाता है कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन सही से किया है या नहीं।

नोट :

- अगर IEM को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत गंभीर अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं, तो वे संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance Officer- CVO) और CVC को इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

IEM की प्राथमिकता:

- संशोधित प्रावधान: संशोधित प्रावधान के तहत IEM का विकल्प सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertakings- PSU) के अधिकारियों तक ही सीमित होगा जो सचिव स्तर से केंद्र सरकार के पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनका वेतनमान समान हैं।
  - PSUs के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (Chairman and Managing Directors (CMDs) पद के लिये सेवानिवृत्त अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में अनुसूची 'ए' कंपनियों तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी स्तर के अधिकारी और कम-से-कम अतिरिक्त सचिव स्तर या इसके समकक्ष अधिकारी नियुक्ति के पात्र होंगे।
  - सशस्त्र बलों के अधिकारी जो जनरल के समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त हुए हों , की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है।
  - उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने किसी अन्य क्षेत्र में कार्य किया हो या किसी संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance Officer-CVO) के रूप में कार्यरत रहे हों।
- पूर्व प्रावधान: वर्ष 2017 के आदेश के तहत वे अधिकारी जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर पर या इससे ऊपर के स्तर या समकक्ष वेतनमान से सेवानिवृत्त हुए हों, वे सार्वजनिक उपक्रमों, अनुसूची 'ए' कंपनियों, पीएसबी, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में बोर्ड स्तर के अधिकारी पद के लिये पात्र थे।
  - सशस्त्र बलों के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट-जनरल और उससे ऊपर के पद से सेवानिवृत्त हुए हों, उनकी नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता था।

IEM के रूप में नियुक्ति:

- संशोधित प्रावधान के तहत IEM के रूप में नियुक्ति के लिये संबंधित मंत्रालय, विभाग या संगठन को CVC के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल को अग्रेषित करना होगा।
- पूर्व प्रावधान: वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार, CVC द्वारा बनाए गए पैनल में पहले से ही नियुक्त लोग शामिल हो सकते हैं या वे अन्य उचित व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
- कार्यकाल:
  - संशोधित प्रावधान के अनुसार, IEM को किसी संगठन में तीन साल की अवधि के लिये नियुक्त किया जाएगा।
  - पूर्व प्रावधान: वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार IEM का प्रारंभिक कार्यकाल तीन वर्ष के लिये था जिसे संबंधित संगठन से CVC द्वारा प्राप्त अनुरोध पर दो वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिये बढ़ाया जा सकता था।

केंद्रीय सतर्कता आयोग:

- CVC एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त है।
- यह केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी के अलावा केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को योजना बनाने, क्रियान्वयन, समीक्षा करने और उनके सतर्कता कार्यों में सुधार करने से संबंधित सलाह प्रदान करता है।
  - यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी जबावदेहिता केवल संसद के प्रति है।
- इसकी स्थापना फरवरी 1964 में के. संथानम (K. Santhanam) की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (CVC Act) को CVC पर वैधानिक स्थिति प्रदान करते हुए अधिनियमित किया गया है।

डेटा संरक्षण पर संसदीय समिति की कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' (Personal Data Protection Bill, 2019) की समीक्षा के लिये गठित संसद की संयुक्त समिति द्वारा फेसबुक इंडिया (फेसबुक की भारतीय इकाई) को समिति के प्रश्नों का लिखित उत्तर देने के लिये दो सप्ताह का समय दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- ध्यातव्य है कि 23 अक्तूबर, 2020 को फेसबुक इंडिया की सार्वजनिक नीति निदेशक, 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक' पर गठित संसद की संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत हुईं, हालाँकि ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने 28 अक्तूबर, 2020 को समिति से समक्ष प्रस्तुत होने से मना कर दिया।
- अमेज़न के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण कंपनी के 'विषय विशेषज्ञ' अमेरिका से भारत आने का जोखिम नहीं उठा सकते।
- गौरतलब है कि संसदीय समिति ने उपयोगकर्त्ताओं के डेटा की सुरक्षा और संरक्षण के संदर्भ में फेसबुक, अमेज़न, गूगल और पेटीएम आदि कंपनियों से उनके विचार मांगे थे।
    - पिछले कुछ समय से ऑनलाइन कंपनियों पर आरोप लगते रहे हैंकि उनके द्वारा अपने व्यावसायिक लाभ के लिये उपयोगकर्त्ताओं के गोपनीय डेटा की सुरक्षा के साथ समझौता किया जाता है।

डेटा सुरक्षा पर पूछताछ:

- समिति द्वारा फेसबुक से उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजस्व मॉडल, कर (Tax) भुगतान करने का तरीका, विज्ञापनदाताओं और इन विज्ञापनदाताओं के लिये लक्षित दर्शक चुनने की प्रक्रिया, नए उपयोगकर्त्ताओं की आयु का पता लगाने व उपयोगकर्त्ताओं की पृष्ठभूमि का सत्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए।
- समिति द्वारा इसी मामले में पूछताछ के लिये अगले सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और पेटीएम के अधिकारियों को भी बुलाया गया है।

समिति द्वारा अमेज़न पर कार्रवाई:

- समिति की अध्यक्षा और लोकसभा सदस्य मीनाक्षी लेखी ने अमेज़न की प्रतिक्रिया को संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया है।
- साथ ही उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित तिथि पर कंपनी का कोई प्रतिनिधि समिति के समक्ष नहीं उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019):

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था जिसके बाद लोकसभा द्वारा इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।
- इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के साथ इसके लिये एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करना है।
- यह विधेयक सरकार, भारत की निजी कंपनियों और विदेशी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने, स्थानांतरित करने तथा इसके प्रसंस्करण की प्रक्रिया को विनियमित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- यह विधेयक सरकार को कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तिगत डेटा को विदेशों में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अधिकार प्रदान करता है, साथ ही यह सरकारी एजेंसियों को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने की छूट प्रदान करता है।
- यह विधेयक सरकार के नेतृत्त्व में बने तकनीकी आधारित समाधानों को भी बढ़ावा देता है, उदाहरण के लिये इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सेवाओं की आपूर्ति के बेहतर लक्ष्यीकरण और साक्ष्य आधारित नीतियों के निर्माण के लिये किसी भी इकाई या कंपनी को गैर-व्यक्तिगत डेटा या अज्ञात डेटा प्रदान करने के लिये निर्देश दे सकती है।

नोट :

लाभ:

- डेटा स्थानीयकरण से किसी मामले की जाँच के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये आसानी से डेटा की पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे इंटरनेट से जुड़े अपराधों को रोकने में सहायता प्राप्त होगी।
- साथ ही डेटा स्थानीयकरण के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों के व्यापार की बेहतर निगरानी संभव होगी।
- वर्तमान में डेटा अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों की भूमिका बहुत ही सीमित है, ऐसे में डेटा स्थानीयकरण के माध्यम से भारतीय बाज़ार में स्थानीय कंपनियों के हितों की रक्षा की जा सकेगी।

चुनौतियाँ:

- कई सामाजिक कार्यकर्त्ता समूहों ने इस विधेयक के तहत सरकार को नागरिकों के डेटा के संदर्भ में दी गई छूट की आलोचना की है। उनके अनुसार, सरकार द्वारा इसका उपयोग लोगों की निगरानी और दमन के लिये किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि श्रीकृष्णन समिति द्वारा तैयार किये गए मसौदे में सभी प्रकार के व्यक्तिगत डेटा को देश के अंदर ही संरक्षित किये जाने पर बल दिया गया था, जबकि वर्तमान विधेयक में सिर्फ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में ही इसकी अनिवार्यता निर्धारित की गई है।

संसदीय विशेषाधिकार:

- संसदीय विशेषधिकारों से आशय उन विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों या छूट से है जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- संसदीय विशेषाधिकार को व्यापक रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
  - व्यक्तिगत अधिकार: वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं।
  - सामूहिक अधिकार: वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदनों को सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है।
- सामूहिक विशेषाधिकारों में सदन को अपनी रिपोर्ट, वाद-विवाद और कार्यवाही के प्रकाशन, जाँच करने, गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित प्रपत्र या रिकार्ड को प्रस्तुत करने के लिये आदेश देने का अधिकार शामिल है। साथ ही यह सदस्यों एवं बाहरी लोगों को इसके अधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदा करने, चेतावनी या कारावास का दंड (सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन) देने का अधिकार प्रदान करता है।
  - गौरतलब है कि संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी (Attorney General) व केंद्रीय मंत्रियों को संसदीय विशेषधिकार प्रदान किये गए हैं परंतु राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं प्राप्त हैं, हालाँकि राष्ट्रपति का पद संसद का एक अंतरिम भाग होता है।

एकल पुरुष अभिभावक के लिये चाइल्ड केयर लीव

चर्चा में क्यों?

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा किये गए कुछ प्रमुख सुधारों के बारे में सूचना देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि पुरुष सरकारी कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल से संबंधित 'चाइल्ड केयर लीव' प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था, किंतु कुछ कारणों की वजह से लाभार्थियों तक इसका प्रचार नहीं हो सका था।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के निर्णय के मुताबिक, केंद्र सरकार के केवल वही पुरुष कर्मचारी 'चाइल्ड केयर लीव' (Child Care Leave) प्राप्त कर सकेंगे, जो 'एकल पुरुष अभिभावक' हैं, जिसमें ऐसे पुरुष कर्मचारी शामिल हैं जो विधुर (Widower) अथवा तलाकशुदा हैं या फिर अविवाहित हैं और इस कारण एकल अभिभावक के रूप में उन पर बच्चे की देखभाल करने का उत्तरदायित्त्व है।

- 'चाइल्ड केयर लीव' पर जाने वाला कोई कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ सकता है। इसके अलावा 'चाइल्ड केयर लीव' पर जाने वाले कर्मचारी छुट्टी के दौरान भी 'लीव ट्रैवल कंसेशन' (LTC) का लाभ उठा सकते हैं।
- दिव्यांग बच्चे के मामले में 'चाइल्ड केयर लीव' को बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक ही दिये जाने के प्रावधान को हटा दिया गया है और अब किसी भी उम्र के दिव्यांग बच्चे के लिये सरकारी कर्मचारी द्वारा 'चाइल्ड केयर लीव' का लाभ उठाया जा सकता है।

महत्त्व

- केंद्र सरकार के इस निर्णय को सरकारी कर्मचारियों के जीवन को और अधिक आसान बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण तथा प्रगतिशील सुधार के रूप में देखा जा सकता है।
  - इससे पूर्व एकल पुरुष अभिभावकों को प्राय: अपने बच्चों की देखभाल के लिये समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
- इन सुधारों से उन सरकारी कर्मचारियों को काफी लाभ होगा, जिनके बच्चे किसी प्रकार की दिव्यंगता से प्रभावित हैं।
- इन सभी फैसलों का मूल उद्देश्य एक सरकारी कर्मचारी को अपनी अधिकतम क्षमता के साथ योगदान करने में सक्षम बनाना है। विदित हो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने भी ऐसे पुरुष सरकारी कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (CCL) का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी, जो अकेले बच्चे का पालन-पोषण कर रहे हैं।

चाइल्ड केयर लीव (CCL)

- नियमों के अनुसार, चाइल्ड केयर लीव (CCL) अब तक महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके छोटे बच्चों (18 वर्ष की आयु तक) की देखभाल के लिये पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) के लिये दी जाती थी।
  - चाइल्ड केयर लीव (CCL) का लाभ केवल 2 बच्चों तक ही प्राप्त किया जा सकती है।
- चाइल्ड केयर लीव (CCL) से संबंधित अवकाश की मंज़ूरी पहले 365 दिनों के लिये 100 प्रतिशत सवेतन अवकाश और अगले 365 दिनों के लिये 80 प्रतिशत सवेतन अवकाश के साथ दी जाती है, जिसकी सिफारिश सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई थी।
- पृष्ठभूमि
  - असल में छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने सरकार से ऐसी नीतियाँ बनाने की सिफारिश की थी, जिससे महिला कर्मचारी अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारी निभा सकें, इसी के साथ केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिये चाइल्ड केयर लीव (CCL) की शुरुआत की।

मृदा-संचारित हेलमनिथेसिस के प्रसार में कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत के राज्यों में कृमि के प्रसार/फैलाव (Worm Prevalence) में कमी आई है।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) के अनुसार, उच्च मृदा-संचारित हेलमनिथेसिस (Soil-Transmitted Helminthiases-STH) से संक्रमित क्षेत्रों में नियमित रूप से साफ-सफाई का ध्यान रखकर बच्चों और किशोरों में कृमि के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है।
- हेलमनिथेसिस (Helminthiases) परजीवी कृमि (Parasitic Worms) के कारण होने वाली बीमारी या संक्रमण है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2012 में STH पर प्रकाशित WHO की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1-14 वर्ष आयु वर्ग के 64% बच्चों पर STH का खतरा/जोखिम था।
- उस समय स्वच्छता एवं सफाई कार्यक्रमों तथा STH के सीमित प्रसार के आधार पर प्राप्त डेटा से जोखिम का अनुमान लगाया गया था।

- भारत में STH के जोखिम की सटीकता का आकलन करने के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी बेसलाइन STH मैपिंग के समन्वय व संचालन के लिये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control-NCDC) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- देश भर में आधारभूत एसटीएच मैपिंग का कार्य वर्ष 2016 के अंत तक पूर्ण कर लिया गया और इससे प्राप्त आँकड़ों में काफी विविधता देखी गई जो मध्य प्रदेश में 12.5% और तमिलनाडु में 85% थी ।
- NCDC और अन्य भागीदारों के नेतृत्व में निरंतर चल रहे उच्च कवरेज नेशनल डिवर्मिंग डे (National Deworming Day-NDD) कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण को और अधिक विस्तारित किया गया है ।

निरंतर किये गए सर्वेक्षण के परिणाम:

- 14 राज्यों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन सभी 14 राज्यों में प्रचलित बेसलाइन सर्वेक्षण की तुलना में निरंतर /अनुवर्ती सर्वेक्षण में कृमि प्रसार में कमी देखी गई।
- निरंतर/अनुवर्ती सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में कृमि प्रसार में पर्याप्त कमी देखी गई है।
    - छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक NDD कार्यक्रम के 10 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया हैं, जिनमें देखा गया है कि कृमि प्रसार में वर्ष 2016 के 74.6% से वर्ष 2018 में 13.9% तक की कमी हुई है।
    - सिक्किम में NDD कार्यक्रम के 9 चरणों को पूरा किया जा चुका है जिनके अनुसार कृमि प्रसार वर्ष 2015 के 80.4% से घटकर वर्ष 2019 में 50.9% को गया है।
    - राजस्थान एकमात्र राज्य है जिसने केवल 21.1 की निम्न आधार रेखा (Low Baseline of 21.1) के कारण वार्षिक चरण को लागू किया तथा वर्ष 2013 के सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2019 में 1% से कम के स्तर के साथ कृमि प्रसार में महत्त्वपूर्ण कमी देखी गई है।

राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कार्यक्रम

- राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से WHO तथा तकनीकी भागीदारों के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं तकनीकी सहायता मंत्रालय द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम को स्कूलों और आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अर्द्धवार्षिक आधार (10 फरवरी और 10 अगस्त) पर लागू किया जाता है।
- देश में इस वर्ष (2020) की शुरुआत में (जो COVID-19 महामारी के कारण रुका था) अंतिम दौर में, 25 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में 11 करोड़ बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाज़ोल की गोलियाँ (Albendazole Tablets) दी गईं।
    - WHO द्वारा अनुमोदित अल्बेंडाज़ोल टैबलेट का उपयोग विश्व स्तर पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (Mass Drug Administration-MDA) कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में बच्चों और किशोरों में आँतों के कीड़े (Intestinal Worms) के उपचार के लिये किया जाता है।

मृदा-संचारित हेल्मिन्थ्स

- मृदा-संचारित हेल्मिन्थ्स मनुष्यों को संक्रमित करने वाला एक कृमि/कीट है जो दूषित मृदा के माध्यम से प्रेषित/ संचारित होता है।
    - आँतों के कीड़े परजीवी के रूप में मानव आँत में रहते हैं तथा जीवित रहने के लिये एक बच्चे के आवश्यक पोषक तत्त्वों और विटामिन का उपभोग करते हैं।
- हेल्मिन्थ्स के तीन मुख्य प्रकार हैं जो लोगों को संक्रमित करते हैं, इनमें शामिल हैं-
    - राउंडवॉर्म (एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स), Roundworm (Ascaris lumbricoides)
    - व्हिपवॉर्म (ट्रिचोरिस ट्राइचिरा),Whipworm (Trichuris trichiura)

नोट :

- हुकवॉर्म (नेकेटर एमिरिकेनस और एंकिलोस्टोमा ड्यूएनेल), Hookworms (Necator americanus and Ancylostoma duodenale)
  - ये कीड़े अपने भोजन और जीवित रहने के लिये मानव शरीर पर निर्भर रहते हैं और वहाँ रहने के दौरान हर दिन हज़ारों अंडे देते हैं।

संचरण:

- मृदा-संचारित हेलमन्थ्स के अंडे का प्रसार संक्रमित लोगों के मल द्वारा होता है, जिन क्षेत्रों में स्वच्छता का अभाव होता है, उस स्थान पर ये अंडे मिट्टी को दूषित करते हैं।

प्रभाव:

- चूँकि कृमि/कीड़े रक्त सहित मेज़बान (मानव शरीर) के ऊतकों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं जिसके कारण मानव शरीर में लोहे और प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप एनीमिया यानी शरीर में कम हीमोग्लोबिन (Haemoglobin- Hb) के कारण कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है।
- कृमि संक्रमण से पेचिस/दस्त भी हो सकते हैं, संक्रमित व्यक्ति में भूख कम लगना, कम पोषक पदार्थों का सेवन और दुर्बलता देखने को मिलती है। (एक ऐसी स्थिति जो छोटी आँत के माध्यम से पोषक तत्त्वों के अवशोषण को रोकती है।)

उपचार:

WHO द्वारा मान्य/अनुमोदित दवाओं में अल्बेंडाज़ोल (Albendazole), 400 मिलीग्राम तथा मेबेंडाज़ोल (Mebendazole), 500 मिलीग्राम गैर-चिकित्सा कर्मियों (जैसे शिक्षकों) द्वारा दी जाने वाली सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली दवाएँ हैं।

जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीदने की इजाज़त

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में भूमि संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले नए नियम अधिसूचित किये हैं, जिसके माध्यम से अब कोई भी भारतीय नागरिक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में गैर-कृषि भूमि खरीद सकता है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीदने के लिये स्थायी निवासी होने की शर्त को समाप्त कर दिया है, जिससे अब जम्मू-कश्मीर में गैर-कृषि भूमि खरीदने के लिये किसी भी प्रकार के अधिवास या स्थायी निवासी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  - हालाँकि कृषि योग्य भूमि को इसके तहत शामिल नहीं किया गया है और इसकी खरीद अभी भी राज्य के किसानों और कृषिविदों द्वारा ही की जा सकती है।
- ज्ञात हो कि केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के संबंध में भी इस प्रकार की अधिसूचना जारी कर सकती है।

क्या-क्या परिवर्तन होगा?

- नए कानूनों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की भूमि पर स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है।
- जम्मू-कश्मीर के बाहर निवास करने वाले आम लोग और निवेशक सभी जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीद सकेंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा।
- कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालाँकि यहाँ अपवाद स्वरूप कृषि योग्य भूमि को शैक्षिक या स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रयोग किया जा सकता है।
- नए प्रावधान के तहत कोर कमांडर के पद से ऊपर के पद पर कार्यरत सेना का कोई अधिकारी राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र को 'सामरिक क्षेत्र' के रूप में घोषित कर सकता है, जिसका उपयोग केवल सशस्त्र बलों द्वारा परिचालन और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिये किया जाएगा।

महत्त्व

- केंद्र सरकार लगातार यह तर्क दे रही थी कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के कारण राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इन अनुच्छेदों और कई अन्य कानूनों के कारण निवेशकों को जम्मू-कश्मीर में निवेश करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
- इस तरह इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा और यहाँ शांति एवं समृद्धि स्थापित की जा सकेगी। विकास के माध्यम से यहाँ रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि जम्मू-कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को सही ढंग से आकार दिया जाए तो इस क्षेत्र के रियल एस्टेट सेक्टर के विकास की काफी अधिक संभावना है।

आलोचना

- आलोचकों का मानना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A के माध्यम से अब तक जम्मू-कश्मीर की विशिष्टता को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब जब अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया है और भारत के अन्य नागरिकों को भी जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीदने तथा निवेश करने की इजाज़त दी जा रही है तो इससे जम्मू-कश्मीर की विशिष्टता प्रभावित हो सकती है।
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसी प्रकार के नियम लागू हैं और वहाँ भी कोई अन्य व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है।
- कई लोग यह तर्क दे रहे हैं कि इस प्रकार का भूमि आरक्षण, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और भारतीय गणराज्य के बीच बाहरी लोगों से कश्मीरी निवासियों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये किये गए समझौते का हिस्सा था और इस विशेषाधिकार को समाप्त करना एक प्रकार से कश्मीरी लोगों में भारत के प्रति अविश्वास पैदा करेगा।

अनुच्छेद 35A

- अनुच्छेद 35A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का ही विस्तार था, जिसे अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया।
- संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर राज्य की विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता था।
- यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्त्व की अनुमति नहीं देता था। इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना की रक्षा करना था।
- इस प्रकार यह अनुच्छेद राज्य के बाहर के लोगों को जम्मू-कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने, स्थायी रूप से बसने, या राज्य-प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से रोकता था।

न्यायालय की कार्यवाही का लाइव प्रसारण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI) शरद ए. बोबडे ने न्यायालयों की कार्यवाही के लाइव प्रसारण का दुरुपयोग किये जाने के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत के महान्यायवादी (Attorney general) के.के. वेणुगोपाल ने न्यायालयों की कार्यवाही तक सभी की पहुँच को आसान बनाने के लिये इसे लाइव प्रसारित किये जाने पर बल दिया था।
- गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर अपनी अदालती सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया गया था।
  - गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रयोग के परिणाम के आधार पर लाइव प्रसारण को जारी रखने या इसके तौर-तरीकों के निर्धारण पर निर्णय लिया जाएगा।

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जानी चाहिये साथ ही न्यायालय की कार्यवाही के लाइव प्रसारण से इसके दुरुपयोग का भय भी बना रहेगा।

पृष्ठभूमि:

- गौरतलब है कि वर्ष 2018 में स्वप्निल तिवारी बनाम भारतीय उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से माना था कि नागरिकों द्वारा न्यायालय की कार्यवाही का लाइव प्रसारण देखने की सुविधा संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्राप्त न्याय तक पहुँच के अधिकार का हिस्सा है।
- COVID-19 महामारी के कारण देश में लागू हुए लॉकडाउन के बाद देश के विभिन्न न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा रही है।
- इन सुनवाइयों के दौरान अधिवक्ताओं, पीड़ित और आरोपी पक्ष, गवाह आदि को शामिल होने की सुविधा प्रदान की गई है।
- 6 अप्रैल, 2020 को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों की कार्यवाही के लाइव प्रसारण और वेब आधारित सुनवाई के लिये 7 दिशा निर्देश जारी किये थे।
- उच्चतम न्यायालय की 'ई-समिति' द्वारा निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चल रही अदालती कार्यवाही को जनता को देखने की अनुमति देने की बात कही गई है।
- इससे पहले वर्ष 2019 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरीदाबाद में अपना पहला आभासी न्यायालय/वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) या ई-कोर्ट लॉन्च किया था।

लाभ:

- न्यायालयों की कार्यवाही के लाइव प्रसारण से न्यायालय तक लोगों की पहुँच को आसान बनाया जा सकेगा।
- इसके माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और इसके प्रति लोगों का विश्वास भी मज़बूत होगा।
- लाइव प्रसारण के माध्यम से लोग विश्व में किसी भी स्थान पर रहते हुए अपने मामले की निगरानी कर सकेंगे जिससे धन और समय की बचत होगी।
- न्यायालय की कार्यवाही के प्रसारण से इसकी कार्यप्रणाली और कानून के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तथा किसी विवाद के मामले में न्यायालय जाने के संदर्भ में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

चुनौतियाँ:

- न्यायालय की कार्यवाही का लाइव प्रसारण राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के साथ कुछ मामलों (जैसे-वैवाहिक विवाद और यौन उत्पीड़न के मामले) में लोगों की निजता के अधिकार को भी प्रभावित कर सकता है।
- इसके साथ ही न्यायालय की कार्यवाही का अनधिकृत पुनर्प्रसारण, इसका व्यावसायीकरण या इसके दुरूपयोग से जुड़े अन्य मुद्दे भी चिंता का विषय हैं।

आगे की राह:

- न्यायालय की कार्यवाही का लाइव प्रसारण भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- न्यायालय की कार्यवाही का लाइव प्रसारण बहुत ही संवेदनशील विषय है ऐसे में इसमें सभी प्रकार की सावधानियों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, उदाहरण के लिये- गुजरात उच्च न्यायालय में किसी अप्रिय या असुविधाजनक सामग्री को लाइव जाने से रोकने के लिये न्यायालय की कार्यवाही और इसके प्रसारण में 20 सेकेंड का विलंब सुनिश्चित किया जाता है।

PLACID परीक्षण

चर्चा में क्यों:

हाल ही में PLACID परीक्षण, एक बहुस्तरीय यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (Randomized Controlled Trial) से पता चला है कि COVID -19 रोगियों के उपचार के लिये कान्वलेसंट प्लाज़्मा (Convalescent Plasma- CP) का उपयोग करने पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा और रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ।

प्रमुख बिंदु

- यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (RCT) एक ऐसा परीक्षण है जिसमें विषयों को एक या दो समूहों में यादृच्छिक रूप से बाँटा जाता है: एक (प्रायोगिक समूह) वह समूह जिस पर परीक्षण किया जा रहा है, और दूसरा (तुलना समूह या नियंत्रण) वह जो दूसरे वैकल्पिक उपचार (पारंपरिक) प्राप्त कर रहा है।
- कान्वलेसंट प्लाज़्मा थेरेपी (Convalescent Plasma Therapy-CPT):
  - संक्रमण से मुक्त होने वाले रोगियों के रक्त से निकाला गया कान्वलेसंट प्लाज़्मा, संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का एक स्रोत है।
  - इस थेरेपी में उन लोगों से रक्त लिया जाता है जो बीमारी से उबर चुके हैं।
  - COVID-19 से ठीक हुए लोगों द्वारा दान किये गए रक्त में वायरस का एंटीबॉडी होता है। दान किये गए रक्त को रक्त कोशिकाओं को हटाने के लिये संसाधित किया जाता है, जो तरल (प्लाज़्मा) और एंटीबॉडी को स्थानांतरित कर देता है। ये COVID-19 के मरीज़ों को वायरस से लड़ने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिये दिया जा सकता है।
  - COVID -19 के प्रलेखित मामले (Documented Case) में निगेटिव आने के बाद और पिछले 28 दिनों तक स्वस्थ रहने के बाद ही कोई प्लाज़्मा दान कर सकता है।
- PLACID परीक्षण:
  - इस परीक्षण का आयोजन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य COVID-19 के उपचार के लिये CPT की प्रभावशीलता की जाँच करना था।
  - यह दुनिया का पहला और सबसे बड़ा यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण (First and largest randomised Control Trial) है।
- जाँच - परिणाम:
  - परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि कान्वलेसंट प्लाज़्मा के माध्यम से इलाज वाले रोगियों में सामान्य देखभाल वाले COVID-19 रोगियों की तुलना में 28 दिनों की मृत्यु दर में कोई अंतर नहीं था।
  - जबकि कान्वलेसंट प्लाज़्मा के उपयोग से मध्यम रूप से प्रभावित COVID-19 के रोगियों में साँस और थकान की समस्या में सुधार हुआ।
- निष्कर्षों का प्रभाव:
  - ICMR अब राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों से CPT के विकल्प को हटाने पर विचार कर रहा है।
    - भारत में COVID-19 के इलाज के रूप में CPT ने सोशल मीडिया पर दानदाताओं के लिये कॉल और ब्लैक मार्केट में प्लाज़्मा की बिक्री जैसी संदिग्ध प्रथाओं को जन्म दिया है।
    - यद्यपि नियमों के अनुसार, कान्वलेसंट प्लाज़्मा संक्रमित होने पर उपचार का एक सुरक्षित रूप है, परंतु इसमें संसाधन-गहन प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जैसे- प्लास्मफेरेसिस (रक्त कोशिकाओं से प्लाज़्मा को अलग करना), प्लाज़्मा भंडारण और एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने की माप करने वाले संस्थानों की एक सीमित संख्या है।
    - हालाँकि विशेषज्ञों ने माना है कि ये दिशा-निर्देश अनिवार्य रूप से बाध्यकारी नहीं हैं और यह कान्वलेसंट प्लाज़्मा थेरेपी को खारिज करने के लिये जल्दबाजी होगी।

आगे का रास्ता

- COVID-19 एक नया वायरस है और वैश्विक समुदाय अभी भी सबसे अच्छे चिकित्सीय विकल्पों की तलाश में है, इसलिये एक दृढ़ कदम उठाना जल्दबाज़ी होगी।
  - उदाहरण के लिये रेमेडिसिविर (Remdesivir) को यूएसए ड्रग रेगुलेटर द्वारा पसंद की दवा (Drug of Choice) के रूप में मंज़ूरी दी गई है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सॉलिडैरिटी ट्रायल (Solidarity Trial) में पाया गया है कि 28 दिन के दौरान इसका COVID-19 की मृत्यु दर पर कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

- कुछ उपचारों को सहानुभूति के आधार पर जारी रखा जा सकता है और एक या दो परीक्षणों के परिणामों से संपूर्ण उपचार या चिकित्सा को समाप्त नहीं करना चाहिये।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट- 2020

चर्चा में क्यों?

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report- ASER) सर्वेक्षण के अनुसार, देश भर में COVID-19 के मद्देनज़र स्कूल बंद होने के कारण लगभग 20% ग्रामीण बच्चों को कोई पाठ्य-पुस्तक प्राप्त नहीं हुई।

प्रमुख बिंदु:

- पाठ्य-पुस्तकों तक पहुँच: आंध्र प्रदेश में 35% से कम बच्चों के पास पाठ्य-पुस्तकें थीं, जबकि राजस्थान में केवल 60% बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थीं। पश्चिम बंगाल, नगालैंड और असम में 98% से अधिक बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थीं।
- लर्निंग सामग्री तक पहुँच: सर्वेक्षण सप्ताह के अनुसार, लगभग तीन ग्रामीण बच्चों में से एक ने किसी भी प्रकार की सीखने की गतिविधि में भाग नहीं लिया।
  - उनके स्कूल द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की लर्निंग सामग्री या गतिविधि तीन में से दो बच्चों के पास उपलब्ध नहीं थी और दस में से केवल एक बच्चे की पहुँच ऑनलाइन कक्षाओं तक थी।
  - वर्ष 2018 के ASER सर्वेक्षण की तुलना में स्मार्टफोन उपयोग करने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है किंतु स्मार्टफोन तक पहुँच वाले एक-तिहाई बच्चों को अभी भी कोई सीखने की सामग्री नहीं प्राप्त हुई।
- हालाँकि देश भर में दो-तिहाई ग्रामीण बच्चों ने बताया कि उन्हें कोई भी शिक्षण सामग्री नहीं मिली।
  - बिहार में 8% से कम बच्चों को जबकि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 20% बच्चों को उनके स्कूलों से लर्निंग सामग्री प्राप्त हुई।
  - वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और गुजरात में 80% से अधिक ग्रामीण बच्चों को इस तरह का इनपुट प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2018 में ASER के सर्वेक्षणकर्त्ताओं ने पाया कि लगभग 36% ग्रामीण परिवार जिनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, के पास स्मार्टफोन था। वर्ष 2020 तक यह आँकड़ा बढ़कर 62% हो गया था। लगभग 11% परिवारों ने लॉकडाउन के बाद एक नया स्मार्टफोन खरीदा।
- 75% छात्र जिन्हें मैसेजिंग एप के माध्यम से कुछ लर्निंग इनपुट मिले हैं, से यह संकेत मिल सकता है कि क्यों WhatsApp छात्रों के लिये 'लर्निंग सामग्री संचरण' का अब तक का सबसे लोकप्रिय साधन हो सकता है।
  - इनपुट प्राप्त करने वालों में से लगभग एक-चौथाई बच्चों का शिक्षक के साथ व्यक्तिगत संपर्क था।
- स्कूलों में नए सिरे से नामांकन प्रक्रिया: सर्वेक्षण में यह देखा गया है कि वर्ष 2018 में 6-10 वर्ष की आयु के सिर्फ 1.8% ग्रामीण बच्चों की तुलना में 5.3% ग्रामीण बच्चों ने इस वर्ष (2020) अभी भी स्कूल में दाखिला नहीं लिया है।
  - यह इंगित करता है कि COVID-19 महामारी के मद्देनज़र व्यवधानों के कारण ग्रामीण परिवार बच्चों को दाखिला कराने के लिये पहले की तरह स्कूलों के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिणामत: 6 वर्ष तक के लगभग 10% बच्चे अभी भी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए हैं।
  - हालाँकि 15-16 वर्ष के बच्चों का नामांकन स्तर वर्ष 2018 की तुलना में थोड़ा अधिक है।
    - नामांकन पैटर्न में भी बदलाव देखा गया है। सरकारी स्कूलों में नामांकन स्तर बढ़ा है।

COVID-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा को लेकर माता-पिता की भूमिका:

- COVID-19 महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा एवं संसाधनों को लेकर माता-पिता ने मुख्य भूमिका निभाई है।
- छोटी कक्षाओं के बच्चे बड़ी कक्षाओं के बच्चों की तुलना में अधिक मदद पा रहे हैं। इसी तरह अधिक पढ़े-लिखे माता-पिता के बच्चों को कम पढ़े-लिखे माता-पिता के मुकाबले अधिक मदद मिल रही है। उदाहरण के लिये 89.4% बच्चे जिनके माता-पिता कक्षा 9 या इससे अधिक शिक्षित थे, की तुलना में 54.8% बच्चे जिनके माता-पिता कक्षा 5 या उससे कम शिक्षित थे, की तरफ से लर्निंग सामग्री से संबंधित अधिक पारिवारिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

नोट :

- सर्वेक्षण में यह देखा गया है कि जैसे-जैसे बच्चे बड़ी कक्षाओं में पहुँच रहे हैं माता-पिता से मिलने वाली मदद घट रही है। उदाहरण के लिये कक्षा 1-2 के बच्चों की माताएँ उनकी मदद कर पा रही हैं, जबकि कक्षा 9 और ऊपर के 15% बच्चों को ही अपनी माताओं से मदद मिल पा रही है।

लॉकडाउन खुलने के बाद की स्थिति:

- यद्यपि केंद्र सरकार ने COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, इसके बावजूद देश के 25 करोड़ छात्रों में से अधिकांश छात्र 7 महीनों के बाद भी घर पर हैं।

शिक्षा में डिजिटल विभाजन:

- ASER सर्वेक्षण में 'सीखने में नुकसान' की भी एक झलक मिलती है जिससे सबसे अधिक प्रभावित ग्रामीण भारत के छात्र हैं।
  - सर्वेक्षण में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर स्कूल एवं परिवारों की संसाधनों (जैसे- प्रौद्योगिकी) तक सीमित पहुँच के कारण शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल विभाजन बढ़ा है।

डिजिटल विभाजन:

- सरलतम रूप में 'डिजिटल विभाजन' का अर्थ समाज में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) के उपयोग तथा प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता से है।
- डिजिटल विभाजन की परिभाषा में प्राय: सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) तक आसान पहुँच के साथ-साथ उस प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु आवश्यक कौशल को भी शामिल किया जाता है।
- इसके तहत मुख्यत: इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग को लेकर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख किया जाता है।

डिजिटल विभाजन का शिक्षा पर प्रभाव:

- इंटरनेट ज्ञान और सूचना का एक समृद्ध भंडार उपलब्ध कराता है, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) की पहुँच और उपलब्धता अकादमिक सफलता तथा मज़बूत अनुसंधान गतिविधियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सूचना तक काफी जल्दी पहुँचा जा सकता है।
- शिक्षा एक बहुत ही गतिशील क्षेत्र है और नवीनतम सूचना एवं ज्ञान प्राप्त करना इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों की अपर्याप्तता ने विकासशील देशों में पहले से ही कमज़ोर शिक्षा प्रणाली को और अधिक अप्रभावी बना दिया है। इस प्रकार देश के विद्यालयों के शिक्षा मानकों में सुधार करने के लिये आवश्यक है कि वहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट सर्वेक्षण:

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report-ASER) एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण ज़िले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
- ASER सर्वेक्षण ग्रामीण शिक्षा एवं सीखने के परिणामों पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है जिसमें पढ़ने एवं अंकगणितीय कौशल को शामिल किया गया है।
- इसे पिछले 15 वर्षों से एनजीओ 'प्रथम' (NGO Pratham) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- इस वर्ष ASER सर्वेक्षण को फोन कॉल के माध्यम से आयोजित किया गया है जिसमें 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 5-16 आयु वर्ग के 59,251 स्कूली बच्चों के साथ 52,227 परिवारों को शामिल किया गया।
- यह आम लोगों द्वारा किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, साथ ही यह देश में बच्चों की शिक्षा संबंधी परिणामों के बारे में जानकारी का एकमात्र उपलब्ध वार्षिक स्रोत भी है।

नोट :

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग गठित करने हेतु एक अध्यादेश अधिसूचित किया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित 'पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण' (EPCA) तथा इस विषय से संबंधित अन्य सभी समितियों को विघटित कर दिया गया है।
    - इन पूर्व की समितियों को विघटित करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये सभी सुव्यवस्थित प्रयास करना और जनभागीदारी को कारगर बनाना है।

कारण

- दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण सबसे प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। यही कारण है कि वायु प्रदूषण के कारणों जैसे- पराली जलाना, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, शहरी विनिर्माण संबंधी प्रदूषण आदि की निगरानी, उनसे निपटने और समाप्त करने के लिये एक समेकित दृष्टिकोण अपनाना तथा उसे लागू करना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया था।
- अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की निगरानी और प्रबंधन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) जैसे अलग-अलग निकायों द्वारा किया जा रहा था।
- इसके कारण प्रदूषण से निपटने का कार्य और भी चुनौतीपूर्ण तथा अव्यवस्थित हो गया था, ऐसे में लंबे समय से एक ऐसे निकाय के गठन पर विचार किया जा रहा था, जो इस पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सके।
- हालिया अध्यादेश में वायु प्रदूषण से संबंधित सभी निकायों को समेकित कर एक अतिव्यापी निकाय बनाने की परिकल्पना की गई है, जिससे वायु गुणवत्ता का प्रबंधन अधिक व्यापक, कुशल और समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

आयोग की संरचना

- सात सदस्यों वाले पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) के विपरीत सरकार द्वारा गठित नए आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष समेत कुल 18 सदस्य होंगे। साथ ही इस आयोग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के तौर पर 'एसोसिएट सदस्य' तथा एक पूर्णकालिक सचिव को भी शामिल किया जाएगा, जो कि मुख्य समन्वय अधिकारी के तौर पर कार्य करेगा।
    - ध्यातव्य है कि इस आयोग का अध्यक्ष या तो भारत सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी होगा या फिर राज्य सरकार में मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होगा और इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा कार्यकाल की समाप्ति के बाद उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
- केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा इस आयोग में पाँच राज्यों (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), नीति आयोग, प्रदूषण विशेषज्ञ, संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।
- इस तरह से आयोग आसानी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर सकेगा तथा इन राज्यों में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी कर सकेगा।
- निकाय की संरचना को देखकर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार इस विषय से संबंधित विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है।
    - आयोग की इस प्रकार की संरचना इस दृष्टिकोण से भी काफी महत्त्वपूर्ण है कि दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन में स्टबल-बर्निंग (कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारें) और औद्योगिक उत्सर्जन (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) आदि अलग-अलग हितधारक शामिल हैं।

आयोग की उप-समितियाँ

- सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस आयोग में 3 उप-समितियाँ होंगी, हालाँकि आयोग अपनी इच्छानुसार अन्य समितियों का भी गठन कर सकता है-
    1. निगरानी और पहचान पर उप-समिति
    2. सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप-समिति
    3. अनुसंधान और विकास पर उप-समिति

कार्य और शक्तियाँ

- आयोग के पास दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये सभी आवश्यक उपाय करने, इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने और आवश्यकता पड़ने पर शिकायतें दर्ज करने की शक्ति होगी।
    - यह आयोग राज्य सरकार और किसी सरकारी विभाग को भी आदेश जारी कर सकता है।
- यह आयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा।
- यह वायु गुणवत्ता और प्रदूषकों के उत्सर्जन से संबंधित मानकों का भी निर्धारण करेगा।
- अध्यादेश के अनुसार, वायु गुणवत्ता और प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले में किसी निकाय अथवा राज्य सरकार के साथ हितों के टकराव की स्थिति में इस आयोग द्वारा जारी किये गए आदेश अथवा निर्देश को सर्वोपरि माना जाएगा।
- इस आयोग को वायु प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले की जाँच करने और दिल्ली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित किसी भी परिसर, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी आदि का निरीक्षण करने का अधिकार है।
    - साथ ही इस आयोग को किसी भी उद्योग को बंद करने, उसके निषेध या विनियमन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति भी है।
    - इसे किसी भी मामले पर स्वत: संज्ञान लेने अथवा शिकायत के आधार पर मामले की जाँच करने का अधिकार है।

दंडात्मक प्रावधान

- केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था आयोग द्वारा जारी आदेश अथवा दिशा-निर्देश का उल्लंघन करती है तो उसे दंड के तौर पर 5 वर्ष तक की जेल अथवा 1 करोड़ रुपए जुर्माना अथवा दोनों सज़ा दी जा सकती है।
    - यदि अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उस कंपनी और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी दोनों को दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, वहीं यदि अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है तो विभाग का प्रमुख तब तक दंड का उत्तरदायी होगा जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि नियमों का उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ है।

आलोचना

- कई जानकारों ने यह चिंता ज़ाहिर की है कि आयोग में नौकरशाहों का भारी वर्चस्व है, और इसमें वायु गुणवत्ता तथा वायु प्रदूषण से संबंधित विषय विशेषज्ञों की कमी है।
- 18-सदस्यीय इस आयोग में गैर-सरकारी संगठनों से केवल 3 सदस्यों को ही शामिल किया गया है और केवल तीन स्वतंत्र विषय-विशेषज्ञ शामिल किये गए हैं।
- सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रदूषण के विरुद्ध इस मुकाबले में थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग और नागरिक भागीदारी का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों को इस आयोग में प्रतिनिधित्त्व नहीं दिया गया है। वहीं समयबद्ध परिणाम के प्रति भी आयोग की ज़िम्मेदारी तय नहीं की गई है।

आदर्श आचार संहिता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा एक महिला राजनेता पर की गई टिप्पणी को आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन बताते हुए उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग न करने की सलाह दी है।

प्रमुख बिंदु

आदर्श आचार संहिता (MCC)

- आदर्श आचार संहिता (MCC) निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है।
- आदर्श आचार संहिता (MCC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग (EC) को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है।
- नियमों के मुताबिक, आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है।

आदर्श आचार संहिता का विकास

- आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिये एक 'आचार संहिता' तैयार की थी। केरल प्रशासन द्वारा तैयार की गई इस संहिता में चुनावी सभाओं, भाषणों और नारों आदि के बारे में राजनीतिक दलों को निर्देश दिये गए थे।
- इसके पश्चात् वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग (EC) ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिये आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।
- वर्ष 1979 में निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल को चुनाव के दौरान अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिये आदर्श आचार संहिता में सत्तारुढ़ दल से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल कर दिये। इसके बाद वर्ष 1991 में आदर्श आचार संहिता को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता (MCC) में चुनावी घोषणापत्र से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल करने का आदेश दिया, जिसे वर्ष 2014 में शामिल कर लिया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रावधान

- सामान्य आचरण: राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित होनी चाहिये। जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने, असत्यापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना करने, मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने और किसी के विचारों का विरोध करते हुए उसके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना देने जैसी गतिविधियाँ पूर्णत: निषिद्ध हैं।
- सभा: सभी राजनीतिक दलों को अपनी किसी भी बैठक का आयोजन करने से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस को बैठक के स्थान और समय के बारे में सूचित करना चाहिये ताकि बैठक के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
- जुलूस: यदि दो या दो से अधिक दल या उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं, तो किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिये आयोजकों को पहले ही एक-दूसरे से संपर्क कर लेना चाहिये। इस तरह के जुलूस के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के नेता के पुतले नहीं जलाए जाने चाहिये।
- मतदान: मतदान केंद्रों पर सभी दलों के कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बैज या पहचान पत्र दिया जाना चाहिये। मतदाताओं को चुनावी दल के नेताओं द्वारा दी जाने वाली पर्ची सादे (सफेद) कागज़ पर होगी और इसमें कोई प्रतीक चिह्न, उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नाम नहीं होगा।

- पोलिंग बूथ: केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
- प्रेक्षक (Observer): निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षकों (Observer) की नियुक्ति की जाएगी, जिसके पास कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के बारे में समस्याओं की रिपोर्ट कर सकता है।
- सत्तारुढ़ दल: चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (MCC) में वर्ष 1979 में सत्तारुढ़ दल के आचरण को विनियमित करने हेतु कुछ प्रतिबंध लागू किये थे।
    - मंत्रियों द्वारा आधिकारिक यात्राओं का प्रयोग चुनावी कार्यों के लिये नहीं किया जा सकता है, साथ ही चुनावी कार्यों के लिये आधिकारिक मशीनरी का उपयोग भी नहीं किया जाना चाहिये।
    - सत्तारुढ़ दल को सरकारी खजाने से विज्ञापन देने या प्रचार के लिये आधिकारिक जन माध्यमों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिये।
    - मंत्रियों और राजनीतिक पदों पर बैठे अन्य लोगों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरह की वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिये या सड़कों के निर्माण, पेयजल की व्यवस्था आदि का वादा भी नहीं करना चाहिये।
    - अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- चुनावी घोषणापत्र: राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिये, जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं।

आदर्श आचार संहिता का कानूनी प्रवर्तन

- यद्यपि आदर्श आचार संहिता को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया है, यानी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानूनी तौर पर सज़ा नहीं दी जा सकती है, किंतु इसके कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 आदि के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2013 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने आदर्श आचार संहिता (MCC) को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश करते हुए इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का हिस्सा बनाए जाने की बात कही थी।
- हालाँकि निर्वाचन आयोग स्वयं आदर्श आचार संहिता (MCC) को कानूनी रूप से लागू करने के पक्ष में नहीं है। निर्वाचन आयोग का तर्क है कि चुनाव पूरा कराने की अवधि अपेक्षाकृत काफी कम होती है और न्यायिक कार्यवाही में ज़्यादा समय लगता है, इसलिये व्यावहारिक तौर पर आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से लागू करना, संभव नहीं है।

कम नामांकन वाले विद्यालयों का विलय

चर्चा में क्यों?

ऐसे समय में जब COVID-19 महामारी के बीच विद्यालयों को पुन: खोलने का विचार किया जा रहा है, ओडिशा सरकार ने कम नामांकन वाले 8000 विद्यालयों के विलय को पूरा करने के लिये 15 ज़िलों को नोटिस जारी किया है।

प्रमुख बिंदु:

- ऐसे विद्यालय जिनमें कम नामांकन होता है उन्हें पास के एक बड़े विद्यालयों में विलय कर दिया जाता है जिन्हें 'लीड स्कूल' (Lead schools) कहा जाता है।
- विद्यालयों के विलय की यह प्रक्रिया ओडिशा सरकार के 'स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट' (Department of School and Mass Education) द्वारा मार्च में जारी एक नोटिस का अनुवर्ती स्वरूप है। जो महामारी व लॉकडाउन के कारण ठप हो गई थी।
    - मार्च 2020 में राज्य सरकार ने कम नामांकन वाले 11517 विद्यालयों के विलय की पहल की थी। इन विद्यालयों में 6350 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय शामिल थे जिनमें 20 से कम छात्रों का नामांकन हुआ था जबकि 5177 विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें 40 से कम छात्र हैं।
- हालिया नोटिस हालाँकि केवल उन विद्यालयों के विलय में तेज़ी लाने का निर्देश देता है जिनमें 20 से कम छात्रों का नामांकन हुआ है।
- पहले से सूचीबद्ध 6350 विद्यालयों के अलावा ओडिशा सरकार के 'स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट' ने विलय के लिये 20 से कम छात्रों वाले 2000 और विद्यालयों की पहचान की है।

नोट :

'सस्टनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन' प्रोजेक्ट [Sustainable Action for Transforming Human Capital in Education (SATH-E) Project]:

- विद्यालयों का यह विलय नीति आयोग (NITI Aayog) के 'सस्टनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन प्रोजेक्ट' [(SATH-E) Project] के तहत किया जा रहा है और इसे विद्यालयों के समेकन एवं युक्तिकरण की संज्ञा दी गई है।

साथ-ई परियोजना [(SATH-E) Project]:

- वर्ष 2017 में ओडिशा उन तीन राज्यों (अन्य दो राज्य झारखंड व मध्य प्रदेश) में से एक था जिन्हें साथ-ई (SATH-E) परियोजना के तहत अपने स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करने के लिये नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा चुना गया था।
- इसका उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को लक्ष्य-संचालित अभ्यास के माध्यम से बदलना और शिक्षा के लिये रोल मॉडल राज्य बनाना है।
- इस पहल का समापन वर्ष 2020 के शैक्षणिक वर्ष के अंत में होगा।
- विद्यालयों का विलय साथ-ई (SATH-E) परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये किये गए उपायों में से एक है क्योंकि इस प्रक्रिया में शिक्षकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और खेलने के उपकरण जैसे समेकित संसाधनों की सहायता के लिये अधिकृत किया जाता है।

विलय के बाद:

- 'स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट' के अनुसार, जो छात्र दूर से विद्यालय की यात्रा करेंगे उन्हें 20 रुपए दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा और विद्यालय बंद होने से प्रभावित प्रत्येक छात्र को लीड स्कूल में प्रवेश पर 3000 रुपए का एकमुश्त सुविधा भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- यदि 'लीड स्कूल' से दूरी 1 किमी. से अधिक है तो छात्रों को शिक्षा के अधिकार (Right To Education- RTE) मानदंडों के अनुसार परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- बंद होने वाले विद्यालयों के सभी हेड मास्टर/शिक्षक/कर्मचारियों (मिड-डे मील के रसोईये सहित) की सेवा शर्तों में बदलाव किये बिना लीड स्कूल भेजा जाएगा।
- विद्यालयों के विलय से संबंधित यदि वास्तविक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं तो ज़िला कलेक्टरों को विलय रद्द करने के लिये अधिकृत किया गया है।
- इस तरह के विद्यालय बंद होने के बाद विद्यालय से संबंधित भवन एवं अन्य बुनियादी ढाँचे को पंचायती राज एवं पेयजल विभाग को सौंप दिया जाएगा।

विद्यालयों के विलय से लाभ:

- विद्यालयों का समेकन छात्रों के लिये विद्यालयों को आकांक्षी (Aspirational) बना देगा, इसके परिणामस्वरूप छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio) में सुधार होगा।
- बेहतर बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ, अतिरिक्त TLM (Teaching Learning Materials) सुविधाएँ, ई-लर्निंग एवं सह-पाठयक्रम सुविधाओं के साथ बेहतर शैक्षणिक वातावरण का विकास होगा।
- इससे शिक्षकों पर प्रशासनिक बोझ में कमी के कारण शिक्षकों एवं छात्रों के लिये उपलब्ध शिक्षण एवं सीखने के समय में भी सुधार होगा।

सरकार के निर्णय का विरोध:

- राज्य भर में माता-पिता एवं कार्यकर्त्ताओं ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है।
- कार्यकर्त्ताओं का तर्क: कार्यकर्त्ताओं ने तर्क दिया है कि विद्यालयों को बंद करना या विलय करना RTE अधिनियम की धारा 3 व 8 का उल्लंघन है।
    - कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि चुने गए विद्यालयों में से अधिकांश विद्यालय पहाड़ी इलाकों के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित हैं। एक गाँव में विद्यालयों को बंद करने से ड्रॉपआउट दर में वृद्धि होगी क्योंकि छात्रों को विद्यालय जाने के लिये दूर की यात्रा करना संभव नहीं होगा। विद्यालयों को बंद करने से पहले भौगोलिक बाधाओं पर भी विचार किया जाना चाहिये।

नोट :

- उदाहरण: देवगढ़ ज़िले के पुडापाड़ा (Pudapada) गाँव के एकमात्र प्राथमिक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में विलय करने का निर्णय लिया गया।

- माता-पिता का तर्क: माता-पिता का कहना है कि हममें से अधिकांश अपने बच्चों को दादा-दादी के पास छोड़कर काम के लिये चले जाते हैं। गाँव में एक विद्यालय होने से यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेंगे। यदि विद्यालय दूर होगा तो छात्रों के लिये स्वयं यात्रा करना संभव नहीं होगा।
  - माता-पिता इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर उनके बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं तो बच्चों को मिड-डे मील से भी वंचित कर दिया जाएगा।

ओडिशा में शिक्षा की स्थिति:

- विद्यालयों को समेकित करने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब ओडिशा के विद्यालयों मंन छात्रों के नामांकन में गिरावट जारी है जहाँ करोड़ों रुपए मिड-डे मील, मुफ्त ड्रेस और मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के तहत सरकारी विद्यालयों में प्रवेश हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिये खर्च किये जाते हैं। वहीं निजी विद्यालयों में नामांकन बढ़ रहा है।
- सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के खाली पड़े पदों ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है।
- पिछले महीने ओडिशा के विद्यालय एवं जन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा को बताया कि राज्य के 46,332 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 18589 में हेडमास्टर नहीं हैं। 8076 हाई स्कूलों में 11588 सहायक शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
- 'नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग' (NCERT) द्वारा वर्ष 2018 में किये गए 'नेशनल अचीवमेंट सर्वे' (NAS) में देखा गया कि ओडिशा में केवल 53% छात्र ही बुनियादी दक्षताओं के आधार पर प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए।
- इसी तरह ग्रामीण संदर्भ में असर (ASER), 2018 की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि कक्षा 5 के केवल 33.1% छात्र 10 व 99 के बीच अंकगणतीय संख्या पहचान सकते हैं जबकि सिर्फ 24.5% छात्र संख्या को घटाना जानते हैं।

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स-2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'पब्लिक अफेयर्स सेंटर' (Public Affairs Centre) द्वारा जारी किये गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स-2020 (Public Affairs Index- PAI), 2020 में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित (Best-Governed) राज्य घोषित किया गया जबकि उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शहर-आधारित गैर लाभकारी संगठन (City-based Not-for-Profit Organisation) 'पब्लिक अफेयर्स सेंटर' (Public Affairs Centre) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि राज्यों को सतत् विकास (Sustainable Development) के संदर्भ में एक समग्र सूचकांक के आधार पर शासन प्रदर्शन (Governance Performance) में स्थान दिया गया।

बड़े राज्यों की श्रेणी:

- दक्षिण भारत के निम्नलिखित चार राज्य शासन की दृष्टि से बड़े राज्य की श्रेणी में पहले चार स्थान पर मौजूद हैं।

क्रमांक	राज्य	PAI सूचकांक बिंदु
1.	केरल	1.388
2.	तमिलनाडु	0.912
3.	आंध्र प्रदेश	0.531
4.	कर्नाटक	0.468

- बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश (-1.461), ओडिशा (-1.201) और बिहार (-1.158) पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स-2020 की रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर थे।
- पिछले वर्ष की तुलना में इस बार तेलंगाना (0.388) ने सातवें स्थान से छठे स्थान पर आकर 18 बड़े राज्यों में अपना स्थान बना लिया है।
- PAI सूचकांक-2019 में, तेलंगाना सातवें स्थान पर था। जहाँ तेलंगाना को समता (Equity) मापक में सबसे खराब घोषित किया गया था।
    - 'अभिव्यक्ति एवं जवाबदेही' (Voice and Accountability) और 'कानून का शासन' (Rule of Law) में तेलंगाना की खराब स्थिति ने भी इसकी निचली रैंकिंग में एक भूमिका निभाई थी।

छोटे राज्यों की श्रेणी:

- छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा 1.745 अंकों के साथ पहले स्थान पर है जबकि मेघालय (0.797) और हिमाचल प्रदेश (0.725) क्रमश: दूसरे एवं तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।
- नकारात्मक अंकों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर (-0.363), दिल्ली (-0.289) और उत्तराखंड (-0.277) का रहा है।

केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी:

- चंडीगढ़ 1.05 अंकों के साथ केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष है, इसके बाद पुडुचेरी (0.52) और लक्षद्वीप (0.003) का स्थान है।
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में दादर एवं नगर हवेली (-0.69), जम्मू एवं कश्मीर (-0.50), अंडमान और निकोबार (-0.30) शामिल हैं।

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स-2020 के मापक:

- PAI के अनुसार, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स-2020 में समता (Equity), वृद्धि (Growth) और संधारणीयता (Sustainability) के तीन स्तंभों द्वारा परिभाषित सतत् विकास (Sustainable Development) के संदर्भ में शासन के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है।
- इन तीन आयामों के आधार पर समग्र सूचकांक का निर्माण किया गया है। तीनों आयामों में से प्रत्येक को निम्नलिखित पाँच 'गवर्नेंस प्राक्सिस थीम' (Governance Praxis Themes) द्वारा परिचालित किया जाता है जो विकास के परिणामों की गति एवं दिशा को प्रभावित करते हैं।
    - अभिव्यक्ति एवं जवाबदेही (Voice and Accountability)
    - सरकारी प्रभावशीलता (Government Effectiveness)
    - कानून का नियम (Rule of Law)
    - नियामक गुणवत्ता (Regulatory Quality)
    - भ्रष्टाचार पर नियंत्रण (Control of Corruption)
- इसके अतिरिक्त पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स-2020 के समग्र सूचकांक में 50 घटक संकेतकों व 13 सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) को भी सम्मिलित किया जाता है जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये प्रासंगिक हैं।

निष्कर्ष:

- यदि इस सूचकांक को व्यापक रूप से देखा जाए तो दक्षिणी राज्यों ने अपने उत्तरी समकक्षों की तुलना में समता (Equity), वृद्धि (Growth) और संधारणीयता (Sustainability) में बेहतर प्रदर्शन किया है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर भारत और बांग्लादेश

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमानानुसार, कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष तकरीबन 10.3 प्रतिशत संकुचन हो सकता है।

- हालाँकि अर्थव्यवस्था में संकुचन की अपेक्षा यह तथ्य नीति निर्माताओं के लिये चिंताजनक है कि वर्ष 2020 में एक औसत बांग्लादेशी नागरिक की प्रति व्यक्ति आय एक औसत भारतीय नागरिक की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी।

क्या बताते हैं आँकड़े?

- विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी किया गया 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' बताता है कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में महामारी के प्रभाव के कारण तकरीबन 10.3 प्रतिशत की कमी हो सकती है, जबकि इससे पूर्व जून माह में जारी अपनी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कहा था कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल 4.5 प्रतिशत का ही संकुचन होगा।
- हालिया 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकरीबन 4.4 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान है, जबकि इससे पूर्व जून माह में यह मात्र 0.8 प्रतिशत था।
  - ध्यातव्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है।
- भारत-बांग्लादेश की तुलना
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति GDP 1,876.53 डॉलर रह सकती है, जो कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति (GDP 1,887.97 डॉलर) से कम है। वहीं वर्ष 2020 में चीन की प्रति व्यक्ति GDP 10,839.43 डॉलर रहने का अनुमान है।
  - हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के ही आँकड़े बताते हैं कि बीते पाँच वर्ष के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति GDP बांग्लादेश की तुलना में औसतन 24 प्रतिशत अधिक रही है।
  - भारत के अन्य पड़ोसियों में नेपाल और श्रीलंका की प्रति GDP क्रमश: 1,115.56 डॉलर और 3,69.4.89 डॉलर अनुमानित है।

कारण

- आम तौर पर दो देशों की तुलना करने के लिये GDP वृद्धि दर अथवा संपूर्ण GDP जैसे मानक प्रयोग किये जाते हैं। दोनों देशों (भारत-बांग्लादेश) के आज़ाद होने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रयास सदैव बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से बेहतर रहा है।
  - आँकड़ों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के आकार से औसतन 10 गुना अधिक रही है, और प्रतिवर्ष उसमें बढ़ोतरी हो रही है।
- इसके बावजूद भी इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति GDP के मामले में बांग्लादेश से पीछे हो गई है, इसके मुख्यत: तीन कारण हो सकते हैं-
  - सर्वप्रथम तो यह कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2004 के बाद से ही काफी तेज़ गति से विकास कर रही है, हालाँकि इसके बावजूद भी भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक रुप से कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति बांग्लादेश से भी तेज़ रही है, किंतु वर्ष 2017 से इस स्थिति में परिवर्तन आने लगा और इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से गिरावट आई, किंतु बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी रही, जिसका परिणाम इस रूप में सामने आया है।
  - दूसरा कारण यह कि बीते 15 वर्ष में जहाँ एक ओर भारत की आबादी 21 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, वहीं बांग्लादेश की आबादी में 18 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई है और किसी देश की प्रति व्यक्ति GDP को उस देश आबादी काफी अधिक प्रभावित करती है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच महामारी की शुरुआत से पूर्व ही प्रति व्यक्ति GDP का अंतर काफी कम हो गया था।

- इस घटना का तीसरा और सबसे महत्त्वपूर्ण कारक कोरोना वायरस महामारी और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर उसके सापेक्ष प्रभाव को माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के ही आँकड़ों के अनुसार, जहाँ एक ओर महामारी के प्रभाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3 प्रतिशत का संकुचन होगा, वहीं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी होगी।
    - सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है, वहीं बांग्लादेश महामारी के दौरान आर्थिक मोर्चे पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है।

पहले भी हुआ है यह

- वर्ष 1991 में जब भारत एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा था और भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल 1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही थी तब भी बांग्लादेश प्रति व्यक्ति GDP के मामले में भारत से आगे निकल गया था, हालाँकि इसके बाद भारत ने पुन: अपनी बढ़त प्राप्त कर ली थी।
- कुछ इस प्रकार की स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज़ी से विकास होगा और भारत प्रति व्यक्ति GDP के मामले में पुन: आगे निकल जाएगा।
- हालाँकि बांग्लादेश की कम जनसंख्या वृद्धि दर और अधिक आर्थिक विकास के कारण प्रति व्यक्ति GDP के मामले में दोनों देशों के बीच का अंतर काफी अस्थिर रह सकता है।

बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि के कारण ?

- ज्ञात हो कि पाकिस्तान के साथ अपनी स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में बांग्लादेश ने काफी धीमी गति से विकास किया था। हालाँकि पाकिस्तान से अलग होने के कारण बांग्लादेश को अपनी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को पुन: परिभाषित करने का अवसर मिला, जिसका फायदा उठाते हुए बांग्लादेश ने अपने नियम-कानूनों को और अधिक विकास अनुकूल बनाया।
- उदाहरण के लिये उस समय बांग्लादेश के श्रमबल में महिलाओं की भूमिका अनवरत बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए बांग्लादेश ने अपने श्रम कानूनों को महिलाओं के अनुकूल बनाया, जिसका परिणाम यह हुए कि महिला श्रम बल ने बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को वैश्विक बाज़ार में एक महत्त्वपूर्ण बढ़त दिला दी।
- बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक ऐसे स्वरूप में बदलने का प्रयास किया जहाँ आर्थिक विकास औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर निर्भर था।
    - ये दोनों ही क्षेत्र रोज़गार का सृजन करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं और साथ ही इनमें कृषि क्षेत्र की तुलना में पारिश्रमिक भी अधिक होता है।
- वहीं दूसरी ओर भारत अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये संघर्ष कर रहा था और अभी भी अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी।
- बीते दो दशक में बांग्लादेश के आर्थिक विकास का एक अन्य कारण यह भी है कि इसने स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे कई सामाजिक और राजनीतिक मामलों में काफी सुधार किया है।
    - उदाहरण के लिये बांग्लादेश में असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण मातृत्त्व मृत्यु दर में होने वाली बढ़ोतरी भारत की तुलना में काफी कम है।
    - वित्तीय समावेशन की बात करें तो विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, जहाँ बांग्लादेश की एक छोटी से आबादी के पास ही बैंक खाते हैं, वहीं यहाँ भारत की तुलना में निष्क्रिय खातों की संख्या काफी कम है।
    - लैंगिक समानता के मामले भी बांग्लादेश भारत से काफी आगे है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 154 देशों में 112वें स्थान पर है, जबकि इसी सूचकांक में बांग्लादेश 50वें स्थान पर है।

बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ

- बीते 15 वर्ष में वैश्विक पटल पर बांग्लादेश की स्थिति में काफी बदलाव आया है, इसने आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और अपने देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की है। हालाँकि बांग्लादेश की प्रगति अभी भी अनिश्चितओं से भरी पड़ी है और कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है।

- उदाहरण के लिये, बांग्लादेश में गरीबी की दर भारत की तुलना में काफी अधिक है। विश्व बैंक के अनुसार, 'अल्पावधि में बांग्लादेश की गरीबी में वृद्धि होने का अनुमान है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव वहाँ के दैनिक और स्व-नियोजित श्रमिकों पर देखने को मिलेगा।
- इसके अलावा यह बुनियादी शिक्षा के मामले में भी भारत से काफी पीछे है, जो कि मानव विकास सूचकांक (HDI) में इसकी कम रैंकिंग से स्पष्ट है।
- बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जो कि विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है, अपने लचीले श्रम कानूनों के लिये काफी प्रसिद्ध है और खराब स्वास्थ्य परिस्थितियों के कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- कई जानकार बांग्लादेश के आर्थिक विकास के लिये यहाँ की राजनीति को एक बड़ा खतरा मानते हैं, यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दलों पर नियमित रूप से हिंसा और उत्पीड़न के आरोप लगते रहते हैं, और आम लोगों के जीवन में कदम-कदम पर भ्रष्टाचार है।
- इसके अलावा कट्टरपंथी धार्मिक विचार भी बांग्लादेश के आर्थिक और समाजिक विकास को काफी प्रभावित कर रहा है।

आगे की राह

- यद्यपि प्रति व्यक्ति GDP के मामले में बांग्लादेश की बढ़त एक अल्पकालिक घटना हो सकती है, किंतु भारत को अपने बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक नवाचार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संबंध में बांग्लादेश की नीतियों से भी सीख ली जा सकती है।

क्षतिपूर्ति मुआवज़े का नया विकल्प

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों के GST क्षतिपूर्ति मुआवज़े का भुगतान करने के लिये स्वयं बाज़ार से 1.1 लाख करोड़ रुपए का उधार लेगी, जिसे मुआवज़े के तौर पर राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिये लिया जा रहा यह ऋण भारत सरकार के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि इसे राज्य सरकारों की पूंजीगत प्राप्तियों (Capital Receipts) के रूप में दर्शाया जाएगा।
- कार्यान्वयन
    - राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने वाला यह ऋण अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों जैसे- विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) आदि से मिलने वाले ऋण की तरह ही वितरित किया जाएगा, जहाँ केंद्र सरकार पहले उधार लेती है फिर राज्यों के बीच उसे वितरित कर देती है।
    - इस तरह राज्यों द्वारा छोटे-छोटे ऋण लेने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में ऋण लिया जाएगा, जिससे राज्यों के लिये ऋण संबंधी प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।
    - यहाँ सबसे मुख्य तथ्य यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस ब्याज दर पर ऋण लिया जाएगा, वही ब्याज दर राज्यों को भी हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- निहितार्थ
    - केंद्र सरकार के इस निर्णय से GST क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त किया जा सकेगा।
    - ध्यातव्य है कि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य लगातार GST क्षतिपूर्ति के मुआवज़े के भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की मांग कर रहे थे, जबकि कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार द्वारा दिये गए विकल्पों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है।
    - यह उन राज्यों को विशेष तौर पर राहत प्रदान करेगा, जो उच्च राजकोषीय घाटे का सामना कर रहे हैं, और यदि वे बाज़ार से उधार लेते हैं तो अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ सकता है।

- मुआवज़े के लिये ऋण की आवश्यकता क्यों?
  - वित्त मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक इस वर्ष महामारी समेत अन्य कारणों के परिणामस्वरूप GST राजस्व में कुल 3 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है, जबकि इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह का अनुमान केवल 65,000 करोड़ रुपए है, इसका अर्थ है कि राज्यों को मुआवज़े का भुगतान करने के लिये केंद्र सरकार के पास कुल 2.35 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित कमी हो सकती है।
  - वित्त मंत्रालय की गणना के अनुसार, GST मुआवज़े में GST कार्यान्वयन के कारण मात्र 97,000 करोड़ रुपए की कमी हुई है, जबकि शेष कमी COVID-19 के प्रभाव के कारण हुई है। हालाँकि केंद्र सरकार ने बाद में इसे 1.1 लाख करोड़ रुपए कर दिया था।

पृष्ठभूमि

- अगस्त माह में जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को अनुमानित मुआवज़े की कमी के विवादास्पद मुद्दे को हल करने के लिये दो विकल्प प्रस्तुत किये।
- पहला विकल्प
  - वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिये गए पहले विकल्प के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परामर्श से राज्यों को उचित ब्याज़ दर पर अनुमानित GST कमी, जो कि लगभग 97,000 करोड़ रुपए (बाद में 1.1 लाख करोड़ रुपए) थी, को ऋण के रूप में लेने के लिये एक विशेष विंडो प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था।
  - राज्य सरकारों द्वारा यह धनराशि उपकर संग्रह के माध्यम से जीएसटी कार्यान्वयन के 5 वर्ष बाद (यानी वर्ष 2022 के बाद) चुकाई जा सकती थी।
- दूसरा विकल्प
  - राज्य को प्रस्तुत किये गए दूसरे विकल्प के अंतर्गत राज्य सरकारें मौजूदा वित्तीय वर्ष में GST राजस्व में आई संपूर्ण कमी को उधार के रूप में ले सकती थीं, जो कि तकरीबन 2.35 लाख करोड़ रुपए है।
  - यहाँ यह समझाना महत्त्वपूर्ण है कि पहले विकल्प में केवल GST कार्यान्वयन के कारण आई राजस्व की कमी को शामिल किया गया था, जबकि दूसरे विकल्प में कार्यान्वयन के साथ-साथ महामारी के कारण आई राजस्व में कमी को शामिल किया गया था।

GST राजस्व में कमी

- ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था, नियमों के अनुसार, वर्ष 2022 तक यानी GST कार्यान्वयन के पाँच वर्षों तक GST राजस्व में कमी होने के कारण राज्यों को क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई थी।
- हालाँकि GST की शुरुआत के बाद से ही GST मुआवज़े के भुगतान का मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच गतिरोध का विषय रहा है।
- हालाँकि आँकड़े बताते हैं कि इस वर्ष अगस्त माह में बीते वर्ष इसी अवधि की अपेक्षा GST राजस्व संग्रह में 11.96 प्रतिशत की कमी आई है।
  - आँकड़ों के अनुसार, अगस्त, 2020 में GST राजस्व संग्रह 86,449 करोड़ रुपए के आस-पास रहा है, जबकि अगस्त 2019 में यह लगभग 98,202 करोड़ रुपए था।

भारत में हींग कृषि परियोजना

चर्चा में क्यों?

'इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी (IHBT), पालमपुर के वैज्ञानिक भारतीय हिमालयन क्षेत्र में हींग की कृषि को बढ़ावा देने के लिये एक 'मिशन प्रोजेक्ट' पर कार्य कर रहे हैं। IHBT, हिमाचल प्रदेश में स्थित 'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (CSIR) की एकमात्र प्रयोगशाला है।

प्रमुख बिंदु:

- यह 'अम्बेलीफेरिया' (Umbelliferae) परिवार का एक पौधा है। यह एक बारहमासी पौधा है जिसकी मोटी जड़ों और प्रकंद से 'ओलियो गम राल' (Oleo Gum Resin) निकाली जाती है। यह पौधा पोषक तत्त्वों को अपनी गहरी मांसल जड़ों के अंदर संग्रहीत करता है।

- यह ईरान और अफगानिस्तान में स्थानिक है। दोनों देश हींग के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता भी हैं। भारत में यह बहुत लोकप्रिय है और इसका उपयोग भोज्य पदार्थों में किया जाता है।

जलवायु की स्थिति:

- हींग की कृषि मुख्यत: शुष्क और ठंडे भागों में की जाती है। ग्रीष्मकाल में इसके लिये अधिकतम 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, जबकि सर्दियों में न्यूनतम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है।
- रेतीली मृदा, बहुत कम नमी और 200 मिमी. से अधिक वार्षिक वर्षा को हींग की कृषि के लिये अनुकूल माना जाता है। तीव्र मौसम के समय पौधे में निष्क्रिय रहने का गुण पाया जाता है।

महत्त्व:

- इसमें औषधीय गुण होते हैं, जिससे पाचन, शरीर में ऐठन, पेट की बीमारियों, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि में राहत मिलती है।
- मासिक धर्म और समय पूर्व प्रसव के दौरान होने वाले दर्दनाक या अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है।

भारत की हींग कृषि परियोजना

- भारत में हींग की कृषि नहीं की जाती है। भारत प्रतिवर्ष ईरान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से लगभग 1,200 टन कच्ची हींग का आयात करता है, जिसकी लागत लगभग 600 करोड़ रुपए है।
- वर्ष 2017 में IHBT ने भारतीय हिमालयन क्षेत्र में हींग की कृषि के लिये एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार के साथ 'राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो' (National Bureau of Plant Genetic Resources- NBPGR) से संपर्क किया।
- जून 2020 में IHBT द्वारा हींग की कृषि करने के लिये हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
    - कृषि मंत्रालय ने 'लाहुल-स्पीति घाटी' में ऐसे चार स्थानों की पहचान की है और इस क्षेत्र में सात किसानों को हींग के बीज वितरित किये हैं।

चुनौतियाँ:

- वैज्ञानिकों के समक्ष वर्तमान में प्रमुख चुनौती यह है कि हींग के बीज लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और बीज के अंकुरण की दर सिर्फ 1% होती है।

उर्वरक सब्सिडी: अर्थ और महत्त्व

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार एक फसल सीज़न के दौरान किसी किसान द्वारा खरीदे जाने वाले सब्सिडी युक्त उर्वरक बैगों की संख्या की एक निश्चित सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

उर्वरक सब्सिडी का अर्थ

- विदित हो कि किसान उर्वरकों को अपनी आवश्यकतानुसार, अधिकतम खुदरा मूल्य (MRPs) के आधार पर खरीदते हैं, जो कि मांग और आपूर्ति आधारित बाज़ार मूल्य तथा उत्पादन/आयात में आने वाले खर्च की अपेक्षा काफी कम होता है।
- उदाहरण के लिये सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया (NCU) का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRPs) 5,922.22 रुपए प्रति टन तय किया गया है, जबकि घरेलू निर्माताओं और आयातकों को इसके लिये औसतन क्रमश: 17,000 रुपए और 23,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से कीमत चुकानी पड़ती है।
- इस प्रकार दोनों मूल्यों में जो अंतर आता है उसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी के रूप में किया जाता है।
- ग़ौरतलब है कि गैर-यूरिया उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRPs) सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता और यह निजी कंपनियों द्वारा तय किया जाता है, हालाँकि सरकार इनके उचित मूल्य को बनाए रखने के लिये कुछ हद तक हस्तक्षेप करती है।

कैसे और किसे मिलती है सब्सिडी?

- सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी, उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, हालाँकि इस सब्सिडी का अंतिम लाभार्थी किसान ही होता है, जो कि बाज़ार निर्धारित दरों से कम पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRPs) का भुगतान करता है।
- मार्च 2018 तक सब्सिडी भुगतान प्रणाली के तहत उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान तब किया जाता था, जब कंपनी द्वारा भेजे गए उर्वरक के बैग उस ज़िले के रेलहेड पॉइंट या स्वीकृत गोदाम में पहुँच जाते थे।
- मार्च 2018 में सरकार द्वारा इस संबंध में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली शुरू की गई, जिसमें उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान तभी किया जाता है जब किसानों द्वारा खुदरा विक्रेताओं से वास्तविक खरीद की जाती है।
- वर्तमान में भारत में 2.3 लाख से अधिक खुदरा विक्रेता हैं और अब नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खुदरा विक्रेता के पास एक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन है, जो कि भारत सरकार के उर्वरक विभाग के 'ई-उर्वरक डीबीटी पोर्टल' (e-Urvarak DBT Portal) से जुड़ी है।
    - साथ ही सब्सिडी युक्त उर्वरक खरीदने वाले किसान को अब केवल अपने आधार कार्ड नंबर या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर की आवश्यकता होती है।
- नई व्यवस्था के तहत ई-उर्वरक पोर्टल पर पंजीकृत बिक्री होने के बाद ही कोई कंपनी उर्वरक के लिये सब्सिडी का दावा कर सकती है। इसके तहत सब्सिडी का भुगतान कंपनियों के बैंक खाते में किया जाता है।

नई भुगतान प्रणाली का उद्देश्य

- सब्सिडी युक्त होने के कारण यूरिया (Urea) का सदैव ही गैर-कृषि कार्यों हेतु उपयोग होने का भय रहता है। उदाहरण के लिये इसका प्रयोग दूध विक्रेताओं द्वारा दूध में मिलावट के लिये किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में सब्सिडी के कारण सस्ती होने की वजह से नेपाल और बांग्लादेश में भी यूरिया की तस्करी की जाती है।
- भुगतान की पूर्ववर्ती प्रणाली में इस इस तरह के कार्यों के लिये यूरिया के उपयोग की गुंजाइश काफी अधिक थी, किंतु नई प्रणाली के तहत इस प्रकार की चोरी की संभावना काफी कम हो गई है, क्योंकि अब भुगतान केवल तभी किया जाता है, जब यूरिया की बिक्री हो जाती है।

सरकार के नए प्रस्ताव के निहितार्थ

- प्रस्तावित योजना के अनुसार, किसी भी किसान द्वारा खरीफ अथवा रबी फसल के मौसम में खरीदे जाने वाले सब्सिडी युक्त उर्वरक बैग की कुल संख्या निर्धारित कर दी जाए, इससे यूरिया की चोरी करने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर यूरिया खरीदने से रोकने में मदद मिलेगी।
- प्रभाव
    - मौजूदा नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति (किसान अथवा गैर-किसान) अपने आधार कार्ड नंबर या किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) नंबर की सहायता से जितनी चाहे उर्वरक की खरीद कर सकता है।
    - यह उन लोगों को थोक मात्रा में उर्वरक खरीदने में मदद करता है, जो असल में किसान नहीं हैं अथवा कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये उर्वरक का उपयोग करना चाहते हैं।
    - यद्यपि सरकार ने यह निर्धारित किया है कि एक व्यक्ति द्वारा एक बार में केवल 100 बैग ही खरीदे जा सकते हैं, किंतु यह सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कोई व्यक्ति कितनी बार 100 बैग खरीद कर सकता है।
    - अत: यदि इस प्रस्तावित योजना को कार्यान्वित किया जाता है तो इससे गैर-कृषि कार्यों के लिये यूरिया के उपयोग पर रोक लगाई जा सकेगी।

आगे की राह

- कई विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि किसानों को प्रति एकड़ सब्सिडी का भुगतान प्रत्यक्ष तौर पर उनके खाते में किया जा सकता है, जिसका उपयोग वे स्वयं उर्वरक की खरीद के लिये कर सकते हैं।
    - उगाई गई फसलों की संख्या के आधार पर और भूमि सिंचित है अथवा नहीं इस आधार पर भी सब्सिडी की राशि अलग-अलग हो सकती है।
- यह संभवत: गैर-कृषि कार्यों के लिये यूरिया की चोरी को रोकने का एकमात्र विकल्प हो सकता है।

नोट :

पंजाब सरकार के कृषि विधेयक

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए पंजाब विधानसभा ने चार कृषि विधेयक पारित किये हैं, जिसमें बीते माह केंद्र द्वारा लागू किये गए तीन कृषि कानूनों में बदलाव करने के लिये तीन संशोधन विधेयक भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक को पारित करते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून न केवल भारत के संघवाद पर एक हमला है, बल्कि इससे देश के किसानों की आजीविका को भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है।

विधेयकों के प्रमुख प्रावधान

- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020
  - पंजाब सरकार द्वारा पारित विधेयक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि गेहूँ और धान की बिक्री तथा खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम मूल्य पर न की जाए।
  - विधेयक के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति या कंपनी या निगम किसानों को अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम मूल्य पर बेचने के लिये मजबूर करता है तो उसे कम-से-कम तीन वर्ष कैद की सज़ा हो सकती है और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है।
  - यह विधेयक किसान को उसकी उपज की खरीदारी के संबंध में किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में केंद्रीय अधिनियम के तहत प्रदान किये गए विकल्पों के अलावा न्यायालय के समक्ष भी अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।
  - पंजाब द्वारा इस विधेयक में केवल गेहूँ और धन को शामिल करने का एक मुख्य कारण यह है कि पंजाब में इन फसलों को काफी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है।
- किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक, 2020
  - इस विधेयक के माध्यम से कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम, 2016 के संबंध में राज्य में यथास्थिति की घोषणा की गई है।
  - विधेयक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि निजी व्यापारियों को भी सरकारी मंडियों की तरह ही विनियमित किया जाए।
  - विधेयक में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी भी किसान के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक, 2020
  - पंजाब सरकार के इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जमाखोरी और कालाबाज़ारी की कुप्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करना है।
  - यह विधेयक पंजाब राज्य को असाधारण परिस्थितियों जैसे- अकाल, मूल्य वृद्धि, प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य स्थिति में उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और स्टॉक सीमा को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिये आदेश देने की शक्ति देता है।

पंजाब सरकार का तर्क

- इन विधेयकों को पारित करते हुए पंजाब सरकार ने तर्क दिया है कि इससे राज्य के किसानों और खेतिहर मज़दूरों के साथ-साथ कृषि तथा अन्य संबंधित गतिविधियों में संलग्न लोगों के हितों और आजीविका को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा सकेगा।
- वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना यह रेखांकित करती है कि राज्य में तकरीबन 86.2 प्रतिशत किसान, छोटे और सीमांत हैं और इनके पास दो एकड़ से कम भूमि है।
- अत: इन विधेयकों के माध्यम से पंजाब सरकार किसानों को उचित मूल्य की गारंटी के रूप में एक समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है।
- पंजाब सरकार द्वारा पारित किये गए कृषि विधेयकों में कहा गया है कि चूँकि कृषि, कृषि बाज़ार और भूमि आदि राज्य सूची के विषय हैं, इसलिये राज्य सरकार को इन पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है।

नोट :

इन विधेयकों के निहितार्थ

- पंजाब सरकार द्वारा पारित विधेयकों का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की मांग को पूरा करना है और इससे पंजाब में निजी व्यापारियों को किसानों का शोषण करने का कोई अवसर नहीं मिल सकेगा।
- हालाँकि कई विशेषज्ञ यह प्रश्न उठा रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा इस विधेयक में केवल 2 फसलें ही क्यों शामिल की गई हैं?
- कई जानकार पंजाब सरकार के इस कदम को केवल एक राजनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं, चूँकि इस विधेयक को राज्यपाल के अलावा राष्ट्रपति की सहमति की भी आवश्यकता होगी, अत: वे केंद्र सरकार द्वारा पारित कानूनों में संशोधन करना चाहते हैं।

आगे की राह

- राष्ट्रपति द्वारा इन विधेयकों को मंज़ूरी नहीं भी दी जाती है तो इसे पंजाब सरकार द्वारा एक सांकेतिक विरोध के रूप में देखा जा सकता है।
- हालाँकि पंजाब सरकार द्वारा इस विधेयक में केवल दो ही फसलें शामिल की गई हैं, जिसके कारण यह विधेयक किसानों के हित से अधिक एक सांकेतिक विधेयक लगता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' अंतर्वाह

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार को वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त माह के दौरान 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (Foreign Direct Investment- FDI) प्राप्त हुआ है जो किसी वित्तीय वर्ष के पहले 5 माह में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम मात्रा है।

प्रमुख बिंदु:

- पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2020) में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) 23.9% रहने के बावजूद FDI प्रवाह में वृद्धि देखी गई है।
- FDI में हालिया बढ़ोतरी:
  - वर्ष 2019-20 (31.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में वर्ष 2020-21 के पहले 5 माह में 13% अधिक FDI (35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त हुआ है।
    - FDI के कुल अंतर्वाह में 55% की वृद्धि हुई जो वर्ष 2008-14 के 231.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2014-20 में 358.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त माह के दौरान FDI इक्विटी प्रवाह (FDI के तीन घटकों में से एक) 27.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। जो वित्त वर्ष के पहले 5 माह के लिये FDI के इक्विटी प्रवाह की उच्चतम मात्रा है। साथ ही वर्ष 2019-20 के पहले पाँच माह (23.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 16% अधिक है।
  - सरकार द्वारा FDI नीति में सुधार करने, निवेश नीति को सुगम बनाने इत्यादि मोर्चों पर किये गए उपायों के परिणामस्वरूप देश में FDI अंतर्वाह की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।

UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report), 2020 के अनुसार, वर्ष 2019 में सबसे अधिक FDI प्राप्तकर्त्ता देशों में भारत 9वें स्थान पर रहा।

FDI बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयास:

- वर्ष 2020 में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के लिये 'उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन' (Production-Linked Incentive-PLI) जैसी योजनाओं को अधिकाधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये अधिसूचित किया गया है।
- वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के तहत 100% FDI की अनुमति देने के लिये FDI नीति 2017 में संशोधन किया गया।

- इसके अलावा सरकार द्वारा डिजिटल क्षेत्र में 26% FDI की अनुमति दे दी गई है। इस क्षेत्र में भारत में अनुकूल जनसांख्यिकी, पर्याप्त मोबाइल एवं इंटरनेट उपभोक्ताओं के उच्च FDI प्राप्ति की संभावना विद्यमान है, जो बड़े पैमाने पर खपत एवं प्रौद्योगिकी (Consumption Along with Technology) के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भारत में एक शानदार एवं संभावनाओं से युक्त बाज़ार उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में पहले से ही 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत हो रहा था, हालाँकि वर्ष 2019 में सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुबंध निर्माण (Contract Manufacturing) में संलग्न भारतीय संस्थाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% निवेश की अनुमति है, बशर्ते कि यह निवेश एक वैध अनुबंध के माध्यम से किया जाना चाहिये।
    - अनुबंध विनिर्माण: इसमें किसी अन्य फर्म के लेबल या ब्रांड के तहत किसी फर्म द्वारा माल का उत्पादन करना शामिल है।
- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal-FIFP) निवेशकों को FDI की सुविधा देने के लिये भारत सरकार का एक ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफ़ेस है। इसे 'उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संवर्द्धन विभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि से उम्मीदें:

- जैसा ही ट्रेन के निजी संचालन और हवाई अड्डों के निर्माण के लिये बोली लगाने की प्रक्रिया की अनुमति देने के सरकार के कदमों में विदेशी निवेशकों द्वारा रुचि दिखाई गई। वैसे ही मार्च 2020 में सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों (Non-Resident Indians-NRIs) को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है।
- रक्षा विनिर्माण(Defence Manufacturing) जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में सरकार द्वारा मई 2020 में स्वचालित मार्ग के तहत FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है, सरकार का यह कदम आगे भी बड़े निवेश आकर्षित कर सकता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:

- FDI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश (मूल देश) के निवासी किसी अन्य देश (मेज़बान देश) में एक फर्म के उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं।
    - यह विदेशी पोर्टफोलियो(Foreign Portfolio Investment-FPI) निवेश से भिन्न है, इसमें विदेशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है लेकिन यह FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार नहीं प्रदान करता है।
- FDI के प्रवाह में शामिल पूंजी किसी उद्यम के लिये एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा (या तो सीधे या अन्य संबंधित उद्यमों के माध्यम से) प्रदान की जाती है।
- FDI में तीन घटक- इक्विटी कैपिटल (Equity Capital), पुनर्निवेशित आय (Reinvested Earnings) और इंट्रा-कंपनी लोन (Intra-Company Loans) शामिल हैं।
    - इक्विटी कैपिटल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक की अपने देश के अलावा किसी अन्य देश के उद्यम के शेयरों की खरीद से संबंधित है।
    - पुनर्निवेशित आय में (प्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी के अनुपात में) प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा की गई कमाई शामिल होती है जिसे किसी कंपनी के सहयोगियों (Affiliates) द्वारा लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है या यह कमाई प्रत्यक्ष निवेशक को प्राप्त नहीं होती है।
    - इंट्रा-कंपनी लोन या लेन-देन में प्रत्यक्ष निवेशकों (या उद्यमों) और संबद्ध उद्यमों के बीच अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार और निधियों का उधार शामिल होता है।

भारत में FDI आने का मार्ग:

- स्वचालित मार्ग (Automatic Route): इसमें विदेशी संस्था को सरकार या RBI की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- सरकारी मार्ग (Government Route): इसमें विदेशी संस्था को सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है।

नोट :

- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal- FIFP) उन आवेदनों (Applications) को 'एकल खिड़की निकासी' (Single Window Clearance) की सुविधा प्रदान करता है जो अनुमोदन मार्ग (Approval Route) से प्राप्त होते हैं।

आगे की राह:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment-FDI) आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक बल है तथा भारत के आर्थिक विकास के लिये गैर-ऋण वित्त का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत भी। अत: एक मज़बूत एवं आसानी से सुलभ होने वाला FDI सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

इस प्रकार महामारी के बाद की अवधि में आर्थिक विकास तथा भारत का बाज़ार देश में बड़े निवेशों को आकर्षित करेगा।

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का विस्तार

चर्चा में क्यों?

सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये शुरू की गई 'उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन' (Production-Linked Incentive-PLI) योजना का विस्तार शीघ्र ही आठ और अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- PLI एक आगत उन्मुख (output-oriented) योजना है जिसमें निर्माता/उत्पादक यदि किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे केवल प्रोत्साहन (Incentives) राशि का भुगतान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत पाँच से सात वर्षों के लिये नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिसमें सभी उभरते हुए (Sunrise) महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
  - इन विनिर्माण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान और सोलर पॉवर सिस्टम शामिल हो सकते हैं।

आवश्यकता:

- सनराइज सेक्टर उभरते हुए क्षेत्र हैं लेकिन उन्हें प्रारंभिक चरण में सहायता/समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।
- PLI योजना के तहत निर्यात आधार (Export Base) को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधीकरण (Diversification in Supply Chains) के लिये विश्व में लगातार मांग बढ़ रही है जिसमें भारत एक प्रमुख प्रतिभागी बन सकता है।
- भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा मोबाइल फोन (इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण) के लिये PLI योजना शुरू की गई जिसका विस्तार फार्मा उत्पादों (Pharma Products) और चिकित्सा उपकरण (Medical Equipment) के क्षेत्र तक किया गया।

बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये PLI योजना:

- यह योजना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्द्धचालक पैकेजिंग सहित घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन/इंसेंटिव का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।
- योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों को अगले 5 वर्षों की अवधि के लिये भारत में निर्मित वस्तुओं की बढ़ती मांग (आधार वर्ष) के आधार पर 4 से 6% का इंसेंटिव प्राप्त होगा।
- यह योजना केवल लक्षित क्षेत्रों जैसे-मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर लागू होगी।
- सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2025 तक PLI योजना के तहत मोबाइल फोन के लिये घरेलू मूल्य वृद्धि 20-25% के मौजूदा स्तर से बढ़कर 35-40% हो जाएगी जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से 8 लाख अतिरिक्त नौकरियों के लिये अवसर पैदा होंगे।
- देश में मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले चार वर्षों में लगभग आठ गुना तक बढ़ा है और इस उद्योग से प्राप्त आय वर्ष 2014-15 के 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विरोधाभास की स्थिति

चर्चा में क्यों?

सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) के हालिया आँकड़ों के मुताबिक, महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बाद भारत की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार के कारण कुछ विरोधाभासी (Paradoxist) स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। हालाँकि चीन की अर्थव्यवस्था ने लगातार तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर्ज की है।

प्रमुख बिंदु

- रोज़गार
  - सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) द्वारा प्रस्तुत किये गए आँकड़े बताते हैं कि जहाँ एक ओर श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में गिरावट आ रही है, वहीं दूसरी ओर रोज़गार की दर में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है।
    - श्रम बल को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो या तो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिये उपलब्ध हैं।
    - आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है तब और अधिक लोग रोज़गार की तलाश करने लगते हैं, यानी रोज़गार की दर में बढ़ोतरी के साथ श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में भी बढ़ोतरी होती है, किंतु वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है।
    - इस असामान्य स्थिति को आँकड़ों के ग्रामीण-शहरी विभाजन द्वारा समझा जा सकता है। एक तरफ ग्रामीण भारत में 'पोस्ट-हार्वेस्टिंग' गतिविधियों के कारण रोज़गार में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी तरह भारत के शहरी क्षेत्रों में रोज़गार में कमी आ रही है।
    - साथ ही शहरी क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्ता और उच्चतर आय वाली नौकरियाँ कम हो रही हैं और निम्न वेतन वाली ग्रामीण क्षेत्र की नौकरियों में बढ़ोतरी हो रही है।
    - यह असामान्य घटना इस तथ्य को उजागर करती है कि महामारी के बाद शहरों में जिस स्तर पर प्रवासन होना चाहिये था वैसा नहीं हो रहा है।
- मुद्रास्फीति
  - लॉकडाउन के कारण वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति पक्ष पर काफी प्रभाव पड़ा है, जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) में वृद्धि हुई है, जो कि मुख्यत: खाद्य कीमतों में वृद्धि से प्रेरित है।
    - हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति को मापा जाता है, जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव भी शामिल होता है।
  - सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) के आँकड़े बताते हैं कि वर्तमान में हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ-साथ कोर मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो रही है, जो कि एक अप्रत्याक्षित घटना है। कोर मुद्रास्फीति में एक ऐसे समय में वृद्धि हो रही है जब अनुमान के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड दर से संकुचन होने वाला है।
  - सामान्य स्थिति में यह देखा जाता है कि जब मांग में गिरावट होती है तो इसके कारण कोर मुद्रास्फीति में भी गिरावट आती है।
    - कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है।
- विकास
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के हालिया आँकड़ों के मुताबिक, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और ब्राज़ील आदि देशों की तुलना में भारत महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित देश है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमानानुसार, कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष तकरीबन 10.3 प्रतिशत संकुचन हो सकता है।
    - जबकि इससे पूर्व जून माह में जारी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कहा था कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल 4.5 प्रतिशत का ही संकुचन होगा।

नोट :

- हालाँकि अर्थव्यवस्था में संकुचन की अपेक्षा यह तथ्य नीति निर्माताओं के लिये चिंताजनक है कि वर्ष 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो जाएगी।

महामारी के बीच आर्थिक प्रदर्शन

- चीन की सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आँकड़े के मुताबिक, इस वर्ष लगातार तीसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की गई है और वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में चीन की अर्थव्यवस्था में 4.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।
- चीन के पर्यटन उद्योग में वृद्धि दर्ज की जा रही है, साथ ही औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में भी वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप चीन में लाखों लोगों के लिये राजस्व और नौकरियों का सृजन हो रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि वर्ष 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव के बावजूद वृद्धि करने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष

चर्चा में क्यों?

श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में वर्ष 2016 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) की नई शृंखला जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी नई शृंखला, मौजूदा शृंखला आधार वर्ष 2001=100 को वर्ष आधार 2016=100 के साथ प्रतिस्थापित करेगी।
- ध्यातव्य है कि इस संशोधन से पूर्व श्रम ब्यूरो की स्थापना के बाद से शृंखला को वर्ष 1944 से वर्ष 1949; वर्ष 1949 से वर्ष 1960; वर्ष 1960 से वर्ष 1982 और वर्ष 1982 से वर्ष 2001 तक संशोधित किया गया था।
- केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भविष्य में इस सूचकांक के आधार वर्ष में प्रत्येक पाँच वर्ष बाद परिवर्तन किया जाएगा।

नई शृंखला में किये गए सुधार

- वर्ष 2016 के आधार पर जारी नई शृंखला में कुल 88 केंद्रों को शामिल किया गया है, जबकि वर्ष 2001 के आधार वर्ष पर जारी होने वाली शृंखला में केवल 78 केंद्र ही शामिल थे।
- खुदरा शृंखला के आँकड़ों के संग्रह के लिये चयनित बाज़ारों की संख्या भी वर्ष 2016 के आधार वर्ष वाली शृंखला के तहत 317 बाज़ारों तक बढ़ा दी गई है, जबकि वर्ष 2001 की शृंखला में 289 बाज़ारों को ही शामिल किया गया था।
- वर्ष 2016 की शृंखला के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 28 हो गई है, जबकि वर्ष 2001 शृंखला में राज्यों की संख्या केवल 25 ही थी।
- नई शृंखला के तहत खाद्य समूह के भार को घटाकर 39.17 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि वर्ष 2001 में 46.2 प्रतिशत था, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी विविध मदों के भार को 23.26 प्रतिशत (वर्ष 2001) से बढ़ाकर 30.31 प्रतिशत कर दिया गया है।
- नई शृंखला में ज्यामितीय माध्य (Geometric Mean) आधारित कार्यप्रणाली का उपयोग सूचकांकों के संकलन के लिये किया जाता है, जबकि वर्ष 2001 की शृंखला में अंकगणितीय माध्य (Arithmetic Mean) का उपयोग किया जाता था।

उद्देश्य

- औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के लिये आधार वर्ष में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य इस सूचकांक में श्रमिक वर्ग की आबादी के नवीनतम उपभोग पैटर्न को सही ढंग से प्रदर्शित करना है।
- मज़दूर और श्रमिक वर्ग के उपभोग पैटर्न में बीते वर्षों में काफी बदलाव आया है, इसलिये समय के साथ 'कंज़म्पशन बास्केट' (Consumption Basket) को भी अपडेट करना आवश्यक है, ताकि आँकड़ों की विश्वसनीयता बरकरार रखी जा सके।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों और राष्ट्रीय आयोगों ने लक्षित समूह के तेज़ी से बदलते उपयोग पैटर्न के आधार पर लगातार संशोधन करने की सिफारिश की थी।

नोट :

महत्त्व

- इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के वृहद् आर्थिक संकेतकों को मापने में मदद मिलेगी। साथ ही नई शृंखला में सुधार करते हुए इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं को शामिल किया गया है एवं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक तुलनीय बनाया गया है।
- ध्यातव्य है कि सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को मिलने वाला महँगाई भत्ता इसी सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
  - हालाँकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर निर्धारित किये जाने वाले महँगाई भत्ते (Dearness Allowance) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग आधार वर्ष के संदर्भ में कुछ चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापने के लिये किया जाता है, जिस पर एक परिभाषित उपभोक्ता समूह द्वारा अपनी आय खर्च की जाती है।
- जहाँ एक ओर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, वहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में उपभोक्ता के स्तर पर कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापने का प्रयास किया जाता है।
- CPI के चार प्रकार निम्नलिखित हैं:
  1. औद्योगिक श्रमिकों (Industrial Workers-IW) के लिये CPI
  2. कृषि मज़दूर (Agricultural Labourer-AL) के लिये CPI
  3. ग्रामीण मज़दूर (Rural Labourer-RL) के लिये CPI
  4. CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)
- इनमें से प्रथम तीन को श्रम और रोज़गार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि चौथे प्रकार के CPI को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा संकलित किया जाता है।

आधार वर्ष और उसकी आवश्यकता

- आधार वर्ष वह बेंचमार्क होता है जिसके संदर्भ में विभिन्न राष्ट्रीय आँकड़ों और सूचकांकों जैसे- सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल घरेलू बचत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि की गणना की जाती है।
- आधार वर्ष को एक प्रतिनिधि वर्ष के रूप में माना जाता है, अत: यह आवश्यक है कि उस वर्ष किसी भी प्रकार की असामान्य घटना जैसे- सूखा, बाढ़, भूकंप आदि न हुई हो।
- अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिये आधार वर्ष को समय-समय पर संशोधित करना काफी आवश्यक है।

ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020

चर्चा में क्यों?

स्विट्ज़रलैंड स्थित एक निजी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, महामारी और उसके कारण लागू लॉकडाउन के बावजूद जून 2020 के अंत में वयस्क भारतीयों की औसत संपत्ति में दिसंबर 2020 की तुलना में तकरीबन 120 डॉलर (लगभग 8,800 रुपए) की बढ़ोतरी हुई है।

प्रमुख बिंदु

- स्विट्ज़रलैंड स्थित निजी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी 'ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020' में दुनिया भर में घरेलू संपत्ति और संपदा की सबसे व्यापक और अद्यतन जानकारी प्रदान की गई है।

वैश्विक स्थिति

- वर्ष 2019 में कुल वैश्विक संपत्ति 36.3 ट्रिलियन डॉलर और प्रति वयस्क व्यक्ति की औसत संपत्ति 77,309 डॉलर पर पहुँच गई थी, जो कि वर्ष 2018 की तुलना में 8.5 प्रतिशत अधिक है।

- हालाँकि जनवरी और मार्च 2020 के बीच कुल घरेलू संपत्ति में 17.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी हुई है, जो कि वर्ष 2019 के अंत में वैश्विक संपत्ति के मूल्य की तुलना में 4.4 प्रतिशत कम है।
- इस महामारी के कारण महिला श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफी असमानता का सामना करना पड़ा है। इसका मुख्य कारण है कि व्यवसायों और उद्योगों जैसे- रेस्टोरेंट, होटल, और खुदरा क्षेत्र आदि में महिलाओं का काफी अधिक प्रतिनिधित्त्व है और ये क्षेत्र भी महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।
- घरेलू संपत्ति अथवा संपदा के संदर्भ में वर्ष 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट को इस शताब्दी की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना माना जा सकता है, हालाँकि अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस महामारी के प्रभाव के कारण वैश्विक संपत्ति को कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
  - महामारी ने विश्व को एक गंभीर मंदी की स्थिति में पहुँचा दिया है। विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में संकुचन की स्थिति देखी जा रही है, बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी हो रही और दुनिया भर के वित्तीय बाज़ारों में काफी अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

भारतीय परिदृश्य

- भारत की घरेलू संपत्ति अथवा संपदा में अचल संपत्ति का काफी विशिष्ट स्थान है, हालाँकि अब धीरे-धीरे वित्तीय संपत्ति में भी बढ़ोतरी हो रही है और भारत की कुल संपत्ति में इसकी हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत हो गई है।
- स्टॉक, शेयर, बॉण्ड और बैंक डिपॉज़िट आदि वित्तीय संपत्ति के प्रमुख उदाहरण हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2020 में वयस्क भारतीयों की औसत संपत्ति 17,420 डॉलर (तकरीबन 12.77 लाख रुपए) पर पहुँच गई है, जो कि दिसंबर 2019 में 17,300 डॉलर थी।
- भारत में आर्थिक असमानता
  - भारत में आर्थिक असमानता और गरीबी को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि भारत में वर्ष 2019 के अंत में 73% वयस्क आबादी के पास 10,000 डॉलर से कम की संपत्ति थी।
  - वहीं भारत की जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से के पास (कुल वयस्कों का 2.3 प्रतिशत) 1,00,000 डॉलर से अधिक की संपत्ति थी।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक मुद्रा धारकों में से शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों में भारत के कुल 9,07,000 लोग शामिल हैं।
- वर्ष 2020 की पहली छमाही में भारत के वयस्कों की औसत संपत्ति में तकरीबन 1.7 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई है, वहीं अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 में वयस्क भारतीयों की संपत्ति में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि वर्ष 2021 में यह वृद्धि 9 प्रतिशत तक पहुँच सकती है।
- जनवरी-अप्रैल 2020 के बीच भारत में बेरोज़गारी दर लगभग तीन गुना बढ़कर 24% हो गई है।

भारत में आर्थिक असमानता से संबंधित चुनौतियाँ

- भारत जैसे विकासशील देश में तमाम तरह की गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं के बावजूद अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँच रहा है?
  - इस प्रकार असल चुनौती वास्तविक गरीबों की पहचान करना है।
- अक्सर सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर कम खर्च किया जाता है और यदि खर्च किया भी जाता है तो वह आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है।
- जबकि पारंपरिक रूप से संवेदनशील समुदाय जैसे- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि प्राथमिक शिक्षा में समाज के बाकी हिस्सों की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं, किंतु जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो ये वर्ग काफी पीछे दिखाई पड़ते हैं।
- जलवायु परिवर्तन भी असामनता को बढ़ाने में योगदान दे रहा है।

आगे की राह

- घरेलू संपदा एक प्रकार से आकस्मिक बीमा के तौर पर कार्य करती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभावों को देखते हुए इसे एक उपलब्धि ही माना जाएगा कि वैश्विक संपत्ति पर इसका कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला है।

नोट :

- बीते कुछ वर्षों में भारत में आर्थिक असमानता एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जिसे सामाजिक खर्चों में वृद्धि करके और समय पर कर भुगतान सुनिश्चित करके आसानी से संबोधित किया जा सकता है।

सी-प्लेन सर्विस

चर्चा में क्यों?

देश में पहली बार एक विशेष सेवा के रूप में 19 सीटर सी-प्लेन (Seaplane) जिसे गुजरात में साबरमती रिवरफ्रंट (Sabarmati Riverfront) और सरदार वल्लभभाई पटेल की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' (Statue of Unity) के बीच उड़ानों के लिये इस्तेमाल किया जाएगा, रविवार को मालदीव से भारत पहुँचा।

प्रमुख बिंदु:

- समुद्र में संचालन योग्य यह विमान अहमदाबाद जाने के रास्ते में कोच्चि पहुँचा और वेंदुरुथी चैनल (Venduruthy Channel) में सुरक्षित उतरा, जहाँ नर्मदा ज़िले में साबरमती रिवरफ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच देश की पहली सी-प्लेन सेवा शुरू की जाएगी।
- केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, यदि सब सुचारु रूप से रहा तो सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 31 अक्तूबर, 2020 से यह सेवा शुरू होने की संभावना है।
- स्पाइसजेट कंपनी ने ट्विन ओटर (Twin Otter) 300 सी-प्लेन को किराए पर लिया है, जिसमें एक बार में 12 यात्री उड़ान भर सकेंगे।

भारत की पहली सी-प्लेन परियोजना:

- देश का पहला सी-प्लेन प्रोजेक्ट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है।
- इस निर्देश के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India- AAI) ने गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों तथा अंडमान एवं निकोबार के प्रशासन से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये पानी के एयरोड्रोम स्थापित करने हेतु संभावित स्थानों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

सी-प्लेन सर्विस का पर्यावरण पर प्रभाव:

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और इसके संशोधनों की अनुसूची में जल एयरोड्रम एक सूचीबद्ध परियोजना/गतिविधि नहीं है।
- हालाँकि एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की राय यह थी कि वाटर एयरोड्रम परियोजना के तहत प्रस्तावित गतिविधियों के एक हवाई अड्डे के समान प्रभाव हो सकते हैं।
- नर्मदा में शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य प्रस्तावित परियोजना स्थल से दक्षिण-पश्चिम दिशा में 2.1 किमी की अनुमानित हवाई दूरी पर स्थित है, जबकि निकटतम आरक्षित वन पूर्व दिशा में 4.7 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो स्थानीय संवेदनशील पशु वर्ग प्रजातियों के संरक्षण के लिये जाना जाता है।

शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

- शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य के नर्मदा ज़िले में स्थित है। इसमें पुष्पीय पौधों की लगभग 575 प्रजातियाँ मौजूद हैं। इसमें पतझड़ वन के साथ-साथ अर्द्ध-सदाबहारीय पेड़ों की बहुतायत है। इसमें बाँस के पेड़ भी बड़ी संख्या में हैं। यह अभयारण्य 607.70 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें रीसस स्लॉथ बियर, तेंदुआ, मकाक, चौसिंघा , बार्किंग डीयर, छिपकली और हर्पेटो जीव जैसी प्रजातियों की व्यापक किस्में मौजूद हैं।
- इस अभयारण्य को वर्ष 1982 में 150.87 वर्ग किमी. के क्षेत्र में बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 1987 और 1989 में अभयारण्य का क्षेत्रफल 607.70 वर्ग किमी. तक विस्तारित कर दिया गया।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India- IWAI) द्वारा डाइक-3 को अंतिम रूप देने से पहले बाथिमेट्रिक (Bathymetric) और हाइड्रोग्राफिक (Hydrographic) सर्वेक्षण किया गया जहाँ एक चट्टानयुक्त तालाब पाया गया जिसे लोकप्रिय रूप से 'मगर तालाब' (Magar Talav) कहा जाता है क्योंकि यह मगरमच्छों से प्रभावित है।

- जनवरी 2019 से इस तालाब से मगरमच्छों को निकालने का काम जारी है, जिसके बाद मगरमच्छों का डाइक 1 और 2 से फिर से प्रवेश रोकने के लिये सीमा की फेंसिंग कार्य को भी पूरा किया गया।

सी-प्लेन:

- सी-प्लेन एक निश्चित पंख वाला हवाई जहाज़ है जो पानी पर उतरने और उड़ने के लिये बनाया गया है।
- यह एक नाव की उपयोगिता के साथ एक हवाई जहाज़ की गति प्रदान करता है।
- सी-प्लेन मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं-
  1. फ्लाइंग बोट (Flying Boats)
  2. फ्लोटप्लेन (Floatplanes)

टर्मिनल के लिये साइट को अंतिम रूप दे दिया गया है क्योंकि इसके आयाम सी-प्लेन को उतारने की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, जिसके लिये कम-से-कम छह फीट की गहराई के साथ एक जल निकाय में न्यूनतम 900 मीटर की चौड़ाई की आवश्यकता होती है।

ब्याज स्थगन घोषणा पर दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने 'भारतीय रिज़र्व बैंक' द्वारा प्रारंभ 'ब्याज स्थगन' घोषणा के परिचालन के संबंध दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय COVID-19 महामारी के राहत उपायों के तहत घोषित 'ऋण स्थगन अवधि (Moratorium Period) से संबंधित मुद्दों की याचिकाओं पर सुनवाई की गई।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 अक्तूबर को योजना को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर लागू करने का निर्देश दिया गया था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यद्यपि ब्याज स्थगन की घोषणा की गई थी परंतु इस संबंध में सरकार द्वारा कोई विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में औपचारिक दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
- योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 6,500 करोड़ रुपए की राशि वहन की जाएगी।

प्रमुख दिशा-निर्देश:

- दिशा-निर्देशों के तहत बैंकों तथा अन्य उधारदाताओं यथा- सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ आदि को भी शामिल किया गया है।
- 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटोमोबाइल ऋण, पेशेवर और उपभोग ऋण आदि योजना के पात्र हैं।
- 29 फरवरी, 2020 तक ऋण खाता 'मानक खाता' होना चाहिये अर्थात 'गैर-निष्पादनकारी संपत्ति' (NPA) के रूप में वर्गीकृत खाते योजना के तहत लाभार्थी नहीं होंगे।
- 1 नवंबर से 31 अगस्त के बीच छह महीने (184 दिन) की अवधि के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर को 5 नवंबर तक ग्राहकों के ऋण खातों में क्रेडिट करने के लिये कहा गया है।
- यह उन उधारकर्त्ताओं के लिये भी लागू किया जाएगा जिन्होंने 31 अगस्त की समयसीमा तक योजना के तहत लाभ नहीं उठाया था।

ब्याज स्थगन योजना:

- ध्यातव्य है कि COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा दिये गए ऋण के भुगतान पर 90 दिनों (1 मार्च से 31 मई तक) के अस्थायी स्थगन की घोषणा की थी, इस अवधि को बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था।
- योजना का उद्देश्य महामारी के दौरान उधारकर्त्ताओं को राहत प्रदान करना था। इसके तहत ब्याज की राशि और मूल राशि दोनों को कवर किया गया था।

ब्याज स्थगन की गणना:

- आमतौर पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग करके की जाती है, अर्थात् आप अर्जित ब्याज पर भी ब्याज का भुगतान करते हैं। ऋण स्थगन योजना के तहत उधारकर्त्ताओं को ऋण स्थगन अवधि के दौरान बकाया ऋण राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय साधारण ब्याज का भुगतान करना होता है।
- साधारण ब्याज (जो योजना के तहत पेश किया गया है) और चक्रवृद्धि ब्याज (एक सामान्य बैंकिंग अभ्यास) के बीच का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- योजना का लाभ उन उधारकर्त्ताओं को भी मिलेगा जिन्होंने 'स्थगन अवधि' के दौरान भी अपनी ईएमआई का भुगतान किया है।
- योजना के तहत मिलने वाले छूट लाभ की राशि उस ब्याज की राशि से सीधे आनुपातिक रूप से संबंधित होती है जिसका भुगतान स्थगन अवधि के दौरान करना होता है।

निष्कर्ष:

- त्योहार के मौसम की शुरुआत में ब्याज में राहत देने से न केवल उधारकर्त्ताओं को राहत मिली है, बल्कि इसने बैंकों के NPA में वृद्धि की संभावना को भी कम किया गया है। परंतु इससे सरकार के राजकोषीय नीतिगत निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

डायरेक्ट पोर्ट एंट्री' सुविधा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वी. ओ. चिदंबरनार (VO Chidambaranar- VOC) बंदरगाह पर रसद लागत को कम करने में मदद के लिये एक 'डायरेक्ट पोर्ट एंट्री' सुविधा (Direct Port Entry Facility-DPE) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस सुविधा को 30 वर्ष तक संचालित करने के लिये केंद्रीय भंडारण निगम के साथ समझौता किया गया है।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व कारखानों से सीलबंद कंटेनरों को पहले तूतीकोरिन में संचालित होने वाले कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFS)/इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) में से एक में ले जाया जाता था और यह सुविधा एक कार्यदिवस में सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही उपलब्ध थी। इसकी वजह से कंटेनरों को कंटेनर टर्मिनलों के अंदर ले जाने में काफी देरी होती थी।

'डायरेक्ट पोर्ट एंट्री' के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाएँ:

- अत्याधुनिक डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा के माध्यम से निर्यातक अपने कंटेनरों को CFS के दखल के बिना कारखानों से सीधे बंदरगाहों के कंटेनर टर्मिनल पर चौबीस घंटे भेजने की सुविधा पा सकेंगे।
- यह सुविधा ट्रक पार्किंग टर्मिनल के अंदर 18,357 वर्गमीटर के क्षेत्र में बनाई गई है, जिसे कारखानों से सील होकर आए निर्यातित वस्तुओं से भरे कंटेनरों को सीमा शुल्क निकासी सुविधा प्रदान करने हेतु 'सागरमाला' योजना के तहत विकसित किया गया है।
- यह प्रतिमाह 18,000 टीईयू को वहन करने की क्षमता रखती है।
- डीपीई सुविधा के तहत केंद्रीय भंडारण निगम के माध्यम से भारतीय सीमा शुल्क विभाग एक ही छत के नीचे निर्यातकों को एलईओ (Let Export Order- LEO) भी उपलब्ध कराएगा।
- केंद्रीय भंडारण निगम और सीमा शुल्क अधिकारियों की एक टीम वीओसी पोर्ट के सहयोग से टियर-2 और टियर-3 (एईओ) प्रमाणित आयात-निर्यात ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगी।
- सीमा शुल्क विभाग ने भी बंदरगाह में डीपीई सुविधा के संचालन को मंज़ूरी दी है।

लाभ:

- यह लॉजिस्टिक लागत को कम करने और बंदरगाहों से निर्यात खेप को भेजने की प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

नोट :

- डीपीई, निर्यातकों के लिये कारोबारी सुगमता को बढ़ाने में मदद करेगा, इससे निर्यातकों के काम में दक्षता आएगी, सामान भेजने पर खर्च कम होगा, साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो सकेंगे।
- बंदरगाहों पर आईटी सक्षम बुनियादी ढाँचा निश्चित रूप से हमारे बंदरगाहों को पोत परिवहन मंत्रालय के 'मेरीटाइम विज़न 2030' के अनुरूप विश्व स्तर के बंदरगाहों में परिवर्तित कर देगा।
- इस सुविधा के माध्यम से 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' में भारत की स्थिति बेहतर होगी तथा भारत व्यवसायी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपनी सशक्त भूमिका दर्ज कराएगा।
- इस सुविधा के माध्यम से भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा तथा इसके माध्यम से यह अपने क्षेत्रीय हितों को भी साध सकेगा।

'डायरेक्ट पोर्ट एंट्री' सुविधा: (Direct Port Entry Facility)

डीपीई एक ऐसी योजना है, जो निर्यात के संबंध में समय और लागत को कम कम करती है, जिसके तहत निर्यात कंटेनरों को 'लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर' (LEO) देने से पहले ही पोर्ट एक्सपोर्ट में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाती है। यह भारत से बाहर वस्तुओं के निर्यात के लिये आवश्यक अनुपालन सूची का अंतिम चरण है।

महामारी और राज्यों की वित्तीय स्थिति

चर्चा में क्यों?

राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे (Gross Fiscal Deficits- GFDs) में दोगुनी वृद्धि हो सकती है।

प्रमुख बिंदु

- राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे की स्थिति
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के लगभग आधे राज्यों ने अपने सकल राजकोषीय घाटे (GFDs) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात को 3 प्रतिशत या उससे अधिक सीमा पर निर्धारित किया है।
  - अधिकांश राज्यों द्वारा इस अनुपात में संशोधन किये जाने की संभावना इस तथ्य से स्पष्ट है कि महामारी की शुरुआत से पूर्व प्रस्तुत किये गए बजटों में सकल राजकोषीय घाटे (GFDs) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का औसतन 2.4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि जिन राज्यों ने महामारी के बाद अपना बजट प्रस्तुत किया उनका यह अनुपात औसतन 4.6 प्रतिशत के आस-पास है।
    - बजटीय अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के सभी राज्यों का समग्र सकल राजकोषीय घाटा (GFD), सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2.8 प्रतिशत रह सकता है, हालाँकि यह केवल बजटीय अनुमान है और वास्तविकता इससे कहीं अधिक हो सकती है।
  - इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के लगभग सभी राज्य उच्च राजकोषीय घाटे और राजस्व में कमी के साथ महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में राज्यों के लिये महामारी के विरुद्ध यह लड़ाई और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है।
- कब तक रहेगी यह स्थिति?
  - वर्तमान में भारत के राज्य एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ एक तरफ मांग में कमी के कारण राजस्व में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर महामारी के कारण सरकारी व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे 'सीज़र इफेक्ट' के रूप में भी जाना जाता है।
  - राज्यों की वित्तीय स्थिति पर तनाव की अवधि मुख्य तौर पर लॉकडाउन की अवधि और वायरस संक्रमण के बढ़ते जोखिम जैसे कारकों पर निर्भर करेगी। यद्यपि देश के लगभग सभी हिस्सों में लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया है किंतु भारत अभी भी विश्व में कोरोना वायरस के मामलों में दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
    - ऐसे में आगामी कुछ वर्ष राज्य सरकारों के लिये काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
- राज्यों पर प्रभाव
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मानें तो आगामी कुछ वर्षों के लिये राज्यों के राजस्व, खासतौर पर कर राजस्व में कमी आ सकती है। विकास और कर राजस्व के बीच स्पष्ट संबंध होता है और विकास के नकारात्मक होने पर कर राजस्व जीडीपी की तुलना में अधिक तेज़ी से गिरता है।

- महामारी से संबंधित व्यय, खासतौर पर स्वास्थ्य और अन्य सहायक उपायों पर किये जाने वाले व्यय के कारण राज्य सरकारों के कुल व्यय में बढ़ोतरी हो रही है जिसके कारण 'सीज़र इफेक्ट' की अवधि और लंबी हो सकती है।
- ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को निवेश संबंधी परियोजनाओं पर रोक लगाने जैसे कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। हालाँकि निवेश संबंधी विकास परियोजनाओं पर रोक लगाने से राज्य की आर्थिक वृद्धि पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।
- इस प्रभाव के कारण राज्यों की ऋणग्रस्तता में बढ़ोतरी होगी और यदि ऐसे में राज्यों की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो उनकी राजकोषीय स्थिरता प्रभावित होगी और राज्यों द्वारा अब तक इस दिशा में जो प्रयास किये गए हैं वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे।

पूर्व में ऐसी स्थिति ?

- भारत में पूर्व की चार महामारियों- प्लेग (वर्ष 1896), स्पैनिश फ्लू (वर्ष 1918), एशियाई फ्लू (वर्ष 1957) और चेचक (वर्ष 1974) के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन सभी महामारियों के दौरान आर्थिक संकुचन देखा गया था।
  - विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 1918 में स्पैनिश फ्लू के कारण तत्कालीन अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक तकरीबन 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।
- अधिकांश महामारियों के दौरान लगभग 2 वर्ष की अवधि में आर्थिक विकास की गति वापस अपने स्थान पर आती है, किंतु वर्ष 1918 की महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को महामारी के पूर्व की आर्थिक गति प्राप्त करने के लिये चार वर्ष का समय लग गया था।

केरल और धारावी मॉडल

- केरल मॉडल: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मुताबिक सशक्त स्थानीय संस्थानों और सामुदायिक भागीदारी के कारण केरल सरकार को महामारी से प्रभावित लोगों तक पहुँचने में काफी मदद मिली है।
  - कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के साथ केरल इस मामलों से निपटने के लिये सक्रीय रूप से स्थानीय स्वशासन (LSGs) की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।
  - केरल में स्थानीय स्वशासन (LSGs) को सूचनाओं के संग्रह, जागरूकता फैलाने, संवेदनशील वर्ग की पहचान करने, क्वारंटाइन और लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करवाने, सार्वजनिक स्थानों को कीटाणुरहित करने और क्वारंटाइन केंद्रों पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
  - यही कारण है कि राज्य में महामारी के शुरुआती दौर में संक्रमण को रोकने में काफी सफलता मिली थी, किंतु जैसे-जैसे विदेश से लोग केरल आ रहे हैं और नियमों में छूट दी जा रही है वैसे-वैसे मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है।
- धारावी मॉडल: रिज़र्व बैंक ने अपने अध्ययन में कहा है कि मुंबई के धारावी में महामारी से मुकाबले में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और सामुदायिक भागीदारी ने काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - महामारी से इस मुकाबले के दौरान प्रशासन ने स्थानीय निजी डॉक्टरों, अस्पतालों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वयंसेवकों और चुने हुए प्रतिनिधियों तथा नागरिक समाज संगठनों के साथ करार किया और साथ ही अधिक-से-अधिक परीक्षण, प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग, कांटैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन जैसे उपाय भी अपनाए गए।
  - सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक एकजुटता ने धारावी में महामारी के प्रकोप को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई।
  - ध्यातव्य है कि बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी धारावी द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा था कि अन्य देशों को भी इस तरह के उपाय अपनाने पर विचार करना चाहिये।

आगे की राह

- आवश्यक है कि राज्य सरकारों द्वारा अपने व्यय को ऐसी निवेश परियोजनाओं पर केंद्रित करना चाहिये, जिनमें उत्पादकता काफी अधिक हो। वहीं सीमित राजस्व वाले राज्यों को उच्च उत्पादकता वाली विकास परियोजनाओं के स्थान पर श्रम-गहन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- राज्यों को कर अनुपालन में सुधार करके और कर आधार में विस्तार करने के लिये प्रशासन के अधिक-से-अधिक डिजिटलाइज़ेशन के माध्यम से कर संग्रहण में सुधार करना होगा।
  - डिजिटलाइज़ेशन के ज़रिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली में सुधार किया जा सकता है।

IFSCA के तहत रेगुलेटरी सैंडबॉक्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण' (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) द्वारा 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' के लिये एक फ्रेमवर्क जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, नियंत्रित दशाओं में नवीन फिनटेक उत्पादों या सेवाओं के 'प्रत्यक्ष परीक्षण' (Live Testing) को संदर्भित करता है।
- फिनटेक पहल के तहत बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के प्रसार को प्रोत्साहित किया जाता है।
- 'IFSCA, 'गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFT-City) गांधीनगर, गुजरात में स्थित IFSC केंद्र में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के उद्देश्य से फिनटेक (FinTech) पहल को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रहा है।
- इस दिशा में IFSCA द्वारा 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' के लिये एक रूपरेखा पेश की गई है।

रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क:

- सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत पूंजी बाज़ार में कार्यरत इकाइयों यथा- बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा क्षेत्र को अभिनव फिनटेक समाधानों की दिशा में प्रयोग करने के लिये कुछ सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
- इन सुविधाओं को निवेशक की सुरक्षा और जोखिम शमन की सुविधाओं के साथ सुदृढ़ किया जाएगा।
- पूंजीगत बाज़ार में कार्यरत संस्थाएँ यथा- बैंकिंग, बीमा और पेंशन क्षेत्रों के साथ-साथ भारत और 'वित्तीय कार्रवाई कार्य बल' (FATF) के न्यायाधिकार में आने वाली सभी व्यक्तिगत और स्टार्टअप्स संस्थाएँ (विनियमित और असंगठित) नियामक सैंडबॉक्स में भागीदारी के लिये पात्र होंगी।
- सैंडबॉक्स में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाएँ IFSCA को आवेदन कर सकते हैं। IFSCA इन आवेदनों का आकलन करेगा और 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' को सीमित परीक्षण के लिये उपयुक्त नियामकीय छूट प्रदान कर सकता है।
- इनोवेशन सैंडबॉक्स को IFSC में कार्य करने वाले 'मार्केट इन्फ्रास्ट्रेक्चर इंस्टिट्यूट' (MII) द्वारा प्रबंधन हेतु सुगम बनाया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण'

- केंद्र सरकार ने गांधीनगर, गुजरात में 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों' (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिये 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण' की स्थापना की है।

कार्य:

- प्राधिकरण नियामकीय संस्थाओं (RBI, SEBI) द्वारा अनुमोदित वित्तीय उत्पादों प्रतिभूतियों, जमा या बीमा, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के अनुबंधों को विनियमित करेगा।
- यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित IFSC के अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों को भी विनियमित करेगा।
- यह केंद्र सरकार को अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों के विनियमन के लिये भी सिफारिश कर सकता है, जिन्हें सरकार द्वारा IFSC के तहत विनियमन की अनुमति दी जा सकती है।

सदस्य:

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में नौ सदस्य शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- IFSC प्राधिकरण के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जो पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
- प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) तथा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के एक-एक सदस्य और वित्त मंत्रालय के दो सदस्य शामिल हैं।
  - दो अन्य सदस्यों को एक 'चयन समिति' की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा।

नोट :

जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के लिये मानदंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शत-प्रतिशत खाद्यान्नों एवं 20% चीनी को अनिवार्य रूप से विविध प्रकार के जूट बोरों में पैक किये जाने की मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु:

- भारत सरकार ने जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम, 1987 [Jute Packaging Material (JPM) Act, 1987] के तहत अनिवार्य रूप से पैकिंग किये जाने के इस मानक को विस्तारित किया है।
- इसके अलावा यह भी अनिवार्य किया गया है कि खाद्यान्नों की पैकिंग के लिये शुरू में 10% जूट बोरों की खरीद 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government E-Marketplace - GEM) पोर्टल' पर 'रिवर्स ऑक्शन' के ज़रिये होगी।
- अन्य प्रावधान: अगर जूट पैकिंग सामग्री की आपूर्ति में कोई कमी या व्यवधान आता है या किसी तरह की कोई प्रतिकूल स्थिति पैदा होती है तो कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textiles) अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ मिलकर उपबंधों में छूट दे सकता है और खाद्यान्नों की अधिकतम 30% की पैकिंग किये जाने का निर्णय ले सकता है।

लाभ:

- भारत सरकार के इस निर्णय से देश के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों तथा श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
- चीनी को विविध प्रकार के जूट बोरों में पैक किये जाने के निर्णय से जूट उद्योग को लाभ होगा।
- देश में कच्चे जूट के घरेलू इस्तेमाल और जूट पैकिंग सामग्री को बढ़ावा मिलेगा।
- गौरतलब है कि जूट उद्योग मुख्यत: सरकारी क्षेत्र पर निर्भर है और प्रतिवर्ष खाद्यान्नों की पैकिंग के लिये जूट बोरों की खरीद पर भारत सरकार 7500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च करती है।
  - यह जूट क्षेत्र में मांग को जारी रखने और इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं किसानों की आजीविका के लिये भारत सरकार की ओर से उठाया गया एक सकारात्मक कदम है।

भारत में जूट आधारित अर्थव्यवस्था:

- जूट क्षेत्र पर लगभग 3.7 लाख श्रमिक और कई लाख किसान परिवारों की आजीविका निर्भर है जिसे देखते हुए भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिये निम्नलिखित संगठित प्रयास कर रही है।
  - कच्चे जूट के उत्पादन एवं मात्रा को बढ़ाना।
  - जूट क्षेत्र का विविधीकरण करना।
  - जूट उत्पादों की सतत् मांग को बढ़ावा देना।

जूट क्षेत्र को प्रदान की गई अन्य प्रकार की सहायता:

- जूट आईसीएआरई (Jute ICARE)
  - भारत सरकार ने कच्चे जूट की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये एक विशेष कार्यक्रम 'जूट आईसीएआरई' (Jute ICARE) शुरू किया है।
    - इसके तहत सरकार विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराकर 2 लाख जूट किसानों की मदद कर रही है जिसमें बीजों की पंक्तियों में बुवाई, नोकदार निराई-उपकरण का प्रयोग करके खरपतवार प्रबंधन (Weed Management) और गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों का वितरण तथा सूक्ष्म जीवों की मदद से कच्चे जूट को सड़ाने की प्रक्रिया शामिल है।
    - भारत सरकार के इन मध्यवर्ती प्रयासों से कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादन में काफी इज़ाफा हुआ है और जूट किसानों की आय बढ़कर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई है।

- प्रमाणित बीजों के वितरण से संबंधित प्रयास: हाल ही में भारतीय जूट निगम (Jute Corporation of India) ने वाणिज्यिक आधार पर 10,000 क्विंटल प्रमाणित बीजों के वितरण के लिये राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - तकनीकी उन्नयन और प्रमाणित बीजों के वितरण से जूट फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- जूट क्षेत्र का विविधीकरण: जूट क्षेत्र के विविधीकरण को बढ़ावा देने के मद्देनज़र राष्ट्रीय जूट बोर्ड (National Jute Board) ने राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (National Institute of Design) के साथ एक समझौता किया है और इसी के अनुरूप गांधी नगर (गुजरात) में एक जूट डिज़ाइन प्रकोष्ठ (Jute Design Cell) खोला गया है।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड (National Jute Board):

- भारतीय जूट के प्रचार के लिये राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB) सर्वोच्च निकाय है।
- राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम-2008 (National Jute Board Act-2008) के तहत स्थापित इस बोर्ड की अध्यक्षता भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है।
- जूट विनिर्माता विकास परिषद (Jute Manufacturers Development Council) का गठन वर्ष 1984 में एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था किंतु अब इसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड में समाहित कर दिया गया है।

भारतीय जूट निगम लिमिटेड (Jute Corporation of India Ltd.):

- भारतीय जूट निगम लिमिटेड कोलकाता में स्थित भारत सरकार की एक एजेंसी है जो जूट की खेती करने वाले राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सहायता प्रदान करती है।
- इसका गठन वर्ष 1971 में हुआ था।
- इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जूट जियो टेक्सटाइल्स (Jute Geo Textiles) और एग्रो टेक्सटाइल्स (Agro-Textiles) को बढ़ावा दिया गया है। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और जल संसाधन मंत्रालय की भी सहभागिता है।
- जूट उत्पाद के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी: जूट क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने बांग्लादेश एवं नेपाल से जूट उत्पादों के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है और यह 5 जनवरी, 2017 से प्रभावी है।
- जूट स्मार्ट (Jute SMART) ई- कार्यक्रम: जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने दिसंबर 2016 में जूट स्मार्ट ई-कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें बी-ट्विल सेकिंग (B-Twill sacking) किस्म के टाट के बोरों की खरीद के लिये सरकारी एजेंसियों द्वारा एक समन्वित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है।
    - इसके अलावा भारतीय जूट निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य और वाणिज्यिक अभियानों के तहत जूट की ऑनलाइन खरीद के लिये जूट किसानों को 100% धनराशि हस्तांतरित की जा रही है।

शहरी बेरोज़गारी में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी तिमाही 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (Periodic Labour Force Survey- PLFS) के अनुसार, अक्तूबर 2018 से शहरी बेरोज़गारी की दर में लगातार गिरावट देखने को मिली है।

प्रमुख बिंदु:

- PLFS के आँकड़ों के अनुसार, अक्तूबर-दिसंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी की दर 7.9% रही, जो कि वर्ष 2018 में इसी अवधि के दौरान के आँकड़ों से 2% कम है।
- गौरतलब है कि जुलाई-सितंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी की दर 8.4%, अप्रैल-जून 2019 में 8.9% और अक्तूबर-दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान 9.9% थी।

नोट :

- इस सर्वेक्षण के अनुसार, अक्तूबर-दिसंबर 2019 के दौरान 15-29 वर्ष आयु वर्ग में शहरी बेरोज़गारी 19.2% रही, जो कि जुलाई-सितंबर 2019 के 20.6% और अक्तूबर-दिसंबर 2018 के 23.7% से भी कम है।
- गौरतलब है कि PLFS के तहत शहरी बेरोज़गारी के आँकड़ों को तिमाही रूप से जारी किया जाता है, इसके आँकड़े जुटाने की प्रक्रिया आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट से अलग होती है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के आँकड़ों को भी शामिल किया जाता है।
- हालिया सर्वेक्षण में 45,555 परिवारों के 1.79 लाख लोगों को शामिल किया गया था, जबकि जुलाई-सितंबर 2019 के सर्वेक्षण में 44,471 परिवारों के 1.79 लाख लोग शामिल थे।

महिला बेरोज़गारी दर: सर्वेक्षण के अनुसार, देश में महिला बेरोज़गारी की दर में वृद्धि देखने को मिली है। अक्तूबर-दिसंबर 2019 में महिला बेरोज़गारी की दर 9.8% रही, जो इसी वर्ष जुलाई-सितंबर (9.7%) के दौरान प्राप्त आंकड़ों से 0.1% अधिक है।

- शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोज़गारी की दर पिछले वर्ष की अक्तूबर-दिसंबर की 12.3% दर और अप्रैल-जून 2019 की 11.3% दर से कम बनी हुई है।

पुरुष बेरोज़गारी दर: अक्तूबर-दिसंबर 2019 के दौरान पुरुष बेरोज़गारी दर 7.3% रही, जो जुलाई-सितंबर 2019 की 8% दर और अक्तूबर-दिसंबर 2018 की 9.2% दर से कम है।

श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate- LFPR): अक्तूबर-दिसंबर 2019 में 37.2% दर के साथ LFPR में सुधार देखने को मिला।

- गौरतलब है कि जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही में यह 36.8% थी।
- राज्यों की स्थिति: इस सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में श्रम बल भागीदारी दर का आँकड़ा राष्ट्रीय स्तर से अधिक रहा।

'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (Periodic Labour Force Survey- PLFS):

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत का पहल कंप्यूटर आधारित रोज़गार सर्वेक्षण है, इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- PLFS रिपोर्ट 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (National Statistical Office- NSO) द्वारा जारी की जाती है।
- इस सर्वेक्षण की शुरुआत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा वर्ष 2009 में गठित कुंदू समिति (Kundu Committee) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (National Statistical Office- NSO):

- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO) और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office- CSO) का विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई थी।
- NSO, देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित विकास के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो (SSB) के बीच सांख्यिकीय कार्य का समन्वय करता है।

रोज़गार और बेरोज़गारी के प्रमुख संकेतक:

1. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): LFPR, देश की कुल आबादी में से श्रम बल में शामिल लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यहाँ श्रम बल का अर्थ उन लोगों से है जो या तो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिये उपलब्ध हैं।
2. श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio- WPR): WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
3. बेरोज़गारी दर (UR) : इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोज़गार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (The Cabinet Committee on Economic Affairs) ने विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank) द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project) के चरण-II और चरण-III को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

- इस परियोजना की लागत 10,211 करोड़ रुपए है।
- इस परियोजना को लागू करने की अवधि 10 वर्ष (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2031) है और इसमें दो चरण शामिल हैं। प्रत्येक चरण छह वर्षों का होगा। जिसमें दो वर्षों की ओवरलैपिंग (Overlapping) अवधि शामिल है।
- कुल परियोजना लागत में बाहरी वित्तीय निधि 7,000 करोड़ रुपए है और शेष 3,211 करोड़ रुपए, संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों (Implementing Agencies) द्वारा वहन किये जाएंगे।
- केंद्र सरकार का योगदान ऋण देयता के रूप में 1,024 करोड़ रुपए है और केंद्रीय घटक के हिस्से के रूप में प्रतिपक्ष निधि (Counter-Part Funding) के अंतर्गत 285 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

उद्देश्य:

- चयनित मौजूदा बांधों और संबंधित परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रदर्शन में स्थायी रूप से सुधार करना।
- भाग लेने वाले राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा से संबंधित संस्थागत व्यवस्था को मज़बूत करना, और
- कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का पता लगाना, ताकि बांध के स्थायी संचालन और रख-रखाव के लिये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके।

प्रमुख घटक:

- बांधों और संबंधित आश्रयों का पुनर्वास और सुधार।
- प्रतिभागी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों में बांध सुरक्षा संबंधित संस्थागत मज़बूती।
- कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का पता लगाना, ताकि बांध के स्थायी संचालन और रख-रखाव के लिये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति की जा सके, और
- परियोजना प्रबंधन।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति

प्रधानमंत्री इस समिति के प्रमुख होते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:

(i) आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करना।

(ii) देश में आर्थिक रुझानों की समीक्षा करना और सुसंगत तथा एकीकृत नीतिगत ढाँचा विकसित करना।

(iii) छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित तथा ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना।

(iv) संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के लिये मंत्रालयों के प्रस्तावों को शामिल कर औद्योगिक लाइसेंसिंग मामलों का निपटारा करना।

(v) विनिवेश से संबंधित मुद्दों पर विचार करना।

समिति को आवंटित अन्य कार्य इस प्रकार हैं:

(i) विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों पर विचार और फैसला करना है।

(ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करना।

(iii) सामान्य कीमतों की निगरानी करना, आवश्यक और कृषि वस्तुओं की उपलब्धता और निर्यात का आकलन करना तथा कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये कदम उठाना।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना

- मूल रूप से DRIP की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए थी जिसमें राज्य का हिस्सा 1968 करोड़ रुपए और केंद्र का हिस्सा 132 करोड़ रुपए था।
- प्रारंभ में यह परियोजना 6 वर्ष की अवधि के लिये थी। यह 18 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ हुई और इसकी समाप्ति अवधि 30 जून, 2018 थी।
- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में सैद्धांतिक रूप से परियोजना क्रियान्वयन को दो वर्षों का विस्तार देते हुए परियोजना समाप्ति की संशोधित तिथि को 30 जून, 2020 कर दिया गया।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

जिनेवा कन्वेंशन

चर्चा में क्यों ?

जून, 2020 में लद्दाख में गलवान (भारत-चीन) संघर्ष के बाद, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (International Committee for the Red Cross- ICRC) द्वारा भारत एवं चीन दोनों देशों की सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे जिनेवा कन्वेंशन (Geneva Conventions) की शर्तों का पालन करे, जिनके दोनों देश हस्ताक्षरकर्ता हैं।

प्रमुख बिंदु:

- जिनेवा कन्वेंशन (1949) तथा इसके अन्य प्रोटोकॉल वे अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ है जिसमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण नियम शामिल हैं।
- ये संधियाँ/प्रोटोकॉल उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, जैसे- नागरिक, मेडिक्स, सहायता कार्यकर्ता तथा जो युद्ध करने की स्थिति में नहीं होते जैसे- घायल, बीमार और जहाज़ पर सवार सैनिक तथा युद्धबंदी ।
  - पहला जिनेवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान घायल एवं बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  - दूसरा जिनेवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार एवं जहाज़ पर मौजूद सैन्य कर्मियों की सुरक्षा प्रदान करता है।
  - तीसरा जिनेवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए लोगों पर लागू होता है।
  - चौथा जिनेवा कन्वेंशन, कब्जे वाले क्षेत्र सहित नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है।
- जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद-3 सामान्य है जो गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों की स्थितियों को शामिल करता है।
  - इनमें पारंपरिक गृह युद्ध, आंतरिक सशस्त्र संघर्ष शामिल हैं जिनका प्रभाव अन्य राज्यों/देशों तक होता है या वो आंतरिक संघर्ष में शामिल होते हैं जिसमें एक तीसरा राज्य या एक बहुराष्ट्रीय बल, सरकार के साथ हस्तक्षेप करता है।
- वर्ष 1977 के दो प्रोटोकॉल: वर्ष 1949 के चार जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त वर्ष 1977 में दो जिनेवा प्रोटोकॉल को अपनाया गया।
  - ये दोनों प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय और गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों की सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करते हैं एवं युद्ध करने के तरीकों की सीमा निर्धारित करते हैं।
- वर्ष 2005 में, लाल क्रिस्टल (Red Crystal) प्रतीक के रूप में एक तीसरे अतिरिक्त प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। जिसे रेड क्रॉस (Red Cross)और रेड क्रिसेंट प्रतीक/चिन्ह (Red Crescent Emblems) के समान ही अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है।
- रेड क्रॉस के लिये अंतर्राष्ट्रीय समिति (International Committee for the Red Cross-ICRC), एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो इस बात की निगरानी करता है कि हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा संघर्ष की स्थितियों में नियमों का पालन किया जाता है या नहीं।
  - वर्ष 1863 में स्थापित, ICRC विश्व स्तर पर संघर्ष एवं सशस्त्र हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद करता है साथ ही यह युद्ध के दौरान पीड़ितों की रक्षा करने वाले कानूनों को बढ़ावा देता है।
  - यह एक स्वतंत्र और तटस्थ संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा, (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।
  - ICRC मुख्य रूप से सरकारों और राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियों से प्राप्त स्वैच्छिक अनुदान द्वारा वित्त पोषित है।

'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' की तीसरी बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संपन्न 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' (International Solar Alliance-ISA) की तीसरी आभासी बैठक में भारत एवं फ्राँस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।

प्रमुख बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' में शामिल 34 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया है।
- कुल 53 सदस्य देश , 5 हस्ताक्षरकर्ता एवं संभावित सदस्य देशों ने इस आभासी बैठक में भाग लिया।
- 14 अक्तूबर को आयोजित तीसरी आभासी बैठक में भारत और फ्राँस का चुनाव दो वर्ष के कार्यकाल के लिये किया गया है ।
- ISA के चार क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये चार नए उपाध्यक्ष का चुनाव भी इस बैठक में किया गया जो इस प्रकार है:
  - एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में फिजी और नौरु
  - अफ्रीका क्षेत्र के लिये मॉरीशस और नाइजर
  - यूरोप एवं अन्य क्षेत्र के लिये यूके और नीदरलैंड,
  - लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिये क्यूबा और गुयाना, को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।
- इस बैठक में 'असेंबली फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन'(Coalition for Sustainable Climate Action-CSCA) के माध्यम से निजी और सार्वजनिक कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ ISA के संस्थागत रूप को स्थापित करने के लिये ISA सचिवालय की पहल को भी मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
  - भारत के दस सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा इस बैठक में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि प्रदान करने की पेशकश की गई है ।
- पिछले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र ने एक लंबा सफर तय किया है जो अब विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ते ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरा है।
  - वर्तमान में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का लगभग 2.8% योगदान है, और यदि 2030 तक इसके प्रति यही रुझान जारी रहता है, तो सौर ऊर्जा दुनिया के बड़े हिस्से में बिजली उत्पादन के लिये ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत/विकल्प बन जाएगा।

ISA के तहत नई परियोजनाएँ:

- सौर ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए छह कार्यक्रम एवं दो परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
  - ISA के उन सदस्य देशों के लिये जो, आधुनिक ऊर्जा सेवाओं से अभी तक काफी हद तक वंचित है, के लिये प्रकाश, सिंचाई, पीने का पानी एवं उत्पादक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों हेतु 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की एक मज़बूत परियोजना शुरू की गईं हैं।
  - ISA द्वारा 22 सदस्य देशों में 270,000 से अधिक सोलर पंपों की मांग की गई है, 11 देशों में 1 GW से अधिक सोलर रूफटॉप और 9 देशों में 10GW से अधिक सोलर मिनी-ग्रिडों (Solar Mini-grids) की मांग की गई है।
- हाल ही में ISA द्वारा 47 मिलियन होम पॉवर सिस्टम (Home Power Systems) के लिये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं जिससे न केवल ग्रामीण घरों की निर्वाह ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रयोग में आने वाले जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।
- ISA द्वारा विशेष रूप से विकासशील देशों में, नवीकरणीय ऊर्जा के पुनर्निर्देशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है।
- फ्राँस की भागीदारी: ISA के सदस्य देशों में फ्राँस की भागीदारी यह इंगित करती है कि फ्राँस वर्ष 2022 तक ISA के सदस्य देशों में सौर परियोजनाओं के लिये 1.5 बिलियन यूरो के वित्तपोषण के लिये प्रतिबद्ध है जिनमे 1.15 बिलियन यूरो की वित्त परियोजनाओं को ठोस रूप प्रदान करने पर खर्च किया जाएगा।
  - फ्राँस द्वारा विश्व बैंक के साथ वित्त पोषण में सहयोग करने के लिये भी अपना समर्थन दिया गया है।

नोट :

- फ्राँस और यूरोपीय संघ के समर्थन से शुरु 'सतत् नवीकरणीय जोखिम न्यूनीकरण पहल' (Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative-SRMI) जिसे मोजाम्बिक में लॉन्च किया जा रहा है, इससे 10 से अधिक गीगावाट वाली सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये निजी निवेश के माध्यम से 18 बिलियन यूरो जुटाने में मदद मिलेगी।
- ISA के 'स्टार-सी कार्यक्रम' के तहत , 'फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी' (French National Institute for Solar Energy-INES) द्वारा शीघ्र ही प्रशांत के छोटे द्वीप राज्यों के लिये एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

- इस बैठक में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये यूनाइटेड किंगडम (UK) की प्रतिबद्धता को याद किया गया।
- UK द्वारा अगले पाँच वर्षों में कोयले के प्रयोग को समाप्त करने एवं वर्ष 2050 तक सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाने की योजना बनाई गई है।
  - इस बैठक में ISA द्वारा यूके की तीन प्रतिबद्धताओं पर बल दिया गया जिनमें:

1. COP-26 के दौरान एलायंस/गठबंधन के लिये एक मंच प्रदान करना।
2. विश्व सौर बैंक के कार्यान्वयन पर व्यवहार्यता अध्ययन का समर्थन करना।
3. मानव और वित्तीय संसाधन प्रदान करके 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड'(One Sun One World One Grid) पहल के कार्यान्वयन पर ISA सचिवालय की सहायता करना।

अन्य बिंदु:

- ISA समझौते की शुरुआत के बाद पहली बार, सौर क्षेत्रों में कार्य करने वाले देशों के साथ-साथ सौर/सूर्य पर काम करने वाले संस्थानों को भी सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया ।
  - ISA द्वारा सम्पन्न इस बैठक में 'विश्वेश्वरैया पुरस्कारों'(Visvesvaraya Awards) का वितरण किया गया , जो ISA के चार क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम/त्वरित सौर क्षमता वाले देशों को प्रदान किया जाता है।
  - एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिये यह पुरस्कार जापान को एवं यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिये नीदरलैंड को प्रदान किया गया ।
- हरियाणा सरकार द्वारा भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के नाम पर 'कल्पना चावला पुरस्कार' की घोषणा की गई , जिसे आईआईटी दिल्ली (भारत) के भीम सिंह और दुबई बिजली और जल प्राधिकरण (संयुक्त अरब अमीरात) के डॉ शेषेश अलनुआमी को प्रदान किया गया ।
  - यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये दिया गया।
- कर्नाटक सरकार द्वारा भारत रत्न 'एम विश्वेश्वरैया' के नाम पर पुरस्कार वितरण की घोषणा की गई।
  - जिसे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये जापान को तथा यूरोप एवं अन्य क्षेत्र के लिये नीदरलैंड को प्रदान किया गया ।
  - इस पुरस्कार के तहत 12,330 अमेरिकी डॉलर की राशि, एक शॉल और एक प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।
- ISA द्वारा स्थापित 'दिवाकर पुरस्कार' पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय द्वारा 'अर्पन इंस्टीट्यूट' (हरियाणा) और अरुशी सोसाइटी को प्रदान किया गया, इसके अलावा भारत के रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से 25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि को भी प्राप्त किया गया।
  - यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो अलग-अलग लोगों के लाभ/हितों के लिए कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा मेज़बान देश में सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया गया है।

ISA द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- ISA की इस बैठक में 'वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' (World Resources Institute- WRI) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को भी प्रस्तुत किया गया है।
  - प्रस्तुत रिपोर्ट में सौर निवेश को बढ़ावा देने के लिये धन, अवसरों एवं सौर निवेश में आने वाली बाधाओं के स्रोतों की पहचान की गई है तथा ISA के सदस्य देशों में ISA के योगदान को इंगित किया गया।
- वर्ष 2030 तक WRI तथा ISA द्वारा मिलकर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य हेतु रोड मैप/प्रारूप विकसित करने की कदम की सराहना बैठक में की गई।

- इस प्रारूप को विकसित करने के लिये नीदरलैंड (Netherlands), ब्लूमबर्ग फिलनथ्रॉफी (Bloomberg Philanthropies), ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस एंड क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन (Bloomberg New Energy Finance and Climate Works Foundation) आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
- इस प्रारूप के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा परिवहन और हीटिंग एंड कूलिंग में सौर ऊर्जा के उपयोग में निवेश की संभावनाओं का भी विश्लेषण किया जाएगा ताकि 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड'(One Sun, One World, One Grid) के दृष्टिकोण को कार्यान्वित किया जा सके।

ISA CARES की स्थापना:

- वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए ISA द्वारा आईएसए केयर्स (ISA CARES) पहल की स्थापना की गई है जो सबसे कम विकसित देशों, छोटे द्वीपीय विकासशील सदस्य देशों के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिये समर्पित एक पहल है।
  - इस पहल के तहत लक्षित सदस्य देशों के प्रत्येक ज़िले में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाना है।
- ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रही विश्वसनीय सौर ऊर्जा 'आईएसए केयर्स' पहल के लिये 92,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रदान किये गए हैं।
  - इसके द्वारा दूरदराज़ के द्वीप पर रहने वाले समुदायों की महंगे डीज़ल एवं इसके आयात की अनिश्चितता पर निर्भरता कम होगी ।

ISA का महत्त्व:

- वैश्विक स्तर पर कूलिंग एवं हीटिंग यूटिलिटीज़ की बढती मांग को देखते हुए ISA सचिवालय ने सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम पर सातवाँ कार्यक्रम शुरू किया है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर केंद्रित है।
  - वर्ष 2017 में केवल कूलिंग के लिये मौजूदा मांग/सौर ऊर्जा से अधिक दर्ज की गई अत: हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम में प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण का इस्तेमाल करने एवं उच्च दक्षता हासिल करने की गुंजाइश है।
- सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गईं अन्य पहलों में 4.7 करोड़ 'सोलर होम सिस्टम'(Solar Home Systems) एवं ISA सदस्य देशों में अगस्त 2020 में शुरु की गई 25 करोड़ 'एलईडी लैंप'(LED Lamps) वितरित करने की पहल शामिल हैं।

अन्य संगठनों के साथ सहयोग:

- ISA के सदस्य देशों एवं पाँच संभावित सदस्यों के लिये 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सार्क डेवलपमेंट फंड टेक्निकल असिस्टेंस (SAARC Development Fund Technical Assistance) को एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से लागू करने का प्रस्ताव है।
- ISA के 'सोलर पंप कार्यक्रम' के तहत UNDP के साथ साथ मिलकर ISA के सदस्य देशों में 'सोलर वाटर पंप सिस्टम' को कार्यान्वित करने वाली परियोजनाओं के लिये 20 लाख अमेरिकी डॉलर की आईबीएसए फैसिलिटी टेक्निकल असिस्टेंस (IBSA Facility Technical Assistance) उपलब्ध कराने का प्रावधान।

ISA और उसकी सदस्यता:

- वर्ष 2019 में आयोजित ISA के दूसरे सम्मेलन के बाद से ISA के सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
  - ISA को अब तक 68 सदस्य देश अपना समर्थन दे चुके हैं तथा 20 अन्य देश सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया में शामिल हैं।
- हाल ही में ISA द्वारा विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  - इस समझौते के तहत ISA, विश्व बैंक एवं भारत सरकार तीनों एक साथ मिलकर 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' पहल के सक्रिय कार्यान्वयन में शामिल हैंI
- वर्ष 2020 में ISA सचिवालय ने 'संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन' (United Nations Industrial Development Organization- UNIDO) के साथ मिलकर काम करते हुए 'आईएस सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकेशन रिसोर्स सेंटर' (ISA Solar Technology and Application Resource Centre- ISA STAR C) नेटवर्क के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया है

नोट :

ISA के बारे में:

- ISA भारत के प्रधानमंत्री और फ्रॉंस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्रॉंस की राजधानी पेरिस में आयोजित कोप-21 (COP-21) के दौरान शुरू की गई पहल है।
- ISA का उद्देश्य ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकलना है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय लागत एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिये आवश्यक संयुक्त प्रयास करना, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पाद के लिये आवश्यक निवेश जुटाना तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिये उचित मार्ग तैयार करना है।
- वर्तमान में ISA उन परिस्थितियों एवं योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन की स्थिति में है जिनके द्वारा सौर ऊर्जा में बड़े पैमाने पर पर निवेश करना संभव है तथा जिनके द्वारा सौर उर्जा के अनुप्रयोगों में आसानी हो।
- ISA को वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है।
- ISA का पहला सम्मेलन 2 से 5 अक्तूबर, 2018 में ग्रेटर नोएडा (भारत) में आयोजित किया गया था। उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किया गया था।
- ISA के दूसरे सम्मेलन का आयोजन 30 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2019 तक नई दिल्ली(भारत) में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में 78 देशों ने भाग लिया था।
- ISA के तीसरे सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल/आभासी तरीके से 14 से 16 अक्तूबर, 2020 के दौरान हो रहा है।

आगे की राह:

- दूसरे सम्मेलन के बाद से ISA द्वारा 'स्टार सी परियोजना'(STAR-C project) का संचालन शुरू किया गया जिसमें 'स्टार सी परियोजना' को रेखांकित करने वाले परिचालन ढाँचे एवं परियोजना दस्तावेज़ को विकसित करने के लिये 'संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन' के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है।
- इसके अलावा 25 से 27 फरवरी 2020 तक पेरिस में ISA, स्टार सी परियोजना के विकास पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी मेजबानी फ्रॉंस सरकार द्वारा की गई।
- COVID-19 के दौरान ISA सदस्यों के क्षमता विकास में मदद करने के लिये 'स्टार सी वेबिनार-द सोलिनर्स' (STAR C Webinars-The Solinars) के लिये कार्यक्रम और सत्रों को तैयार किया गया। इसके तहत अब तक लगभग 450 लोगों से संपर्क किया जा चुका है।

पाकिस्तान UNHRC के लिये फिर से निर्वाचित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान को 1 जनवरी, 2021 को शुरू होने वाले 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद' (United Nations Human Rights Council- UNHRC) के तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये एक सदस्य के रूप में पुन: निर्वाचित किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पाकिस्तान वर्तमान में 1 जनवरी, 2018 से इस संस्थान में सेवा दे रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्तमान में UNHRC के 47 सदस्य हैं और सीटों का बँटवारा भोगौलिक आधार पर होता है। हाल ही में परिषद में कुल पंद्रह सदस्य देश चुने गए हैं, जिनमें से रूस और क्यूबा निर्विरोध चुने गए है। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र से चुने गए हैं।
- पाकिस्तान को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर मानवाधिकार कार्यकर्त्ता समूहों द्वारा किये जाने वाले विरोध के बावजूद फिर से चुना गया है।
    - यह पाँचवीं बार है जब पाकिस्तान को UNHRC के लिये चुना गया है।
- ब्रिटिश सरकार के 'विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय' की 'मानवाधिकार और लोकतंत्र' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में पाकिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए थे।

- इसमें नागरिक स्थानों/सिविल स्पेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, असहिष्णुता, अल्पसंख्यकों के प्रति प्रत्यक्ष एवं खुले भेदभाव जैसे मामले शामिल हैं।

चिंता के विषय:

संदिग्ध रिकॉर्ड वाले देश:

- मानव अधिकारों के संबंध में संदिग्ध रिकॉर्ड रखने वाले कई देशों का UNHRC में निर्वाचित होना, परिषद में प्रवेश की वर्तमान प्रणाली में सुधार की आवश्यकता उजागर करता है।
- चीन और रूस जैसे देशों का परिषद में चुनाव UNHRC की गरिमा को नुकसान पहुँचाता है। यह 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति' की आंतरिक संरचना और उसकी बाहरी भूमिका दोनों स्थितियों में लागू है।

गैर-प्रतिस्पर्द्धी चुनाव:

- विपक्ष के बिना परिषद के सदस्यों का चुनाव भी एक प्रमुख समस्या है। उदाहरण के लिये पूर्वी यूरोपीय समूह में दो सीटें उपलब्ध थीं लेकिन उन पदों को भरने के लिये केवल दो देशों को नामांकित किया गया था, जिसका मतलब है कि इन स्थानों के लिये कोई प्रतियोगिता नहीं थी। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रीय समूहों में सदस्य देश निर्विरोध चुने गए थे।

अन्य पक्ष:

- संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों के चुनाव के साथ कुछ सकारात्मक पहलू भी जुड़े हैं। संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों का परिषद के लिये चुने जाने की एक सिल्वर लाइनिंग है- "मानवाधिकारों के प्रति अभिभावक के रूप में उनकी स्थिति उनके अपने स्वयं के मानवाधिकारों के हनन को छिपाना कहीं अधिक कठिन बनाती है।"

आगे की राह:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2018 में UNHRC के संबंध में अप्रभावशीता और पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है। भारत के लिये यह एक परीक्षण का समय है क्योंकि पाकिस्तान को मानवाधिकारों के बारे में संदिग्ध स्थिति के बावजूद फिर से चुना गया है।
- भारत वैश्विक शासन संस्थानों का सम्मान करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सिद्धांतों को आधार बनाकर बिना उचित कारणों के सदस्यता छोड़ने के बजाय ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने तथा सुधारों का समर्थन करता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC):

- UNHRC की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी, जिसका मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- सदस्यों का चुनाव तीन वर्षों की अवधि के लिये किया जाता है, जिसमें अधिकतम दो कार्यकाल लगातार हो सकते हैं।

उद्देश्य:

- दुनिया भर में मानवाधिकारों का प्रचार करना और उनकी रक्षा करना, साथ ही साथ कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना।

विशेषताएँ:

- UNHRC में 5 समूहों से क्षेत्रीय समूह के आधार पर तीन वर्ष के लिये 47 सदस्य चुने गए हैं।

सदस्यता:

- सदस्य बनने के लिये एक देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 191 देशों में से कम -से-कम 96 देशों (पूर्ण बहुमत) के मत प्राप्त करने आवश्यक हैं।
- संकल्प 60/251 के अनुसार, जिसके तहत परिषद का निर्माण किया गया था, के अनुसार, परिषद सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुमत द्वारा सीधे गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है।
- सदस्यता को भौगोलिक रूप से समान रूप से वितरित किया गया है।

नोट :

सदस्यता के लिये पाँच क्षेत्रीय समूह:

- अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप।

सत्र:

- मार्च, जून और सितंबर में तीन बार नियमित सत्र आयोजित किये जाते हैं।

महत्त्व:

- परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की 'सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा' (Universal Periodic Review) की जाती है, जो 'नागरिक समाज समूहों' को सदस्य देशों द्वारा किये जाने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को संयुक्त राष्ट्र के ध्यान में लाने का अवसर देता है।

थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

थाईलैंड में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनज़र थाईलैंड की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मीडिया पर भी सेंसरशिप लागू कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा लागू किये गए आपातकालीन प्रतिबंधों को खारिज करते हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों को जारी रखने का आह्वान किया है।

आंदोलन की शुरुआत- कारण

- असल में थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत वर्ष 2019 में तब हुई थी, जब थाईलैंड की अदालत ने वहाँ के प्रधानमंत्री और पूर्व आर्मी चीफ प्रयुत चान-ओ-चा की सत्ता का विरोध कर रही 'फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी' पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- जब वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस ने महामारी का रूप लिया तो इसके प्रसार को रोकने के लिये विरोध प्रदर्शनों को भी रोक दिया गया, किंतु जुलाई ये प्रदर्शन एक बार फिर तेज़ होने लगे और देश भर में छात्र इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने लगे।
- हालाँकि इन्हें थाईलैंड में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का तात्कालिक कारण ही माना जा सकता है, जबकि इन विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण तो थाईलैंड की तख्तापलट की संस्कृति में छिपा हुआ है।

आंदोलन की पृष्ठभूमि

- थाईलैंड की जनता के वर्तमान असंतोष को वर्ष 2014 में हुए सैन्य तख्तापलट से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व आर्मी चीफ प्रयुत चान-ओ-चा (Prayut Chan-O-Cha) थाईलैंड की सत्ता के शीर्ष पर पहुँचे थे।
- आर्मी चीफ प्रयुत चान-ओ-चा के सत्ता में आने के बाद से वे लगातार अपनी पकड़ को मज़बूत करने का प्रयास कर रहे हैं और आम जनता पर अधिक-से-अधिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।
  - कई सरकार विरोधी कार्यकर्त्ता, जो कि तख्तापलट के दौरान थाईलैंड के पड़ोसी देशों में चले गए थे, अब लापता हो गए हैं और किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं है।
- वर्ष 2017 में प्रयुत चान-ओ-चा के नेतृत्त्व में सेना ने एक नया संविधान पेश किया, जिसने सेना को 250 सदस्यीय सीनेट नियुक्त करने की शक्ति दी और यह थाईलैंड के प्रधानमंत्री के चयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
  - इसके अलावा थाईलैंड के राजा की विदेश यात्रा के दौरान एक राज-प्रतिनिधि नियुक्त करने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई।
- वर्ष 2019 में थाईलैंड में संसदीय चुनावों का भी आयोजन किया गया था, लेकिन सत्ता की कमान फिर भी पूर्व आर्मी चीफ प्रयुत चान-ओ-चा के पास ही रही।
- इस तरह सरकार में सेना के बढ़ते प्रभाव के परिणामस्वरूप आम जनता के बीच सैन्य तानाशाह को लेकर आक्रोश बढ़ता गया।

प्रदर्शनकारियों की मांग

- अगस्त माह में प्रदर्शनकारियों ने थाईलैंड के राजतंत्र में सुधार का आह्वान किया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा राजतंत्र में सुधार करने और सही मायने में लोकतंत्र स्थापित करने के लिये 10 मांगों की एक सूची जारी की गई, जिसमें शामिल हैं-
  - संविधान के अनुच्छेद 6 को निरस्त करना, जो यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति थाईलैंड के राजा के बारे में कानूनी शिकायत नहीं कर सकता है। साथ ही राजा की शक्तियों पर 'चेक एंड बैलेंस' की प्रणाली लागू करने के लिये संसद को शक्ति प्रदान करना।
  - संविधान के अनुच्छेद 112 (यानी 'लेज़ मेजस्टे' कानून) को समाप्त करना, जिसमें कहा गया है कि कोई भी राजा, रानी अथवा उनके उत्तराधिकारी की आलोचना नहीं कर सकता है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3-15 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। इस तरह लोगों को राजतंत्र की आलोचना करने के लिये स्वतंत्रता प्रदान करना।
  - राजा की व्यक्तिगत संपत्ति को शाही बजट से अलग करना, जो कि थाईलैंड के करदाताओं का धन है।
  - देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार शाही बजट में कटौती करना।
  - अनावश्यक निकायों जैसे- प्रिवी काउंसिल (Privy Council) को समाप्त करना, साथ ही राजा की सैन्य शक्तियों को समाप्त करना।
  - शाही खर्च की निगरानी के लिये 'चेक एंड बैलेंस' की प्रणाली लागू करना।
  - यह निर्धारित करना की राजा अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को सार्वजनिक नहीं करेगा।
  - राजशाही को आवश्यकता से अधिक आदर्श बताने वाले शैक्षिक पाठ्यक्रम को समाप्त करना।
  - ऐसे नागरिकों की हत्या के मामलों की जाँच करना जो राजशाही की आलोचना से संबंधित हैं।
  - राजा सैन्य तख्तापलट का समर्थन नहीं करेगा।
- इसके अलावा थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा वहाँ के प्रधानमंत्री और पूर्व आर्मी चीफ प्रयुत चान-ओ-चा के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की भी मांग कर रहे हैं।

थाईलैंड की तख्तापलट संस्कृति

- विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई देश एक बार तख्तापलट का सामना करना करता है तो वहाँ भविष्य में तख्तापलट की संभावना काफी बढ़ जाती है।
- आँकड़ों की मानें तो थाईलैंड में वर्ष 1932 के बाद से अब तक कुल 13 सफल और 9 असफल सैन्य तख्तापलट हुए हैं।
- इस प्रकार थाईलैंड में तख्तापलट की संस्कृति विकसित हो गई है, यानी अब थाईलैंड में प्रत्येक राजनीतिक संकट को हल करने के लिये तख्तापलट को एक विकल्प के रूप में देखा जाता है।
- कारण
  - थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट का इतिहास बताता है कि यहाँ के सैन्य प्रमुखों के लिये तख्तापलट काफी कम जोखिम वाली गतिविधि है और तख्तापलट करने वाले किसी भी सैन्य प्रमुख पर कभी कोई कार्यवाही नही होती है।
  - थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट का एक मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ तख्तापलट करने वाले लोगों को बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और प्रतिष्ठित लोगों का काफी समर्थन मिलता है, उदाहरण के लिये थाईलैंड के वर्तमान राजा पर वर्ष 2014 में तख्तापलट करने वाले पूर्व आर्मी चीफ प्रयुत चान-ओ-चा को समर्थन देने का आरोप लगाया जाता है।

थाईलैंड के बारे में

- दक्षिण-पूर्व एशिया के केंद्र में स्थित थाईलैंड एक विविध पारिस्थितिक तंत्र वाला देश है, जहाँ पहाड़ी वन क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाके, पठार और समुद्री तट तक सब कुछ पाया जाता है।
- तकरीबन 5,13,115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस देश की आबादी लगभग 69 मिलियन है।
- थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यह एक बहु-जातीय राष्ट्र है, हालाँकि यहाँ अधिकांशत: बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं।
- 'थाई' (Thai) थाईलैंड की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा है।

इज़राइल-बहरीन शांति समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इज़राइल और बहरीन ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिये हैं। ध्यातव्य है कि बहरीन ने सितंबर माह में इज़राइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि बहरीन, इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करने वाला अरब जगत का चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व अगस्त माह में इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक 'द अब्राहम एकॉर्ड (The Abraham Accord) के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी।
- वहीं इससे पूर्व मिस्र ने वर्ष 1979 में तथा जॉर्डन ने वर्ष 1994 में इज़राइल के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किये थे।

इज़राइल-बहरीन शांति समझौता

- इस समझौते के अनुसार, बहरीन और इज़राइल एक-दूसरे के देश में अपने दूतावास स्थापित करने के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा समेत कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- इस दौरान इज़राइली पक्ष ने कहा कि इज़राइल, बहरीन के विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा और दोनों देशों के राजनयिकों को वीज़ा संबंधी आवश्यकताओं में छूट प्रदान की जाएगी।

कारण

- यद्यपि सऊदी अरब, जो कि अरब जगत का एक महत्त्वपूर्ण देश है, ने स्पष्ट कहा है कि वह इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करने के पक्ष में नहीं है, किंतु अधिकांश विश्लेषक मानते हैं कि सऊदी अरब के बिना बहरीन और इज़राइल के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता पूरा नहीं हो सकता है।
- इस तरह ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता को इस राजनयिक घटनाक्रम का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है।
  - ईरान-सऊदी अरब विवाद: धार्मिक मतभेद के कारण अस्तित्व में आए एक दशक पूर्व विवाद, जिसमें ईरान स्वयं को शिया मुस्लिम शक्ति और सऊदी अरब स्वयं को सुन्नी मुस्लिम शक्ति के रूप में देखता है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत के दौरान सऊदी अरब ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिये बहरीन में अपने सैनिक भेजे थे। जानकार मानते हैं कि इस समझौते से बहरीन को अपनी राजशाही सत्ता बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी।

समझौते के निहितार्थ

- यद्यपि विशेषज्ञ मानते हैं कि अरब जगत के देशों के साथ इज़राइल के संबंध इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं, किंतु यह समझौता इज़राइल और अरब जगत के संबंधों को एक नया रूप देने की दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- इज़राइल और बहरीन के बीच हुए समझौते को 'स्थायी सुरक्षा तथा समृद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

अरब जगत और इज़राइल के संबंध

- वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इज़राइल की घोषणा कर दी और इज़राइल एक देश बन गया, इसके परिणामस्वरूप आस-पास के अरब राज्यों (इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया) ने इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के अंत में इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
- इसके पश्चात् दोनों देशों के मध्य संघर्ष तेज़ होने लगा और वर्ष 1967 में प्रसिद्ध 'सिक्स डे वॉर' (Six-Day War) हुआ, जिसमें इज़राइली सेना ने गोलन हाइट्स, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक तथा पूर्वी येरुशलम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया।
- इसके बाद अरब देशों ने खार्तूम में आयोजित बैठक में 'तीन नकारात्मक सिद्धांत' (Three Nos)' का प्रस्ताव पेश किया जिसके अंतर्गत 'इज़राइल के साथ कोई शांति नहीं, इज़राइल के साथ कोई वार्ता नहीं और इज़राइल को किसी प्रकार की मान्यता नहीं' का प्रावधान था।
  - हालाँकि इस सिद्धांत को दरकिनार करते हुए मिस्र तथा जॉर्डन ने इज़राइल के साथ संबंध स्थापित कर लिये।

- वर्ष 2000 में दूसरा इंतिफादा (Intifida) अर्थात सैन्य संघर्ष हुआ, इसमें इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा शुरू हो गई, जिसके बाद अरब जगत और इज़राइल के बीच संबंध और भी खराब हो गए।
- हालाँकि बीते कुछ वर्षों में अरब जगत और इज़राइल के संबंधों में काफी हद तक सुधार दिखाई दे रहा है। इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करने में मुख्यत: वे देश शामिल हैं, जो ईरान को एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं।
  - वर्ष 2015 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency) में इज़राइल को शामिल होने की अनुमति दी थी।
  - गाज़ा में हमास (Hamas) के प्रभुत्त्व वाले क्षेत्र में संघर्ष विराम के लिये कतर ने इज़राइल के साथ मिलकर कार्य किया है।
  - वर्ष 2018 में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ओमान की यात्रा की थी।

अरब जगत और इज़राइल के संबंधों का महत्त्व

- अरब जगत के लिये
  - इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करने वाले खाड़ी देशों के लिये इज़राइल इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की घटती भूमिका के विरुद्ध एक बचाव की तरह है।
  - साथ ही अरब जगत के देशों के लिये इज़राइल, आधुनिक तकनीक के साथ आर्थिक तौर पर समृद्ध एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हो सकता है।
- इज़राइल के लिये
  - इज़राइल के लिये खाड़ी देशों के साथ संबंध स्थापित करना, इस क्षेत्र में अपने अलगाव को कम करने का एक प्रयास है। इसके अलावा इज़राइल अरब देशों के साथ संबंध स्थापित कर 'अरब बनाम इज़राइल' के युद्ध को 'अरब बनाम ईरान' युद्ध के रूप में परिवर्तित करना चाहता है।

भारत की भूमिका

- हाल के वर्षों में भारत और खाड़ी देशों के संबंधों में बहुत सुधार देखने को मिला है, साथ ही इज़राइल के साथ भी रक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भारत ने बड़ी साझेदारी की है।
- खाड़ी क्षेत्र के देश, ऊर्जा (खनिज तेल) और प्रवासी कामगारों हेतु रोज़गार की दृष्टि से भारत के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इस समझौते से क्षेत्र में स्थिरता के प्रयासों को बल मिलेगा जो भारत के लिये एक सकारात्मक संकेत है।
- इस समझौते से खाड़ी क्षेत्र के देशों में भारत की राजनीतिक पकड़ और अधिक मज़बूत होगी।

आगे की राह

- माना जा रहा है कि इस समझौते के कारण खाड़ी क्षेत्र के अन्य देश भी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन का अनुसरण कर इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
- इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिये शिया और सुन्नी तथा फारसियों (Persian) एवं अरब के बीच संतुलन को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होगा।
- भारत को इस क्षेत्र के उभरते बाज़ार में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास एवं ऑस्ट्रेलिया

चर्चा में क्यों?

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि मालाबार, 2020 नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा।

प्रमुख बिंदु:

- मालाबार, 2020 में क्वाड समूह (Quad Group) के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया की नौसेनाएँ एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी।
- अगस्त 2020 में रक्षा मंत्रालय की एक महत्त्वपूर्ण बैठक में ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।
- भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है और इसी आलोक में ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग के चलते मालाबार, 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की भागीदारी होगी।
- मालाबार, 2020 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन नवंबर के अंत में किया जाना है और अक्तूबर के अंत में अभ्यास के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिये एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।
- यह औपचारिक रूप से क्वाड समूह के चार देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाएगा।

ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया:

- ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया नौसैनिक अभ्यास मालाबार, 2020 में भाग लेगा। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता को बढ़ाएगा ताकि शांति और स्थिरता कायम रहे।
- ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय के अनुसार, मालाबार जैसे उच्च-स्तरीय नौसैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया की समुद्री क्षमता को बढ़ाने, एक खुले और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करने तथा सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

पूर्व आयोजन:

- यह वार्षिक नौसेना अभ्यास वर्ष 2018 में फिलीपींस के गुआम तट पर और वर्ष 2019 में जापान में आयोजित हुआ था।
- इस वर्ष मालाबार नौसैनिक अभ्यास को 'समुद्र में बिना संपर्क' (Non-Contact - at Sea) प्रारूप (Theme) पर आयोजित किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने से संबंधित मुद्दा:

- 6 अक्तूबर, 2020 को टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल करने पर चर्चा हुई थी। तब भारत ने सकारात्मक संकेत दिये थे, लेकिन चीन ने इस पर ऐतराज जताया था।
- चीन द्वारा अनिच्छा प्रकट किये जाने के बाद भी भारत ने कहा कि मालाबार नौसेनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के प्रवेश के लिये द्वार खुले हैं।
- ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2007 में एक बार अभ्यास में शामिल हुआ था लेकिन चीन की आपत्तियों के बाद वह इससे अलग हो गया था। तब ऑस्ट्रेलिया ने इस अभ्यास में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने के लिये अनुरोध किया।
- तब भारत भी ऑस्ट्रेलिया के अनुरोध को स्वीकार करने का अनिच्छुक था, परंतु वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग काफी बढ़ गया है।
- यह नौसैनिक अभ्यास भारत द्वारा अमेरिका के साथ चार मूलभूत समझौतों में से तीन पर हस्ताक्षर करने और अमेरिका से रक्षा खरीद बढ़ाने, अंतर-क्षमता को सक्षम करने के क्षेत्र में आगे बढ़ा है।
- जापान और अमेरिका भी मालाबार, 2020 में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिये भारत पर दबाव डाल रहे हैं।
- भारत और जापान के साथ सितंबर में एक सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अब भारत के अन्य क्वाड राष्ट्रों के साथ इस तरह के समझौते हैं।
- भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' (Maritime Domain Awareness- MDA) के लिये समुद्री सूचना साझाकरण समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं और इसी तरह के समझौते के लिये अमेरिका के साथ चर्चा चल रही है।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास

- मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत-अमेरिका-जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है।

नोट :

- मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी।
- वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाले अन्य अभ्यास पिच ब्लैक और AUSINDEX हैं।

न्यू स्टार्ट संधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने फरवरी 2021 में समाप्त हो रही संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य हुई न्यू स्टार्ट संधि (New START-Strategic Arms Reduction Treaty) में एक वर्ष का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- न्यू स्टार्ट संधि:
  - नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (Strategic Arms Reduction Treaty- START) संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है।
  - यह संधि 5 फरवरी, 2011 को लागू हुई थी।
  - यह नई स्टार्ट संधि शीत युद्ध के अंत में वर्ष 1991 में हुई स्टार्ट संधि की अनुवर्ती है। वर्ष 1991 की संधि दोनों पक्षों के लिये रणनीतिक परमाणु वितरण वाहनों की संख्या को 1,600 और वारहेड्स की संख्या को 6,000 तक सीमित करती है।
    - न्यू स्टार्ट संधि ने वर्ष 1991 की स्टार्ट-1 (Strategic Arms Reduction Treaty-1) को प्रतिस्थापित किया था। इसके अलावा इसने वर्ष 2002 की सामरिक आक्रामक कटौती संधि (Strategic Offensive Reductions Treaty-SORT) को भी समाप्त कर दिया था।
  - यह 700 रणनीतिक लॉन्चर और 1,550 ऑपरेशनल वारहेड्स की मात्रा को दोनों पक्षों के लिये सीमित कर अमेरिकी और रूसी रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार को कम करने की द्विपक्षीय प्रक्रिया को जारी रखती है।
  - यदि इस संधि को पाँच वर्ष की अवधि के लिये विस्तारित नहीं किया जाता है तो यह संधि फरवरी 2021 में व्यपगत हो जाएगी।
- हालिया प्रस्ताव:
  - रूस ने इस संधि को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के निष्क्रिय व्यवहार संबंधी चिंताओं के मद्देनज़र यह प्रस्ताव रखा है।
  - गौरतलब है कि वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ 'मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि' (Intermediate-Range Nuclear Force Treaty- INF Treaty) को भी निलंबित कर दिया है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका 2 अगस्त, 2019 को इस संधि से बाहर हो गया।

मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि (INF Treaty):

- वर्ष 1987 में हुई यह संधि अमेरिका और यूरोप तथा सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती है।
- यह संधि अमेरिका तथा रूस की 300 से 3,400 मील दूर तक मार करने वाली ज़मीन से छोड़ी जाने वाले क्रूज मिसाइल के निर्माण को प्रतिबंधित करती है। इसमें ज़मीन आधारित सभी मिसाइलें शामिल हैं।
- वर्ष 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनके तत्कालीन यूएसएसआर समकक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं करने के लिये INF संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
- यह संधि प्रतिबंधित परमाणु हथियारों और गैर-परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग को रोकती है किंतु अमेरिका की नाराज़गी रूस की एसएस-20 की यूरोप में तैनाती के कारण थी। इसकी रेंज 500 से 5,500 किलोमीटर तक है।
- इस संधि के तहत वर्ष 1991 तक करीब 2700 मिसाइलों को नष्ट किया जा चुका है। इस संधि के तहत दोनों देश एक-दूसरे की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती पर नज़र रख सकते हैं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्ष: संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि किसी भी प्रतिस्थापन संधि में चीन को शामिल किया जाना चाहिये।
- साथ ही संधि में रूस के न सिर्फ 'स्ट्रैटेजिक' (Strategic) हथियारों (जिन्हें न्यू स्टार्ट के तहत शामिल किया गया) को बल्कि रूस के छोटे 'टैक्टिकल' (Tactical) परमाणु हथियारों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
  - रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया और चीन ने भी इस वार्ता में भाग लेने से इनकार कर दिया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार को लेकर रूस के हालिया प्रस्ताव पर बातचीत के लिये सहमति व्यक्त की है।

आगे की राह:

- दोनों पक्षों के वार्ताकारों को अभी भी एक सत्यापन प्रणाली पर कार्य करने और एक वारहेड की विस्तृत परिभाषा पर सहमति बनाने की आवश्यकता है।
- यदि इस संधि को विस्तारित या प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है तो दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियाँ उस दौर में वापस लौट आएंगी जहाँ शस्त्रागार पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
- इस संधि के विस्तार से अमेरिका-रूस संबंधों में एक नया मोड़ आएगा जो वैश्विक शांति के लिये अहम साबित होगा।
- न्यू स्टार्ट के विस्तार को लेकर प्रस्तावित समय का उपयोग भविष्य में परमाणु मिसाइल हथियारों पर नियंत्रण के लिये द्विपक्षीय वार्ता करके एक व्यापक रणनीति बनाने में किया जा सकता है।

भारत-ताइवान संबंध और चीन

चर्चा में क्यों?

ऐसी खबरों के बीच कि भारत, ताइवान के साथ एक व्यापारिक समझौते पर विचार-विमर्श शुरू करना चाह रहा है, चीन ने भारत से ताइवान संबंधी मुद्दों पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने को कहा है, क्योंकि ताइवान चीन का एक अभिन्न अंग है।

प्रमुख बिंदु

- चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत और ताइवान व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
  - उल्लेखनीय है कि भारत और ताइवान ने पहले से ही वर्ष 2018 में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- यद्यपि भारत और ताइवान के बीच औपचारिक संबंध नहीं हैं, किंतु बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का काफी विस्तार हुआ है और ताइवान की कंपनियाँ भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं।

भारत-ताइवान संबंध

- राजनीतिक संबंध
  - 1990 के दशक में जब भारत ने 'लुक ईस्ट पॉलिसी' की शुरुआत की तो भारत और ताइवान के संबंधों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, साथ ही धीरे-धीरे वीज़ा प्रतिबंधों में भी छूट दी जाने लगी।
  - वर्ष 1995 में दोनों देशों ने एक-दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किये, जैसे- ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया (TECC) और भारत-ताइपे एसोसिएशन (ITA) आदि।
  - उल्लेखनीय है कि हाल ही में ताइवान ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज में लगे चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा के लिये भारत को 1 मिलियन फेस मास्क प्रदान किये थे।
- व्यापार
  - बीते दो दशकों में भारत-ताइवान संबंधों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, जहाँ एक ओर वर्ष 2000 में भारत और ताइवान के बीच कुल 1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, वहीं वर्ष 2019 में यह बढ़कर 7.5 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है।
  - अपनी कंपनियों के माध्यम से वर्ष 2018 में ताइवान ने भारत में तकरीबन 360 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। साथ ही ताइवान ने भारत के साथ अपने निवेश और व्यापार को बढ़ाने के लिये प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
    - भारत-ताइवान के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 2018 में हुई थी, जब ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया (TECC) और भारत-ताइपे एसोसिएशन (ITA) ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
    - साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त बैठकें तथा अकादमिक सेमिनार वार्षिक तौर पर आयोजित किये जाते हैं।
- शिक्षा
    - ताइवान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि वर्तमान में ताइवान में तकरीबन 100,000 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें तकरीबन 2,398 छात्र भारत से हैं। वर्तमान में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 7 ताइवान शिक्षा केंद्र (TEC) स्थापित किये गए हैं, जिनमें ताइवान के 13 शिक्षक मंदारिन भाषा पढ़ाते हैं।
    - अब तक लगभग 5000 भारतीय छात्रों ने भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थापित ताइवान शिक्षा केंद्रों (TECs) में मंदारिन भाषा की शिक्षा प्राप्त की है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान
    - बीते कुछ वर्षों में भारत-ताइवान के सांस्कृतिक संबंधों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत के प्रमुख फिल्म समारोहों में प्रतिवर्ष ताइवान की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है और साथ ही ताइवान के प्रसिद्ध कला समूहों को भारत में प्रदर्शन के लिये आमंत्रित किया जाता रहा है।

चीन-ताइवान विवाद

- चीन और ताइवान के बीच सबसे बड़ा विवाद आधिकारिक पहचान को लेकर है, जहाँ एक ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' के लिये आधिकारिक मान्यता चाहती है, वहीं ताइवान के लोग 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' के लिये आधिकारिक मान्यता चाहते हैं।
    - उल्लेखनीय है कि विश्व के अधिकांश देश 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (PRC) को तो मान्यता देते हैं लेकिन 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (RC) को मान्यता देने वाले देशों की संख्या काफी कम है।
- इसके अलावा चीन का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ताइवान को चीन के अभिन्न अंग के रूप में देखता है, इस वर्ग को 'एक चीन नीति' (One-China Policy) का समर्थक माना जाता है।
    - इस समूह के अनुसार, ताइवान चीन का अभिन्न अंग है और जो लोग 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त करने होंगे।
    - इस नीति के समर्थक मानते हैं कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है और कुछ समय के लिये चीन से अलग हो गया है तथा जल्द ही इसे कूटनीतिक अथवा सैन्य माध्यम से चीन में शामिल कर लिया जाएगा।

भारत के लिये ताइवान का महत्त्व

- ध्यातव्य है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के उन 179 सदस्य देशों में से एक है जिसने ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया है। हालाँकि ताइवान के महत्त्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि भारत समेत विश्व के तकरीबन 80 देश ऐसे हैं, जिन्होंने ताइवान के साथ अनौपचारिक और आर्थिक संबंध स्थापित किये हुए हैं।
- अमेरिका द्वारा चीन को रणनीतिक रूप से पछाड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और इन्हीं प्रयासों के तहत अमेरिका ताइवान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रयास कर रहा है। इस प्रकार संभव है कि भविष्य में ताइवान, पूर्वी एशिया में चीन का मुकाबला करने हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
    - यदि ऐसा होता है तो यह भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।

- अमेरिका-चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध, ताइवान को चीन में स्थापित अपनी विनिर्माण इकाइयों को दक्षिण-पूर्व एशिया तथा भारत आदि में स्थानांतरित करने पर विचार के लिये मजबूर कर रहा है।
    - हालाँकि चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की शुरुआत से पूर्व ही ताइवान ने वर्ष 2016 में 'न्यू साउथबाउंड पॉलिसी' (New Southbound Policy) की घोषणा की थी।
    - इस पॉलिसी का उद्देश्य 10 आसियान (ASEAN) देशों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और भारत के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करना है।
- विश्व भर में ताइवान को एक 'टेक पावरहाउस' के रूप में जाना जाता है, हालाँकि घटती जन्म दर और प्रवासन में वृद्धि के कारण ताइवान में कुशल श्रमिकों का अभाव रहा है तथा ताइवान समय-समय पर कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने का प्रयास भी करता रहा है।
    - ऐसे में ताइवान में कुशल श्रमिकों की मांग भारत के लिहाज़ से काफी महत्त्वपूर्ण हो सकती है। आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में ताइवान में मात्र 2000 भारतीय कार्य कर रहे हैं, यदि इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो यह भारत के युवाओं खासतौर पर तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिये काफी महत्त्वपूर्ण अवसर हो सकता है।

भारत-चीन-ताइवान

- चीन हमेशा से ही ताइवान के साथ किसी अन्य देश के संबंधों का विरोध करता आया है। उसका मानना है कि चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले सभी देशों को 'एक चीन नीति' का सख्ती से पालन करना होगा।
- हालाँकि इसके बावजूद इंडो-पैसिफिक एवं पूर्वी एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने भारत तथा ताइवान के संबंधों को और मज़बूत करने का कार्य किया है, क्योंकि इसमें दोनों ही देशों के रणनीतिक हित शामिल हैं।
- इसके माध्यम से जहाँ ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को और मज़बूत करने का प्रयास कर सकता है, तो वहीं भारत इसके द्वारा दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा इस क्षेत्र में अपनी तेल एवं गैस की खोज गतिविधियों को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है।
- ताइवान स्वयं को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के एक महत्त्वपूर्ण सदस्य के तौर पर देखता है और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता तथा समृद्धि में योगदान करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है, जो कि इस क्षेत्र के लिये भारत के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है।

ताइवान के बारे में

- ताइवान पूर्वी एशिया का एक द्वीप है, जिसे चीन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक विद्रोही क्षेत्र के रूप में देखती है।
- तकरीबन 36,197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप की आबादी 23.59 बिलियन के आस-पास है। ताइवान की राजधानी ताइपे है जो कि ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित है।
- जहाँ एक ओर चीन में एक-दलीय शासन व्यवस्था है, वहीं ताइवान में बहु-दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
- मंदारिन (Mandarin) ताइवान में राजकार्यों की भाषा है।

आगे की राह

- भारत को ताइवान के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में चीन की 'एक चीन नीति' को एक बाधा के रूप में देखना बंद करना होगा, क्योंकि चीन भी इसी प्रकार की नीति का अनुसरण करते हुए अपनी महत्त्वाकांक्षी परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है।
- इसलिये भारत को भी एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ताइवान के साथ अपने संबंधों में यथासंभव बढ़ोतरी के प्रयास करने चाहिये।

यूरेनियम आपूर्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy-DAE) ने प्रस्तावों की व्यवहार्यता की कमी (Lack of Viability of the Proposals) का हवाला देते हुए भारत को यूरेनियम अयस्क की आपूर्ति शुरू करने वाली दो ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को रद्द कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में वर्ष 2012 से ही उतार-चढ़ाव देखा गया है, जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा भारत को परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्त्ता देश नहीं होने के बावज़ूद यूरेनियम देने का फैसला लिया गया था ।
    - उपर्युक्त निर्णय को औपचारिक रूप देते हुए दोनों देशों के मध्य वर्ष 2014 में संपन्न हुए द्विपक्षीय समझौते को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग (Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy) के रूप में जाना गया।
- ऑस्ट्रेलिया से आयातित यूरेनियम का उपयोग भारतीय परमाणु रिएक्टरों की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency-IAEA) द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों के तहत है।
- हालाँकि दोनों देशों के प्रयासों के बावजूद यूरेनियम आपूर्ति के मुद्दे पर प्रगति बहुत कम हुई है। वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपना पहला यूरेनियम शिपमेंट/जहाज़ भेजा, लेकिन यह यूरेनियम की बहुत छोटी खेप थी एवं इसका उपयोग पूर्ण रूप से परीक्षण प्रयोजनों के लिये किया जाना था।

इंडियन सिविल न्यूक्लियर कैपेसिटी:

- भारत में 6,780 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 22 रिएक्टर हैं। इनमें से आठ रिएक्टर स्वदेशी यूरेनियम से संचालित हैं, जबकि शेष 14 रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आयातित यूरेनियम द्वारा संचालित हैं।
- वर्ष 2005 में अमेरिका के साथ संपन्न परमाणु समझौते के बाद भारत को वर्ष 2006 में घोषित चरणबद्ध तरीके से IAEA सुरक्षा उपायों के तहत 14 अलग-अलग रिएक्टर लगाने की आवश्यकता थी।
- वर्तमान में भारत द्वारा रूस, कज़ाखस्तान, उज़्बेकिस्तान, फ्राँस और कनाडा से यूरेनियम ईंधन का आयात किया जाता है।
    - कज़ाखस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- कई ईंधन चक्र सुविधाओं (Several Fuel Cycle Facilities) के साथ-साथ यूरेनियम की स्थिर आपूर्ति से भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के प्रदर्शन में और सुधार होने की उम्मीद है।

अप्रसार संधि:

- अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों तथा हथियारों की तकनीक के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हुए निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
- इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किये गए तथा वर्ष 1970 में यह संधि लागू हुई। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश शामिल हैं।
- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिये आवश्यक है कि देशों को वर्तमान या भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की किसी भी योजना का परित्याग करना होगा।
- यह परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक बहुपक्षीय एवं बाध्यकारी संधि है।
    - NPT के तहत उन देशों को परमाणु-हथियार संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल किया जाता है जिनके द्वारा 1 फरवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण और परमाणु परीक्षण किये जा चुके है।

NPT पर भारत का रुख:

- भारत उन पाँच देशों में शामिल है जिन्होंने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, अन्य देश हैं- पाकिस्तान, इज़रायल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान हैं।
- भारत ने हमेशा ही NPT को एक भेदभावपूर्ण संधि माना और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
- भारत द्वारा परमाणु अप्रसार वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विरोध किया गया है क्योंकि वे गैर-परमाणु संपन्न देशों पर एक निश्चित रूप में लागू होती हैं, वही दूसरी ओर ये संधियाँ पाँच परमाणु हथियार संपन्न देशों के एकाधिकार को वैधता प्रदान करती हैं ।
- भारत का मानना है कि परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को एक सार्वभौमिक प्रतिबद्धता के तहत चरण-दर-चरण प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इसके लिये एक-दूसरे के प्रति विश्वास एवं सार्थक संवादों के माध्यम से बहुपक्षीय ढाँचे पर सहमति व्यक्त करने की ज़रूरत है।

नोट :

आगे की राह:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध काफी हद तक 'एक कदम आगे, दो कदम पीछे'(One Step Forward, Two Steps Back) हटने की रणनीति का हिस्सा रहे हैं । हालाँकि ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को यूरेनियम की बिक्री पर प्रतिबंध हटाया जाना दोनों देशों के मध्य चल रहे कूटनीतिक गतिरोध के दूर होने के रूप में देखा गया जो कि संभावित रूप से ऑस्ट्रेलियाई आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये एक नया और बढ़ता हुआ बाज़ार खोल रहा है।
- जून 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को एक 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के तहत आगे बढ़ाने का फैसला किया गया।
- उपर्युक्त विकास के मद्देनज़र भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही यूरेनियम की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

श्रीलंका का 20वाँ संविधान संशोधन पारित

चर्चा में क्यों ?

श्रीलंका की संसद ने दो-दिवसीय बहस के बाद दो-तिहाई बहुमत के साथ विवादास्पद 20वाँ संविधान संशोधन पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- 20वाँ संविधान संशोधन पारित कराना विधायिका में राजपक्षे प्रशासन की पहली बड़ी परीक्षा थी क्योंकि इसने न केवल राजनीतिक विरोध, बल्कि श्रीलंका की दक्षिणी राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली बौद्ध गुरुओं की चिंता और प्रतिरोध को भी जन्म दिया।
- श्रीलंका की संसद के 225 सदस्यीय सदन में 156 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 65 विधायकों ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया।
- गौरतलब है कि आठ विपक्षी सांसदों ने कानून के पक्ष में मतदान किया, जबकि उनकी पार्टियों और नेताओं ने न केवल इसका विरोध किया है बल्कि इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
- विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा दायर की गई 39 याचिकाओं के बाद श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि कानून पारित होने के लिये केवल दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, परंतु इस कानून के चार खंडों को पारित करने के लिये एक जनमत संग्रह के माध्यम से अतिरिक्त सार्वजनिक स्वीकृति की आवश्यकता है।

20वाँ संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान:

- 2 सितंबर, 2020 को श्रीलंका सरकार ने संविधान संशोधन का एक मसौदा प्रकाशित किया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिये विधायी प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।
- हाल ही में पारित संविधान संशोधन तकरीबन 42 वर्ष पूर्व श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.आर. जयवर्धने द्वारा लागू किये गए श्रीलंका के संविधान में 20वाँ संशोधन है।
- पारित संविधान संशोधन में संवैधानिक परिषद को संसदीय परिषद में बदलने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार, संवैधानिक परिषद के निर्णय राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी हैं, किंतु पारित संसदीय परिषद के निर्णय मानने के लिये राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
- संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिमंडल और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी में प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया है। साथ ही अब श्रीलंका में प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी संसद के विश्वास पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगी।
- पारित संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कुछ सीमित परिस्थितियों के अलावा संसद की एक वर्ष की अवधि के बाद उसे भंग करने के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति दी गई है, जिसका अर्थ है कि संसद की एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति उसे किसी भी समय भंग कर सकता है।
- पारित संशोधन में किसी भी विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व आम जनता के लिये प्रकाशित करने की अवधि को 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है।

संविधान संशोधन के विरोधियों का पक्ष:

- श्रीलंकाई संसद में दो दिवसीय बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने तर्क दिया कि इस संशोधन ने राष्ट्रपति को बेलगाम अधिकार देते हुए देश को सत्तावाद के रास्ते पर ले जाने की राह प्रस्तुत की है, जबकि सरकार के सांसदों ने बेहतर प्रशासन के लिये केंद्रीकृत शक्ति की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- 20वाँ संविधान संशोधन ऐसे समय में पारित किया गया है जब देश COVID-19 की एक नई लहर का सामना कर रहा है, जिसमें मामलों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है।
- 20वाँ संविधान संशोधन संवैधानिक परिषद की बहुलवादी और विचारशील प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र संस्थानों के लिये महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों पर बाध्यकारी सीमाओं को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- श्रीलंका के कई कानून विशेषज्ञों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से देश की संस्थाओं के राजनीतिकरण का प्रयास कर रही है, जबकि इन्हें राजनीति के दायरे से स्वतंत्र कर आम नागरिकों के कल्याण के लिये गठित किया गया था।
- सरकार द्वारा किये जा रहे ये संविधान संशोधन जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही को प्रभावित करेंगे और श्रीलंका के संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करेंगे।
- संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की समाप्ति से सार्वजनिक धन के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी उपयोग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत का पक्ष:

- भारत ने श्रीलंका के 20वें संविधान संशोधन को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही भारत द्वारा बयान जारी करने का कोई अनुमान है, क्योंकि यह संशोधन पूरी तरह से श्रीलंका का आंतरिक मामला है।
- हालाँकि भारत सरकार निश्चित रूप से श्रीलंका के घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि 20वें संशोधन के प्रावधान स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी सिंहली भावनाओं को प्रकट करते हैं। ऐसे में यह घटनाक्रम भारत-श्रीलंका के दीर्घकालिक संबंधों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
- हालाँकि भारत के दृष्टिकोण से 19वें संविधान संशोधन से ज़्यादा 13वाँ संविधान संशोधन महत्त्वपूर्ण है। इसी वर्ष फरवरी माह में जब श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भारत के दौरे पर आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया था कि श्रीलंका को 13वें संशोधन के कार्यान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ध्यातव्य है कि 13वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का हटना श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के लिये एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है।

G-20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्यसमूह की पहली बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने 'G-20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्यसमूह' (G-20 Anti-Corruption Working Group) की पहली बैठक में हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु:

- इस बैठक के दौरान केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
- इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने के लिये 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' में संशोधन और 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018' जैसे कानूनी प्रावधानों के साथ भारत सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया।

भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु सरकार के प्रयास:

- 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988':
  - केंद्र सरकार द्वारा देश में भ्रष्टाचार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये वर्ष 2018 में 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' में संशोधन किया गया।

- इस संशोधन के तहत रिश्वत लेने के साथ रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया। इसके साथ ही संशोधित अधिनियम में व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिये प्रभावी निवारक उपाय शामिल किये गए।
- इस संशोधन के माध्यम से सरकार का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता के माध्यम से बड़े संस्थानों में भ्रष्टाचार की जाँच करना और कॉर्पोरेट रिश्वतखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है।

- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:
  - वर्ष 2018 में लागू किये गए इस कानून का मूल उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिये देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना था।
  - यह अधिनियम अधिकारियों को किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender) द्वारा अपराध से प्राप्त आय और अन्य संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- धन शोधन निवारण अधिनियम:
  - केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में 'धन शोधन निवारण अधिनियम' में संशोधन के माध्यम से 'प्रवर्तन निदेशालय' (Enforcement Directorate) को और अधिक मज़बूत करने का प्रयास किया गया।
- लोकपाल और लोकायुक्त:
  - 'लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के तहत संघ (केंद्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई है।
  - ये संस्थान देश में अधिक पारदर्शिता, अधिक नागरिक-केंद्रित और शासन में जवाबदेही लाने के लिये कार्य करते हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग:
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) की स्थापना फरवरी, 1964 में 'के. संथानम' की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति (Committee on Prevention of Corruption) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के तहत इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकसेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 के तहत भ्रष्टाचारों की जाँच कराने की शक्ति रखता है।

'G-20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्यसमूह'

- 'G-20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्यसमूह' की स्थापना वर्ष 2010 में G-20 देशों के 'टोरंटो शिखर सम्मेलन' (Toronto Summit) के दौरान की गई थी।
- इस कार्यसमूह का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार निवारण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में G-20 देशों द्वारा दिये गए व्यावहारिक और मूल्यवान योगदान के संदर्भ में व्यापक सिफारिशें करना है।
- ACWG ने G-20 सदस्य देशों द्वारा किये गए सामूहिक और राष्ट्रीय कार्यों के समन्वय के माध्यम से समूह के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का नेतृत्व किया है।
- ACWG भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों के लिये विश्व बैंक समूह (World Bank Group), आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF) जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है।

भ्रष्टाचार से निपटने में G-20 की भूमिका:

- हाल के वर्षों में G-20 ने वैश्विक और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- G-20 द्वारा भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया गया है, जो बाज़ारों की अखंडता के लिये खतरा उत्पन्न करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को कमज़ोर करता है, संसाधन आवंटन को विकृत करता है, सार्वजनिक विश्वास को क्षति पहुँचाता है और कानून के शासन को कमज़ोर करता है।
- इसके माध्यम से G-20 यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है कि सदस्य देश मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली तथा प्रतिबद्धताओं को मज़बूत बनाने में अपना योगदान दें।
- G-20 समूह:
  - G-20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों का समूह है।
  - G-20 की स्थापना वर्ष 1997 के पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में यूरोपीय संघ और विश्व की 19 अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों तथा वित्त मंत्रियों के एक फोरम के रूप में की गई थी।
  - इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
  - G-20 एक फोरम मात्र है, यह किसी स्थायी सचिवालय या स्थायी कर्मचारी के बिना कार्य करता है, प्रतिवर्ष G-20 सदस्य देशों के बीच से इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
  - वर्तमान में G-20 की अध्यक्षता सऊदी अरब (1 दिसंबर, 2019 से 30 नवंबर, 2020 तक) के पास है।
- उद्देश्य:
  - वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समूह के सदस्यों के बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना।
  - आर्थिक जोखिम को कम करने और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने के लिये वित्तीय विनियमन (Financial Regulations) को बढ़ावा देना।
  - एक नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढाँचे (New International Financial Architecture) का निर्माण करना।

इज़राइल-सूडान शांति समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इज़राइल और सूडान ने अमेरिका के 'वाशिंगटन-ब्रोकेड समझौते' (Washington-brokered Deal) के तहत रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- इस समझौते के तहत सूडान, पिछले दो माह में इज़राइल के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब देश बन जाएगा।
  - इससे पहले 13 अगस्त, 2020 को 'इज़राइल-यूएई शांति समझौते' की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन-इज़राइल समझौते की घोषणा की गई थी। अन्य देशों में मिस्र ने वर्ष 1979 में तथा जॉर्डन ने वर्ष 1994 में इज़राइल के साथ 'शांति समझौते' किये थे।
- समझौते के हिस्से के रूप में सूडान को अमेरिकी सरकार की 'ब्लैक लिस्ट' से हटाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
  - हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा सूडान को आतंकवाद की 'ब्लैक लिस्ट' से औपचारिक रूप से हटाने की घोषणा की गई थी। हालाँकि राष्ट्रपति के निर्णय को अभी कॉन्ग्रेसकी मंज़ूरी मिलना आवश्यक है।
- सूडान और इज़राइल द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक नीति का त्याग करने और आर्थिक एवं व्यापार संबंधों को शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। समझौते के तहत मुख्यत: कृषि पर प्रारंभिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सूडान-इज़राइल संबंध:

- सूडान द्वारा वर्ष 1948 में इज़राइल के निर्माण और वर्ष 1967 के 'छह दिवसीय युद्ध' के दौरान युद्ध में इज़राइल के खिलाफ लड़ने के लिये सेना भेजी गई थी।
  - वर्ष 1948 में हुए प्रथम अरब-इज़राइल युद्ध में जॉर्डन ने 'वेस्ट बैंक' क्षेत्र पर अधिकार कर लिया परंतु वर्ष 1967 में हुए तीसरे अरब-इज़राइल युद्ध (छः दिवसीय युद्ध) में अरब देशों की हार के बाद इज़राइल ने इसे पुन: प्राप्त कर लिया।
- 1970 के दशक में इज़राइल द्वारा सूडानी विद्रोहियों को खार्तूम (सूडान की राजधानी) सरकार के खिलाफ लड़ने का समर्थन किया गया था।
- वर्ष 2019 में सूडान के तानाशाह शासक उमर अल-बशीर द्वारा अपने पतन से पूर्व ईरान के स्थान पर सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किये गए।
- हाल के वर्षों में इज़राइल और सूडान की खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क में वृद्धि हुई है। सूडान द्वारा इज़राइल को अपने क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति दी गई है।

वैश्विक प्रतिक्रिया:

- अमेरिकी सहयोगी देश: जर्मनी, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन सहित अमेरिकी सहयोगियों ने समझौते का स्वागत किया है। इन देशों का मानना है कि पश्चिम एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से समझौता महत्त्वपूर्ण है।
- फिलिस्तीन: फिलिस्तीनी नेताओं द्वारा समझौते की कड़ी आलोचना की गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पूर्व में भी फिलिस्तीन ने यूएई और बहरीन द्वारा इज़राइल के साथ किये गए शांति समझौते की आलोचना की थी।
- ईरान: ईरान, फिलिस्तीन का प्रमुख समर्थक रहा है। ईरान ने कहा कि सूडान ने समझौते का समर्थन करके शर्मनाक कार्य किया है। ईरान का मानना है कि सूडान द्वारा समझौते का समर्थन इसलिये किया गया है क्योंकि इसके बाद उसे आतंकवादियों की 'ब्लैक लिस्ट' से बाहर कर दिया जाएगा तथा फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपराधों पर ईरान अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेगा।

समझौते का महत्त्व:

- यूएई और बहरीन के अलावा सूडान के साथ किये जाने वाले शांति समझौते का इज़राइल पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा। जो देश पूर्व में इज़राइल का व्यापक विरोध करते थे, वे देश वर्तमान में इसके मज़बूत समर्थक बनकर उभरे हैं।
- सूडान वर्तमान में आंतरिक संघर्ष, राजनीतिक उथल-पुथल, चरमराती अर्थव्यवस्था, भोजन और ईंधन की कीमतों में वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। समझौते के क्रियान्वयन से सूडान अब अमेरिका से ऋण और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेगा।

समझौते के समक्ष चुनौतियाँ:

- अमेरिका और सूडान के बीच आतंकवाद के प्रायोजकों की 'ब्लैक लिस्ट' के निर्धारण पर टकराव देखने को मिल सकता है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि शांति समझौते के आवश्यक कानूनी दावों का निपटान 'ब्लैक लिस्ट' के निर्धारण से पहले ही कर लिया जाए।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अमेरिका द्वारा सूडान के तानाशाह पर ओसामा बिन लादेन समूह सहित अनेक अन्य आतंकवादियों को महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया गया था

निष्कर्ष:

- शांति समझौते को लागू किया जाना पूर्वी अफ्रीका में अमेरिका की भूमिका को निर्धारित करेगा परंतु सूडान में आतंकवाद के खिलाफ प्रतिरोध को देखते हुए सूडान को आतंकवादियों की 'ब्लैक लिस्ट' से हटाने का निर्णय सूडान- इज़राइल शांति समझौते के आधार पर नहीं किया जाना चाहिये।

कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान का आक्रमण

चर्चा में क्यों?

22 अक्तूबर, 1947 को जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना समर्थित हमले और आम लोगों पर किये गए अत्याचार को प्रदर्शित करने के लिये केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली में स्थापित होने वाले इस संग्रहालय में कश्मीर में हिंसा तथा आतंक को बढ़ावा देने और यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया जाएगा।
- पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित इस हमले के बाद तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया था और हज़ारों हिंदुओं एवं सिखों को भारत की ओर पलायन करना पड़ा था।
    - पलायन के अलावा हज़ारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इस हमले में अपनी जान गँवानी पड़ी थी।
- उद्देश्य
    - इस संग्रहालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आम लोगों को कश्मीर में आतंकवाद, अस्थिरता और अशांति फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में जानकारी देना है।

पाकिस्तान का आक्रमण

- कश्मीर संकट के इतिहास की जड़ें वर्ष 1947 में खोजी जा सकती हैं, जब पाकिस्तान की सेना के इशारे पर तकरीबन 1000 आदिवासियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था।
- दरअसल विभाजन के दौरान जम्मू-कश्मीर रियासत को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उस समय के शासक महाराजा हरि सिंह ने इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखने का फैसला किया।
- 1947 में पाकिस्तान के पख्तून आदिवासियों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला कर दिया, इस स्थिति से निपटने के लिये महाराजा ने तत्कालीन भारतीय गवर्नर-जनरल माउंटबेटन से सैन्य मदद मांगी।
    - ध्यातव्य है कि पाकिस्तानी सेना ने हमलावरों को आक्रमण करने के लिये रसद, हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराए थे। इन्हें पाकिस्तान की सेना द्वारा निर्देश दिये जा रहे थे।
- 26 अक्तूबर, 1947 को आक्रमणकारी श्रीनगर के करीब बारामूला पहुँच गए तथा उन्होंने स्थानीय लोगों पर काफी अत्याचार किये और हिंदू तथा सिखों को पलायन के लिये मजबूर कर दिया।
- अंत में जब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये तब जम्मू-कश्मीर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पूर्व जम्मू-कश्मीर रियासत में कुल पाँच क्षेत्र शामिल थे: जम्मू, कश्मीर घाटी, लद्दाख, गिलगित वज़रात और गिलगित एजेंसी।
- 22 अक्तूबर, 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया तब जम्मू-कश्मीर की रियासत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जबकि शेष हिस्सा भारत के पास रह गया। पाकिस्तान के पास जम्मू-कश्मीर रियासत का जो हिस्सा है उसे पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) के नाम से जाना जाता है।
- पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर मुख्यत: दो हिस्सों में बँटा हुआ है-
    - आज़ाद कश्मीर
    - गिलगित-बाल्टिस्तान
- पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) पश्चिम में पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा से, उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान से, उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत से और पूर्व में भारत के जम्मू-कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है, इसीलिये अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) का सामरिक महत्त्व काफी अधिक है।

नोट :

भारत: ILO के शाषी निकाय का अध्यक्ष

चर्चा में क्यों?

भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) के बीच 100 वर्षों के उपयोगी संबंधों के एक नए अध्याय को चिह्नित करते हुए भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शाषी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है।

प्रमुख बिंदु

- श्रम और रोज़गार सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्तूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिये ILO के शाषी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है।
- ILO के शाषी निकाय के अध्यक्ष का पद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्त्व का पद है। शाषी निकाय (Governing Body- GB) ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय है।
  - शाषी निकाय की बैठकें वर्ष में तीन बार मार्च, जून और नवंबर में आयोजित की जाती हैं। यह ILO नीति पर निर्णय लेता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लिये एजेंडा निर्धारित करता है, सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत करने के लिये कार्यक्रम प्रारूप तथा बजट को स्वीकार करता है तथा महानिदेशक (Director-General) का चुनाव करता है।
  - ILO की व्यापक नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष एक बार जून में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में किया जाता है। इसे प्राय: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- अपूर्वा चन्द्रा शाषी निकाय की आगामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसका आयोजन नवंबर 2020 में किया जाएगा।
  - यह संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में धारणा स्पष्ट करने के अलावा श्रम बाज़ार की कठोरता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा की गई परिवर्तनकारी पहलों से प्रतिभागियों को अवगत कराने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।
  - मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति से संबंधित चार संहिताओं से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे श्रमिकों के हितों की रक्षा कर सकती हैं तथा व्यवसाय संचालन को सरल बनाकर उसमें सुधार कर सकती हैं।
    - हाल ही में भारतीय संसद ने औद्योगिक संबंधों, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति और सामाजिक सुरक्षा पर तीन श्रम संहिताएँ पारित की हैं जो देश के पुरातन श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमिकों के लाभों से समझौता किये बिना आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिये प्रस्तावित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी।
- यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियाँ विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
- वर्ष 1946 में ILO, संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बना।
- ILO में कार्रवाई का मुख्य साधन अभिसमयों एवं समझौतों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करना है।
  - अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और ऐसे उपकरण हैं, जो उन देशों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का निर्माण करते हैं जिनके द्वारा इनकी पुष्टि की जाती है।
  - इसकी अनुशंसाएँ गैर-बाध्यकारी हैं और राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यों को उन्मुख करने वाले दिशा-निर्देशों का निर्धारण करती हैं।
- वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- यह वार्षिक विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण (World Employment and Social Outlook- WESO) रुझान रिपोर्ट जारी करता है।

भारत और ILO:

- भारत, ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के शाषी निकाय का स्थायी सदस्य रहा है। भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में शुरू हुआ था।
- भारत ने ILO के 41 अभिसमयों की पुष्टि की है, जो कई अन्य देशों में मौजूद स्थिति की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है।
- भारत ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO अभिसमयों में से 6 की पुष्टि की है। ये अभिसमय निम्नलिखित हैं:
  - बलात् श्रम पर अभिसमय (संख्या 29)
  - बलात् श्रम के उन्मूलन पर अभिसमय (संख्या 105)
  - समान पारिश्रमिक पर अभिसमय (संख्या 100)
  - भेदभाव (रोज़गार और व्यवसाय) पर अभिसमय (संख्या 111)
  - न्यूनतम आयु पर अभिसमय (संख्या 138)
  - बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर अभिसमय (संख्या 182)
- भारत ने दो प्रमुख/मौलिक अभिसमयों, अर्थात् संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर अभिसमय, 1948 (संख्या 87) और संगठित एवं सामूहिक सौदेबाज़ी के अधिकार पर अभिसमय, 1949 (संख्या 98) की पुष्टि नहीं की है।
  - ILO की कन्वेंशन संख्या 87 एवं 98 की पुष्टि नहीं करने का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं।
- ILO ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण धीमी पड़ चुकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये कई भारतीय राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में किये गए परिवर्तनों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

चिली में नए संविधान के लिये जनमत संग्रह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश चिली में तानाशाही-युग के संविधान को बदलने और एक नए संविधान का निर्माण करने के लिये जनमत संग्रह किया गया, जिसमें अधिकांश लोगों ने नए संविधान के निर्माण के पक्ष में मतदान किया।

प्रमुख बिंदु

- जनमत संग्रह के परिणाम को स्वीकार करते हुए चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने नए संविधान के निर्माण हेतु एक साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

नया संविधान- पृष्ठभूमि

- चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने नवंबर 2019 में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद नए संविधान के निर्णय के लिये जनमत संग्रह कराने हेतु सहमति व्यक्त की थी, ज्ञात है कि इन प्रदर्शनों के दौरान चिली की राजधानी सैंटियागो में एक मिलियन से अधिक लोगों ने सड़कों पर अपना विरोध व्यक्त किया था।
- चिली में मेट्रो के किराए में 4 फीसदी वृद्धि को लेकर शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों में बाद में कई अन्य मुद्दों को भी शामिल कर लिया गया और धीरे-धीरे ये प्रदर्शन एक विशाल रूप लेने लगे। यद्यपि ये प्रदर्शन काफी शांतिपूर्वक शुरू हुए थे, किंतु समय के साथ इन्होंने हिंसक रूप ले लिया और इसमें काफी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई।
- पुराने तानाशाही-युग के संविधान में सुधार लाना प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक थी, क्योंकि चिली के इस तानाशाही-युग के संविधान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेंशन जैसे क्षेत्रों का अधिकार निजी लोगों को दे दिया गया था, जिसके कारण लगाकर असमानता में बढ़ोतरी हो रही थी।

चिली का संविधान और बदलाव की मांग

- चिली में नए संविधान की मांग के मूल कारणों को जानने के लिये 1970 के दशक में चिली की राजनीति को समझना आवश्यक है। दरअसल 1970-73 के बीच चिली में वामपंथ की तरफ झुकाव रखने वाली साल्वोडोर आयेन्दे की सरकार थी। इस सरकार ने लोकलुभावन योजनाएँ लागू की किंतु इन योजनाओं से अर्थव्यवस्था पर कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण सैन्य विद्रोह हुआ और तख्तापलट के बाद ऑगस्टो पिनोचे की सरकार सत्ता में आई, जिसने चिली के लिये नया संविधान बनाया और 'आर्थिक उदारीकरण' की नीति अपनाई।
- चिली के मौजूदा संविधान में बदलाव के लिये सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इसका निर्माण एक तानाशाही शासक द्वारा अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, जिसके कारण इसमें आम सहमति और वैधता का अभाव है।
- चिली का संविधान पूर्णत: रूढ़िवादिता की ओर झुका हुआ है और आम नागरिकों को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिये कोई विकल्प प्रदान नहीं करता है।
- कई आलोचक मानते हैं कि चिली का संविधान अर्थव्यवस्था के उचित विनियमन की व्यवस्था नहीं करता है और न ही यह स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रदान करता है।
- असल में चिली के संविधान का निर्माण ही इस तरह से किया गया था कि इसके माध्यम से सामाजिक कल्याण प्रणाली को पूर्णत: निजीकृत कर दिया गया और इसमें सरकार के हस्तक्षेप को न्यूनतम कर दिया गया।
    - नतीजतन, चिली अल्प वित्त पोषित सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली, जीवन-यापन की उच्च लागत और निजी ऋण के उच्च स्तर जैसी समस्याओं से ग्रसित हो गया।
    - हालाँकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि चिली के इस नव-उदारवादी संविधान से देश में काफी आर्थिक विकास और एक नए मध्यम वर्ग का निर्माण भी हुआ।

उदारीकरण का उदाहरण: चिली

- चिली में नए संविधान के साथ ऑगस्टो पिनोचे की सरकार ने 'उदारीकरण' की नीति भी अपनाई, इस नीति के तहत ट्रेड यूनियन को प्रतिबंधित कर दिया गया, स्थानीय व्यवसायों को टैक्स से मिलने वाली छूट हटा दी गई और निजीकरण को बढ़ावा देते हुए देश की लगभग सभी सरकारी इकाइयों का निजीकरण कर दिया।
- सरकार की इस नीति और नए संविधान के कारण चिली में आर्थिक असमानता बढ़ने लगी और विद्यालय तथा अस्पताल जैसी सभी बुनियादी चीज़ें निजी लोगों के पास पहुँच गईं।
    - चिली सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2006 में चिली के सबसे अमीर 20 प्रतिशत लोगों ने चिली के सबसे गरीब 20 प्रतिशत से 10 गुना अधिक कमाई की थी, इन आँकड़ों से चिली में आर्थिक असामनता को स्पष्ट देखा जा सकता है।
- चिली में अर्थव्यवस्था का निजीकरण इस प्रकार हुआ है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग उसका लाभ लेने में सक्षम नहीं हैं, जबकि मध्यम वर्ग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में देता है।

चिली के बारे में

- दक्षिण अमेरिका के दक्षिण-पश्चिमी छोर पर स्थित चिली पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में एंडीज़ पर्वतमाला के बीच स्थित एक लैटिन अमेरिकी देश है।
- चिली विश्व के सबसे लंबे और सबसे संकीर्ण देशों में से एक है, जो कि उत्तर में पेरू, पूर्व में बोलीविया और अर्जेंटीना, दक्षिण में ड्रेक पैसेज (Drake Passage) और पश्चिम में प्रशांत महासागर साथ अपनी सीमा साझा करता है।
- ज्ञात हो कि विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों में से एक 'अटाकामा रेगिस्तान' उत्तरी चिली में स्थित एक तटीय रेगिस्तान है।
- चिली दक्षिण अमेरिका के उन दो देशों (दूसरा इक्वाडोर) में से है जिसकी सीमाएँ ब्राज़ील से नहीं मिलती है और विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर 'चुक्वीकमाटा' (Chuquicamata) चिली में अवस्थित है।
- चिली की राजधानी 'सैंटियागो' है और तकरीबन 756,096 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश में लगभग 17.9 मिलियन लोग निवास करते हैं।

तीसरा भारत-अमेरिका टू-प्लस-टू वार्ता

चर्चा में क्यों?

भारत-अमेरिका के बीच तीसरी टू-प्लस-टू वार्ता (2+2 Dialogue) 27 अक्तूबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु:

- 'टू-प्लस-टू वार्ता' भारत-अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्त्व में आयोजित की गई।
- भारत और अमेरिका के बीच 'टू प्लस टू वार्ता' दोनों देशों के मध्य एक उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है जो भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा, रक्षा तथा रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिये मंच प्रदान करता है।
- 'टू-प्लस-टू वार्ता' के प्रथम दो दौर वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में आयोजित किये गए थे।
- भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 'टू-प्लस-टू' स्तर की वार्ता आयोजित की जाती है।

वार्ता के दौरान प्रमुख समझौते:

भू-स्थानिक सहयोग के लिये बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता (BECA):

- भारत द्वारा अमेरिका के साथ 'भू-स्थानिक सहयोग के लिये बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते' (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial cooperation- BECA) पर हस्ताक्षर किये गए।
- यह अमेरिकी रक्षा विभाग और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय भू-स्थानिक खुफ़िया एजेंसी के बीच प्रस्तावित एक संचार समझौता है।
- यह समझौता भारत और अमेरिका को उन्नत उपग्रह तथा स्थलाकृतिक डेटा जैसे- मानचित्र, सामुद्रिक एवं वैमानिकी चार्ट, भू-गणितीय, भू-भौतिकी, भू-चुंबकीय एवं गुरुत्वाकर्षण डेटा सहित सैन्य जानकारी साझा करने की अनुमति देगा।
- साझा की गई अधिकांश जानकारी अवर्गीकृत होगी। हालाँकि किसी तीसरे पक्ष के साथ जानकारी साझा करने से रोकने के लिये सुरक्षा उपायों के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करने का प्रावधान शामिल है।
- ECA दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित चार मूलभूत सैन्य संचार समझौतों में से एक है। अन्य तीन इस प्रकार हैं:
  - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement-LEMOA);
  - संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement-COMCASA);
  - सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (General Security Of Military Information Agreement-GSMIA)।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर संयुक्त वक्तव्य:

- एक संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के साझा लक्ष्यों को रेखांकित किया गया।
- दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक वैध 'आचार संहिता के निर्माण पर बल दिया ताकि किसी भी देश के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके।
- अमेरिका द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 'चीनी कम्युनिस्ट पार्टी' की भूमिका और COVID-19 महामारी के दौरान चीन के रवैये को विश्व के समक्ष सबसे बड़ा खतरा बताया गया।
- अमेरिका ने कानून का शासन, पारदर्शिता और स्वतंत्र नेवीगेशन प्रणाली के साथ ही एक मुक्त एवं खुले और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया गया।

नोट :

सहयोग के अन्य क्षेत्र:

- पृथ्वी अवलोकन और पृथ्वी विज्ञान में तकनीकी सहयोग को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- 'परमाणु ऊर्जा भागीदारी के लिये वैश्विक केंद्र' (Global Center for Nuclear Energy Partnership) संबंधी समझौता ज्ञापन की समयावधि बढ़ाने के लिये भी सहमति व्यक्त की गई।
- दोनों पक्षों द्वारा सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- पारंपरिक भारतीय दवाओं में सहयोग के बारे में एक लैटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर किये गए।
- दोनों देशों द्वारा अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा और उसकी शांति प्रक्रिया के लिये समर्थन पर सहमति व्यक्त की गई।

समझौतों का महत्त्व:

- BECA के माध्यम से अमेरिका के साथ भू-स्थानिक खुफिया जानकारी साझा करने से स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम, क्रूज़ मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन जैसे हथियारों के क्षेत्र में भारतीय सेना की दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत और अमेरिका के अलावा 'क्वाड' के दो अन्य सदस्य ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- भारत-अमेरिका के समक्ष चुनौतियों के कारण ही दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार मज़बूत होती जा रही है। हस्ताक्षरित BECA समझौता दोनों देशों को चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के साथ ही मुक्त एवं खुले और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में मदद करेगा।

सीमा शुल्क डेटा का इलेक्ट्रॉनिक विनिमय

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के डाक विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस (USPS) ने भारत और अमेरिका के बीच आदान-प्रदान किये जाने वाले डाक नौवहन (Postal Shipments) से संबंधित सीमा शुल्क डेटा (Customs Data) के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- उद्देश्य: इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य देश भर के अलग-अलग हिस्सों में डाक माध्यमों (Postal Channels) के ज़रिये छोटे और बड़े निर्यातकों के लिये 'ईज़ ऑफ एक्सपोर्ट' यानी निर्यात करने की आसान सुविधा उपलब्ध कराना है।
  - इस तरह यह समझौता भारत को विश्व में 'निर्यात हब' बनाने में योगदान देगा।
- विशेषता: इस समझौते के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय डाक सामानों के गंतव्य पर पहुँचने से पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक डेटा संचारित और हासिल करना संभव हो जाएगा, जिसके कारण बदलते वैश्विक डाक ढाँचे के अनुरूप डाक सामग्री को सीमा शुल्क संबंधी अग्रिम मंज़ूरी की प्राप्ति हेतु व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी।
  - समझौते के अनुसार, डाक नौवहन के इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा (EAD) का आदान-प्रदान, डाक माध्यम के ज़रिये भारत के अलग-अलग हिस्सों से अमेरिका को किये जाने वाले निर्यातों पर ज़ोर देते हुए आपसी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम होगा।
  - गौरतलब है कि अमेरिका भारत के MSME उत्पादों, रत्न एवं आभूषणों, दवाओं और दूसरे स्थानीय उत्पादों के लिये एक प्रमुख निर्यात स्थल है।
- महत्त्व: डाक सामग्री को सीमा शुल्क संबंधी अग्रिम मंज़ूरी मिलने से विश्वसनीयता, दृश्यता और सुरक्षा के लिहाज से डाक सेवाओं के प्रदर्शन में भी सुधार होगा।
  - भारत के लिये अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य स्थल है और भारत के निर्यात में अमेरिका का योगदान तकरीबन 17 प्रतिशत है।
  - निर्यात संबंधी इन आँकड़ों को भारत और अमेरिका के बीच डाक के ज़रिये वस्तुओं के आदान-प्रदान में भी देखा जा सकता है। आँकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019 में विदेशों में भेजे गए कुल एक्सप्रेस मेल सर्विस (EMS) का 20 प्रतिशत और भारतीय डाक द्वारा संचारित पत्र और छोटे पैकेट के कुल हिस्से का केवल 30 प्रतिशत ही अमेरिका भेजा गया था। वहीं भारत के डाक विभाग को विदेशों से प्राप्त 60 प्रतिशत पार्सल अमेरिका से भेजे गए थे।

- साथ ही इस समझौते से निर्यात वस्तुओं की सीमा शुल्क संबंधी अग्रिम मंज़ूरी की प्रक्रिया में तेज़ी लाने से जुड़ी निर्यात उद्योग की एक प्रमुख मांग भी पूरी होगी।

भारतीय डाक

- भारतीय डाक के रूप में पहचाने जाने वाला भारत सरकार का डाक विभाग (DoP) बीते 150 वर्षों से देश में सुव्यवस्थित संचार प्रणाली के तौर पर कार्य कर रहा है और इसने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 1,55,531 डाकघरों के साथ भारत के डाक विभाग (DoP) के पास विश्व का व्यापक डाक नेटवर्क मौजूद है।
- कार्य
  - भारतीय डाक का मूल कार्य डाक वितरित करना है, इसके अलावा यह लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करने, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करने तथा बिल संग्रह, प्रपत्रों की बिक्री सेवाएँ प्रदान करने का कार्य भी करता है।
  - डाक विभाग (DoP), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत मज़दूरी और वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसे नागरिक सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुँचाकर भारत सरकार के लिये एक एजेंट के तौर पर कार्य करता है।

फ्राँस के समर्थन में भारत

चर्चा में क्यों ?

भारत ने फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का खुले तौर पर समर्थन किया है, ध्यातव्य है कि पाकिस्तान और तुर्की द्वारा फ्राँस के लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव करने के लिये उनकी आलोचना की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

भारत का समर्थन

- अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के सबसे बुनियादी मानकों के उल्लंघन का विरोध करते हुए भारत ने तुर्की और पाकिस्तान द्वारा की जा रही फ्राँस के राष्ट्रपति की व्यक्तिगत आलोचना की निंदा की।
- साथ ही भारत ने क्रूर आतंकवादी हमले के रूप में एक स्कूल शिक्षक की हत्या की घटना की भी निंदा की।
- जबकि फ्राँस में एक वर्ग विशेष को अपमानजनक लगने वाले कैरिकेचर या कार्टून को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं, किंतु भारत के लिये दूसरे देशों में धर्म संबंधी विवाद पर अपना पक्ष देना काफी असामान्य घटना है।
- ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में भी फ्राँस की चार्ली हेब्दो पत्रिका के पत्रकारों और कार्टूनिस्टों पर हुए हमले के बाद भारत ने इस घटना की निंदा की थी।
- फ्राँस के राष्ट्रपति को भारत का समर्थन इस तथ्य से भी प्रेरित है कि उनकी आलोचना मुख्य तौर पर पाकिस्तान और तुर्की द्वारा की जा रही है, ये वही दो देश हैं जो जम्मू-कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर बार-बार भारत पर हमला करते रहते हैं।

पृष्ठभूमि

- असल में इस पूरे विवाद की शुरुआत फ्राँस के एक स्कूल में हुई, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आयोजित क्लास में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक ने अपने छात्रों को पैगंबर (Prophet) के कुछ कैरिकेचर दिखाए, जो कि व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो द्वारा वर्ष 2015 में प्रकाशित किये गए थे।
- इसके अगले ही दिन एक चरमपंथी द्वारा सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई, इस घटना में एक 18 वर्षीय चरमपंथी युवक मुख्य आरोपी है।
- इस हत्या की निंदा करते हुए फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने अभिव्यक्ति और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्वतंत्रता का बचाव किया था।
- इसके जवाब में तुर्की और पाकिस्तान ने फ्राँसीसी राष्ट्रपति पर इस्लाम-विरोधी एजेंडा चलाने और मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया था।

- ज्ञात हो कि ईरान और सऊदी अरब ने भी कार्टून की निंदा की है तथा अब संपूर्ण मुस्लिम जगत में फ्राँस के उत्पादों का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है।

भारत-फ्राँस संबंध

भारत और फ्राँस के संबंध विशेष तौर पर आतंकवाद, रक्षा, परमाणु और अंतरिक्ष जैसे पारस्परिक हित के मुद्दों पर पारंपरिक रूप से काफी घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण रहे हैं।

- वाणिज्यिक संबंध: भारत और फ्राँस के बीच द्विपक्षीय निवेश और व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में संबंध काफी महत्त्वपूर्ण हैं। ध्यातव्य है कि फ्राँस, भारत के लिये विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत बन कर सामने आया है और वर्ष 2018 में फ्राँस की तकरीबन 1000 कंपनियाँ भारत में कार्य कर रही थीं। आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2000 से दिसंबर 2018 के बीच फ्राँस से भारत में कुल 6.59 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ था।
- रक्षा संबंध: मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) के क्षेत्र में सुधार के प्रयासों के तहत फ्राँस भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) में एक संपर्क अधिकारी तैनात करने वाला पहला देश है।
  - दोनों देशों के बीच समय-समय पर मंत्रिस्तरीय रक्षा संबंधी वार्ता का आयोजन किया जाता है। दोनों देशों के बीच कुल तीन सैन्य अभ्यासों- अभ्यास वरुण (नौसेना), अभ्यास गरुण (वायु सेना) और अभ्यास शक्ति (थल सेना) का आयोजन किया जाता है।
  - हाल ही में फ्राँस की डसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) कंपनी द्वारा निर्मित पाँच राफेल लड़ाकू विमान (Rafale Fighter Jets) फ्राँस से हरियाणा स्थित अंबाला एयर बेस (Ambala Air Base) पहुँचे थे।
- अंतरिक्ष: भारत और फ्राँस के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग का एक समृद्ध इतिहास रहा है और इसरो, फ्राँस की अंतरिक्ष एजेंसी, सीएनईएस (CNES) के साथ मिलकर बीते पचास से भी अधिक वर्षों से विभिन्न संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।
  - फ्राँस ने वर्ष 2025 के लिये निर्धारित भारत के शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन का हिस्सा बनने हेतु सहमति व्यक्त की है।

आगे की राह

- फ्राँस और भारत के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर टिके हुए हैं तथा दोनों देश सतत् विकास एवं जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दे साझा करते हैं।
- फ्राँस, भारत के लिये वैश्विक मुद्दों पर यूरोप के साथ गहरे जुड़ाव का रास्ता भी खोलता है, खासकर ब्रेक्जिट के कारण इस क्षेत्र में अनिश्चितता के बाद यह और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है।

भारत-मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक में मध्य एशियाई गणराज्यों ने आतंकवाद के 'सुरक्षित ठिकानों' (Safe Havens) को नष्ट करने की मांग करते हुए संयुक्त रूप से अफगानिस्तान में शांति वार्ता के लिये समर्थन व्यक्त किया जो युद्धग्रस्त देश (अफगानिस्तान) के लिये एक नए युग की शुरुआत की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु:

- द्वितीय भारत-मध्य एशिया वार्ता के दौरान भारत एवं मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की और आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगाहों, नेटवर्क, बुनियादी ढाँचे एवं फंडिंग चैनलों को नष्ट करके इस खतरे का मुकाबला करने के लिये अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की।
  - इस अवसर पर सभी देशों ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी देश में आतंकवादी हमले के लिये अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।
- इस वार्ता बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मध्य एशियाई क्षेत्र को भारत का 'विस्तारित पड़ोसी' (Extended Neighborhood) बताया।

- भारत की तरफ से मध्य एशियाई देशों के लिये अतिरिक्त $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई जिसे प्रमुख अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
  - $1 बिलियन 'लाइन ऑफ क्रेडिट' के अलावा भारत ने मध्य एशिया में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये अनुदान सहायता की पेशकश की।
- कज़ाखस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों और किर्गिज गणराज्य के पहले उप विदेश मंत्री ने अपने संयुक्त वक्तव्य में ईरान में चाबहार बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण हेतु भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला जो मध्य और दक्षिण एशिया के बाज़ारों के बीच व्यापार एवं परिवहन संचार में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बन सकता है।
  - गौरतलब है कि उज़्बेकिस्तान में पहली भारत-मध्य एशिया वार्ता (First India-Central Asia Dialogue) में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मध्य एशिया के देशों को चाबहार बंदरगाह परियोजना में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया था। इसे संयुक्त रूप से भारत और ईरान द्वारा अफगानिस्तान में भारतीय वस्तुओं को उतारने और उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजने के लिये विकसित किया गया है।

भारत और मध्य एशिया:

- सोवियत संघ के विघटन के बाद से भारत मध्य-एशियाई गणराज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहा है।
- मध्य एशियाई देशों के भू-आबद्ध होने के कारण भारत का सभी पाँच मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2 बिलियन डॉलर के आसपास है। परिणामत: मध्य एशियाई देशों के बाज़ारों तक पहुँचने के लिये भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह को विकसित करके वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है।
  - हालाँकि भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया भू-आबद्ध क्षेत्र हैं, इसके बावजूद ऐसे कई कारक हैं जिनकी वजह से भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देश इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये काम कर सकते हैं ताकि देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके।
- वर्ष 2019 में भारत द्वारा मध्य एशिया के देशों के साथ एयर कॉरिडोर पर बातचीत का प्रस्ताव रखा गया जिसे व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश के रूप में देखा गया।
  - यद्यपि भारत ने पहले से ही भारत और कई अफगान शहरों के बीच माल के परिवहन के लिये हवाई गलियारे खोले हैं।
  - वहीं वर्ष 2018 के अश्गाबात समझौते में शामिल होकर भारत ने 'क्षेत्र में कनेक्टिविटी के कई विकल्पों' का समर्थन किया है। अश्गाबात समझौते का उद्देश्य ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना करना है।

मध्य एशिया (Central Asia):

- एशिया महाद्वीप में मध्य एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन एवं मंगोलिया तक तथा दक्षिण में अफगानिस्तान एवं ईरान से लेकर उत्तर में रूस तक फैला हुआ है।
- इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व सोवियत गणराज्य कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान आते हैं।
- मध्य एशिया ऐतिहासिक रूप से यायावर लोगों एवं सिल्क रोड के साथ निकटता से संबंधित है।
- इसने यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के लोगों, की आवाजाही एवं माल व विचारों के आदान-प्रदान के लिये 'एक चौराहे के रूप में' कार्य किया है।
- सिल्क रोड ने मुस्लिम देशों को यूरोप, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के लोगों से जोड़ा जिस कारण मध्य एशिया की अवस्थिति ने आदिवासीवाद (Tribalism) और परंपरावाद (Traditionalism) और आधुनिकीकरण (Modernization) के बीच संघर्ष को तेज़ किया।
- मध्य एशिया की सामरिक, आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक महत्ता के कारण वर्ष 1843 में भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट (Alexander von Humboldt) द्वारा ''मध्य एशिया को आधुनिक दुनिया के लिये विश्व के एक अलग क्षेत्र के रूप में'' उल्लेख किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कोविरैप

चर्चा में क्यों?

आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur) ने COVID-19 की जाँच के लिये कोविरैप (COVIRAP) नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) ने इस टेस्ट की प्रभावकारिता को मान्यता प्रदान की है।
- कोरोना के खिलाफ जंग में यह एक बड़ी उपलब्धि सिद्ध हो सकती है।

कार्य प्रक्रिया:

- कोविरैप में तापमान नियंत्रित करने की यूनिट, जीनोमिक एनालिसिस (Genomic Analysis) के लिये स्पेशल डिटेक्शन यूनिट और परिणाम प्राप्ति हेतु एक अनुकूलित स्मार्टफोन एप संलग्न है।
- ये तीनों उपकरण विभिन्न जीनों को चिह्नित करके SARS-CoV-2 की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं।
- एकत्र किये गए नमूने जब दिये गए मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और जब पेपर स्ट्रिप्स को प्रतिक्रिया उत्पादों में डुबोया जाता है, तो रंगीन रेखाएँ वायरस की उपस्थिति का संकेत देती हैं।
- इस प्रौद्योगिकी का ICMR के दिशा-निर्देशों के अनुसार कठोर प्रोटोकॉल के अधीन परीक्षण किया गया है।

यह विशेष क्यों है?

- जहाँ वर्तमान परीक्षणों में आरटी-पीसीआर, जो कि अत्यधिक सटीक है, के लिये एक उन्नत प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, वहीं एंटीजन परीक्षण मिनटों में परिणाम दे सकते हैं, लेकिन उनकी सटीकता कम होती है।
- वहीं COVIRAP टेस्ट की प्रक्रिया एक घंटे के भीतर पूरी हो जाती है। यह परीक्षण एक कम लागत वाले पोर्टेबल उपकरण द्वारा आयोजित किया जाता है जिसे प्रयोगशाला के बाहर अकुशल ऑपरेटरों द्वारा भी आयोजित किया जा सकता है और यह उच्च लागत वाली RTPCR मशीनों का एक विकल्प है।
- इसके माध्यम से खुले क्षेत्र में भी नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है।
- इस टेस्ट में एक ही मशीन का उपयोग प्रत्येक परीक्षण के बाद पेपर कार्ट्रिज (Paper Cartridge) बदल कर बड़ी संख्या में परीक्षणों के लिये किया जा सकता है।
- इस टेस्ट मशीन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसका अर्थ है कि यह COVID-19 से परे भी इन्फ्लूएंजा, मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, टीबी आदि बीमारियों के परीक्षण के साथ-साथ 'आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड-आधारित परीक्षण' (Isothermal Nucleic Acid-based Tests) भी कर सकता है।

COVIRAP और FELUDA परीक्षण की तुलना:

- इस जाँच विधि का नाम सत्यजीत रे के एक काल्पनिक जासूसी चरित्र 'फेलुदा' के नाम पर रखा गया है। 'FNCAS9 एडिटर-लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे' (FNCAS9 Editor-Limited Uniform Detection Assay) इसका विस्तृत रूप है, यह एक परीक्षण है जो 'जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इंस्टीट्यूट' (Institute of Genomics and Integrative Biology) द्वारा विकसित किया गया है।

नोट :

- इस जाँच विधि में भी SARS-CoV-2 के लिये विशिष्ट जीन का पता लगाया जाता है, परंतु इस विधि में CRISPR-CAS तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- FELUDA के साथ भी तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता कम-से-कम है, जबकि वर्तमान FELUDA प्रोटोटाइप के प्रसंस्करण के लिये PCR मशीन की आवश्यकता होती है। आईआईटी खड़गपुर द्वारा पेटेंट किया गया COVIRAP अपनी डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करता है। COVIRAP के कुछ विशेष घटक हैं और यह CRISPR CAS तकनीक से अलग है।

अधिक परीक्षणों की आवश्यकता:

- भारत ने 20 अक्तूबर, 2020 तक 9.72 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा तय की गई (प्रतिदिन प्रति मिलियन जनसंख्या पर 140 परीक्षण) सीमा को पूरा कर रहा है।
- हालाँकि नए मामलों में प्रतिदिन गिरावट आ रही है परंतु विशेषज्ञों ने कहा है कि उन क्षेत्रों में ऐसे स्थानों तक परीक्षण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये जहाँ प्रतिदिन 140/मिलियन से कम परीक्षण किये जाते हैं।

मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव (International AIDS Vaccine Initiative-IAVI) तथा पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India-SII) द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनी मर्क (Merck) के साथ एक समझौते की घोषणा की गई है जिसके तहत SARS-CoV-2 को बेअसर करने के लिये मोनोक्लोनल इनेमल एंटीबॉडी (Monoclonal Antibodies-mAbs) को विकसित किया जाएगा और इसका इस्तेमाल COVID-19 के बचाव में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- IAVI एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है जो तात्कालिक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने के लिये समर्पित है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है।
- भारत स्थित SII विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है।

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी:

- एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पादित प्रोटीन हैं जो एक विशिष्ट एंटीज़न को लक्षित करते हैं। जब इनका निर्माण सिंगल पैरेंट सेल (Single Parent Cell) से प्राप्त क्लोन द्वारा किया जाता है तो उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAbs) कहा जाता है।
- ये मानव निर्मित प्रोटीन हैं जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। इन्हें विशिष्ट श्वेत रक्त कोशिका (Unique White Blood Cell) की क्लोनिंग करके बनाया जाता है।
- mAbs में मोनोवालेंट समानता (Monovalent Affinity) पाई जाती जो केवल समान एपिटोप (Same Epitope) अर्थात् एंटीजन के जिस हिस्से की पहचान एंटीबॉडी द्वारा की जाती है, को ही एक साथ जोड़ती है।
- इन एंटीबॉडीज़ को कई कार्यों को करने के लिये डिज़ाइन किया गया है ताकि इनका उपयोग दवाओं, विषाक्त पदार्थों या रेडियोधर्मी पदार्थों से प्रभावित कोशिकाओं तक ले जाने के लिये किया जा सके।
- mAbs का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिये किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के कैंसर भी शामिल हैं।

mAbs and COVID-19:

- IAVI एवं स्क्रिप्स रिसर्च (Scripps Research) द्वारा SARS-CoV-2 के लिये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAbs) को एक साथ विकसित किया गया।
- इन एंटीबॉडीज़ को व्यापक रूप से COVID-19 उपचार और रोकथाम के लिये एक उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है।

नोट :

- COVID-19 एंटीबॉडी उपचार के लिये उत्साहजनक परिणाम प्रीक्लिनिकल रिसर्च एवं प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों से प्राप्त हुए हैं।
- इन एंटीबॉडीज़ में COVID-19 टीके की पूरक भूमिका (Complementary Role) निभाने की भी क्षमता है।
  - इसका उपयोग उपचार एवं संभावित रोकथाम के लिये विशेष रूप से उन व्यक्तियों में किया जा सकता है, जो उम्र या किन्हीं चिकित्सा स्थितियों के कारण टीकाकरण कराने की स्थिति में नहीं हैं।

एंटीबॉडी

- एंटीबॉडी, जिसे इम्युनोग्लोबुलिन(Immunoglobulin) भी कहा जाता है, एक सुरक्षात्मक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में किसी एंटीजन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं ।
  - पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को शरीर द्वारा एंटीजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें रोग पैदा करने वाले जीव और विषाक्त पदार्थ शामिल होते हैं।
- एंटीजन को शरीर से निकालने के क्रम में एंटीबॉडी द्वारा इनकी पहचान कर इन्हें नष्ट किया जाता है।

आगे की राह:

कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि COVID-19 एक स्थानिक रोग (Endemic Disease) में तब्दील हो जाएगा तथा इस रोग से प्रभावित लोगों के एक महत्त्वपूर्ण अनुपात में लक्षणों की गंभीरता को देखते हुए उन लोगों का इलाज के लिये प्रभावी उपचार आवश्यक होगा जो कि अस्वस्थ रहते हैं या जो टीकाकरण के बाद भी सुरक्षित नहीं हैं।

भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास

चर्चा में क्यों ?

'शून्य के क्षेत्र' में भारत के मौलिक ज्ञान ने नवाचार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई थी। COVID-19 महामारी, भारत को नवाचार के क्षेत्र में फिर से स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत सरकार देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र में सहयोग, सुविधा और विनियमन के लिये एक ढाँचे को स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

नवाचार की संभावना:

- भारत इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के मामले में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला देश है। वर्तमान में देश में 700 मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ता हैं और वर्ष 2025 तक यह संख्या बढ़कर 974 मिलियन होने का अनुमान है।
- जैम ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) के तहत 404 मिलियन जन धन बैंक खाते हैं।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत कृत्रिम बुद्धिमता की मदद से वर्ष 2035 तक अपनी जीडीपी में लगभग 957 बिलियन डॉलर की वृद्धि कर सकता है।

नवाचारी ढाँचे की संरचना:

- नवाचार के क्षेत्र में संरचनात्मक ढाँचे को सहयोग (Collaboration), सुविधा (Facilitation) और विनियमन (Regulation) के ट्रायड/त्रय के रूप संरचित किया जा रहा है।
  - सहयोग (Collaboration): सरकार द्वारा बहु-अनुशासनात्मक सहयोग पर बल दिया जा रहा है।
  - नियमन: नवाचार को बढ़ावा देने के लिये नियामक प्रथाओं को उदारीकृत किया जा रहा है।
  - सुविधा (Facilitation): नवाचार के मानकों और सिद्धांतों के पालन के लिये रचनात्मकता पर बल दिया जा रहा है। जोखिम लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार सक्रिय सुविधा प्रदायक की भूमिका निभा रही है।

नवाचार की दिशा में प्रमुख योजनाएँ:

- 'इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च' (INSPIRE): इस कार्यक्रम के तहत विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों को अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।
- रामानुजन फैलोशिप (Ramanujan Fellowship): यह अध्येतावृत्ति/ फैलोशिप विदेशों में रह रहे क्षमतावान भारतीय शोधकर्त्ताओं को भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में काम करने के लिये विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में आकर्षक विकल्प और अवसर प्रदान करती है।
- किरण योजना: किरण (KIRAN) योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों/चुनौतियों का समाधान कर रही है।
- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (SIH): इसे डिजिटल भारत के सपने को साकार करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिये किया जा रहा है।
- अटल नवाचार मिशन (AIM): इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के कम विकसित क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (BIG) योजना: यह स्टार्ट-अप के वित्तपोषण से संबंधित एक कार्यक्रम है।
- फ्यूचर स्किल प्राइम (PRIME): यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोज़गार के रिस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिये एक कार्यक्रम है। यह NASSCOM तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है।
- STARS प्रोजेक्ट: STARS प्रोजेक्ट को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नवीन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
- स्पार्क (SPARC) पहल: 'स्पार्क' पहल का लक्ष्य भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना है।
- IMPRESS कार्यक्रम: इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करने और नीति बनाने के लिये अनुसंधान प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे।
- बहु-विषयक साइबर-फिज़िकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS): साइबर-फिज़िकल प्रणालियों में प्रौद्योगिकी विकास, विनियोग विकास, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास, उद्यमशीलता और स्टार्टअप विकास तथा संबंधित प्रौद्योगिकियों के मुद्दों को हल किया जाएगा।

आगे की राह:

- भारत को शिक्षा, अनुसंधान और विकास पर व्यय बढ़ाना चाहिये जिससे नीतियों के लिये बेहतर वातावरण एवं अवसंरचना का विकास किया जा सके।
- नीति आयोग का 'भारत नवाचार सूचकांक' देश में नवाचार के वातावरण में सुधार करने हेतु इनपुट और आउटपुट दोनों घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है। अत: इसे आर्थिक प्रोत्साहन के साथ जोड़ा जाना चाहिये।

भारतीय जीनोम डेटासेट: इंडीजेन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) के वैज्ञानिकों द्वारा 1029 भारतीयों के 'जीनोम अनुक्रमण' (Genome Sequencing) पर व्यापक संगणना विश्लेषण परिणाम जारी किये गए।

प्रमुख बिंदु:

- प्रोजेक्ट पर शोध कार्य CSIR– 'जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान,, दिल्ली (CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology - IGIB) तथा 'कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र' हैदराबाद (CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology, CCMB) द्वारा किया गया है।
- यह शोध कार्य 'इंडीजेन' (IndiGen) जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम का ही एक भाग है।
  - जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing) के तहत डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है।
  - इसके अंतर्गत डीएनए में मौज़ूद चारों तत्त्वों- एडानीन (A), गुआनीन (G), साइटोसीन (C) और थायामीन (T) के क्रम का पता लगाया जाता है।

इंडीजेन जीनोम प्रोजेक्ट:

- भारत 1.3 बिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। समृद्ध आनुवंशिक विविधता के बावजूद भारत की वैश्विक जीनोम अध्ययनों में बहुत कम भागीदारी है।
- इस अंतराल को भरने की दिशा में CSIR द्वारा अप्रैल 2019 में 'इंडीजेन' (IndiGen) कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- इंडीजेन जीनोम परियोजना (IndiGen Genome Project) के तहत 1000 से अधिक लोगों के जीनोम अनुक्रमण का अध्ययन किया गया है।
- कार्यक्रम के तहत देश भर से 1029 स्वस्थ भारतीयों के संपूर्ण 'जीनोम अनुक्रमण' का कार्य पूरा किया गया है।

प्रोजेक्ट का महत्त्व:

आनुवंशिक विभेदता/वेरिएंट का संग्रह:

- इंडीजीनोम प्रोजेक्ट के तहत संग्रहीत डेटा संसाधन, संपूर्ण भारतीय आबादी की आनुवंशिक विभेदता के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।
- ये संसाधन न केवल आबादी के स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी आनुवंशिकी में शोधकर्त्ताओं और चिकित्सकों के लिये उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

चिकित्सकीय अनुप्रयोग:

- आनुवंशिक विभेदता वर्गीकरण का अनुप्रयोग सटीक दवा देने तथा दवाओं के परिणामों में सुधार करने में किया जा सकेगा।
- आनुवंशिक डेटा संसाधन का उपयोग रोग वाहकों की स्क्रीनिंग में बायोमार्करों की पहचान करने, आनुवंशिक रोगों के कारकों को निर्धारित करने, बेहतर नैदानिक प्रणाली का विकास करने, फार्माकोजेनेटिक वेरिएंट डेटा के माध्यम से बेहतर थेरेपी चिकित्सा प्रदान करने में किया जा सकता है।

महामारी प्रबंधन:

- इंडीजेन कार्यक्रम वर्तमान और भविष्य की महामारियों के प्रति देश की प्रतिक्रिया को मज़बूती प्रदान करने वाले जीनोमिक्स और भारत की जीनोमिक विविधता को समझने की क्षमता में वृद्धि करेगा।

विशिष्ट जीनोम डेटासेट:

- जीनोम डेटा संसाधन का उपयोग शोधकर्त्ताओं को भारतीय-विशिष्ट संदर्भ में जीनोम डेटासेट का निर्माण करने और कुशलता से हेप्लोटाइप (युग्म विकल्पियों का विशिष्ट संयोजन) जानकारी प्रदान करने में किया जा सकेगा।
- यह शोध कार्य जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम (GRCh38) के मानकों के अनुरूप है।

जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम (GRCh38):

- सर्वप्रथम वर्ष 2001 में 'मानव जीनोम प्रोजेक्ट' के तहत ' ह्यूमन जीनोम रेफरेंस' को संग्रहीत किया गया था।
  - मानव जीनोम अनुक्रमण आधारित जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिये 'ह्यूमन रेफरेंस जीनोम' (HRG) मूलभूत आवश्यकता है।

- वर्ष 2009 में जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम (GRC) द्वारा 19वें 'ह्यूमन रेफरेंस जीनोम' संस्करण में 'जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम'-37 (GRCh37) जारी किया गया था जिसे अक्सर ह्यूमन जीनोम 19 (HG19) के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- GRCh37 रेफरेंस का जीनोम डेटा विश्लेषण में कई वर्षों तक बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था।
- GRCh38 वर्तमान में उपलब्ध सबसे सटीक 'मानव जीनोम अनुक्रम' रेफरेंस है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जीनोम अनुक्रमण शोध कार्यों में एक मानक के रूप में किया जा रहा है।

आगे की राह:

- मानव जीनोम प्रोजेक्ट का पूरी तरह से लाभ हासिल करने के लिये भारत को अपनी आबादी की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहीत करने और अगली पीढ़ी के जीनोमिक्स पर शोध करने में सक्षम मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
- सरकार को जीनोम अनुक्रम से जुड़ी नैतिकता संबंधी, पेटेंट संबंधी और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण करने की दिशा में आवश्यक उठाने की दिशा में काम करना चाहिये।

चावल के पौधों में पोटेशियम की कमी में सुधार हेतु प्रयास

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि एक विशिष्ट पादप हार्मोन 'जस्मोनेट' (Jasmonate-JA) के माध्यम से चावल के पौधों में पोटेशियम की कमी को दूर किया जा सकता है और साथ ही चावल की उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- जस्मोनेट (Jasmonate-JA) नामक पादप हॉर्मोन जो पौधे की प्रतिरक्षा के लिये कीटों, परोपजीवी एवं अन्य रोगजनकों जैसे जैविक कारकों से संबंधित होता है।
- इस अध्ययन में कहा गया है कि ओसजाज़9 (OsJAZ9) नामक एक जीन के ओवरएक्प्रेशन (Overexpression of a Gene) ने चावल के पौधों को पोटेशियम की कमी के प्रति अधिक सहनशील बनाने में मदद की।

जीन ओवरएक्प्रेशन (Gene Overexpression):

- 'जीन ओवरएक्प्रेशन' एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रचुर मात्रा में 'टारगेट प्रोटीन एक्प्रेशन' (Target Protein Expression) की ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया उस कोशिका में हो सकती है जहाँ जीन मूल रूप से या अन्य एक्प्रेशन प्रणालियों में स्थित होता है।
- जीन ओवरएक्प्रेशन के दो सामान्य उद्देश्य हैं:
  - इससे बड़ी संख्या में टारगेट जीन उत्पादों को प्राप्त किया जा सकता है जिनका उपयोग अनुसंधान या उत्पादन में किया जा सकता है जैसे- प्रोटीन की 3D संरचना का अध्ययन और किण्वन तकनीक द्वारा इंसुलिन तैयार करना।
  - जीन अतिउत्पादन के माध्यम से टारगेट जीन उत्पादों के जैविक कार्य का अध्ययन किया जा सकता है।
- यह अध्ययन नई दिल्ली स्थित 'राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान' (National Institute of Plant Genome Research- NIPGR) के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा संपन्न किया गया था।
- वैज्ञानिकों ने देखा कि पोटेशियम की कमी होने पर चावल के पौधों में जेए-इले (JA-ILe) [हार्मोन का एक जैव-सक्रिय रूप] के संचय में वृद्धि हुई। इसके बाद जेए-इले (JA-ILe) ने 'पोटेशियम ट्रांसपोर्टरों' (Potassium Transporters) को सक्रिय किया।

जेए-इले (JA-ILe):

- JA-ILe एक प्लांट हार्मोन है जो जैस्मोनिक एसिड (Jasmonic Acid) और अमीनो एसिड आइसोल्यूसिन (Amino Acid Isoleucine) के संयुग्मन से बनता है।
- JA-ILe पौधों की वृद्धि एवं विकास के कई पहलुओं में योगदान देता है और तनाव की स्थिति के तहत इसका स्तर बढ़ता है जिससे प्रतिरक्षा यौगिकों का उत्पादन होता है तथा विकास बाधित होता है।

- भारत में 1960 के दशक की हरित क्रांति को एक अन्य पादप हार्मोन द्वारा संचालित किया गया था जिसे गिबरेलिन्स (Gibberellins-GA) कहा जाता है।
- नए अध्ययन से पता चलता है कि भविष्य में होने वाले अनुसंधानों को जस्मोनेटे (Jasmonate- JA) हार्मोन की ओर उन्मुख किया जा सकता है जो पोषक तत्त्वों एवं कीटों से सुरक्षा प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

पौधों के लिये 'पोटेशियम' की महत्ता:

- 'पोटेशियम' पौधों के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण 'मैक्रोन्यूट्रिएंट्स' (Macronutrients) में से एक है।
- पौधों को अन्य तत्त्वों के अलावा 'पोटेशियम आयन' (Potassium Ion) की एक उच्च एवं अपेक्षाकृत स्थिर संकेंद्रण की आवश्यकता होती है जो श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में शामिल कई एंज़ाइमों को सक्रिय करता है।
- पोटेशियम ऊर्जा उत्पादन और कोशिका विस्तार जैसी महत्त्वपूर्ण सेलुलर प्रक्रियाओं (Cellular Processes) में भी शामिल होता है।
  - हालाँकि मृदा में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद होने के बावजूद पौधों के लिये इसकी उपलब्धता सीमित है। ऐसा इसलिये है क्योंकि मृदा में अधिकांश पोटेशियम (लगभग 98%) बाध्य रूपों में मौजूद हैं और मृदा विलयन में इसका निस्तारण पादप जड़ों द्वारा इसके अधिग्रहण की दर से काफी धीमा है।
- मृदा विलयन या विनिमेय रूप में पोटेशियम की उपलब्धता मृदा अम्लता, सोडियम एवं अमोनियम आयनों जैसे अन्य मोनोवलेंट कैटायन (Monovalent Cations) की उपस्थिति और मृदा के कणों के प्रकार जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

पादपों में पोटेशियम की कमी का प्रभाव:

- पादपों में पोटेशियम की कमी जड़ों एवं अंकुरों की वृद्धि को रोककर पौधों को प्रभावित करती है।
- अध्ययनों से पता चला है कि जिन पौधों में पोटेशियम की कमी होती है वे नमक, सूखा, ठंड लगना और अन्य अजैविक व जैविक तनावों के लिये अतिसंवेदनशील होते हैं।

निष्कर्ष:

- कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि 'भविष्य की कृषि को इनपुट-गहन (Input-Intensive) के बजाय इनपुट-कुशल (Input-Efficient) होना चाहिये'।
- अतः यह नवीनतम अध्ययन चावल की फसल में उर्वरक उपयोग दक्षता में सुधार के लिये आणविक/ आनुवंशिक संसाधनों को जोड़ता है जो सतत् कृषि (Sustainable Agriculture) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अहम है।

कमरे के तापमान पर अतिचालकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने एक ऐसी सामग्री बनाई है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता (Superconducting) का गुण प्रदर्शित करती है, हालाँकि यह केवल 267 गीगा पास्कल (GPa) के दाब पर काम करती है, जो पृथ्वी के केंद्र के लगभग तीन-चौथाई दबाव (360 GPa) के बराबर है।

प्रमुख बिंदु

- प्रयुक्त सामग्री (Material Used): कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर के मिश्रण को शोधकर्त्ताओं ने दो हीरों (DIAMONDS) के अतिसूक्ष्म नोक के बीच में रखा और रासायनिक प्रतिक्रिया जानने के लिये उस पर लेज़र प्रकाश का उपयोग किया।

प्रक्रिया (Process):

- जब उन्होंने प्रयोगात्मक तापमान (Experimental Temperature) को कम किया, तो विद्युत धारा का प्रतिरोध शून्य हो गया, जो यह दर्शाता है कि नमूना (Sample) अतिचालक बन गया है।

- अतिचालकता के लिये नमूने का संक्रमण 267 GPa पर लगभग 15°C के संक्रमण तापमान (Transition Temperature) में सबसे अच्छा हुआ।
- सत्यापन (Verification): यह सत्यापित करने के लिये कि यह चरण वास्तव में एक सुपरकंडक्टर था, समूह ने पता लगाया कि सुपरकंडक्टर की यह चुंबकीय संवेदनशीलता प्रति-चुंबकीय (Diamagnet) थी।
- शोधकर्त्ताओं ने कुछ सबूत भी पाए कि क्रिस्टल ने अपने चुंबकीय क्षेत्र को संक्रमण तापमान पर निष्कासित कर दिया, जो अतिचालकता का एक महत्त्वपूर्ण परीक्षण है।
- इसे मैस्नर प्रभाव (Meissner Effect) भी कहा जाता है जिसका सीधा अर्थ है कि चुंबकीय लाइनें सुपरकंडक्टर्स से नहीं गुजरती हैं।

अतिचालक (Superconductors):

- एक सुपरकंडक्टर ऐसी सामग्री है जो बिना किसी प्रतिरोध के एक परमाणु से दूसरे में बिजली या इलेक्ट्रॉनों का संचालन कर सकती है।
- इसका मतलब है कि "क्रांतिक तापमान" पर पहुंचने पर गर्मी, ध्वनि या ऊर्जा का कोई अन्य रूप उस सामग्री से मुक्त नहीं होगा।
  - सुपरकंडक्टर्स का क्रांतिक तापमान (Critical Temperature) वह तापमान होता है जिस पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है।
- इसमें प्रमुख रूप से एल्युमीनियम, नाइओबियम, मैग्नीशियम डिबोराइड आदि शामिल हैं।

अनुप्रयोग:

- इसका प्रयोग मैग्नेटिक रिज़ोनेंस इमेजिंग (Magnetic Resonance Imaging- MRI), मशीनों, बिजली लाइनों, शक्तिशाली अतिचालक चुम्बकत्व (Ultra Powerful Superconducting Magnets), मोबाइल-फोन टावरों में होता है ।
- शोधकर्त्ता इसे पवन आधारित टरबाइन के लिये प्रयुक्त उच्च-प्रदर्शन जनरेटर में भी प्रयोग कर रहे हैं।

सीमाएँ:

- इनकी उपयोगिता अभी भी 'बल्की क्रायोजेनिक्स' (Bulky Cryogenics- बहुत कम तापमान पर सामग्री के उत्पादन और व्यवहार) की आवश्यकता द्वारा सीमित है क्योंकि सामान्य सुपरकंडक्टर वायुमंडलीय दबावों पर काम करते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक कि उन्हें बहुत ठंडा रखा जाता है।
- यहाँ तक कि तांबे के ऑक्साइड आधारित सिरेमिक सामग्री (Ceramic Materials) जैसे सबसे परिष्कृत तत्त्व भी केवल -140C से नीचे काम करते हैं।

अनुसंधान का महत्त्व:

- यदि शोधकर्त्ता व्यापक दबाव पर सामग्री को स्थिर कर सकते हैं, तो कमरे के तापमान पर अतिचालकता के अनुप्रयोगों को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रतिचुंबकत्व (Diamagnetism)

- जब इन पदार्थों को असमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये पदार्थ अधिक प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र से कम प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं।
- यह चुंबकत्व गैर-स्थायी है और केवल एक बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में रहता है।
- प्रेरित चुंबकीय क्षण (magnetic moment) का परिमाण बहुत कम होता है और इसकी दिशा लागू क्षेत्र के विपरीत होती है।

मैस्नर प्रभाव (Meissner Effect)

- जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त होता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इसे मैस्नर प्रभाव (Meissner effect) कहते हैं।
- एक सुपरकंडक्टर के अंदर शून्य चुंबकीय क्षेत्र के लिये यह बाधा पूर्ण प्रतिचुंबकत्व से अलग है जो इसके शून्य विद्युत प्रतिरोध से उत्पन्न होगी।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

नीलगिरी हाथी कॉरिडोर

चर्चा में क्यों?

14 अक्तूबर, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने नीलगिरी हाथी कॉरिडोर (Nilgiris Elephant Corridor) पर मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के एक आदेश को बरकरार रखा जो हाथियों से संबंधित 'राइट ऑफ पैसेज' (Right of Passage) और क्षेत्र में होटल/रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि करता है।

प्रमुख बिंदु:

- मद्रास उच्च न्यायालय ने जुलाई, 2011 में घोषित किया था कि तमिलनाडु सरकार को केंद्र सरकार के 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' (Project Elephant) के साथ-साथ राज्य के नीलगिरी ज़िले में हाथी कॉरिडोर को अधिसूचित करने के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A (G) के तहत पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है।
  - यह हाथी कॉरिडोर नीलगिरी ज़िले में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान (Mudumalai National Park) के पास मसिनागुड़ी (Masinagudi) क्षेत्र में अवस्थित है।

हाथी कॉरिडोर:

- यह भूमि का वह सँकरा गलियारा या रास्ता होता है जो हाथियों को एक वृहद् पर्यावास से जोड़ता है। यह जानवरों के आवागमन के लिये एक पाइपलाइन का कार्य करता है।
- वर्ष 2005 में 88 हाथी गलियारे चिन्हित किये गए थे, जो आगे बढ़कर 101 हो गए। हालाँकि कई कारणों से ये कॉरिडोर खतरे में हैं।
- विकास कार्यों के कारण हाथियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। कोयला खनन तथा लौह अयस्क का खनन हाथी गलियारे को नुकसान पहुँचाने वाले दो प्रमुख कारक हैं।

हाथी कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों?

- हाथियों को चरने के लिये एक वृहद् मैदान की आवश्यकता होती है किंतु अधिकांश रिज़र्व इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हाथी अपने आवास से बाहर से निकल आते हैं, जिससे मनुष्य के साथ हाथियों का संघर्ष बढ़ जाता है।
- उच्चतम न्यायालय की एक बेंच ने 'हॉस्पिटेलिटी एसोसिएशन ऑफ मुदुमलाई एवं अन्य (Hospitality Association of Mudumalai and Others) द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज़ कर दिया है।
  - उच्चतम न्यायालय ने हाथी कॉरिडोर के संदर्भ में रिसॉर्ट मालिकों एवं निजी भूमि मालिकों की व्यक्तिगत आपत्तियों पर सुनवाई के लिये एक समिति के गठन की भी अनुमति दी जिसमें उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं दो अन्य व्यक्ति शामिल होंगे।
  - कई याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि उनके पास अपने रिसॉर्ट्स को संचालित करने के लिये उचित अनुमति थी जो आवासीय स्थानों पर अवस्थित थे।
    - तब उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाकर्त्ताओं की शिकायतों को देखने के लिये एक तीन-सदस्यीय जाँच समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया जिससे यह पता लगाया जा सके किन प्रतिष्ठानों को ध्वस्त किया जाए और किसे स्थानांतरित किया जाए।

वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय का आदेश:

- उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 2018 में तमिलनाडु सरकार को 48 घंटों के भीतर नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में हाथी कॉरिडोर पर बने 11 होटलों एवं रिसॉर्ट्स को सील करने या बंद करने का निर्देश दिया था।

- न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी निर्देश दिया था कि वैध परमिट वाले रिसॉर्ट एवं होटल को 24 घंटे के भीतर ज़िला कलेक्टर को अपने दस्तावेज़ पेश करने होंगे।
  - कलेक्टर दस्तावेज़ों को सत्यापित करेगा और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पूर्व अनुमोदन के बिना एक रिसॉर्ट या होटल का निर्माण किया गया है तो उसे 48 घंटे के भीतर बंद किया जाएगा।
- गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने जनवरी, 2020 में नीलगिरी ज़िले में हाथी कॉरिडोर से संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान कहा था कि 'नीलगिरी ज़िले का मसिनागुड़ी (Masinagudi) क्षेत्र एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ हाथियों को रास्ता दिया जाना चाहिये।'

भारत में हाथी कॉरिडोर की स्थिति एवं इससे संबंधित समझौते:

- वर्ष 2019 में एशियाई हाथी समझौते के तहत पाँच गैर-सरकारी संगठनों द्वारा एक अंब्रेला पहल (Umbrella Initiative) की शुरुआत की गई है जिसमें भारत के 12 राज्यों में हाथियों के लिये मौजूदा 101 गलियारों में से 96 गलियारों को एक साथ सुरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
  - एक सर्वेक्षण के दौरान देश में सात हाथी गलियारों की स्थिति बहुत खराब पाई गई है।
  - इस समझौते के तहत गलियारों के लिये आवश्यक भूमि (Land) प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं हेतु धन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
  - इस समझौते में वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ 'NGO एलीफेंट फैमिली' (NGOs Elephant Family), इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर (International Fund for Animal Welfare), IUCN नीदरलैंड और वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट (World Land Trust) शामिल हैं।

मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान (Mudumalai National Park):

- 'मुदुमलाई' नाम का अर्थ है 'प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला'। वास्तव में यह 65 मिलियन वर्ष पुराना है जब पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था।
- मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिज़र्व भी घोषित किया गया है जो तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी ज़िले में तीन राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई-जंक्शन पर अवस्थित है।
- इस अभयारण्य को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया है- मसिनागुड़ी, थेपकाडु, मुदुमलाई, करगुडी और नेल्लोटा।
- यह नीलगिर बायोस्फीयर रिज़र्व (भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिज़र्व) का एक हिस्सा है जिसके पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल), उत्तर में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक), दक्षिण में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान एवं साइलेंट वैली अवस्थित है।
- यहाँ लंबी घास की मौजूदगी है जिसे आमतौर पर 'एलीफेंट ग्रास' (Elephant Grass) कहा जाता है।

'प्रोजेक्ट एलीफेंट' (Project Elephant):

- प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे फरवरी, 1992 में हाथियों के आवास एवं गलियारों की सुरक्षा के लिये लॉन्च किया गया था।
- यह मानव-वन्यजीव संघर्ष और घरेलू हाथियों के कल्याण जैसे मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से देश में प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A (g):

- अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार कार्य करेगा तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखेगा।

नोट :

पर्ल रिवर एश्चुरी में डॉल्फिन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, पर्ल रिवर एश्चुरी (Pearl River Estuary- PRE) में चाइनीज़ पिंक डॉल्फिन (Chinese Pink Dolphins) की संख्या में वृद्धि देखी गई है।

- इंडो-पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन (Indo-Pacific Humpback Dolphins) को चाइनीज़ व्हाइट डॉल्फिन (Chinese White Dolphins) या पिंक डॉल्फिन (Pink Dolphins) के रूप में भी जाना जाता है, जो उनकी त्वचा के रंग को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु:

पर्ल रिवर एश्चुरी (Pearl River Estuary- PRE):

- इसमें हॉन्गकॉन्ग, मकाओ के साथ-साथ शेन्ज़ेन, ग्वांगझू और डोंगगू नामक मुख्य चीनी शहर शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में लगभग 22 मिलियन लोग रहते हैं।
- पर्ल रिवर डेल्टा (Pearl River Delta), PRE के आसपास का निचला इलाका है जहाँ पर्ल नदी (Pearl River) दक्षिण चीन सागर में मिलती है।
  - यह पृथ्वी पर दुनिया के सबसे घने शहरी क्षेत्र, गहन औद्योगिक क्षेत्र और सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है।

वर्तमान परिदृश्य:

- गौरतलब है कि डॉल्फिन जल में अपना रास्ता खोजने के लिये इकोलोकेशन (Echolocation) का उपयोग करते हैं किंतु पानी के जहाज़ अक्सर उनके द्वारा रास्ता खोजे जाने दौरान अवरोध उत्पन्न करते हैं और यहाँ तक कि जहाज़ों से टकराने के कारण कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

इकोलोकेशन (Echolocation):

- इकोलोकेशन, ध्वनि तरंगों एवं गूँज का उपयोग यह निर्धारित करने के लिये किया जाता है कि आसपास के क्षेत्र में वस्तुएँ कहाँ अवस्थित हैं।
- चमगादड़ नेवीगेशन एवं अंधेरे में भोजन खोजने के लिये इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं।
- हालाँकि हॉन्गकॉन्ग और मकाओ के बीच जल में डॉल्फिन की संख्या में वर्ष 2020 में एक बदलाव देखा गया है क्योंकि COVID-19 महामारी के मद्देनज़र तटीय घाटों को बंद कर दिया गया था जिससे जलीय यातायात में भी कमी आई थी।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, PRE के जल में पिंक डॉल्फिन की संख्या में लगभग एक-तिहाई वृद्धि हुई है।

इंडो-पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन (Indo-Pacific Humpback Dolphins):

- वैज्ञानिक नाम: सौसा चिनेंसिस (Sousa Chinensis)
- पर्यावास क्षेत्र (Habitat Region):
  - यह मध्य चीन के दक्षिण-पश्चिम से पूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया तक और मध्य चीन के पश्चिम से बंगाल की खाड़ी तक के आसपास के ज्वारनदमुख में उच्चतम घनत्व में पाई जाती है।
  - विभिन्न क्षेत्रों में इसका वितरण खंडित है अर्थात् ये डॉल्फिन समुद्र तट से संबंधित विस्तृत जल क्षेत्रों से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।
    - डॉल्फिन के इस विखंडित वितरण के बारे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह प्राकृतिक है या मानव गतिविधियों के कारण है।
- वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर (WWF) का कहना है कि PRE में इन डॉल्फिनों की संख्या लगभग 2500 है किंतु युवा डॉल्फिनों की गिरती संख्या भविष्य में इनकी संख्या को कम कर सकती है।
  - इनकी संख्या में पिछले 15 वर्षों में 70-80% की गिरावट देखी गई है।
- खतरा: इन डॉल्फिनों को निम्नलिखित घटकों से खतरा है:
  - कृषि, औद्योगिक एवं शहरी प्रदूषण से।

- अत्यधिक मत्स्यन से।
- हवाई अड्डों के विस्तार एवं आवासीय/कार्यालय विकास के लिये पुल-निर्माण और भूमि निर्माण सहित समुद्री तटीय निर्माण के कारण।
- तेज़ फेरी सेवा के संचालन के साथ-साथ अन्य जलीय परिवहन से।

- प्रभाव: उपर्युक्त खतरों से डॉल्फिनों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:
  - डॉल्फिनों के उपयुक्त निवास स्थान को नुकसान।
  - अवरोध एवं पोत हमलों से डॉल्फिन की मृत्यु।
  - डॉल्फिनों के स्वास्थ्य पर रासायनिक एवं ध्वनि प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव।
- संरक्षण:
  - IUCN की रेड लिस्ट में 'इंडो-पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन' को संवेदनशील (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

पारिस्थितिक गरीबी की अवधारणा

चर्चा में क्यों?

17 अक्तूबर, 2020 को 'गरीबी उन्मूलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस' की 27वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के माध्यम से वर्ष 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी।
- वर्ष 2020 में इस दिवस का विषय था- "सभी के लिये सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्ति को एक साथ कार्य मिलकर कार्य करना।"

गरीबी की वर्तमान स्थिति:

- विगत 25 वर्षों में विश्व में पहली बार COVID-19 महामारी के कारण गरीबी में वृद्धि दर्ज की गई है।
- गरीबी में होने वाली वृद्धि ने देशों को वर्तमान 'आय आधारित गरीबी मापन' की पद्धति के स्थान पर अन्य प्रणाली को अपनाने पर विचार करने को मजबूर किया है।
- COVID-19 महामारी के कारण दुनिया में 115 मिलियन से अधिक लोग 'गरीब की श्रेणी' में शामिल हो गए हैं तथा इनका प्रसार सार्वभौमिक है। अर्थात् इसमें विकसित-विकासशील, नगरीय-ग्रामीण, यूरोप-एशिया सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।
- विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में प्रत्येक 10 लोगों में से एक 'अत्यधिक गरीब' (Extreme poor) श्रेणी में शामिल था।
  - विश्व वैंक के अनुसार, 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम आय स्तर को 'अत्यधिक गरीबी रेखा' के रूप में जाना जाता था।

पारिस्थितिकीय गरीबी (Ecological Poverty):

- 'पारिस्थितिक अवनयन' (Ecological Degradation) के कारण लोगों का आय स्तर भी प्रभावित होता है। इस प्रकार 'पारिस्थितिक अवनयन' जनित 'आय गरीबी' (Income Poverty) को 'पारिस्थितिक गरीबी' कहा जाता है।
- विभिन्न अनुमानों के अनुसार, विश्व स्तर पर संपत्ति में 'प्राकृतिक पूंजी' (Natural Capital) का 9 प्रतिशत योगदान है, लेकिन कम आय वाले देशों में यह 47 प्रतिशत है। यह विकासशील और गरीब देशों में प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों की निर्भरता को दर्शाता है। इस प्रकार 'पारिस्थितिक अवनयन' से कम आय वाले देशों में गरीबी का स्तर सर्वाधिक बढ़ता है।
- 'खाद्य और कृषि संगठन' (FAO) के अनुसार, एक अरब से अधिक लोग वनों पर आश्रित हैं और उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं।
- भारत में 'वन क्षेत्र' और 'गरीबी क्षेत्र' के मैप में समानता देखने को मिलती है। भारत में सबसे अधिक गरीबी छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में देखने को मिलती है।

- विश्व बैंक की 'गरीबी और साझा समृद्धि' रिपोर्ट 2018 के अनुसार, गरीबी में कमी की दर धीमी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, विगत दो दशकों में दुनिया में गरीबों के वितरण में नाटकीय बदलाव आया है। यह परिवर्तन, आर्थिक भलाई (Economic Well-being) के लिये पारिस्थितिकी के महत्त्व को उजागर करता है।
    - वर्ष 1990 में वैश्विक गरीबों के आधे से अधिक पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र से थे। दुनिया के 27 सबसे गरीब देशों में से 26 उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र से थे। वर्ष 2002 में दुनिया के गरीबों का सिर्फ एक-चौथाई इस क्षेत्र से था लेकिन वर्ष 2015 तक 50 प्रतिशत से अधिक गरीब इस क्षेत्र से थे।

गरीबी का बदलता परिदृश्य:

- वर्तमान गरीबी के वितरण को देखकर दो मुख्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
    - प्रथम, अधिकांश गरीब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
    - दूसरा, इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी का बहुत अधिक अवनयन हो चुका है।
- इन क्षेत्रों में अधिकांश गरीब जनसंख्या अपनी आजीविका के लिये भूमि, जंगल और पशुधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। उनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था (Economy) पारिस्थितिकी (Ecology) पर आधारित होती है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी में ह्रास, गरीबी का कारण बनता है।

पारिस्थितिकी और अधिकारिता का मुद्दा:

- प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर जनसंख्या के संबंध में एक असहज प्रश्न यह है कि वे कौन-से कारण हैं जिनके कारण प्रकृति पर निर्भर लोग गरीब बने रहते हैं?
- 'जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति प्लेटफॉर्म' (IPBES) की 'वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट' के अनुसार, प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली सेवाओं में वृद्धि हुई है, जबकि विनियमन और रखरखाव सेवाओं के प्रावधान में गिरावट आई है।
- वर्तमान प्रकृति संरक्षण के प्रयास निरंतरता यथा- 'आइची जैव विविधता लक्ष्य', 'सतत् विकास लक्ष्य'- 2030 आदि पर्यावरण अवनयन को रोकने के लिये अपर्याप्त हैं।
- 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) के एक अध्ययन के अनुसार, विश्व स्तर पर उत्पादित पूंजी में प्रति हेड दोगुनी और मानव पूंजी में प्रति हेड लगभग 13% की वृद्धि हुई है, लेकिन प्रति हेड प्राकृतिक पूंजी स्टॉक के मूल्य में लगभग 40% की गिरावट आई है (अवधि वर्ष 1992-2014)।
    - अर्थात् जो लोग पर्यावरण पर निर्भर हैं, उनकी संपत्ति में गिरावट देखी गई है, जिससे गरीबी को बढ़ावा मिलता है।

आगे की राह:

- गरीबी उन्मूलन सहित समग्र विश्व के विकास के लिये पारिस्थितिकी का महत्त्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 169 सतत् विकास लक्ष्यों में से 86 प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यावरणीय क्षति को कम करने या प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देने के लिये लक्षित हैं।
- सभी रूपों में 'गरीबी उन्मूलन' के लक्ष्य को 10 वर्षों अर्थात वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ही 'सामाजिक और पर्यावरणीय' न्याय को हमारी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रमुख हिस्से के रूप में अपनाना चाहिये।
- हमें गरीबी के पारिस्थितिक आयाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रकृति पर निर्भर लोगों के लिये प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच और अधिकारिता उपायों को गरीबी उन्मूलन रणनीतियों के केंद्र में रखना चाहिये।

भारत में स्किंक की प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण' (Zoological Survey of India-ZSI) द्वारा भारत में स्किंक की प्रजातियों के वितरण पर 'स्किंक इन इंडिया' नामक पुस्तक जारी की गई।

प्रमुख बिंदु:

- यह पुस्तक भारत के सभी 11 'जैव-भौगोलिक क्षेत्रों' (Bio-geographic Zone) में क्लिंक्स की प्रजातियों के वितरण का एक जातिवृत्तीय (Phylogenetic) और जैव-भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
- पुस्तक में क्लिंक्स की प्रजातियों पर ब्रिटिश युग से लेकर वर्तमान तक के ऐतिहासिक अध्ययनों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

स्किंक (Skinks) प्रजातियाँ:

- परिवार: स्किनकेड, फाइलम: कॉर्डेटा, क्रम: स्क्वामाटा, वर्ग: रेप्टिलिया।
- यह छोटे या अनुपस्थित अंगों के साथ चिकना शरीर वाली छिपकली है।
- इसकी प्रजातियाँ आमतौर पर रेतीले मैदानों, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
- स्किंक अत्यधिक सतर्क, फुर्तीली प्रजाति है जो विभिन्न प्रकार के कीड़ों और छोटे अकशेरुकी जीवों को भोजन के रूप में प्राप्त करने के लिये तेज़ी से आगे हैं।

सर्पों से भिन्नता :

- स्किंक प्रजातियों में कम अंग या पूरी तरह से अंगों का अभाव पाया जाता है, अत: ये सर्पों के समान रेंगकर चलती हैं।
- सर्पों से मिलती-जुलती चाल के कारण लोगों की इसके प्रति गलत धारणा है कि ये विषैले होते हैं। इसी कारण इन प्राणियों में से कई को लोगों द्वारा मार दिया जाता है।

भारत में स्किंक्स प्रजातियाँ:

- विश्व भर में स्किंक्स की 1,602 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें से 4% से भी कम प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं।
- भारत में स्किंक्स की 62 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें से 57% (33 प्रजातियाँ) स्थानिक हैं।
- पश्चिमी घाट में स्किंक्स की कुल 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 18 प्रजातियाँ स्थानिक हैं।
- दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुल 19 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 13 स्थानिक हैं।
- उत्तर-पूर्व में स्किंक की कुल 14 कंकाल प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया हैं जिनमें से दो प्रजातियाँ स्थानिक हैं।

स्किंक्स के जेनेरा:

- भारत में पाए जाने वाले स्किंक्स के 16 जेनेरा में से चार जेनेरा स्थानिक हैं।
  - जेनेरा, समान लक्षणों वाले पशुओं, पौधों आदि का वर्ग होता है, जो परिवार (Family) से छोटा और प्रजाति (Species) से बड़ा होता है।
- सित्सोफिस (एक प्रजाति के साथ) और बरकुड़िया (दो प्रजातियों के साथ) पूर्वी तट की पहाड़ियों और तटीय मैदानों में पाए जाने वाले जेनेरा हैं।
- ओडिशा के चिल्का झील में बरकुड द्वीप (Barkud Island) में बरकूडिया इंसुलिरिस जेनेरा पाया जाता है।
- कैस्टलिया (Kaestlea) जेनेरा की पाँच प्रजातियाँ पश्चिमी घाट और रिस्टेला की चार प्रजातियाँ पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थानिक हैं।

महत्त्व:

- स्किंक्स की प्रजातियों के वर्गीकरण के दृष्टिकोण से पुस्तक का प्रकाशन महत्त्वपूर्ण है और पुस्तक का प्रकाशन प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के बीच रुचि पैदा करेगी।

- स्फिंक्स की प्रजातियों के बारे में लोगों को सटीक जानकारी प्रदान करने से इन प्रजातियों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

समुद्री-घास का पारिस्थितिकीय महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'सोसाइटी फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर' (SCON), त्रिची (तमिलनाडु) के अध्यक्ष द्वारा 'समुद्री-घास' (Seagrasses) के महत्त्व को उजागर किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- SCON, भारत सरकार के 'सोसायटी अधिनियम' के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन है।

  समुद्री-घास के बारे में:
- समुद्री-घास समुद्री पुष्पी पौधे होते हैं जो मुख्यत: उथले सागरीय जल यथा- जलमग्न खाड़ी और लैगून में उगते हैं।
- हालाँकि समुद्री-घास मृदा से लेकर चट्टानीय भागों तक उप-परत में पाई जाती है, लेकिन हरी-भरी समुद्री-घास मुख्यत: दलदल और रेतीली उपस्तरीय परत में पाई जाती है।
  - यहाँ उपपरत/सब्सट्रेट का तात्पर्य उस परत से जो सागरीय जल के नीचे पाई जाती है।
- यह अलिस्मातालेस (Alismatales) गण (Order) से संबंधित है, जिसकी चार परिवारों से संबंधित 60 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- समुद्री-घास में प्रजातीय विविधता बहुत कम पाई जाती है (<60 प्रजातियाँ), लेकिन प्रजातियों का वितरण बहुत व्यापक स्तर पर पाया जाता है।

समुद्री-घास के उदाहरण:

- सी काउ ग्रास (सीमोडोसेया सेरुलता), थ्रीड सी ग्रास (सिमोडोशिया रोटंडेटा), नीडल सी ग्रास (सीरिंगोडियम आइसोइटिफोलियम), फ्लैट-टैप्ड सी ग्रास (हालोड्यूल यूनिनर्विस), स्पून सी ग्रास (हल्लोविला ओवल) आदि समुद्री-घास के कुछ उदाहरण हैं।

समुद्री-घास का वितरण:

- समुद्री-घास मुख्यत: समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों पर पाई जाती है। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों में समुद्री-घास पाई जाती है परंतु तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और पाक-जलडमरूमध्य में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
- मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीप हैं। यहाँ के कुरुसादी, पुम्हारिचन, पुलिवासल और थलियारी द्वीपों के आसपास समुद्री-घास की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ समुद्री-घास के सभी 6 जेनेरा और 11 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

समुद्री-घास का पारिस्थितिकीय महत्त्व:

- समुद्री-घास कई प्रकार की पारिस्थितिकीय सेवाएँ प्रदान करती है। इसलिये इसे 'इकोसिस्टम इंजीनियर' के रूप में भी जाता जाता है।

तटीय जल की गुणवत्ता में वृद्धि:

- समुद्री-घास जल की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है। वह जल- स्तंभ में मौजूद तलछट और निलंबित कणों को फँसाकर, उनका नितल पर जमाव करते हैं जिससे जल की दृश्यता (Water Clarity) बढ़ती है।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जल में स्पष्टता का अभाव समुद्री जानवरों के व्यवहार को प्रभावित करता है।

पोषक तत्त्वों का निस्पंदन:

- समुद्री-घास भूमि आधारित उद्योगों से जारी पोषक तत्वों को फ़िल्टर करती है, जिससे प्रवाल भित्तियों को शुद्ध पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं।
  - प्रवाल भितियाँ पोषक तत्त्वों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं ।

तटों की समुद्री धाराओं से सुरक्षा:

- सागरीय तट और नितल समुद्री धाराओं और तूफानों की तीव्र लहरों के प्रति प्रवण होते हैं।
- समुद्री-घास की जड़ों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण पाया जाता है। स्थलीय जड़ों के समान ये समुद्री नितल को स्थिर करके उसे मृदा क्षरण से बचाते हैं।

सागरीय जीवों का संरक्षण:

- सुरक्षा: समुद्री-घास में मत्स्य की अनेक लघु प्रजातियाँ शरण लेती हैं, समुद्री-घास के मुलायम तलछट में अनेक समुद्री जीवों का आवास होता है।
- आवास: समुद्री-घास मज़बूत सागरीय धाराओं से समुद्री कीड़ों, केकड़ों, स्टारफिश, समुद्री खीरे (Cucumbers), समुद्री अर्चिन आदि की रक्षा करती है। यह इन जीवों को आवास के साथ-साथ भोजन भी प्रदान करती है। सीहॉर्स लगभग पूरे वर्ष समुद्री-घास के मैदानों में रहते हैं।
- भोजन: कुछ लुप्तप्राय समुद्री जीव जैसे डुगोंग, ग्रीन टर्टल आदि प्रत्यक्षत: भोजन के लिये समुद्री-घास पर निर्भर रहते हैं। कई अन्य सूक्ष्मजीव अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री खाद्य पदार्थों से पोषक तत्त्व लेते हैं। बॉटल-नोज़ डॉल्फिन भोजन के लिये समुद्री-घास में रहने वाले जीवों पर निर्भर रहती है।

पोषक तत्त्वों तथा उर्वरक की प्राप्ति:

- मृत समुद्री-घास के विघटन से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्त्वों की प्राप्ति होती है। ये फाइटोप्लैंकटन के लिये पोषक तत्त्व के रूप में कार्य करते हैं। समुद्री-घास का इस्तेमाल रेतीली मृदा के लिये उर्वरक के रूप में किया जाता है।

कार्बन पृथक्करण के रूप में:

- एक एकड़ समुद्री-घास प्रतिवर्ष 740 पाउंड कार्बन का पृथक्करण (Sequester) कर सकती है।
- उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में समुद्री-घास वातावरण से 35 गुना अधिक तेज़ी से कार्बन का पृथक्करण कर सकती है।

पारिस्थितिकी पर प्रभाव:

- समुद्री-घास में 2-5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गिरावट हो रही है। हाल के दशक में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री-घास की कमी हुई है।
- अवसादों का बढ़ना, मत्स्य ट्रोलिंग, तटीय इंजीनियरिंग निर्माण कार्य, प्रदूषण आदि के कारण सामुद्रिक घास पारिस्थितिकी में गिरावट देखी गई है।

आगे की राह:

- 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ' (IUCN) को समुद्री-घास के संरक्षण के लिये तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिये और समुद्री-घास की विभिन्न प्रजातियों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिये।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में समुद्री-घास महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैश्विक स्तर पर समुद्री-घास की प्रजातियों की पुनर्बहाली का प्रयास किया जाना चाहिये।समुद्री-घास के संरक्षण के लिये उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है।

बायोरेमेडिएशन तंत्र तकनीक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (National Institute of Ocean Technology- NIOT), चेन्नई द्वारा समुद्री रोगाणुओं तथा गेहूँ के चोकर के कंसोर्टिया (दो या दो से अधिक प्रजातियों के समूह) का उपयोग करके इमोबिलाइज़्ड (रोगाणुओं पर नियंत्रण में गिरावट) एग्रो-अवशेष बैक्टीरियल कोशिकाओं पर एक पर्यावरण-अनुकूल कच्चे तेल बायोरेमेडिएशन तंत्र तकनीक (Eco-friendly Crude Oil Bioremediation Mechanism Technology) को विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- गेहूँ का चोकर गेहूँ के दाने की बाहरी कठोर परत है, जिसे मिलिंग प्रक्रिया (Milling Process) द्वारा हटाया जाता है।

पर्यावरण अनुकूल कच्चे तेल बायोरेमेडिएशन तंत्र तकनीक:

- बायोरेमेडिएशन: इसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सूक्ष्मजीवों या उनके एंजाइमों का उपयोग पर्यावरण में मौजूद दूषित पदार्थों को उनकी मूल स्थिति से हटाने एवं बेअसर करने के लिये प्रयोग की जाती है।
- समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में गहरे समुद्र में हाइड्रोकार्बनोक्लास्टिक माइक्रोबियल कंसोर्टियम(Hydrocarbonoclastic Microbial Consortium) समुद्री जल पर फैली तेल की परत को तोड़ने में मदद करता है।
  - माइक्रोबियल समुदाय (Microbial Community) विभिन्न एल्डिहाइडस(Aldehydes), किटोन्स (Ketone) और अम्लीय उपापचयों(Acidic Metabolites) में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के जटिल मिश्रण के ऊर्जावान प्राथमिक अपघटक (Primary Degraders) के रूप में कार्य करता है।
  - ये हाइड्रोकार्बन अपघटक बैक्टीरिया(Hydrocarbon Degrading Bacteria) जीवित रहने के लिये हाइड्रोकार्बन पर निर्भर नहीं रहते , परंतु एक चयापचय तंत्र के रूप में ये कार्बन और ऊर्जा स्रोत के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग करते हैं तथा इस प्रकार ये फैले तेल को साफ करने में मदद करते हैं।
  - कच्चे तेल को पूर्ण रूप से विघटित करने के लिये समुद्री रोगाणुओं तथा गेहूँ के चोकर के कंसोर्टिया (जो कम लागत वाले गैर-विषैले कृषि अवशेष हैं) का उपयोग पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थायी रूप से करने योग्य है।
  - कच्चे तेल को पर्यावरण अनुकूल तरीके से समुद्री रोगाणुओं तथा गेहूँ के चोकर के कंसोर्टिया का उपयोग करके पूर्ण रूप से विखंडित किया जा सकता है।

स्थिर अवस्था (Immobilized State) के लाभ:

- समुद्री रोगाणुओं तथा गेहूँ के चोकर के कंसोर्टिया तेल के फैलने को कम करने में मुक्त बैक्टीरिया कोशिकाओं की तुलना में अपनी स्थिर अवस्था में अधिक प्रभावी होते हैं।
  - इनके द्वारा 10 दिनों के भीतर 84% तेल सतह से हटाया जा सकता है। मुक्त जीवाणु कोशिकाओं ने अनुकूलित परिस्थितियों में कच्चे तेल के अधिकतम 60% रिसाव को साफ किया है।
  - ये प्रतिकूल परिस्थितियों के लिये अधिक प्रतिरोधी हैं।
  - गैर-विषैली सफाई तकनीक समुद्री वातावरण से तेल के आकस्मिक निर्वहन को उपचारित करने में अधिक प्रभावी है।

तेल का रिसाव/फैलना:

- यह कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या पर्यावरण में अन्य तेल उत्पादों का एक आकस्मिक/ अनियंत्रित रिसाव है। तेल रिसाव की घटना भूमि, वायु या पानी को प्रदूषित कर सकती है, हालाँकि इसका उपयोग सामान्य तौर पर समुद्री तेल के फैलाव के संदर्भ में किया जाता है।
  - वर्ष 2020 में मॉरीशस में एमवी वकाशियो (MV Wakashio) नामक जापानी जहाज़ के कोरल रीफ से टकरा जाने के बाद दुर्लभ वन्यजीव अभयारण्य में 1,000 टन तेल का रिसाव हो गया।
- कारण: गहन पेट्रोलियम अन्वेषण, उत्पादन तथा जहाज़ों में बड़ी मात्रा में तेलों के परिवहन के परिणामस्वरूप तेल रिसाव एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन गई है, मुख्य रूप से महाद्वीपीय क्षेत्रों के पास।
- उपाय: समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचाए बिना महासागरों में फैले तेल को साफ करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
  - कंटेनमेंट बूम्स (Containment Booms): फ्लोटिंग बैरियर्स, जिन्हें बूम कहा जाता है, का उपयोग तेल के प्रसार को प्रतिबंधित करने, हटाने के लिये किया जाता है।
  - स्किमर्स (Skimmers): वे उपकरण जिनका उपयोग पानी की सतह से तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिये किया जाता है।

- सॉर्बेंट्स(Sorbents:): विभिन्न सॉर्बेंट्स (जैसे- पुआल, ज्वालामुखीय राख और पॉलिएस्टर-व्युत्पन्न प्लास्टिक की छीलन) का उपयोग जल से तेल को अवशोषित करने में किया जाता है।
- फैलाने वाले एजेंट(Dispersing agents): ये ऐसे रसायन होते हैं जिनमें सर्फैक्टेंट विद्यमान होते हैं, या ये ऐसे यौगिक होते हैं जो तरल पदार्थों जैसे- तेल की छोटी बूँदों को तोड़ने का काम करते हैं। साथ ही समुद्र में इसके प्राकृतिक फैलाव को तेज करते हैं।

कालेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) द्वारा दिये गए एक निर्णय के अनुसार, तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को 'भूतलक्षी प्रभाव' से पर्यावरणीय मंज़ूरी देने में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- NGT ने कहा है कि इन कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जवाबदेही तय करने और उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है।
- NGT ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वर्तमान मामले में जाँच के लिये संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञता वाले अधिमानत: सात सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।
- सिद्दीपेट (Siddipet) ज़िले के एक प्रभावित किसान द्वारा दायर याचिका के जवाब में मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किये गए एक फैसले में NGT की प्रधान पीठ ने मंत्रालय को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिये कहा जो छह महीने के भीतर अपना कार्य पूरा करेगी। पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित सचिव को इस परियोजना की निगरानी करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित पक्ष को तीन सप्ताह के भीतर इस संबंध में मंत्रालय में अभिवेदन देने की छूट होगी।
- NGT ने कहा कि वह परियोजना प्रस्तावक के इस विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि प्राथमिक रूप से यह परियोजना जल आपूर्ति और जल प्रबंधन के लिये है और सिंचाई इस परियोजना का सहायक भाग है, इसलिये वर्ष 2008-2017 के दौरान परियोजना के क्रियान्वयन से पहले ज़रूरी पर्यावरण मंज़ूरी नहीं ली गई थी।
- NGT की प्रधान पीठ ने सुझाव दिया है कि विशेषज्ञ समिति वर्ष 2008-2017 की अवधि के दौरान पर्यावरणीय मंज़ूरी के बिना परियोजना जारी रहने के कारण होने वाले नुकसान का आकलन कर सकती है और आवश्यक बहाली के उपायों की पहचान कर सकती है।
- इसके अलावा NGT ने कहा है कि राहत और पुनर्वास संबंधी उपायों को अपनाया जा सकता है और इन्हें आगे भी अपनाया जाना आवश्यक है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की जाँच करने के साथ ही पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिये आवश्यक शर्तों का अनुपालन भी किया जाए।

बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय मंज़ूरी:

- NGT के अनुसार, यह विशेष रूप से आवश्यक है कि अगर परियोजनाएँ बहुउद्देश्यीय हैं तो उनके लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता होती है।
- NGT ने कहा कि पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता को इस तर्क से खारिज नहीं किया जा सकता है कि परियोजना को आंशिक रूप से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना द्वारा स्वीकृत किया गया था, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ।
- NGT के अनुसार, इस तरह की परियोजनाओं के लिये केवल दस्तावेज़ी स्वीकृति के बजाय एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है और इसके बाद जहाँ भी आवश्यक हो, विवरणों का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।

भारत में वायु प्रदूषण और नवजात स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों?

'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' (HEI) की रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर'- 2020 (SoGA- 2020) के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष 116,000 से अधिक नवजात शिशुओं की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है।

प्रमुख बिंदु:

- SoGA रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर वायु की गुणवत्ता और इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा रुझानों का व्यापक विश्लेषण किया जाता है।
- रिपोर्ट में वायु प्रदूषण तथा भारत में शिशु मृत्यु के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

रिपोर्ट संबंधी प्रमुख तथ्य:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 116,000 से अधिक नवजातों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है।
- 50% से अधिक नवजातों की मृत्यु आउटडोर 'पार्टिकुलेट मैटर'- 2.5 (PM 2.5) से जुड़ी थी, जबकि नवजात मृत्यु के अन्य कारणों में लकड़ी का कोयला/चारकोल, लकड़ी और गोबर के उपले जैसे ठोस ईंधन का उपयोग शामिल था।
  - PM 2.5 का आशय उन कणों या छोटी बूँदों से है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है और इसीलिये इसे PM 2.5 के नाम से भी जाना जाता है।
- वर्ष 2019 में आउटडोर और इनडोर वायु प्रदूषण के कारण स्ट्रोक, दिल का दौरा, मधुमेह, फेफड़ों का कैंसर, क्रोनिक फेफड़ों की बीमारियों और नवजात रोगों से 1.67 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी।
- भारत में अधिकांश नवजातों की मृत्यु का कारण जन्म के समय वजन का कम होना और अपरिपक्व जन्म (Preterm birth) से संबंधित जटिलताएँ थीं।

COVID-19 और वायु प्रदूषण:

- यद्यपि वायु प्रदूषण और COVID-19 महामारी के मध्य पूर्ण संबंध अभी तक ज्ञात नहीं हैं लेकिन दिल और फेफड़ों से संबंधित रोगियों में COVID-19 महामारी के संक्रमण और मृत्यु का खतरा अधिक रहता है।
- वायु प्रदूषण में वृद्धि होने पर दिल एवं फेफड़ों की बीमारियों के बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है, अत: दक्षिण एशिया में बढ़ता वायु प्रदूषण स्तर COVID-19 महामारी की संभावना को बढ़ा सकता है।

भारत में वायु प्रदूषण का कारण:

- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की रिपोर्ट (वर्ष 2016) के अनुसार, PM 2.5 के संकेंद्रण के आधार पर विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 उत्तर भारत में अवस्थित हैं। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के निम्नलिखित संभावित कारक हो सकते हैं:

मौसम विज्ञान संबंधी (Meteorology):

- शीत काल में उत्तर भारत में 'तापीय व्युत्क्रमण' और स्थिर वायु की दशा देखने को मिलती है।
- स्थिर/शांत वायु की दशा में प्रदूषकों का प्रसार बाहरी क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। इसी प्रकार तापीय व्युत्क्रमण होने पर प्रदूषकों का सतह के पास संकेंद्रण बढ़ जाता है जिससे दृश्यता कम हो जाती है।

पवन अभिसरण क्षेत्र (Wind Convergence Zone):

- सिंधु-गंगा का मैदान एक स्थालाब्ध (Landlocked) क्षेत्र है। हिमालय प्रदूषित हवा को उत्तर की ओर जाने से रोकता है, इसे 'घाटी प्रभाव' (Valley Effect) के रूप में जाना जाता है।
- इस क्षेत्र में 'कम दबाव के गर्त' का निर्माण होता है जिससे आसपास की पवनें अपने साथ प्रदूषक भी लाती हैं।

असंगठित जलोढ़ मृदा (Loose Alluvial Soil):

- सिंधु-गंगा बेल्ट सतत् जलोढ़ मृदा जमाव का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा में असंगठित मृदा कण होते हैं। इस प्रकार वायु-जनित धूल के निर्माण में शुष्क जलोढ़ मृदा का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

PM कणों में मौसमी बदलाव (Seasonal variation of PM composition):

- सिन्धु-गंगा बेसिन में मानवजनित स्रोतों का प्रदूषण में प्रमुख योगदान है। आईआईटी-कानपुर के एक अध्ययन के अनुसार, ग्रीष्मकाल में PM 10 में धूल का 40 प्रतिशत योगदान रहता है, जबकि सर्दियों में यह मात्र 13 प्रतिशत रहता है।

नोट :

आगे की राह:

- निम्न और मध्यम आय वाले देशों को वायु प्रदूषण के कारण गर्भावस्था और नवजातों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को संबोधित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाना चाहिये।
- राष्ट्रीय सरकारों को समाज के कमज़ोर समूहों को संबोधित करने के लिये रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से व्यापक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।
- ठोस ईंधन के कारण उत्पन्न होने वाले इनडोर प्रदूषण की जाँच के लिये सतत् सरकारी समर्थन की आवश्यकता है।

मृत पशुधन के सुरक्षित निपटान पर दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल में 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board- CPCB) द्वारा 'मृत पशुधन' के सुरक्षित निपटान पर मसौदा दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- मसौदा दिशा-निर्देशों में मृत पशुधन के निपटान की वर्तमान प्रणालियों, संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों, आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण मानकों तथा उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
- हालाँकि CPCB द्वारा इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिये कोई निर्दिष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता:

- प्रतिवर्ष लगभग 25 मिलियन मवेशी प्राकृतिक कारणों से मर जाते हैं। इनके सुरक्षित निपटान के लिये कोई संगठित व्यवस्था नहीं है। इसलिये ये मृत पशु पर्यावरण के लिये एक प्रमुख खतरा बनकर उभर रहे हैं।
- एनिमल स्लॉटर/पशु वध के अलावा मृत पशु पर्यावरण के लिये प्रमुख खतरा हैं। इन मृत पशुओं के कारण हवाई अड्डों के आसपास पक्षियों की आबादी में वृद्धि देखी जाती है जो आंशिक रूप से वायुयानों से 'बर्ड-हिट ' खतरों के लिये ज़िम्मेदार हैं।

मृत पशु निपटान विधियाँ:

- भस्मीकरण (Incineration)
- गहन शवाधान (Deep Burial)
- मृत पशु उपयोग संयंत्र

प्रमुख दिशा-निर्देश:

- मृत पशुधन निपटान की विधियों यथा- भस्मीकरण, गहन शवाधान, मृत पशु उपयोग संयंत्र आदि के लिये स्पष्ट मानक और प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- आवारा पशुओं के मरने पर उनके शवों को भस्म करने की आवश्यकता होती है। मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, नगरपालिका के अधिकारियों की इस कार्य के लिये स्पष्ट भूमिका सुनिश्चित की गई है।
- नगरपालिका द्वारा मृत पशुओं के निपटान के लिये भस्मीकरण (Incinerators) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

महत्त्व:

- मवेशियों के उचित निपटान का व्यावसायिक महत्त्व है। मृत पशुओं के निपटान के लिये स्थापित संयंत्रों से प्राप्त उप-उत्पाद से वसा, पौष्टिक सामग्री और उर्वरक आदि प्राप्त किये जा सकते हैं।

निष्कर्ष:

- मृत पशुधन निपटान में संलग्न संबंधित प्राधिकरणों को संबंधित क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहिये ताकि मृत पशुधन का निपटान न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रहे अपितु आर्थिक दृष्टि से भी व्यावहारिक हो।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board):

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत किया गया था।
  - इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।

हिमालयन ब्राउन बियर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Zoological Survey of India) के वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी हिमालय में किये गए एक अध्ययन के परिणामों के आधार इस बात की संभावना व्यक्त की है कि वर्ष 2050 तक हिमालयन ब्राउन बियर (Himalayan Brown Bear) के निवास स्थान में लगभग 73% की भारी गिरावट आ सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- यह अध्ययन हिमालयन ब्राउन बियर जिसका वैज्ञानिक नाम उर्सस आर्कटोस इसाबेलिनस (Ursus Arctos Isabellinus) है, के संदर्भ में किया गया।
  - अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह आशंका जताई गई है कि निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण इनके आवास (Habitat) एवं जैविक गलियारों (Biological Corridors) में कमी देखने को मिल सकती है।
- अध्ययन के अनुसार, संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) के बीच कनेक्टिविटी के नुकसान/कमी के चलते 13 संरक्षित क्षेत्रों में स्थित निवास स्थानों (Habitat) में क्षति देखने को मिलेगी जिनमें से आठ निवास स्थान वर्ष 2050 तक पूरी तरह से निर्जन/आबादी रहित (Uninhabitable) हो जाएंगे।
- इस अध्ययन में हिमालयन ब्राउन बियर को एक उदाहरण के रूप में लेने का मुख्य कारण यह है कि यह उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक बड़े मांसाहारी जानवर है।
  - जिन ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बियर/भालू की यह प्रजाति पाई जाती है वह ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से सबसे अधिक असुरक्षित क्षेत्र है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय के अन्य ऊँचाई वाले क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक तेज़ी से गर्म हो रहे हैं।
- इस अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका (International Science Journal) में 'हिमालयन ब्राउन बियर के संरक्षण के लिये संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की अनुकूल स्थानिक योजना'(Adaptive spatial planning of protected area network for conserving the Himalayan Brown Bear) नामक शीर्षक में प्रकाशित किया गया है।

हिमालयन ब्राउन बियर (Himalayan Brown Bear):

- हिमालयन ब्राउन बियर हिमालय के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सबसे बड़े मांसाहारी जीवों में से एक है।
- भारत में यह पश्चिमी हिमालयी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3000-5000 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाता है।
- इसकी छोटी एवं अलग-अलग आबादी भारत और पाकिस्तान के दूरदराज़ के ऊँचे हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) द्वारा हिमालयन ब्राउन बियर को सुभेद्य (Vulnerable) प्रजाति की सूची में शामिल किया गया है।
- यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है।

ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया:

- इसकी स्थापना 1 जुलाई, 1916 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य असाधारण एवं प्राकृतिक रूप से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विभिन्न जानवरों से संबंधित सर्वेक्षण एवं अनुसंधान द्वारा जानकारी इकट्ठा करना है।

उद्देश्य:

- अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रजातियों के संरक्षण के लिये एक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क विकसित करने हेतु अनुकूल स्थानिक योजना का सुझाव देने के लिये प्रेरित करना है।
- संरक्षित क्षेत्रों के लिये 'अनुकूल स्थानिक योजना' का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और अनिश्चितता को कम करना है।

भारत सुनामी के खतरे से ज्यादा सुरक्षित: INCOIS

चर्चा में क्यों?

'भारतीय राष्ट्रीय सागरीय सूचना प्रणाली केंद्र' (Indian National Centre for Ocean Information System-INCOIS) के निदेशक के अनुसार, भारत वर्ष 2004 में आई सुनामी की तुलना में वर्तमान में ज्यादा सुरक्षित है।

प्रमुख बिंदु:

- सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। सुनामी तथा ज्वार से उत्पन्न लहरों को कभी-कभी एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन उनका दैनिक महासागरीय ज्वार से कोई संबंध नहीं है।
- अधिकांश सुनामी, भूकंपों (रिक्टर स्केल पर 6.5 से अधिक परिमाण के) के कारण उत्पन्न होती हैं, हालाँकि सुनामी ज्वालामुखी प्रस्फुटन, भूस्खलन, परमाणु विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकती है।

भारत की सुनामी के प्रति सुभेद्यता:

- भारतीय तट की सुनामी के प्रति सुभेद्यता की पहचान ऐतिहासिक सुनामी एवं भूकंप की आवृति, उनके परिमाण, प्लेटो में भ्रंश की सापेक्ष स्थिति और सुनामी मॉडलिंग द्वारा की गई है।
- भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों एवं द्वीप क्षेत्रों सहित निम्नलिखित पाँच संभावित सुनामी उत्पत्ति क्षेत्रों की पहचान की गई है:
  - अंडमान-निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप आर्क;
  - इंडो-बर्मीज़ जोन;
  - नैसेंट सीमा (मध्य हिंद महासागर में);
  - चागोस द्वीपसमूह;
  - मकरान अभिवाहित (Subduction) क्षेत्र।

भारत की INCOIS प्रणाली का विकास:

- INCOIS की स्थापना वर्ष 1999 में सागरीय क्षेत्र में उपयोगकर्त्ताओं को कई प्रकार की नि:शुल्क सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह संस्थान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- यह मछुआरों से लेकर अपतटीय तेल अन्वेषण उद्योगों जैसे उपयोगकर्त्ताओं को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है।

भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र:

- INCOIS, 'भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र' (Indian Tsunami Early Warning Centre- ITEWC) के माध्यम से सुनामी, तूफान की लहरों आदि पर तटीय आबादी के लिये निगरानी और चेतावनी संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है।

- ITEWC की स्थापना वर्ष 2004 की सुनामी के बाद वर्ष 2007 में की गई थी।
- ITEWC केंद्र पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के साथ-साथ वैश्विक महासागरों में होने वाली सुनामी हेतु उत्तरदायी भूकंपों का पता लगाने में सक्षम है।
- ITWC प्रणाली के अवलोकन नेटवर्क, पूर्वानुमान मॉडल, संचार और कंप्युटेशनल सिस्टम का लगातार उन्नयन/अपग्रेडेशन किया जा रहा है।

हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली:

- वर्ष 2004 की सुनामी के बाद 'हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली' (Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System- IOTWMS) के लिये 'अंतर सरकारी समन्वय समूह (Intergovernmental Coordination Group- ICG) का गठन किया गया था।
- यूनेस्को के 'अंतरसरकारी महासागरीय आयोग' (IOC-UNESCO) को ICG- IOTWMS के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच समन्वय के लिये मैंडेट/ जनादेश प्राप्त है।
- वर्ष 2011 में IOC-UNESCO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के 28 देशों के लिये 'सुनामी सेवा प्रदाता' के रूप में 'भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र' को क्षेत्रीय चेतावनी केंद्र के रूप में मान्यता दी गई थी।

सुनामी रेडी पहल:

- IOC-UNESCO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन-आधारित सामुदायिक मान्यता के लिये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 'सुनामी रेडी पहल' (TR-I) को प्रारंभ किया गया है।
- 'सुनामी रेडी पहल' (TR-I) में 11 महत्त्वपूर्ण संकेतकों के माध्यम से तटीय समुदायों की क्षमता निर्माण करने के लिये एक प्रभावी संरचित ढाँचे का निर्माण किया जाएगा।

प्लेटों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन का मापन:

- अंडमान-निकोबार जैसे सुभेद्य क्षेत्रों में 10 मिनट से भी कम समय में सुनामी की चेतावनी जारी करने लिये 'टेक्टोनिक प्लेटों' के ऊर्ध्वाधर विस्थापन का मापन आवश्यक होता है। इसके लिये 35 स्टेशनों (जिनमें से 31 जीपीएस स्टेशन तैयार हैं) का एक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है।

संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र:

- INCOIS, हैदराबाद 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' के ओशनसैट सैटेलाइट के आँकड़ों का प्रयोग 'संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र' (Potential Fishing Zone- PFZ) संबंधी एडवाज़री (Advisories) तैयार करने में किया जाता है।
- इसके माध्यम से मत्स्य की प्रजातियों के विकास के विशिष्ट क्षेत्रों यथा येलोफिन, टूना आदि के संबंध में सलाह दी जाती है।
- हाल ही में इस क्षेत्र में भूस्थैतिक उपग्रहों और संख्यात्मक मॉडलिंग के उपयोग के माध्यम से सुधार किया गया है।

SVAS प्रणाली:

- लघु पोत सलाहकार और पूर्वानुमान सेवा प्रणाली (Small Vessel Advisory and Forecast Services System-SVAS) को विशेष रूप से मत्स्यन में प्रयुक्त जहाज़ों के परिचालन में सुधार करने के लिये शुरू किया गया है।

उपग्रह आधारित संदेश प्रसारण:

- 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (ISRO) और 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण' (AAI) द्वारा 'स्वदेशी नौवहन उपग्रह संचार प्रणाली' नाविक (NAVIC) की साझेदारी से एक उपग्रह आधारित संदेश प्रसारण सेवाओं को विकसित किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

- भारतीय राष्ट्रीय सुनामी सूचना प्रणाली केंद्र (INCOIS) द्वारा प्रारंभ विभिन्न पहलों का न केवल सुनामी के प्रबंधन में महत्त्व है अपितु इन सेवाओं के माध्यम से देश को 'ब्लू इकॉनोमी' के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा 'गहन सागरीय अर्थव्यवस्था' (Deep sea economy) पर भारत की समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में 30% की वृद्धि

चर्चा में क्यों?

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, वर्ष 1980 से 2016 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) के मानवजनित उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- यह शोध कार्य 'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल' (International Nitrogen Initiative- INI) और 'ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थ' द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था जिसमें 14 देशों के 48 संस्थानों के 57 वैज्ञानिक शामिल हुए।
- अध्ययन में 21 प्राकृतिक और मानवीय स्रोतों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें पाया गया कि कुल उत्सर्जन का 43 प्रतिशत मानव स्रोतों से आया है।
- यह 'वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन' का अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन है। इसमें प्राकृतिक तथा मानवजनित (मानव निर्मित) दोनों स्रोतों से उत्सर्जित नाइट्रोजन का अध्ययन किया गया है।

नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOx):

- नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) को ओज़ोन का पूर्ववर्ती (Precursors) माना जाता है जो ओज़ोन के समान क्षोभमंडल में एक 'ग्रीन-हाउस गैस' (GHG) है।
- नाइट्रोजन के पाँच आक्साइडों में से केवल तीन अर्थात् नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), नाइट्रिक ऑक्साइड (NO), और नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) ही महत्त्वपूर्ण मात्रा में वातावरण में मौजूद हैं, नाइट्रोजन के अन्य दो ऑक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड (NO_3)और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड (N_2O_5) हैं।
- नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) अम्ल वर्षा और और क्षोभमंडल में ओज़ोन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है।

नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O):

- नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन-हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड 125 वर्षों तक वातावरण में रह सकती है।
- नाइट्रस ऑक्साइड का वैश्विक संकेंद्रण स्तर वर्ष 1750 के 270 PPB (Parts Per Billion) से बढ़कर वर्ष 2018 में 331 PPB हो गया है अर्थात् इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
- मानवजनित उत्सर्जन के कारण पिछले पाँच दशकों में इसके संकेंद्रण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है।
- वर्तमान में नाइट्रस ऑक्साइड ओज़ोन परत के लिये सबसे प्रमुख खतरा है, क्योंकि इसका संकेंद्रण लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है।
- विकासशील देशों यथा- भारत, चीन और ब्राज़ील आदि का नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रमुख योगदान है।

अध्ययन का महत्त्व:

- नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडल में बढ़ती मात्रा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन में गैर-कार्बन स्रोतों का योगदान बढ़ रहा है, जबकि वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं का मुख्य ध्यान कार्बन के उत्सर्जन और शमन पर केंद्रित है।
- जलवायु संकट और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के मध्य भी द्वैतवाद (Dichotomy) देखने को मिलता है। पिछले चार दशकों में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के प्रयोग से आया है। भोजन तथा पशु-चारे की बढ़ती मांग के कारण नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह:

- 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा' (UNEA-4) को 'स्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन' (Sustainable Nitrogen Management) पर संकल्प को लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।

- यह संकल्प सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 'वैश्विक नाइट्रोजन चक्र' के बेहतर प्रबंधन हेतु विकल्प तलाशने का समर्थन करता है।

- 'नाइट्रस ऑक्साइड' के उत्सर्जन को कम करने के लिये अच्छी तरह से स्थापित प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों की वैश्विक उपलब्धता के लिये सभी देशों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।
- यूरोपीय देशों द्वारा अपनाई गई औद्योगिक और कृषि नीतियों से नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने में मदद मिली है। ऐसे प्रयासों को यूरोप के साथ ही विश्व स्तर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है।

वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड

चर्चा में क्यों?

मुंबई स्थित एक स्टार्ट-अप 'रेस्पिरर लिविंग साइंसेज़' (Respirer Living Sciences) के सहयोग से जलवायु और ऊर्जा संबंधी समाचार वेबसाइट 'कार्बनकॉपी' (CarbonCopy) द्वारा स्थापित एक डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया जो वर्ष 2016 के बाद से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (National Air Quality Monitoring Programme- NAMP) के अंतर्गत आने वाले सभी 122 शहरों के लिये पार्टिकुलेट मैटर (Particulate Matter- PM) की तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

प्रमुख बिंदु:

- 28 अक्तूबर, 2020 को लॉन्च किया गया यह नया डैशबोर्ड भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (National Ambient Air Quality Standards- NAAQS) की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।
- यह डैशबोर्ड वर्ष 2016 से 2018 तक 122 शहरों में PM2.5 और PM10 स्तरों की तीन-वर्षीय परिवर्तनीय औसत प्रवृत्ति के बारे में बताता है।

डैशबोर्ड द्वारा प्रदर्शित मुख्य तथ्य:

- कुल 122 शहरों में से 59 शहरों में PM2.5 संबंधी डेटा उपलब्ध था। इस संबंध में नोएडा की स्थिति सबसे खराब रही उसके बाद क्रमशः आगरा, दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, मुजफ्फरपुर, कानपुर, चंडीगढ़, हावड़ा और कोलकाता का स्थान रहा।
- तीन वर्ष के PM10 निगरानी डेटा के अनुसार, दिल्ली की स्थिति सबसे खराब रही उसके बाद क्रमशः झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे प्रदूषित राज्य के रूप में सामने आए।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सूचीबद्ध 23 राज्यों में से केवल तीन राज्य या केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब PM10 निगरानी के संबंध में सभी तीन वर्षों के लिये औसत रीडिंग हेतु ज़िम्मेदार है।
- रेस्पिरर लिविंग साइंसेज़ के अनुसार, 'डेटा का विश्लेषण करते समय, प्रत्येक शहर में उपलब्ध मॉनिटरों की संख्या, वर्ष दर वर्ष निगरानी क्षमता में वृद्धि या कमी और मॉनिटर करने के लिये उपलब्ध मानकों की संख्या को देखना महत्त्वपूर्ण है।

प्रवाल भित्तियाँ और मुंबई तटीय सड़क परियोजना

चर्चा में क्यों?

बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation-BMC) को 12,700 करोड़ रुपए की मुंबई तटीय सड़क परियोजना के लिये प्रवाल (Corals) को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने के लिये नागपुर के प्रधान महा वनसंरक्षक (वन्यजीव) से मंज़ूरी मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

- बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), मरीन ड्राइव और मरीन लाइन को जोड़ने वाले राजकुमारी स्ट्रीट फ्लाईओवर से दक्षिण मुंबई के वर्ली तक 10.58 किलोमीटर की परियोजना को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है।

- बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) का लक्ष्य आगामी माह में कुल 18 प्रवाल कॉलोनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना है।

क्या होती है प्रवाल ?

प्रवाल (Corals) समुद्री पौधों की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला जेलिफिश और एनीमोन से संबंधित एक अकशेरुकी समुद्री (Invertebrate Animals) जीव होता है।

- यह एक सूक्ष्म जीव होता है, जो कि समूह में रहता है। चूना पत्थर (कैल्शियम कार्बोनेट) से निर्मित इसका निचला हिस्सा (जिसे कैलिकल्स भी कहते हैं) काफी कठोर होता है, जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है।
- प्रवाल भित्तियों का निर्माण तब शुरू होता है जब प्रवाल पॉलिप्स स्वयं को समुद्रतल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ते हैं, फिर हज़ारों की संख्या में विभाजित हो जाते हैं।
- धीरे-धीरे कई सारे प्रवाल पॉलिप्स के कैलिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। फिर जैसे-जैसे प्रवाल पॉलिप्स की ये कॉलोनियाँ अन्य कॉलोनियों के साथ जुड़ती हैं प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) का रूप ले लेती हैं।
  - एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान की कुछ प्रवाल भित्तियों के निर्माण की शुरुआत तकरीबन 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी।
- कुछ ऐसे प्रवाल भी होते हैं जो कॉलोनियों और भित्तियों में शामिल नहीं होते हैं, इन्हें 'सॉफ्ट प्रवाल' के रूप में जाना जाता है और ये समुद्र के नीचे झाड़ियों, घास और वृक्षों जैसे दिखाई देते हैं।

प्रवाल भित्तियों का महत्त्व

- प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के नीचे एक प्रकार का शहर होता है, जो कि समुद्री जीवन की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, प्रवाल भित्तियाँ, विश्व के आधे से अधिक मिलियन लोगों के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- प्रवाल भित्तियों को विश्व के सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है। यह न केवल अनेक प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों का आश्रय स्थल होता है, बल्कि इनका इस्तेमाल औषधियों में भी होता है।
  - कैंसर, गठिया, बैक्टीरियल संक्रमण, वायरस और अन्य बीमारियों के संभावित इलाज के रूप में अब प्रवाल भित्तियों का भी परीक्षण किया जा रहा है।

प्रवाल भित्तियों के लिये खतरा

- वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रवाल पॉलिप्स और प्रवाल भित्तियों के लिये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। विश्व भर में इस खतरे को 'कोरल ब्लीचिंग' (Coral Bleaching) अथवा प्रवाल विरंजन के रूप में देखा जा सकता है।
- कोरल ब्लीचिंग' के तहत जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल को निष्कासित कर देते हैं जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि प्रवाल भित्तियों को अपना विशिष्ट रंग इन्हीं शैवालों से मिलता है।
- ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित 'ग्रेट बैरियर रीफ', जहाँ विश्व की सबसे अधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, को तापमान में वृद्धि के कारण कुल छः बार 'कोरल ब्लीचिंग' की घटनाओं का सामना करना पड़ा है।

मुंबई में प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ

- मुंबई में प्रवाल समुद्री जीवों की एक विशाल आबादी मौजूद है, मुंबई तट के किनारे पाए जाने वाले अधिकांश प्रवाल तेज़ी से विकसित होने वाले 'सॉफ्ट प्रवाल' हैं।
- वहीं प्रवालों की कुछ छोटी कॉलोनियों को मरीन ड्राइव, गीता नगर (कोलाबा), हाजी अली और वर्ली में पाया गया है।
- बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की मुंबई तटीय सड़क परियोजना क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (National Institute Of Oceanography-NIO) ने वर्ली और हाजीपुर में छह प्रवाल प्रजातियों की पहचान की थी, साथ ही वर्ली में 0.251 वर्गमीटर और हाजी अली में 0.11 वर्गमीटर में फैली 18 प्रवाल कॉलोनियाँ भी पाई गई थीं।

नोट :

कैसे होगा प्रवाल का स्थानांतरण ?

- प्रस्तावित योजना के अनुसार, हाजी अली की प्रवाल कॉलोनियों को मरीन लाइन्स के पास स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि वर्ली में मौजूद प्रवाल कॉलोनियों को मुंबई तटीय सड़क परियोजना के निर्माण स्थल से कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि हस्तांतरण के बाद जीवन दर और हस्तांतरण के तरीके आदि का अध्ययन करने के लिये लक्षद्वीप, कच्छ और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर पायलट प्रोजेक्ट किये जा रहे हैं।
- इससे पूर्व महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में तीन वर्षीय परियोजना के अंतर्गत प्रवाल के हिस्सों को नायलॉन के धागे की मदद से कंक्रीट फ्रेम से जोड़ा गया था और फिर समुद्रतल में उनकी वृद्धि के लिये उपयुक्त गहराई पर छोड़ दिया गया था।
- अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार, प्रवाल की वृद्धि दर उनकी प्रजातियों पर निर्भर करती है। अध्ययन के अनुसार, प्रवाल की कुल प्रजातियाँ 10 सेंटीमीटर की दर से बढ़ती है, जबकि कुछ प्रवाल प्रजातियाँ 0.3 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती हैं।

स्थानांतरण के दौरान जीवन दर

- कुछ विशेषज्ञों का मत है कि प्रवाल कॉलोनियों के हस्तांतरण के दौरान उच्च जीवन दर प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक होता है कि उन प्रवाल कॉलोनियों को उसी तरह की पर्यावरणीय विशेषताओं में ले जाया जाए जहाँ वे पहले थीं, इस संबंध में समुद्र की गहराई, जल का प्रवाह और प्रकाश की मात्रा आदि काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- कई जानकारों ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को हाजी अली और वर्ली में मौजूद प्रवाल कॉलोनियों को मानसून के बाद किसी अन्य स्थान पर भेजने का सुझाव दिया है, जब प्रवाल अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्य होंगे।

शिवालिक एलीफेंट रिज़र्वः उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिये शिवालिक एलीफेंट रिज़र्व के संवेदनशील क्षेत्रों का प्रयोग न करने को कहा है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग द्वारा यह अवलोकन उत्तराखंड सरकार के उस प्रस्ताव के जवाब में किया गया है, जिसमें जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिये देहरादून में 87 हेक्टेयर वन भूमि प्रदान करने की बात की गई थी।
- वन संरक्षण प्रभाग के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत शामिल किया गया क्षेत्र 'हाई कंज़र्वेशन वैल्यू' (High Conservation Value) क्षेत्र है, और यदि हवाईअड्डे के विस्तार के लिये इसका प्रयोग किया जाता है तो इससे मौजूदा रनवे और नदी के बीच स्थित वनों का विखंडन हो सकता है।

हाई कंज़र्वेशन वैल्यू (High Conservation Value)

- हाई कंज़र्वेशन वैल्यू क्षेत्र ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, जो अपने उच्च जैविक, पारिस्थितिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मूल्यों के कारण काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं, इसलिये इन क्षेत्रों की महत्ता बरकरार रखने हेतु इन्हें उचित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में उत्तराखंड मंत्रीमंडल ने चिनूक (Chinooks) हवाई जहाज़ के संचालन के लिये केदारनाथ मंदिर में एक हेलीपैड के विस्तार के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। हालाँकि इस हेलीपैड का सर्दियों के मौसम में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दौरान यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से कवर हो जाता है।
  - ऐसी स्थिति से निपटने के लिये राज्य सरकार देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार की योजना बना रही थी। रणनीतिक दृष्टिकोण के अलावा इस हवाईअड्डे के विस्तार का एक अन्य उद्देश्य इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में पहचान प्रदान करना है।

- विस्तार परियोजना के अंतर्गत हवाई अड्डे और पार्किंग क्षेत्र का विकास, तथा एक नया हवाई अड्डा यातायात नियंत्रण टॉवर का निर्माण करना शामिल है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिये मौजूदा रनवे को 3.5 किमी तक विस्तारित किया जाएगा।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि हवाईअड्डे के विस्तार के लिये चुना गया क्षेत्र शिवालिक एलीफेंट रिज़र्व का एक हिस्सा है और यह राजाजी नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर के दायरे में आता है।

संबंधित चिंताएँ

- कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने यह चिंता ज़ाहिर की है कि हवाईअड्डे के विस्तार से इसके आस-पास के वन क्षेत्रों में सैकड़ों वन्यजीव प्रजातियों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- एक अनुमान के अनुसार, इस परियोजना के कारण आस-पास के क्षेत्रों में 10000 पेड़ काटे जा सकते हैं। भूकंप ज़ोनिंग मैप के अनुसार, उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील क्षेत्रों में आता है, और यदि यहाँ पेड़ उखाड़े जाते हैं तो इससे मिट्टी का क्षरण होगा, अनगिनत लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है।
- इस परियोजना से शिवालिक एलीफेंट रिज़र्व में हाथियों का मुक्त आवागमन प्रभावित होगा।

शिवालिक एलीफेंट रिज़र्व

- शिवालिक एलीफेंट रिज़र्व को वर्ष 2002 में 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' के तहत देश का 11वाँ टाइगर रिज़र्व अधिसूचित किया गया था।
    - प्रोजेक्ट एलीफेंट एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 1992 में हाथियों के आवास एवं गलियारों की सुरक्षा के लिये लॉन्च किया गया था।
- कंसोरा-बड़कोट एलीफेंट गलियारा भी इसके पास स्थित है।
- शिवालिक एलीफेंट रिज़र्व को भारत में पाए जाने वाले हाथियों के सबसे उच्च घनत्त्व वाले एलीफेंट रिज़र्व में से एक माना जाता है।

आगे की राह

- यद्यपि हवाईअड्डे के विस्तार की परियोजना रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो सकती है, किंतु यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि शिवालिक एलीफेंट रिज़र्व उत्तराखंड का जैव विविधता हब है और यहाँ तमाम जानवर खासतौर पर हाथी और तेंदुए आदि निवास करते हैं।
- इन कानूनों को पारित करने से पहले सरकार को इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिये कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) और क्योटो प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक जलवायु समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की हैं।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

हिमालयन विवर्तनिक क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) के तहत एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी(Wadia Institute of Himalayan Geology-WIHG), देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा हिमालय क्षेत्र में नए विवर्तनिक/टेक्टोनिक सक्रिय (Tectonically Active) क्षेत्र की पहचान की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- नए क्षेत्र: वैज्ञानिकों द्वारा हिमालय के सिवनी क्षेत्र या लद्दाख में स्थित सिंधु सिवनी क्षेत्र (Indus Suture Zone- ISZ) को विवर्तनिक अथवा टेक्टोनिक सक्रिय क्षेत्र के रूप में खोजा गया है।
    - यह वह क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय और एशियाई प्लेटें आपस में मिलती हैं।
    - इस खोज से पहले इस इलाके को बंद क्षेत्र (Locked Zone) के रूप में जाना जाता था।
- वैज्ञानिकों द्वारा हिमालय के सिवनी क्षेत्र का विस्तृत भौगोलिक अध्ययन किया गया ओर पता चला कि यह क्षेत्र वास्तव में बंद क्षेत्र न होकर सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र है।
- वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन के लिये हिमालय के सबसे सुदूर स्थित लद्दाख क्षेत्र को चुना गया।
- भू-वैज्ञानिकों ने देखा कि जहाँ नदियाँ ऊँचे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर नदी की गाद वाले इलाके झुके हुए तथा उनकी सतह टूटी हुई है। इसके अलावा नदियों का मूल स्रोत काफी क्षीण हो चुका है।परिणामस्वरूप उथली घाटियों का निर्माण हुआ है।
- इन चट्टानों का अध्ययन देहरादून स्थित प्रयोगशाला में ऑप्टिकली स्टीमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस (Optically Stimulated Luminescence-OSL) के माध्यम से किया गया।
    - इसमें भूकंप की आवृत्ति तथा पहाड़ों की ऊँचाई घटने की दर का अध्ययन किया गया।
    - भौगोलिक गादों का अध्ययन ल्यूमिनेसेंस डेटिंग विधि (Luminescence Dating Method) द्वारा किया जाता है।

  इस अध्ययन कार्य को टेक्नोफिज़िक्स(Technophysics) जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

प्राप्त परिणाम:

- प्रयोगशाला से प्राप्त आँकड़ों और भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन से यह बात सामने आई है कि सिंधु सिवनी इलाके में नए टेक्टोनिक क्षेत्र पिछले 78000 से 58000 वर्षों से सक्रिय हैं।
- इस क्षेत्र में वर्ष 2010 में अपशी गाँव में कम तीव्रता का (रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता) भूकंप चट्टानों के टूटने की वजह से आया था।

हिमालय क्षेत्र में भूकंप का कारण:

- हिमालय मुख्य रूप से मेन सेंट्रल थ्रस्ट (Main Central Thrust-MCT), मेन बाउंड्री थ्रस्ट (Main Boundary Thrust-MBT) और मेन फ्रंटल थ्रस्ट (Main Frontal Thrust-MFT) से निर्मित माना जाता है जो कि उत्तर की ओर झुका हुआ है।
    - अब तक की स्थापित मान्यता के अनुसार मेन फ्रंटल थ्रस्ट को छोड़कर बाकी सभी थ्रस्ट बंद थे। इस स्थिति में हिमालय में जो भी बदलाव होते हैं उनके लिये मेन फ्रंटल थ्रस्ट को ज़िम्मेदार माना जाता था।

नई खोज का आधार:

- नई खोज इस बात की पुष्टि करती है कि सिवनी क्षेत्र में स्थिति पुरानी परतें सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट हैं।

नोट :

- ऐसे में मौजूदा हिमालय के विकास मॉडल की नए सिरे से गंभीरतापूर्वक दोबारा अध्ययन करने की ज़रूरत है जिसमें नई तकनीकी और बृहत भौगोलिक आँकड़े का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- हिमालय में विवर्तनिक (टेक्टोनिक) रूप से सक्रिय नए क्षेत्र की पहचान होने से भूकंप के अध्ययन और उसके अनुमान में बदलाव देखने को मिलेगा।

भूकंप से निपटने हेतु मुख्य 6 आधार स्तंभ:

- भूकंप प्रवण क्षेत्रों में आपात स्थिति के लिये क्षमता निर्माण।
- नई भूकंपरोधी संरचनाओं का निर्माण।
- पुरानी संरचनाओं के आधार पर पुन: समायोजन एवं सुदृढ़ीकरण।
- नियमन एवं प्रवर्तन (अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत में भी प्रत्येक 5 वर्षों में मानकों का पुनरीक्षण)।
- जागरूकता एवं तैयारी (भूकंप निवारण से संबंधित शिक्षा का प्रसार)।
- क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण, प्रलेखन इत्यादि)।

भूकंपीय तीव्रता का मापन:

रिक्टर पैमाना	मरकली पैमाना
• इसे परिमाण पैमाने (Magnitude scale) के रूप में भी जाना जाता है।	• इसे तीव्रता पैमाने (Intensity Scale) के रूप में भी जाना जाता है।
• भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा के मापन से संबंधित है।	• घटना के कारण होने वाले नुकसान का मापन।
• इसे 0-10 तक पूर्ण संख्या में व्यक्त किया जाता है। हालाँकि 2 से कम तथा 10 से अधिक रिक्टर तीव्रता के भूकंप का मापन सामान्यत: संभव नहीं है।	• पैमाने की परास 1-12 तक होती है।

भूकंपीय तीव्रता का निर्धारक:

- अतीत में आए भूकंप।
- तनाव ऊर्जा बजट की गणना।
  - महाद्वीपीय विस्थापन के धरातलीय प्लेटों के विरूपण के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में संग्रहीत ऊर्जा को तनाव ऊर्जा (Strain Energy) कहा जाता है।
- सक्रिय भ्रंश का मानचित्रण।

भारत में भूकंप ज़ोन:

- भूकंपीयता से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी, अतीत में आए भूकंप तथा विवर्तनिक व्यवस्था के आधार भारत को चार 'भूकंपीय ज़ोनों' में (II, III, IV और V) वर्गीकृत किया गया है।
- ध्यातव्य है कि पूर्व भूकंप क्षेत्रों को उनकी गंभीरता के आधार पर पाँच ज़ोनों में विभाजित किया गया था, लेकिन 'भारतीय मानक ब्यूरो' ने प्रथम 2 ज़ोनों का एकीकरण करके देश को चार भूकंपीय ज़ोनों में बाँटा है।
- 'भारतीय मानक ब्यूरो भूकंपीय खतरे का मानचित्रण और कोड प्रकाशित करने के लिये आधिकारिक एजेंसी है।

आगे की राह:

- भूकंप का सामान्यत: पूर्वानुमान संभव नहीं हैं। हालाँकि भूकंपीय ज़ोन V और IV में बड़े भूकंप आने की संभावना है जो पूरे हिमालय तथा Delhi-NCR क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं।
- अत: जीवन तथा संपत्तियों के संभावित नुकसान को कम करने का एकमात्र उपाय भूकंप के खिलाफ प्रभावी तैयारी है। इस संबंध में जापान जैसे देशों के साथ बेहतर सहयोग स्थापित किया जा सकता है।
- नगरीय नियोजन तथा भवनों के निर्माण में आवश्यक भूकंपीय मानकों को लागू किये जाने की आवश्यकता है।
- भूकंपीय आपदा के प्रबंधन की दिशा में लोगों की भागीदारी, सहयोग और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

नोट :

सामाजिक न्याय

वैश्विक भुखमरी सूचकांक- 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' (Global Hunger Index- GHI)- 2020 जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक', भुखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भुखमरी की स्थिति का मापन करती है।

भारत की स्थिति:

- 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक- 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा है।
  - वर्ष 2019 में भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पर रहा था, जबकि वर्ष 2018 में भारत 103वें स्थान पर था।
- भारत भुखमरी सूचकांक में 27.2 के स्कोर के साथ 'गंभीर' (Serious) श्रेणी में है।

वैश्विक परिदृश्य:

- कुल 107 देशों में से केवल 13 देश भारत से खराब स्थिति में हैं, जिनमें रवांडा (97वें), नाइजीरिया (98वें), अफगानिस्तान (99वें), लाइबेरिया (102वें), मोजाम्बिक (103वें), चाड (107वें) आदि देश शामिल हैं।
- GHI- 2020 के स्कोर के अनुसार, 3 देश- चाड, तिमोर-लेस्ते और मेडागास्कर भुखमरी के खतरनाक स्तर पर हैं।
- GHI- 2020 के अनुसार दुनिया भर में भुखमरी की स्थिति 'मध्यम' स्तर पर है।

क्षेत्रीय परिदृश्य:

- भारत इस सूचकांक में श्रीलंका (64वें), नेपाल (73वें), पाकिस्तान (88वें), बांग्लादेश (75वें), इंडोनेशिया (70वें) जैसे अन्य देशों से पीछे है।

प्रमुख संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन:

- भारत की 14 प्रतिशत आबादी 'अल्पपोषित' (Undernourishment) है।
  - इसका निर्धारण अपर्याप्त कैलोरी लेने की मात्रा के आधार पर किया जाता है।
- भारत में बच्चों में 'स्टंटिंग' (Stunting) की दर 37.4 प्रतिशत दर्ज की गई है।
  - यह उम्र की तुलना में कम ऊँचाई को दर्शाता है तथा यह स्थायी/क्रोनिक कुपोषण को दर्शाता है। यह आमतौर पर गरीब, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, कमज़ोर मातृ स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा होता है।
- भारत में 'बाल मृत्यु' (Child Mortality) दर में सुधार हुआ है, जो अब 3.7 प्रतिशत है।
  - बाल मृत्यु दर पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को बताता है।
- चाइल्ड 'वेस्टिंग' (Wasting) में भारत की स्थिति में गिरावट देखी गई है। भारत का स्कोर 17.3 प्रतिशत रहा है।
  - इसमें ऊँचाई की तुलना में कम वजन होता है तथा यह 'तीव्र'/एक्यूट (Acute) कुपोषण को दर्शाता है। तीव्र कुपोषण, कुपोषण का सबसे चरम और दृश्य रूप (जो शरीर के बाहर से दिखाई देता है) होता है।

रिपोर्ट संबंधी प्रमुख निष्कर्ष:

- स्टंटिंग मुख्यत: बच्चों के बीच केंद्रित है। गरीबी, आहार की विविधता का अभाव, मातृ शिक्षा का निम्न स्तर सहित कई प्रकार की वंचनाओं का होना इसका मुख्य कारण हैं।
- बहुत से देशों की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, जबकि कई देशों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।
- नवीनतम GHI अनुमानों से पता चलता है कि 37 देश वर्ष 2030 तक भुखमरी (सतत् विकास लक्ष्य'- 2) को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे।

COVID-19 महामारी का प्रभाव:

- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर लगभग 690 मिलियन लोग कुपोषित हैं। COVID-19 महामारी, वैश्विक स्तर पर भुखमरी और गरीबी को कम करने की दिशा में हुई प्रगति को प्रभावित कर सकती है।
- COVID-19 ने इस बात को और अधिक स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में हमारी खाद्य प्रणालियाँ, 'ज़ीरो हंगर' स्थिति प्राप्त करने करने के लिये अपर्याप्त हैं।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI):

- 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी 'कंसर्न वर्ल्डवाइड' (Concern Worldwide) और जर्मनी के एक संगठन 'वेल्ट हंगर हिल्फे' (Welt Hunger Hilfe) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।
- GHI स्कोर, चार घटक संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है:
  1. अल्पपोषण
  2. चाइल्ड वेस्टिंग
  3. चाइल्ड स्टंटिंग
  4. बाल मृत्यु दर
- इन चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर 0 से 100 तक के पैमाने पर भुखमरी को निर्धारित किया जाता है जहाँ 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर (भूख नहीं) है और 100 सबसे खराब है।
- प्रत्येक देश के GHI स्कोर को निम्न से अत्यंत खतरनाक स्थिति के रूप वर्गीकृत किया जाता है।

GHI गंभीरता स्केल (GHI Severity Scale)				
कम (Low)	मध्यम (Moderat)	गंभीर (Serious)	खतरनाक (Alarming)	बेहद चिंताजनक (Extremely Alarming)
≤ 9.9	10.0–19.9	20.0–34.9	35.0-49.9	≥ 50.0

निष्कर्ष:

- GHI-2020 में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए मौजूदा कुपोषण स्थिति में सुधार की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में महत्त्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' के लिये एक कार्ययोजना विकसित की है। वर्तमान रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस योजना में अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिये।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनयम, 2005 पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक 'कभी न खत्म होने वाले चक्र' (Never-Ending Cycle) के रूप में परिभाषित किया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा अपराध की घटनाएँ निरंतर जारी हैं, जो भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र के समक्ष गंभीर चिंता का कारण बनी हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनयम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) पर विस्तार से चर्चा करने के बाद दिया गया।
  - यह कानून घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 'साझा घर' (Shared Household) में रहने का अधिकार प्रदान करता है, भले ही पीड़ित महिला के पति के पास घर का कोई कानूनी अधिकार न हो तथा यह घर ससुर या सास के स्वामित्व में हो।
- अधिनियम को व्यापक बनाना: न्यायालय के अनुसार, यदि आपराधिक न्यायालय (Criminal Court) द्वारा घरेलू हिंसा के कानून के तहत किसी विवाहित महिला को निवास का अधिकार (यहाँ ऐसे निवास स्थल की बात की गई है जहाँ महिला एवं पुरुष दोनों साथ रह रहे हैं) दिया गया है तो इस प्रकार की राहत प्रदान करने का निर्णय लिया जाना प्रासंगिक है, साथ ही ससुराल में हिंसा से पीड़ित महिला को बेदखल करने की स्थिति में नागरिक कार्यवाही (Civil Proceedings) पर भी विचार किया जा सकता है।
  - पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत संयुक्त परिवार में 'साझा घर' (Shared Household) पर दावा करने का अधिकार प्राप्त होगा।
  - घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 (s) 'साझा संपत्ति' (Shared Property) को परिभाषित करती है, जो महिला के पति या संयुक्त परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में होती है और जिसमे महिला का पति भी शामिल है ।
- पूर्व निर्णय को पलटना: दिसंबर 2006 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए पूर्व निर्णय, एस. आर. बत्रा बनाम तरुणा बत्रा (SR Batra v Taruna Batra) मामले को न्यायालय द्वारा उलट दिया गया है. अपने पूर्व के निर्णय में न्यायालय द्वारा पत्नी को पति के घर में रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि यह घर पति की माँ के स्वामित्व में था।
  - न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय/आदेश को गलत माना गया है क्योंकि यह निर्णय पूरी तरह वर्ष 2005 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
- क्रूर/हिंसक व्यवहार की कम-से-कम रिपोर्ट: न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 2005 के अधिनियम के अनुपालन के बाद भी भारत में घरेलू हिंसा की घटनाओं में अभी तक कमी नहीं आई है। न्यायालय ने कहा कि भारत में एक महिला को पुत्री, बहन, पत्नी, माँ, साथी या एकल महिला के रूप में घेरलू हिंसा एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो कि चिंतनीय है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -4 (2015-16) (NFHS-4) के अनुसार, भारत में 15-49 आयु वर्ग की 30% लड़कियाँ एवं महिलाएँ शारीरिक हिंसा की पीड़ित हैं।
- UN वुमन (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women-UN Women) के अनुसार, विश्व स्तर पर वर्ष 2019-20 में 243 मिलियन लड़कियाँ और महिलाएँ (15-49 वर्ष की आयु) अपने साथी द्वारा यौन या शारीरिक हिंसा की शिकार हुई हैं।
  - हिंसा की शिकार महिलाओं में से 40% से कम महिलाएँ किसी भी प्रकार की मदद मांगती हैं या हिंसा/अपराध की रिपोर्टिंग करती हैं।
  - मदद मांगने वाली इन महिलाओं में से 10% पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराती हैं।
- कारण: महिलाओं द्वारा अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार का दृढ़ता के साथ विरोध न करने या किसी ठोस कार्यवाही के लिये कदम न उठा पाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:
  - बड़े पैमाने पर महिला अधिकारों को संबोधित करने वाले कानूनों की अनुपस्थिति।
  - मौजूदा कानूनों की अनदेखी।
  - सामाजिक दृष्टिकोण, कलंक एवं परिस्थितियों के चलते भी महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है जो महिलाओं के प्रति हिंसक मामलों की शिकायत न करने का मुख्य कारक है।
  - परिस्थितियों के चलते समाज में इस अवधारणा को बल मिला है कि अधिकांश महिलाएँ चुप रहकर परिस्तिथियों के साथ समझौता करना पसंद करती हैं बजाय अपने खिलाफ हुए हिंसा का विरोध करने के।

घरेलू हिंसा अधिनियम:

- अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनयम, 2005 है।

- शारीरिक हिंसा, जैसे- थप्पड़ मारना, धक्का देना एवं पीटना।
- यौन हिंसा जैसे- जबरन संभोग एवं अन्य रूप। (बलात्कार)
- भावनात्मक (मनोवैज्ञानिक) दुरुपयोग, जैसे- अपमान, विश्वासघात, निरंतर अपमान करना, डराना, नुकसान पहुँचाने की धमकी, बच्चों को दूर करने की धमकी देना इत्यादि।
- किसी व्यक्ति को उसके परिवार एवं दोस्तों से अलग करना, व्यक्ति के कही आने-जाने पर निगरानी रखना उसके वित्तीय संसाधनों, रोज़गार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल तक पहुँच को प्रतिबंधित करना इत्यादि।

आगे की राह:

- महिलाओं के खिलाफ उन हिंसक मामलों को तत्काल प्रभाव से निपटाने की ज़रूरत है जिनका सामना वे आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन पैकेज के अभाव में भेदभाव के कई रूपों में करती हैं।
- ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के हितों के लिये कार्य करने वाले संगठनों एवं समुदायों को दृढ़ता से समर्थन करने की आवश्यकता है।
- सामाजिक सहायता का विस्तार करने के साथ-साथ फोन या इंटरनेट का उपयोग न करने वाली महिलाओं तक इनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिये तकनीक आधारित समाधानों जैसे- एसएमएस, ऑनलाइन टूल एवं नेटवर्क का उपयोग करते हुए हेल्पलाइन, साइकोसोशल सपोर्ट और ऑनलाइन काउंसलिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ।
- पुलिस और न्याय सेवाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी आपराधिक घटना के साथ-साथ महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं को भी अन्य हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं के साथ उच्च प्राथमिकता दी जाए।

भारत में लिंगानुपात में सुधार की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष सी. रंगराजन ने युवा लोगों तक प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा के साथ-साथ 'लैंगिक समता मानदंडों' की तत्काल पहुँच की आवश्यकता पर बल दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- पिछले कुछ समय से भारत में प्रजनन क्षमता घट रही है। 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम' (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट में वर्ष 2018 में 'कुल प्रजनन दर' (Total Fertility Rate- TFR) 2.2 रहने का अनुमान लगाया गया था।
    - SRS देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा किया गया है।

भारत में TFR:

- देश में प्रजनन क्षमता में गिरावट जारी रहने की संभावना है और अनुमान है कि 2.1 का प्रतिस्थापन TFR को जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा।
    - कुल प्रजनन दर (TFR), सरल शब्दों में कहा जाए तो एक महिला के उसके जीवन में जन्म लेने वाले या जन्म लेने की संभावना वाले कुल बच्चों की संख्या को संदर्भित करता है।
    - प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के कुल प्रजनन दर (TFR) को 'प्रतिस्थापन' (Replacement) TFR कहा जाता है।

प्रतिस्थापन TFR का महत्त्व:

- यदि प्रतिस्थापन दर पर TFR लंबे समय तक बनी रहती है, तो प्रत्येक पीढ़ी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के बिना अपने देश की जनसंख्या को संतुलित कर देगी।
- बहुत से लोगों का मानना है कि एक बार प्रतिस्थापन दर पर TFR पहुँच जाने के बाद देश की जनसंख्या कुछ वर्षों में स्थिर हो जाएगी या कम होने लगेगी।

भारत में प्रतिस्थापन TFR के कारण:

- इसका कारण 'पापुलेशन मोमेंटम इफेक्ट' (Population Momentum Effect) न होकर बड़ी जनसंख्या का 15-49 वर्ष के प्रजनन आयु समूह में प्रवेश करना है।
  - ‘पापुलेशन मोमेंटम इफेक्ट’ का तात्पर्य जन्म और मृत्यु दर में कमी अथवा वृद्धि द्वारा जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर का प्रभावित होना है।
- उदाहरण के लिये केरल राज्य ने प्रतिस्थापन TFR का स्तर वर्ष 1990 के आसपास प्राप्त कर लिया था, लेकिन इसकी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2018 में लगभग 30 साल बाद भी 0.7% थी।

चुनौतियाँ:

प्रतिगामी मानसिकता:

- केरल और छत्तीसगढ़ के अलावा संभवत: सभी राज्यों में बेटियों की तुलना में बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। यह लोगों के प्रतिगामी मानसिकता को दर्शाता है। उदाहणत: लोग लड़कियों को दहेज से जोड़ते हैं।

प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:

- अल्ट्रासाउंड जैसी सस्ती तकनीक का उपयोग लिंग चयन में करना।

कानून के कार्यान्वयन में विफलता:

- 'गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम' (Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques- PCPNDT), 1994 लिंग चयन को नियंत्रित करने में विफल रहा है।

निरक्षरता:

- 15-49 वर्ष की प्रजनन आयु समूह की साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर महिलाओं की प्रजनन दर अधिक होती है।

लैंगिक सुधार के लिये सुझाव:

- महिला शिक्षा और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि आर्थिक स्थिति में बदलाव से लिंगानुपात सुधारने में मदद मिलेगी।
- युवा लोगों तक सरकारी लैंगिक सुधार कार्यक्रमों की पहुँच से जनसंख्या वृद्धि को कम करने तथा जन्म के समय लिंग-अनुपात सुधारने में मदद मिलेगी।
- महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पर रोलआउट अभियान, महिला सुरक्षा सेल बनाना, सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साइबर-क्राइम सेल बनाना आदि पहलों को व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- अनेक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के बावजूद भारत में महिलाओं और बालिकाओं का स्वास्थ्य लगातार निम्न स्तर का बना हुआ है। अत: महिलाओं और बच्चों से संबंधित नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन तथा स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच से लैंगिक अंतर को कम करने की आवश्यकता है।

खाद्य उपभोग पर रिपोर्ट: डब्ल्यूडब्ल्यूएफ

चर्चा में क्यों?

9 अक्तूबर, 2020 को वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (World Wildlife Fund) द्वारा ‘बेंडिंग कर्व: द रिस्टोरेटिव पावर ऑफ प्लेनेट-बेस्ड डाइट्स’ (Bending the Curve: The Restorative Power of Planet-Based Diets) नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

रिपोर्ट सर्वेक्षण:

- इस रिपोर्ट में 147 देशों और 6 क्षेत्रों में खाद्य उपभोग के पैटर्न और 75 देशों के राष्ट्रीय दैनिक आहार दिशा-निर्देश (National Dietary Guidelines- NDGs) का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रत्येक देश और क्षेत्र के लिये विभिन्न पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संकेतकों पर आहार के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व में खाद्य उपभोग के पैटर्न व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और इनमें बड़े पैमाने पर असमानता पाई जाती है।
  - सबसे अमीर एवं सबसे गरीब देशों में विभिन्न खाद्य उपभोग पैटर्न देखे जाते हैं। जैसे- यूरोपीय देशों (1,800 ग्राम/दिन) में अफ्रीकी देशों (1,200 ग्राम/दिन) की तुलना में प्रतिदिन लगभग 600 ग्राम अधिक भोजन ग्रहण किया जाता है।
  - हालाँकि अल्पपोषण और मोटापा लगभग सभी देशों को प्रभावित करता है। अन्य देशों की तुलना में सबसे गरीब देशों में कम वजन वाले लोगों की दर 10 गुना अधिक है।
  - जबकि सबसे अमीर देशों में अधिक वजन/मोटापे से ग्रस्त लोगों की दर 5 गुना तक अधिक है।

प्रमुख चिंताएँ:

- कम एवं मध्यम आय वाले देशों में समय से पहले मृत्यु (Premature Deaths) का कारण अस्वास्थ्यकर आहार, न्यूनतम उपभोग के साथ-साथ अधिकतम उपभोग है।
- भारत को खाद्य में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि 'हेल्थियर एंड प्लैनेट-फ्रेंडली डाईट' (Healthier and Planet-Friendly Diet) में बदलाव और बड़े पैमाने पर उपभोग में हुई वृद्धि के कारण जैव विविधता में कमी देखी जा रही है।
  - देश को अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये फलों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों की खपत बढ़ानी होगी।

सुझाव:

- इस क्षेत्र में संतुलन बनाने की आवश्यकता है कि देश अपने भोजन के साथ-साथ प्लांट -बेस्ड डाईट (Plant-based Diet) की ओर शिफ्ट हो जाएँ, जो समय की आवश्यकता है।
  - हालाँकि आहार में यह परिवर्तन विभिन्न देशों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करेगा।
    - कुछ देशों को पशु-स्रोत खाद्य पदार्थों (Animal-source Foods) की अपनी खपत को कम करने की आवश्यकता होगी, तो दूसरी ओर कुछ देशों को उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।
- आहार को लेकर यह स्थानान्तरण न केवल किसी भी भोजन के अधिक उपभोग को रोककर मानव स्वास्थ्य में सुधार करेगा बल्कि अब तक हुई जैविक क्षति को भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर देगा और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार करेगा।
  - अधिक प्लांट-बेस्ड आहारों में बदलाव से कार्बन उत्सर्जन में 30%, वन्यजीवों की हानि में 46%, कृषि भूमि के उपयोग में 41% और अकाल मृत्यु में 20% की कमी आएगी।
- एक संधारणीय पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य जीवन शैली में बदलाव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित खाद्य पदार्थ शामिल हैं:
  - अधिक धारणीय आहार
  - अधिक प्लांट-बेस्ड फूड और कम एनिमल-बेस्ड फूड
  - स्वस्थ एवं स्थानीय रूप से विकसित और न्यूनतम संसाधित आहार
  - आहार में एकात्मकता के बजाय अधिक विविधता
- भारत सहित विश्व के अनेक देशों को केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर नहीं होना चाहिये।
- जैव विविधता संपन्न देशों को अधिक उपज एवं कम जैव विविधता वाले राष्ट्रों से भोजन आयात करना चाहिये।

नोट :

प्लैनेट-बेस्ड डाईट्स इम्पैक्ट एंड एक्शन कैलकुलेटर (Planet-Based Diets Impact and Action Calculator):

- WWF ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे 'प्लैनेट-बेस्ड डाइट्स इम्पैक्ट एंड एक्शन कैलकुलेटर' (Planet-Based Diets Impact and Action Calculator) के नाम से जाना जाता है।
  - इससे कोई भी अपने उपभोग की गणना कर सकता है और पर्यावरण पर उनके आहार से होने वाले प्रभाव का पता लगा सकता है।
- यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर के प्रभावों को भी दर्शाता है।
- यह दुनिया में कहीं भी रहने वाले लोगों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या उनका आहार उनके साथ-साथ उनके पर्यावरण के लिये भी अच्छा है।

आधुनिक दासता पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व में लगभग 29 मिलियन महिलाएँ आधुनिक दासता (Modern Slavery) की शिकार हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'स्टैक्ड ऑड्स' (Stacked Odds) शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 130 में 1 महिला आधुनिक दासता की शिकार है।
- मानव इतिहास में किसी अन्य समय की तुलना में वर्तमान में सबसे अधिक लोग किसी-न-किसी प्रकार की दासता के शिकार हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, यौन शोषण के सभी पीड़ितों में से 99% महिलाएँ हैं, इसी प्रकार ज़बरन विवाह और बंधुआ मज़दूरी के पीड़ितों में क्रमशः 84% व 58% महिलाएँ ही हैं ।

आधुनिक दासता (Modern Slavery):

- आधुनिक दासता का आशय किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यवस्थित रूप से हटाने की उस प्रक्रिया से है, जहाँ एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ के लिये किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जाता है।

COVID-19 और आधुनिक दासता:

- COVID-19 महामारी ने विश्व भर में सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को आधुनिक दासता की प्रथा की तरफ और अधिक धकेल दिया है।
- COVID-19 महामारी के दौरान विश्व भर में ज़बरन और बाल विवाह के मामलों के साथ श्रमिकों के शोषण के मामलों में भारी वृद्धि देखने को मिली है।

भारत की स्थिति:

- इस रिपोर्ट में भारत में आधुनिक दासता के मामलों में वृद्धि के लिये जातिगत भेदभाव को एक प्रमुख कारण बताया गया है।
- इसके साथ ही रिपोर्ट में भारत को वर्ष 2019 में लड़कों के जन्म के प्रति सबसे अधिक पूर्वाग्रह वाले विश्व के शीर्ष 10 देशों में 5वें स्थान पर रखा गया था।
- रिपोर्ट के अनुसार, लिंगानुपात में अप्राकृतिक विकृति के कारण भारत और चीन में विवाह के लिये लड़कियों की तस्करी के मामले देखने को मिले हैं।
- इस रिपोर्ट में भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित देवदासी प्रथा पर चिंता व्यक्त की गई है, रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रथा में शामिल 98% लड़कियाँ घरेलू हिंसा और लगभग 92% लड़कियाँ बाल मज़दूरी की शिकार रही हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, असम के चाय बागानों और दक्षिण भारत के कताई कारखानों में लड़कियों के बंधुआ मज़दूर के रूप में कार्य करने के मामले सामने आए हैं।

समाधान:

- रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं और लड़कियों के बीच आधुनिक दासता के खतरों को कम करने के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
  1. महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच में सुधार।
  2. लड़कियों को आर्थिक और व्यावसायिक अवसर प्रदान करना।
  3. लिंग-पक्षपात से जुड़े नज़रिये को बदलने के लिये समुदाय के साथ कार्य करना।

भारत सरकार के प्रयास:

- केंद्र सरकार द्वारा देश में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को रोकने, लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
- इसके साथ ही महिलाओं को प्रत्यक्ष बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही है।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं के शोषण को रोकने के लिये विशाखा दिशा-निर्देशों (Vishaka Guidelines) के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रयास किये गए हैं।
- बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिये वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा 'बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012' (पोक्सो) में आवश्यक संशोधन को मंज़ूरी दी गई है।
- COVID महामारी के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिये चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, कानूनी, पुलिस और आश्रय सुविधाएँ प्रदान करने वाले वन स्टॉप सेंटर जैसे कई उपाय किये गए।

अन्य वैश्विक प्रयास:

- 'वॉक फ्री' और संयुक्त राष्ट्र के 'एवरी वुमन एवरी चाइल्ड' द्वारा आधुनिक दासता को समाप्त करने के लिये एक वैश्विक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।
  - यह अभियान बाल विवाह और ज़बरन विवाह की प्रथा को समाप्त करने की मांग करता है, गौरतलब है कि वर्तमान में विश्व के 136 देशों में इस प्रथा को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया गया है।
  - साथ ही यह शोषण की 'कफाला' जैसी कानूनी प्रणालियों के उन्मूलन की मांग करता है।

COVID-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर

चर्चा में क्यों?

'COVID-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर' के आँकड़ों के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में होने वाली गिरावट की रक्षा की दिशा में दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'COVID-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर' 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (United Nations Development Programme-UNDP) और 'यू.एन. वीमेन' (UN Women) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह COVID-19 महामारी से निपटने के लिये दुनिया भर में सरकारों द्वारा लागू किये गए नीतिगत उपायों की निगरानी करता है और इस दौरान उत्पन्न लैंगिक मुद्दों को रेखांकित करता है।
- यह ट्रैकर 206 देशों और क्षेत्रों में 2,500 से अधिक संकेतकों का विश्लेषण करता है। विशेषतया लैंगिक क्षेत्र से जुड़े तीन संकेतकों का विश्लेषण करता है:
  - महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा से निपटना (VAWG);
  - अवैतनिक देखभाल का समर्थन;
  - महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करना।

ट्रैकर के निष्कर्ष:

- 42 देशों द्वारा COVID -19 महामारी की प्रतिक्रिया में कोई लिंग-संवेदनशील उपाय नहीं अपनाए गए हैं।
- सामाजिक सुरक्षा, नौकरियों की सुरक्षा की दिशा में बहुत कम देशों द्वारा महिलाओं की आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। एक-तिहाई से भी कम देशों द्वारा अवैतनिक देखभाल का समर्थन किया गया है।
- COVID-19 महामारी ने महिलाओं को कई प्रकार से बुरी तरह प्रभावित किया है यथा- उनके खिलाफ घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है, अवैतनिक देखभाल करने वालों के रूप में सामाजिक सुरक्षा की कमी आदि।

सिफारिशें:

- महिलाओं को महामारी से खिलाफ प्रतिक्रिया में मदद के लिये राजकोषीय पैकेज की घोषणा की जानी चाहिये।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिये सेवाओं को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाने चाहिये।
- सरकारों को COVID-19 महामारी के प्रति प्रतिक्रिया हेतु नेतृत्त्व और निर्णयन प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का समर्थन करना चाहिये।

आगे की राह:

- COVID-19 महामारी देशों को सामाजिक सुरक्षा के मौजूदा आर्थिक मॉडल को बदलने का अवसर प्रदान करती है।
- 'ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर' राष्ट्रीय प्रयासों और फंडिंग में अंतराल पर मार्गदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करके नीतिगत सुधार में तेज़ी लाने में मदद कर सकता है।
- ग्लोबल ट्रैकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दूर करने के उपायों की निगरानी करके सही नीतिगत निर्णय लेने में सरकारों का समर्थन करता है।

'यू.एन. वीमेन' (UN Women):

- वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'यू.एन. वीमेन' (UN Women) का गठन किया गया था। यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य करती है।
- यह चार रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है:
  - महिलाओं द्वारा नेतृत्त्व तथा शासन प्रणालियों में समान रूप से भागीदारी।
  - महिलाओं की आय सुरक्षा, अच्छी कार्य दशाएँ तथा आर्थिक स्वायत्तता।
  - महिलाएँ और बालिकाएँ सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त हों।
  - प्राकृतिक आपदाओं एवं संघर्षों और मानवीय कार्रवाई में महिलाओं को विशेष सहायता।
- इसके तहत संयुक्त राष्ट्र तंत्र के 4 अलग-अलग प्रभागों के कार्यों को संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है:
  - महिलाओं की उन्नति के लिये प्रभाग।
  - महिलाओं की उन्नति के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान।
  - लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की उन्नति पर विशेष सलाहकार कार्यालय।
  - महिलाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कोष।

भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिणी हिंद महासागर में मैस्करीन हाई (Mascarene High- MH) क्षेत्र की परिवर्तनशीलता पर हुए एक अध्ययन के अनुसार, समुद्र की सतह के तापमान (Sea Surface Temperature- SST) में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- यह अध्ययन ग्लोबल वार्मिंग अंतराल (Global Warming Hiatus- GWH) (1998-2016) की अवधि के दौरान किया गया।
- अध्ययन से प्राप्त परिणाम ऐसे देशों के लिये चिंताजनक हैं जिनकी खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था मानसूनी वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
- GWH के दौरान दक्षिणी हिंद महासागर में MH के कमज़ोर पड़ने से सोमालिया और ओमान के तट पर अपवेलिंग की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है जो अरब सागर के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने का कारक बन सकता है।
- इसके अलावा इस प्रक्रिया से कृषि उपज प्रभावित हो रही है क्योंकि अतिरिक्त या कम वर्षा, फसलों के लिये हानिकारक होती है।

ग्लोबल वार्मिंग अंतराल:

- ग्लोबल वार्मिंग अंतराल से तात्पर्य एक निश्चित समयसीमा में ग्लोबल वार्मिंग का कम हो जाना या ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि में कमी से है जो विश्व स्तर पर सतह के तापमान में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन की अवधि है।
- इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि हो सकती है।

मैस्करीन हाई:

- मैस्करीन हाई (MH) दक्षिण हिंद महासागर में 20° से 35° दक्षिण अक्षांश और 40° से 90° पूर्वी देशांतर के बीच स्थित एक अर्द्ध-स्थायी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव वाला क्षेत्र है।
- यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से क्रॉस-इक्वेटोरियल पवनें भारत में आती हैं।
- इस उच्च दबाव क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाला दक्षिण-पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप मानसून का सबसे मज़बूत घटक है जो संपूर्ण पूर्वी एशिया की वार्षिक वर्षा में लगभग 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।
- यह इस क्षेत्र के एक अरब से अधिक लोगों के लिये एक प्रमुख जलापूर्ति स्रोत भी है। मानसून को कई जलवायु कारक नियंत्रित करते हैं जिनमें से एक MH है।
- इसका नाम मैस्करीन द्वीप समूह के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में मॉरीशस के द्वीपों के साथ-साथ फ्रेंच रियूनियन द्वीपों से मिलकर बना है।
- अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई मौसम पैटर्न पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ने के साथ ही, यह दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में उपमहाद्वीपीय भू-भाग के मध्य अंतर-गोलार्द्ध परिसंचरण में भी मदद करता है।

मैस्करीन हाई की भूमिका:

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण SST में वृद्धि के परिणामस्वरूप MH और भारतीय भू-भाग के मध्य दाब प्रवणता में कमी आई है।
- दाब प्रवणता में आई कमी ने पश्चिमी हिंद महासागर में निचले स्तर की क्रॉस-इक्वेटोरियल पवनों की तीव्रता को कम कर दिया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के आगमन और पूर्वी एशिया में वर्षा प्रभावित हुई है।

आगे की राह:

- पिछले 18 वर्षों के दौरान SST ने मानसून पर अत्यधिक प्रभाव डाला है।
- जलवायु परिवर्तन प्रभाव के जोखिम को कम करने के लिये हीटवेव सहित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और बढ़ते तापमान के कारण बर्फ तथा ग्लेशियर के पिघलने से उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

गर्भपात और पोलैंड में विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

बीते कुछ दिनों से कानूनी गर्भपात के संबंध में पोलैंड की एक अदालत के निर्णय को लेकर हज़ारों महिलाएँ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- न्यायालय का निर्णय
  - 22 अक्तूबर, 2020 को पोलैंड के संवैधानिक न्यायाधिकरण ने अपने एक निर्णय में कहा कि गर्भपात संबंधी पोलैंड का मौजूदा कानून विकृत भ्रूणों (Malformed Foetuses) यानी ऐसे भ्रूणों के गर्भपात की अनुमति देता है, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं अथवा उनमें कोई विकार है, इस तरह यह कानून पूर्णत: असंवैधानिक है।
  - संवैधानिक न्यायाधिकरण की अध्यक्ष जूलिया प्रेज़लेबस्का ने इस संबंध में निर्णय देते हुए कहा कि भ्रूण की विकृतियों के मामले में गर्भपात की अनुमति देना, एक अजन्मे बच्चे के संबंध में सुजनन की प्रथाओं (Augenic Practices) को वैध बनाता है।
  - संवैधानिक न्यायाधिकरण ने तर्क दिया कि चूँकि पोलैंड के संविधान में जीवन के अधिकार की गारंटी दी गई है, इसलिये भ्रूण की विकृति के आधार पर गर्भपात की अनुमति देना भी भेदभाव का ही एक रूप है।
  - ध्यातव्य है कि बीते वर्ष पोलैंड के सत्तारुढ़ दल के कुछ सांसदों ने पहली बार वर्ष 1993 में बने गर्भपात कानून को संवैधानिक चुनौती दी थी, जिसमें भ्रूण के दोष अथवा विकृति के आधार पर गर्भपात की अनुमति दी गई थी।
  - पोलैंड के गर्भपात कानूनों को पहले से ही यूरोप के सबसे कठोर गर्भपात कानूनों में से एक माना जाता है, वहीं अब संवैधानिक न्यायाधिकरण का निर्णय लागू होने के बाद पोलैंड में केवल दुष्कर्म और अनाचार के मामलों में या फिर जब गर्भावस्था से माँ के जीवन को खतरा हो तभी गर्भपात की अनुमति दी जाएगी।
- पोलैंड की महिलाओं के लिये इस निर्णय के निहितार्थ
  - बीबीसी (BBC) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पोलैंड में प्रत्येक वर्ष 2,000 से अधिक कानूनी गर्भपात किये जाते हैं, जिनमें से अधिकांश भ्रूण विकृति के कारण होते हैं।
  - रिपोर्ट की मानें तो बलात्कार, अनाचार के मामलों में या जहाँ माँ के जीवन पर खतरा हो ऐसे सभी मामलों में होने वाले गर्भपातों की संख्या कुल गर्भपातों का केवल 2 प्रतिशत है।
    - इस प्रकार अदालत के इस निर्णय से पोलैंड में एक प्रकार से गर्भपात पर पूर्णत: प्रतिबंध लग गया है।
  - महिला अधिकारों के लिये कार्य करने वाले समूहों और संगठनों के मुताबिक, प्रत्येक वर्ष पोलैंड की लगभग 80,000 से 120,000 महिलाएँ या तो गर्भपात के लिये विदेश जाती हैं या फिर कठोर गर्भपात कानूनों के मद्देनज़र अवैध गर्भपात कराती हैं।
  - इस प्रकार यदि गर्भपात संबंधी कानूनों को और कठोर कर दिया जाता है तो इससे अवैध रूप से होने वाले गर्भपतों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

पोलैंड में गर्भपात को लेकर विरोध प्रदर्शन- पृष्ठभूमि

- ज्ञात हो कि यह पहली बार नहीं है जब पोलैंड में कठोर गर्भपात कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किये जा रहे हैं। इससे पूर्व वर्ष 2016 में गर्भपात पर पूर्ण प्रतिबंध के प्रस्ताव के विरोध में हज़ारों महिलाओं ने हड़ताल की थी।
  - इस प्रदर्शन के दौरान सभी महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रकट किया था, जो इस बात का प्रतीक था कि महिलाएँ अपने प्रजनन अधिकारों की मृत्यु का शोक मना रही थीं।
- यदि गर्भपात संबंधी इस कानून के मसौदे को लागू कर दिया जाता तो इसके कारण उन महिलाओं को कम-से-कम पाँच वर्ष जेल की सज़ा होगी जिन्होंने गर्भपात करवाया था।

भारत में गर्भपात संबंधी कानून

- भारत में गर्भपात के संबंध में वर्ष 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम लागू किया गया था, जो कि वर्तमान में देश में गर्भपात को लेकर सबसे महत्त्वपूर्ण कानून है।
  - ज्ञात हो कि वर्ष 1971 से पूर्व भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात को आपराधिक कृत्य घोषित किया गया था।
- इस अधिनियम के तहत गर्भपात की अनुमति के लिये गर्भधारण की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गई है। यद्यपि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (संशोधन) विधेयक, 2020 में इस अवधि को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की बात कही गई है, किंतु यह विधेयक अभी राज्यसभा में लंबित है।

- कोई भी पंजीकृत डॉक्टर उस स्थिति में गर्भपात करा सकता है यदि गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक नहीं है और यदि गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक है किंतु 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, तो गर्भपात उसी स्थिति में हो सकता है जब दो डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि-
    - गर्भावस्था जारी रखने से माँ के जीवन या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है।
    - भ्रूण किसी गंभीर विकार अथवा रोग से पीड़ित है, जिससे उसके गंभीर रूप से विकलांग होने की आशंका है।
    - गर्भावस्था का कारण दुष्कर्म अथवा अनाचार है।
    - गर्भावस्था, गर्भनिरोधक की विफलता के परिणामस्वरूप हुई है (हालाँकि यह केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होता है)।

निहित समस्याएँ

- कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस अधिनियम में गर्भपात को लेकर एक महिला की पसंद और स्व-चयन के विकल्प को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। यह अधिनियम केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति देता है, इस प्रकार महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुरूप गर्भपात का विकल्प चुनने का कोई विकल्प नहीं है।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, 1971 की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यह अधिनियम कई अवसरों पर चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के साथ तालमेल स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है।

कला एवं संस्कृति

बूंदी स्थापत्य कला

चर्चा में क्यों?

पर्यटन मंत्रालय ने 24 अक्तूबर, 2020 को 'बूंदी: आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ ए फॉरगोटेन राजपूत कैपिटल' शीर्षक से 'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया, जो राजस्थान के बूंदी ज़िले पर केंद्रित थी।

उद्देश्य:

- मध्ययुगीन भारत के प्रमुख शक्ति केंद्रों के आस-पास स्थित छोटे ऐतिहासिक शहर वर्तमान में गुमनामी की दशा में हैं।
- भारत के विशाल भूगोल में विस्तृत छोटे शहरों और कस्बों की ओर पर्यटकों का ध्यान काफी कम गया है, ऐसे में पर्यटकों को इन क्षेत्रों के बारे में अवगत कराना काफी आवश्यक है, ताकि आम लोग इन क्षेत्रों के ऐतिहासिक महत्त्व को जान सकें और एक पर्यटन स्थल के तौर पर इनका विकास हो सके।

'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला

- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल, 2020 से 'देखो अपना देश' (Dekho Apna Desh) वेबिनार श्रृंखला शुरू की है।
- इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के कई गंतव्यों के बारे में जानकारी देने के साथ ही अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करना है।

बूंदी

- बूंदी, हाडा राजपूत (Hada Rajput) प्रांत की पूर्ववर्ती राजधानी है जिसे दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में पहले हाडौती के नाम से जाना जाता था।
- बूंदी को सीढ़ीदार बावड़ी का शहर, नीला शहर और छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन समय में बूंदी के आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभिन्न स्थानीय जनजातियों का निवास स्थल था, जिनमें परिहार जनजाति, मीणा आदि प्रमुख थे।
- बाद में इस क्षेत्र पर राव देव द्वारा शासन किया गया, जिन्होंने 1242 में बूंदी पर कब्ज़ा कर लिया और आसपास के क्षेत्र का नाम बदलकर हाडौती या हरोती रख दिया।

  बूंदी में दरवाज़ों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

  1. तारागढ़ का प्रवेश द्वार, सबसे पुराना दरवाज़ा।
  2. चारदीवारी के चार शहर।
  3. बाहरी शहर की दीवार का दरवाज़ा।
  4. चारदीवारी वाले शहर की प्रमुख सड़कों पर दरवाज़ा।
  5. छोटा दरवाज़ा।

  कोतवाली दरवाज़ा और नगर पोल सदर बाज़ार की दीवार शहर के भीतर बनाए गए थे।

वास्तुकला

- बूंदी के भीतर और आसपास सौ से अधिक मंदिरों की उपस्थिति के कारण इसे छोटी काशी के रूप में जाना जाता था।
- बूंदी के विकास के शुरुआती चरण में निर्मित मंदिरों में शास्त्रीय नागर शैली प्रचलित थी, जबकि बाद के चरणों में शास्त्रीय नागर शैली के साथ पारंपरिक हवेली के स्थापत्य के मिश्रण से मंदिर की नई अवधारणा सामने आई।

- यहाँ के जैन मंदिरों ने एक अंतर्मुखी रूप में मंदिर स्थापत्य की तीसरी शैली को विकसित किया, जिसमें विशिष्ट जैन मंदिर की विशेषताओं जैसे- प्रवेश द्वार पर सर्पीय तोरण द्वार, बड़े घनाकार अपारदर्शी पत्थर और गर्भगृह पर नागर शैली के शिकारे के साथ केंद्रीय प्रांगण को जोड़ा गया था।
- ऊँचे स्थान वाले मंदिरों के रूप में मंदिर स्थापत्य की एक चौथी शैली भी सामने आई।

बूंदी की वास्तुकला विरासत को छह प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. गढ़ (किला)
   - तारागढ़
2. गढ़ महल (रॉयल पैलेस)
   - भज महल
   - चतरा महल
   - उम्मेद महल
3. बावड़ी
   - खोज दरवाज़ा की बावड़ी
   - भलवाड़ी बावरी
4. कुंड (स्टेप्ड टैंक)
   - धाभाई जी का कुंड
   - नगर कुंड और सागर कुंड
   - रानी कुंड
5. सागर महल (लेक पैलेस)
   - मोती महल
   - सुख महल
   - शिकार बुर्ज
6. छतरी (सेनटैफ)
   - 84 खंभों वाली छतरी

- तारागढ़ किला: तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बैर सिंह ने 1454 फीट ऊँची पहाड़ी पर वर्ष1354 में करवाया था।
  - मंडपों की घुमावदार छतों, मंदिर के स्तंभों और हाथियों की अधिकता तथा कमल की आकृति के साथ यह महल राजपूत शैली का एक प्रमुख उदाहरण है।
- सुख महल: यह एक छोटा दो मंज़िला महल है जिसे शासकों द्वारा गर्मियों के मौसम में प्रयोग किया जाता था। जैतसागर झील के तट पर स्थित इस महल का निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने वर्ष 1773 में किया था।
- रानीजी की बावड़ी: रानीजी की बावड़ी, रानी नाथावती द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार बावड़ी है। यह बहुमंजिला बावड़ी गजराज की उत्कृष्ट नक्काशी को प्रदर्शित करती है।

आंतरिक सुरक्षा

बोडोलैंड राज्य आंदोलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक नए संगठन 'ऑल इंडिया बोडो पीपुल्स नेशनल लीग फॉर बोडोलैंड स्टेटहुड'(All India Bodo People's National League for Bodoland Statehood) द्वारा 'बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल' (Bodoland Territorial Council-BTC) के चुनावों से पहले 'बोडोलैंड राज्य आंदोलन' (Bodoland Statehood Movement) की शुरुआत/पुनरुद्धार(Revival) करने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- बोडोज़ के बारे में: यह असम में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों का सबसे बड़ा समुदाय है। बोडो-कचारी समूह (Larger Umbrella of Bodo-Kachari) के रूप में असम की कुल आबादी में बोडो समुदाय की लगभग 5-6% जनसंख्या निवास करती है।

बोडो राज्य आंदोलन के बारे में:

- वर्ष 1967-68: बोडो राज्य के लिये सर्वप्रथम संगठित मांग असम के राजनीतिक दल 'मैदानी आदिवासी परिषद'(Plains Tribals Council of Assam) द्वारा की गई।
- वर्ष 1986: 'सशस्त्र समूह बोडो सिक्योरिटी फोर्स'(The armed group Bodo Security Force) का उदय हुआ, जिसने बाद में स्वयं को 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड'(National Democratic Front of Bodoland-NDFB) में तब्दील कर लिया। इस संगठन को हमलों, हत्याओं एवं लोगों से ज़बरन वसूली में शामिल माना जाता है। बाद में इस गुट का विभाजन हो गया।
- वर्ष 1987: 'ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन' (All Bodo Students Union -ABSU) द्वारा बोडो राज्य की मांग फिर से उठाई गई।
  - असम आंदोलन (1979-85) जिसकी परिणति 'असम समझौते' के रूप में हुई, ने 'असमिया लोगों' (Assamese People) के लिये सुरक्षा एवं सुरक्षा उपायों की मांग को संबोधित किया तथा इसने बोडो समुदाय को उनकी पहचान की रक्षा के लिये एक आंदोलन शुरू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।
- 1990 का दशक: भारतीय सुरक्षा बलों (Indian security forces) द्वारा NDFB के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया, इसने बाद में भूटान की सीमा पर पलायन कर लिया।
  - 2000 के प्रारंभिक दशक में NDFB को भूटान में भारतीय सेना (Indian Army) और रॉयल भूटान सेना (Royal Bhutan Army) द्वारा चलाए गए कठोर आतंकवाद विरोधी अभियानों का सामना करना पड़ा।

सरकारी हस्तक्षेप:

- वर्ष 1993 का बोडो समझौता/अकॉर्ड : वर्ष 1987 के ABSU के नेतृत्व वाले आंदोलन का समापन वर्ष 1993 के बोडो समझौते द्वारा हुआ , जिसने 'बोडोलैंड स्वायत्त परिषद' (Bodoland Autonomous CouncIl-BAC) का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन ABSU द्वारा स्वयं को इस समझौते से बाहर करते हुए फिर से एक अलग राज्य की मांग की गई।

- वर्ष 2003 का बोडो समझौता/अकॉर्ड: 2003 में दूसरा बोडो समझौता चरमपंथी समूह 'बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स' (Bodo Liberation Tiger Force- BLTF) एवं केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य संपन्न हुआ जिसे 'बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल' (Bodoland Territorial Council- BTC) द्वारा लागू किया गया।
  - BTC संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
  - BTC के अंतर्गत आए क्षेत्र को 'बोडो प्रादेशिक स्वायत्त ज़िला' (Bodo Territorial Autonomous District- BTAD) कहा जाता है।
- वर्ष 2020 का समझौता: केंद्र सरकार द्वारा बोडो मुद्दे के 'स्थायी' समाधान के लिये राज्य सरकार और विभिन्न बोडो समूहों सहित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के चार गुटों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसके कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
  - यह समझौता 'BTAD के क्षेत्र में परिवर्तन' (Alteration of Area of BTAD) एवं 'BTAD के बाहर बोडो के लिये प्रावधान' (Provisions for Bodos Outside BTAD) प्रदान करता है।
  - BTAD का नाम बदलकर 'बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन' (Bodoland Territorial Region-BTR) कर दिया गया।
  - यह BTC के लिये अधिक विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रावधान करता है।
  - NDFB के आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा क्षेत्र के विकास के लिये 1500 करोड़ रुपए के एक विशेष विकास पैकेज का प्रावधान।

वर्तमान बोडोलैंड राज्य आंदोलन का पुनरुद्धार:

- नए संगठन के अनुसार, नया समझौता (2020) बोडो लोगों के साथ एक विश्वासघात है। यह समझौता वर्तमान में BTC के तहत निर्धारित क्षेत्र को कम करता है।
  - यह समझौता 50% से अधिक गैर-बोडो लोगों को BTR गाँवों से बाहर करने का प्रावधान करता है एवं वर्ष 2003 के समझौते के बाद BTC मानचित्र से बाहर हुए 50% से अधिक बोडो गाँवों के लोगों को शामिल करता है।

आगे की राह:

- इस समझौते में शामिल हस्ताक्षरकर्त्ताओं पर दबाव होगा कि वे समझौते के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कोई रास्ता निकालें जिसके लिये प्रासंगिक संगठनों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा गैर-बोडो समुदायों जैसे- कोच-राजबंगशियों, आदिवासियों तथा धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा नवीनतम समझौते के विरोध ने आशंकाओं को जन्म दिया है। अगर समय रहते उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है, तो असम में नृजातीय समूहों में विभेदीकरण की समस्या और गंभीर हो जाएगी। इस प्रकार इस समझौते की सफलता BTR में पावर-शेयरिंग व्यवस्था का कार्य करने वाले हितधारकों में निहित होगी जिन्हें 'आधिपत्य पर विशेषाधिकार' (Privileges Equity over Hegemony) प्राप्त है ।
- असम के बोडो हार्टलैंड (Bodo Heartland) क्षेत्र में शांति तब तक बनी रहेगी जब तक कि सभी साझा समावेशी शक्तियाँ एवं शासन मॉडल, छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत विकसित नहीं हो जाते हैं।

पूर्वोत्तर में सीमा विवाद

चर्चा में क्यों?

बीते एक सप्ताह में असम और मिज़ोरम के निवासियों के बीच दो बार क्षेत्रीय टकराव हो चुका है, जिसमें तकरीबन 8 लोग घायल हुए हैं, वहीं कई स्थानीय लोगों की संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- असम और मिज़ोरम के निवासियों के बीच उत्पन्न यह क्षेत्रीय विवाद पूर्वोत्तर में लंबे समय से चले आ रहे अंतर-राज्यीय सीमा के मुद्दों को रेखांकित करता है।

विवाद का कारण

- वर्तमान में असम और मिज़ोरम तकरीबन 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और दोनों राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद की जड़ों को औपनिवेशिक काल में खोजा जा सकता है, जब मिज़ोरम को असम के लुशाई हिल्स (Lushai Hills) ज़िले के रूप में जाना जाता था।
- असम और मिज़ोरम के बीच क्षेत्रीय विवाद मुख्य तौर पर ब्रिटिश काल में जारी दो अधिसूचनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। इसमें पहली अधिसूचना वर्ष 1875 में जारी की गई जिसके माध्यम से लुशाई हिल्स को कछार (वर्तमान असम का एक ज़िला) के मैदानी इलाकों से अलग किया गया, वहीं दूसरी अधिसूचना वर्ष 1933 में जारी की गई जिसमें लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच की सीमा का सीमांकन किया गया।
- जहाँ एक ओर मिज़ोरम का मानना है कि असम और मिज़ोरम के बीच सीमा का विभाजन वर्ष 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिये, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) अधिनियम, 1873 के माध्यम से जारी की गई थी।
  - मिज़ोरम के लोगों का मानना है कि वर्ष 1933 की अधिसूचना को जारी करने के संबंध में स्थानीय लोगों से परामर्श नहीं किया गया था।
- वहीं दूसरी ओर असम के प्रतिनिधि ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1933 में जारी अधिसूचना का पालन करते हैं और दोनों राज्यों के बीच विवाद का यही मुख्य कारण है।
- दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत 1980 के दशक में मिज़ोरम के गठन के बाद हुई थी, हालाँकि कुछ वर्ष पूर्व असम और मिज़ोरम की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों राज्यों की सीमाओं पर यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिये, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के लोगों के बीच समय-समय पर हिंसक झड़पें होती रहती हैं।

बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) अधिनियम, 1873

- वर्ष 1824-26 के एंग्लो-बर्मी (Anglo-Burmese) युद्ध में असम को जीतकर ब्रिटिश अधिकारियों ने पहली बार पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश किया था।
- युद्ध के बाद इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया और वर्ष 1873 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) अधिनियम के रूप में अपनी पहली प्रशासनिक नीति लागू की।
- ब्रिटिश सरकार के मुताबिक, इस अधिनियम का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वदेशी जनजातियों की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित करना था, किंतु कई जानकार मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम के माध्यम से पूर्वोत्तर के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही थी।
- ध्यातव्य है कि ब्रिटिश सरकार ने इसी अधिनियम के माध्यम से 'इनर लाइन परमिट' (Inner Line Permit-ILP) की व्यवस्था की थी।

पूर्वोत्तर में अन्य सीमा विवाद

- ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन असम प्रांत में वर्तमान नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिज़ोरम आदि राज्य शामिल थे, जो एक-एक कर असम से अलग होते गए।
- यही कारण है कि वर्तमान में असम, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इन्हीं सीमाओं के साथ जुड़ा है सीमा विवाद।
- नगालैंड-असम तकरीबन 512 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और दोनों राज्यों के बीच वर्ष 1965 के बाद से सीमा विवाद को लेकर हिंसक संघर्ष चल रहा है।
  - वर्ष 1979 और वर्ष 1985 में हुई दो बड़ी हिंसक घटनाओं में कम-से-कम 100 लोगों की मौत हुई थी। इस विवाद की सुनवाई अब सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही है।

नोट :

- असम और अरुणाचल प्रदेश जो कि तकरीबन 800 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं, दोनों के बीच सीमा पर सर्वप्रथम वर्ष 1992 में हिंसक झड़प हुई थी। तभी से दोनों पक्ष एक-दूसरे पर अवैध अतिक्रमण और हिंसा शुरू करने के आरोप लगाते रहते हैं।
    - इस सीमा विवाद पर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है।
- लगभग 884 किलोमीटर लंबी असम और मेघालय सीमा पर भी अक्सर हिंसक झड़पों की खबरें आती रहती हैं, मेघालय सरकार के आँकड़े बताते हैं कि वर्तमान में दोनों राज्यों के बीच कुल 12 विवादित क्षेत्र हैं।

पृष्ठभूमि

- विशेषज्ञ मानते हैं कि आज़ादी के बाद पूर्वोत्तर के असम प्रांत का विभाजन कर बनाए गए अधिकांश राज्य जैसे- मिज़ोरम, नगालैंड और मेघालय आदि को प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से विभाजित किया गया था।
- ज़मीनी स्तर पर ये सीमाएँ अभी भी जनजातीय क्षेत्रों और पहचानों के साथ मेल नहीं खाती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में बार-बार क्षेत्रीय विवाद पैदा होता है और यहाँ की शांति भंग होती है।

प्रभाव

- इस प्रकार के सीमा विवादों से काफी हद तक पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के बीच मतभेद पैदा होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र की शांति और अस्थिरता प्रभावित होती है।
- इन सीमा विवादों से राज्यों के बीच आपसी सहयोग प्रभावित होता है, और नृजातीय संघर्ष को बढ़ावा मिलता है।
- साथ ही इससे विवादित क्षेत्र की विकास प्रक्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वहाँ के लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।

आगे की राह

- आवश्यक है कि दोनों राज्य आपसी वार्ता के माध्यम से इन सीमा विवादों को सुलझाने का प्रयास करें ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके।
- दोनों राज्यों में आपसी सहमति न बनने की स्थिति में केंद्र सरकार की मदद से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।
- नीति निर्मंताओं को इस बदलते परिदृश्य में क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझना होगा। यदि यह विकास की मांग तक सीमित है तो उचित है, परंतु यदि क्षेत्रीय टकराव को बढ़ावा देने वाली है तो इसे रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये।

एकीकृत थियेटर कमांड' की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (Chief of Defence Staff- CDS) के चीफ की नियुक्ति के बाद रक्षा सुधारों में अगला महत्त्वपूर्ण कदम 'एकीकृत थिएटर कमांड्स' (Integrated Theatre Commands- ITC) का गठन करना होगा।

प्रमुख बिंदु:

- 'विभिन्न एकीकृत कमांड्स' के गठन पर सिफारिशें करने के लिये तीनों सेवाओं के उपाध्यक्षों के नेतृत्त्व में अनेक टीमों का गठन किया गया है।
- 'वायु सेना के लिये एकीकृत रक्षा कमान' पर गठित टीम का अध्ययन पूरा होने वाला है तथा जल्द ही वायु सेना के लिये 'एकीकृत रक्षा कमान' के गठन की उम्मीद है।

थिएटर कमांड क्या है?

- 'थिएटर कमांड' एक संगठनात्मक संरचना है जिसका उद्देश्य युद्ध में 'सैन्य प्रभावशीलता' बढ़ाने के लिये सभी सैन्य परिसंपत्तियों को एकल थिएटर के माध्यम से नियंत्रित करने के लिये डिज़ाइन किया जाता है।
- सैन्य बोल-चाल में सैन्य सेवाओं (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) की 'संयुक्त कमान' को एक 'थिएटर कमांड' कहा जाता है।
- वर्तमान में एकमात्र 'संयुक्त कमान' का गठन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये किया गया है।

विभिन्न समितियों द्वारा सिफारिश:

- कारगिल समीक्षा समिति, शेकेतकर समिति (Shekatkar Committee) द्वारा भी आंतरिक और बाह्य खतरों से निपटने के लिये उच्च स्तर पर 'संयुक्त इकाई' बनाने के संदर्भ में सिफारिश की गई थी।
- इन समितियों के अनुसार, सैन्य सेवाओं में निचले स्तरों पर असंबद्धता के कारण परिचालन में तालमेल की कमी पाई जाती है।

एकीकृत थिएटर कमांड का महत्त्व:

- यह कमांडर अपने कार्यों के लिये सेना के किसी अंग के प्रति जवाबदेह नहीं होगा एवं अपने कमांड को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम एक 'संयुक्त युद्धक बल' (Cohesive Fighting Force) के रूप में विकसित करने के लिये प्रशिक्षित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- अपने कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक संसाधनों को थियेटर कमांडर के नियंत्रण में रखा जाएगा ताकि ऑपरेशन के दौरान उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
- यह भारत की वर्तमान 'सेवा-विशिष्ट कमांड प्रणाली' (Service-specific Commands): जिसमें पूरे देश में तीनों सैन्य सेवाओं (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) की अपनी-अपनी कमांड होती है, के विपरीत है।

विपक्ष में तर्क:

- भारत के सामने अब तक उत्पन्न युद्ध की चुनौतियों के दौरान तीनों सेवाओं ने सराहनीय सहयोग से काम किया है। ऐसा कोई अवसर नहीं देखा गया है जब तीनों सेवाओं के मध्य सहयोग का अभाव पाया गया हो।
- बढ़ते संचार नेटवर्क ने तीनों सैन्य सेवाओं के बीच संचार को आसान बनाया है। स्थानिक दूरी पर विचार किये बिना योजना बनाई जा सकती है, इसलिये नवीन संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- 'एकीकृत थियेटर कमांडर' विशिष्ट सेवा में डोमेन का ज्ञान रखने वाला होगा, अत: अन्य दो सेवा घटकों के संबंध में उसका ज्ञान सीमित रहने की संभावना है। इससे उसके आदेश के तहत अन्य सेवा घटकों को उपयुक्त तरीके से और उचित समय पर नियोजित करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है।

निष्कर्ष:

- राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती गतिशीलता के कारण अब साइबर, स्वचालन और ऐसी ही कई नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वर्तमान डिसजॉइंटेड जनरल (Disjointed General) और रक्षा मंत्री द्वारा इन चुनौतियों को हल करना आसान नहीं है, बल्कि इन उभरती स्थितियों का जवाब देने के लिये एक स्पष्ट और मज़बूत संगठनात्मक अवसंरचना की आवश्यकता है।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम: आवश्यकता और आलोचना

चर्चा में क्यों?

देश भर के प्रमुख विपक्षी दलों ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिये गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) को निरस्त करने का आह्वान किया है।

प्रमुख बिंदु

- आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिये कार्य करने वाले 83 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्त्ता स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) जैसे कठोर कानून के व्यापक दुरुपयोग के खिलाफ एक मज़बूत आंदोलन करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- ध्यातव्य है कि सामाजिक कार्यकर्त्ता स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगाँव मामले में गिरफ्तार किया गया है और उन पर भीमा कोरेगाँव की हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। स्टेन स्वामी के अलावा इस मामले में 15 अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है।

क्या है गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम?

- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम को किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि को रोकने और आतंकवाद से निपटने के लिये वर्ष 1967 में शुरू किया गया था।
  - गैर-कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्यवाहियों से है जो किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं।
- संसद द्वारा अधिरोपित यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हथियारों के बिना एकत्र होने और संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है।
  - इन प्रतिबंधों का उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है।
- बीते कुछ वर्षों में इस अधिनियम में कई बार संशोधन किये गए हैं तथा इसे और अधिक कठोर बनाया गया है, इसलिये वर्तमान में यह भारत में एक प्रमुख आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तौर पर कार्य कर रहा है।

अधिनियम की आवश्यकता

- वर्ष 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद से ही देश में ऐसे कई संगठन, धार्मिक समूह और आतंकवादी समूह रहे हैं जो भारत की एकता एवं अखंडता को प्रभावित करने के साथ-साथ भारत में गैर-कानूनी गतिविधियों के माध्यम से अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।
- भारत की आज़ादी के साथ ही भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान के तहत व्यापक अधिकार प्रदान किये गए, किंतु जल्द ही सरकार को महसूस होने लगा कि इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिये जब वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो कुछ भारतीय राजनीतिक दल ऐसे भी थे जो चीन का समर्थन कर रहे थे।
- ऐसे में इन आतंकवादी समूहों और संगठनों को भारत की एकता एवं अखंडता को प्रभावित करने से रोकने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ हद तक प्रतिबंध अधिरोपित करने के लिये एक मज़बूत कानून बनाना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया था।

कठोरतम कानूनों में से एक: UAPA

- यह अधिनियम सरकार को किसी भी 'गैर-कानूनी संगठन' को 'आतंकवादी संगठन' के रूप में घोषित करने और उसे प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, लेकिन इसी अधिनियम की धारा-36 के तहत यह प्रतिबंध न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- अधिनियम की धारा-43A और धारा-43B के तहत पुलिस को बिना वारंट के गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की खोज करने और उसे गिरफ्तार करने का अधिकार है। साथ ही अधिनियम की धारा-43D के तहत पुलिस के पास आरोपियों को बिना चार्जशीट दाखिल किये 30 दिनों के लिये पुलिस हिरासत में रखने का अधिकार है।
- UAPA के तहत अभियुक्त के पास अग्रिम जमानत का विकल्प भी नहीं होता है। यही कारण है कि UAPA को भारत के सबसे कठोरतम कानूनों में से एक माना जाता है।

अधिनियम की आलोचना

- सर्वप्रथम तो यह कि गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) में आतंकवाद की परिभाषा काफी अनिश्चित और व्यापक है, क्योंकि इसमें लगभग हर तरह के हिंसक कृत्य को शामिल किया गया है, चाहे वह राजनीतिक हो अथवा या गैर राजनीतिक।
  - अधिनियम में शामिल परिभाषा के अस्पष्ट, अनिश्चित और व्यापक होने के कारण इस अधिनियम के दुरुपयोग की संभावना काफी बढ़ जाती है।
  - उदाहरण के लिये UAPA की धारा 2(o) के तहत भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न उठाना एक गैर-कानूनी गतिविधि है। मगर यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रश्न पूछना किस प्रकार गैर-कानूनी गतिविधि हो सकती है और किस प्रकार के प्रश्न को गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल किया जाएगा।
  - इसी प्रकार अधिनियम में भारत के विरुद्ध असंतोष की स्थिति पैदा करना भी एक गैर-कानूनी गतिविधि मानी गई है, किंतु अधिनियम में कहीं भी 'असंतोष' को परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण इस अधिनियम के दुरुपयोग की संभावना काफी अधिक है।

नोट :

- ऐसा माना जाता है कि प्राय: इस अधिनियम का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा असंतोष को लेकर उठाई जाने वाली आवाज़ को दबाने के लिये जान-बूझकर किया जाता है।
- बीते माह राज्यसभा में प्रस्तुत किये गए आँकड़ों से पता चला कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 में UAPA के तहत कुल 3,005 मामले पंजीकृत किये गए थे, जिसके तहत कुल 3,974 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि इन मामलों में से केवल 821 यानी केवल 27 प्रतिशत मामलों में ही चार्जशिट दाखिल की गई थी।

भीमा कोरेगाँव विवाद

- महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा कोरेगाँव एक छोटा सा गाँव है, जिसका महाराष्ट्र और मराठा इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। दरअसल तकरीबन 200 वर्ष पूर्व 1 जनवरी, 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के 500 सैनिकों की एक छोटी कंपनी, जिसमें ज़्यादातर सैनिक महार समुदाय से थे, ने पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों वाली सेना को तकरीबन 12 घंटे तक चले युद्ध में पराजित किया था।
- इस युद्ध में जिन महार सैनिकों ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, उनके सम्मान में वर्ष 1822 में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों से एक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया।
- भीमा कोरेगाँव युद्ध का भारत के दलित इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसीलिये भीमा कोरेगाँव के युद्ध को राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद के संकीर्ण दृष्टिकोण से न देखते हुए प्रत्येक वर्ष तमाम अंबेडकरवादी 1 जनवरी को महार सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये विजय स्तंभ पर एकत्रित होते हैं।
- वर्ष 2018 को भीमा कोरेगाँव युद्ध की 200वीं वर्षगाँठ पर जब कई बुद्धिजीवी और अंबेडकरवादी एकत्रित हुए तो वहाँ दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की जाँच करते हुए कई लोगों को इस हिंसा की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

आगे की राह

- आतंकवाद और गैर-कानूनी गतिविधियाँ निसंदेश भारत की एकता और अखंडता के लिये गंभीर खतरा हैं और किसी भी कीमत पर इनसे निपटने के आवश्यकता है। हालाँकि गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की अस्पष्टता और व्यापकता के कारण इसके दुरुपयोग की संभावना काफी बढ़ जाती है।
- अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने और ऐसे मामलों की जाँच करने में न्यायपालिका की काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कानून के तहत पुलिस और प्रशासन को प्रदान की गई शक्तियों की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जाँच की जा सकती है, जिससे अधिनियम के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।

चर्चा में

होलोग्राफिक इमेजिंग आधारित विधि

हाल ही में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय (New York University) के वैज्ञानिकों ने वायरस एवं एंटीबॉडी का पता लगाने के लिये होलोग्राफिक इमेजिंग (Holographic Imaging) का उपयोग करके एक विधि विकसित की है।

होलोग्राफी (Holography):

- होलोग्राफी एक प्रक्रिया है जिसमें लेज़र बीम का उपयोग करके होलोग्राम नामक त्रि-आयामी चित्र बनाया जाता है। इस लेज़र बीम में प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, तीव्रता एवं प्रतिदीप्ति जैसे गुण शामिल होते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- यह विशेष रूप से तैयार किये गए बीड्स (Beads) के होलोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिये लेज़र बीम का उपयोग करता है।
- बीड्स (Beads) की सतहों को जैव रासायनिक बाध्यकारी साइटों के साथ सक्रिय किया जाता है जो कि निर्धारित परीक्षण के आधार पर एंटीबॉडी या वायरस कणों को आकर्षित करते हैं।
  - बंधनकारी एंटीबॉडी या विषाणुओं को बांधने से बीड्स (Beads) एक मीटर के कुछ अरबवें हिस्से तक बढ़ जाते हैं।
  - शोधकर्त्ताओं ने बीड्स (Beads) के होलोग्राम में परिवर्तन के माध्यम से इस वृद्धि का पता लगाया।
  - यह परीक्षण प्रति सेकंड एक दर्जन बीड्स (Beads) का विश्लेषण कर सकता है।

महत्त्व:

- यह विधि वायरस (वर्तमान संक्रमण) या एंटीबॉडी के परीक्षण के लिये उपयोग की जा सकती है।
- यह विधि चिकित्सा निदान में सहायता करने में सक्षम है विशेष रूप से जो COVID-19 महामारी से संबंधित हैं।
- इस विधि द्वारा परीक्षण कम प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अत्यधिक सटीकता के साथ 30 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है।

मधुका डिप्लोस्टेमोन

हाल ही में केरल के कोल्लम ज़िले में एक पवित्र उपवन से 180 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद 'मधुका डिप्लोस्टेमोन' (Madhuca Diplostemon) के वृक्ष को पुन: खोजा गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस वृक्ष को स्थानीय रूप से मलयालम में कविलिप्पा (Kavilippa) के नाम से जाना जाता है।
- इस वृक्ष की पहचान केरल के पालोडे (Palode) में अवस्थित 'जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट' (Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute- JNTBGRI) के वैज्ञानिकों ने की है।
  - JNTBGRI एक स्वायत्त संस्थान है, जिसे वर्ष 1979 में केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
    - यह 'केरल स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट' (Kerala State Council for Science, Technology and Environment- KSCSTE) के अंतर्गत कार्य करता है।
- अभी तक माना जाता था कि भारत के पश्चिमी घाट की संकटग्रस्त प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं।
  - किंतु यह दूसरी बार है जब इस प्रजाति के एक वृक्ष को खोजा गया है जो इस उल्लेखनीय पुनर्खोज को वैज्ञानिक, पर्यावरणीय एवं संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान बनाता है।

नोट :

- वर्ष 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वनस्पतिशास्त्री रॉबर्ट वाइट (Robert Wight) ने इस वृक्ष का पहला नमूना खोजा था।

- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है।
  - हालाँकि, इस वृक्ष का एक ही इलाके में केवल एक नमूना बचा है इसलिये इसे 'अति संकटग्रस्त' (Critically Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- JNTBGRI, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Species Recovery Programme) के माध्यम से इस प्रजाति का एक्स-सीटू संरक्षण (Ex-situ Conservation) करने की योजना बना रहा है।

नंदनकानन प्राणी उद्यान

ओडिशा के भुवनेश्वर में 'नंदनकानन प्राणी उद्यान' (Nandankanan Zoological Park- NZP) जिसे COVID-19 महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन के कारण भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, ने जानवरों के लिये संसाधन जुटाने हेतु 'एडॉप्ट-एन-एनिमल' (Adopt-An-Animal) नामक अभिनव कार्यक्रम की पुन: शुरुआत की है।

'एडॉप्ट-एन-एनिमल' (Adopt-An-Animal) कार्यक्रम:

- NZP जीव-जंतुओं की प्रजातियों की विविधता के मामले में देश के अग्रणी चिड़ियाघरों में से एक है।
- पशु संरक्षण एवं कल्याण में जन भागीदारी बढ़ाने और धन जुटाने के लिये NZP ने अपने सभी जानवरों के लिये वर्ष 2008 में 'एडॉप्ट-एन-एनिमल' कार्यक्रम शुरू किया था।
  - 'एडॉप्ट-एन-एनिमल' कार्यक्रम के तहत तीन वर्ष पहले NZP को 32 लाख रुपए की मदद मिली थी।
- अब तक 100 से अधिक संगठन एवं व्यक्ति 22 लाख की मदद के साथ जानवरों को गोद लेने के लिये आगे आए हैं।
  - जब कोई व्यक्ति या संगठन किसी पशु या पक्षी को गोद लेता है तो उसके द्वारा प्रदान की गई धनराशि का इस्तेमाल पशु या पक्षी की देखभाल, भोजन, बाड़े का संवर्द्धन एवं नवीनीकरण के लिये किया जाता है।
- NZP के अधिकारियों ने पशु प्रेमियों से ₹500 से लेकर ₹2.5 लाख तक की धनराशि देने का आग्रह किया जिसके बदले में गोद लेने वाले व्यक्ति या संगठन को एक 'थैंक यू' प्रमाण पत्र, मुफ्त प्रवेश टिकट और आयकर छूट प्रदान की जाएगी।

नंदनकानन प्राणी उद्यान

- नंदनकानन प्राणी उद्यान, भारत का एक प्रमुख बड़ा चिड़ियाघर है। इसे वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था।
- देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत, नंदनकानन को वन के ही अंदर स्थापित किया गया है और यह पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण से संबद्ध है।
- नंदनकानन व्हाइट टाइगर (White Tiger) और मेलानिस्टिक टाइगर (Melanistic Tiger) के प्रजनन के लिये दुनिया का पहला चिड़ियाघर है।
- नंदनकानन दुनिया में भारतीय पैंगोलिन (Indian Pangolins) का एकमात्र संरक्षण प्रजनन केंद्र है।
- नंदनकानन भारत का एकमात्र प्राणि उद्यान है जो 'वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ज़ूज़ एंड एक्वेरियम' (World Association of Zoos and Aquarium- WAZI) का संस्थागत सदस्य है।

'वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ज़ूज़ एंड एक्वेरियम' (WAZI):

- WAZA, विश्व के चिड़ियाघरों एवं एक्वेरियम समुदाय के लिये एक 'अंब्रेला' संगठन या नेतृत्त्वकर्त्ता संगठन के रूप में कार्य करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी।
- इसका मिशन जानवरों की देखभाल एवं कल्याण, जैव विविधता के संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा एवं वैश्विक संधारणीयता (Global Sustainability) में दुनिया के चिड़ियाघरों, मछलीघरों एवं साझेदार संगठनों के लिये नेतृत्त्व एवं समर्थन प्रदान करना है।

ज़ोजिला सुरंग

हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ज़ोजिला सुरंग (Zojila Tunnel) के निर्माण-संबंधी कार्यों की अनुमति दी जो श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे वर्ष कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

प्रमुख बिंदु:

- ज़ोजिला एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक (Bi-directional) सुरंग है।
- यह श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को एक सुरंग के माध्यम से प्रसिद्ध ज़ोजिला दर्रा से जोड़ेगी।
- इस परियोजना को 5-6 वर्ष में पूरा किया जाएगा।

महत्त्व:

- समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित, ऑल-वेदर ज़ोजिला टनल 14.15 किमी. लंबी होगी और सर्दियों के दौरान भी सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी।
- यह NH-1 के 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर-कारगिल-लेह सेक्शन (Srinagar-Kargil-Leh Section) को हिमस्खलन से मुक्त बनाएगी और सुरक्षा बढ़ाएगी तथा यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर 30-15 मिनट कर देगी।
- ज़ोजिला सुरंग न केवल श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी बल्कि यह दोनों केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के आर्थिक- सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण को भी मज़बूत करेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

15 अक्तूबर, 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard) का 36वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु:

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का गठन:

- इसकी परिकल्पना वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना को पहुँची क्षति के बाद की गई थी।
- देश में 'आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करने और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करने' के लिये NSG का गठन वर्ष 1984 में एक संघीय आकस्मिक बल (Federal Contingency Force) के रूप में किया गया था।
- यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सामान्यत: इनको ब्लैक कैट (Black Cats) के नाम से जाना जाता है।

- NSG द्वारा संपन्न दायित्त्व:
  - यह विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित होती है तथा इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिये किया जाता है।
  - NSG ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और अक्षरधाम पर आतंकी हमले जैसे असाधारणीय स्थितियों में सफलतापूर्वक कार्य किया है।
- NSG का आदर्श वाक्य (MOTO):
  - NSG का आदर्श वाक्य (MOTO) 'सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा' (Omnipresent Omnipotent Security) है।
- भूमिका:
  - आंतरिक सुरक्षा को स्थिर रखने में NSG की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
  - असाधारण स्थितियों में विशेष आतंकवाद निरोधक बल के रूप में तैनाती।
  - आतंकवाद के विरुद्ध भारत की ज़ीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति में NSG की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- NSG में कर्मियों एवं अधिकारियों के समूह:
  - NSG में कर्मियों और अधिकारियों के दो समूह हैं:

नोट :

- स्पेशल एक्शन ग्रुप (Special Action Group-SAG)
- स्पेशल रेंजर ग्रुप (Special Ranger Group-SRG)

- SAG का कार्य आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना है, वहीं SRG का प्रयोग VIP सुरक्षा के लिये किया जाता है।

गौरतलब है कि जनवरी, 2020 में NSG को वीआईपी सुरक्षा के कार्य से हटा दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक प्रमुख आतंकवाद विरोधी एवं अपहरण विरोधी बल के रूप में वह अपनी मूल भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित कर सके।

क्वानॉन

15 अक्तूबर, 2020 को यू ट्यूब (YouTube) ने घोषणा की कि वह डोनाल्ड ट्रंप समर्थक षड्यंत्रकारी सिद्धांत (Conspiracy Theory) या आंदोलन 'क्वानॉन' (QAnon) को बढ़ावा देने वाली सामग्री को अवरुद्ध करने के लिये अतिरिक्त उपाय करेगा।

- उल्लेखनीय है कि 'क्वानॉन' (QAnon) हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- जुलाई 2020 में ट्विटर और टिकटॉक ने 'क्वानॉन' से संबंधित कुछ हैशटैग को अवरुद्ध किया था और इनसे संबंधित कुछ खातों को हटा दिया।
- अगस्त 2020 में फेसबुक ने 'क्वानॉन' (QAnon) समूहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
- वर्ष 2019 में FBI ने कहा था कि 'क्वानॉन' सहित राजनीतिक षड्यंत्रकारी सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये आतंरिक खतरे हैं जो कुछ घरेलू चरमपंथियों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से आपराधिक या हिंसक गतिविधियों में लिप्त होने के लिये प्रेरित करते हैं।

'क्वानॉन' (QAnon):

- इस षड्यंत्रकारी सिद्धांत या आंदोलन की शुरुआत वर्ष 2017 के आसपास हुई थी जब 'Q' या 'Q क्लीयरेंस पैट्रियट' (Q Clearance Patriot) नामक एक अनाम उपयोगकर्त्ता ने षड्यंत्रकारी सिद्धांतों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया।
  - 'Q' मुख्य गुप्त सूचना (Top-secret Information) तक पहुँच के लिये अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा दी गई सुरक्षा मंज़ूरी को संदर्भित करता है।
  - 'Q' जो ट्रंप प्रशासन की संवेदनशील जानकारी तक पहुँच के साथ एक उच्च पदस्थ खुफिया अधिकारी होने का दावा करता है, ने वर्ष 2017 में '4chan' प्लेटफॉर्म पर सामग्री पोस्ट करना शुरू किया था किंतु अब '8kun प्लेटफॉर्म' पर सामग्री पोस्ट करता है।
    - '8kun प्लेटफॉर्म' 8chan के संस्थापकों द्वारा संचालित एक वेबसाइट है जो वर्ष 2019 में टेक्सास के एल पासो (El Paso) में बड़े पैमाने पर फायरिंग के बाद बंद हो गई थी क्योंकि हत्यारों ने 8chan प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर घृणा फैलाने वाली सामग्री पोस्ट की थी।

षड्यंत्रकारी सिद्धांत (Conspiracy Theory) क्या है?

- 'क्वानॉन' (QAnon) के अनुयायियों का मानना है कि दुनिया को पीडोफाइल (Paedophiles) के एक गुप्त दल द्वारा चलाया जा रहा है जो शैतान/पिशाच की पूजा करते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का भी एक उद्देश्य है कि वे इस गुप्त दल को हटा दें और उन्हें दंडित करें।
  - पीडोफाइल (Paedophiles) वह व्यक्ति होता है जो बच्चों के प्रति कामुकता का भाव रखता है।
- यह सिद्धांत 3 नवंबर, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिये होने वाले चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।
- षड्यंत्रकारी सिद्धांतकारों का मानना है कि हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा और हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स एवं ओपरा विन्फ्रे जैसे डेमोक्रेट्स एक वैश्विक बाल सेक्स-ट्रैफिकिंग (Global Child Sex-Trafficking) का हिस्सा हैं।

आकाशगंगा में तारों के निर्माण संबंधी गतिविधियों में गिरावट

पुणे स्थित 'नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स' (NCRA-TIFR) और बंगलूरू के 'रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट' (RRI) के खगोलविदों की एक टीम ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ समय बाद आठ अरब वर्ष पहले देखी गई आकाशगंगाओं की परमाणु हाइड्रोजन सामग्री को मापने के लिये उन्नत विशालकाय मेट्रेवेव रेडियो टेलीस्कोप (Giant Metrewave Radio Telescope- GMRT) का उपयोग किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इससे आकाशगंगा में तारों की निर्माण गतिविधियों में आई गिरावट के पीछे के रहस्य को समझने में मदद मिल सकती है।
- ब्रह्मांड में आकाशगंगाएँ अधिकतर गैस और तारों से बनी होती हैं तथा आकाशगंगा के जीवनकाल के दौरान गैस, तारों में परिवर्तित हो जाती है।
- इस टेलीस्कोप द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि समय के साथ गैस और तारे दोनों की मात्रा कैसे बदलती है?
  - खगोलविदों का मानना है कि दीर्घकाल से आकाशगंगाओं ने एक उच्च दर पर तारों का गठन किया है जब ब्रह्मांड आज की तुलना में युवा था।
  - आकाशगंगाओं में तारा निर्माण की गतिविधि लगभग 8-10 अरब साल पहले हुई थी किंतु यह अब लगातार घटती जा रही है।
  - इस गिरावट का कारण अभी तक अज्ञात है क्योंकि शुरुआती समय के आकाशगंगाओं में परमाणु हाइड्रोजन गैस (तारों के निर्माण के लिये प्राथमिक ईंधन) की मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
- उन तारों के विपरीत जो प्रकाशीय तरंगदैर्ध्य में दृढ़ता से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, परमाणु हाइड्रोजन गैस से संबंधित संकेतों की रेडियो तरंगदैर्ध्य 21 सेमी. होती है और इन्हें केवल रेडियो दूरबीनों से पता लगाया जा सकता है।
  - ये 21 सेमी. की तरंगदैर्ध्य वाले संकेत बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिये इनका पता लगाना मुश्किल होता है।

'स्टैकिंग' (Stacking) तकनीक:

- 21 सेमी. की तरंगदैर्ध्य वाले संकेतों का पता लगाने के लिये टीम ने लगभग 8,000 आकाशगंगाओं के 21 सेमी. की तरंगदैर्ध्य वाले संकेतों को संयोजित करने के लिये 'स्टैकिंग' (Stacking) नामक एक तकनीक का उपयोग किया था जिन्हें पहले ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद से पहचाना गया था।
- यह तकनीक इन आकाशगंगाओं की औसत गैस सामग्री को मापती है।

सारस के प्रवास मार्ग की ट्रैकिंग

पहली बार देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) ने सामान्य सारस (Crane) के गुजरात से उत्तरी कज़ाखस्तान में अपने प्रजनन स्थल और पुन: गुजरात वापस आने के मार्ग को ट्रैक किया है।

- गौरतलब है कि यह सारस (Crane) 10 अक्तूबर, 2020 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (World Migratory Bird Day) के अवसर पर वापस गुजरात लौट आया।

प्रमुख बिंदु:

- वाडला (Vadla) नाम की इस मादा सारस (एक प्रवासी पक्षी) को मार्च 2020 में एक ट्रांसमीटर के साथ टैग किया गया था ताकि वैज्ञानिक ऐसे प्रवासी पक्षियों पर विद्युत लाइनों के प्रभावों का पता लगा सकें।
  - इस परियोजना का उद्देश्य सारस (Crane) और फ्लेमिंगो (flamingos) जैसे बड़े पक्षियों पर विद्युत लाइनों के प्रभाव का अध्ययन करना और ऐसे महत्त्वपूर्ण विद्युत लाइनों की पहचान करना जो संभावित रूप से इन पक्षियों को प्रभावित कर सकती हैं।
    - इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य यह देखना है कि ये सारस विद्युत लाइनों को पार कैसे करते हैं क्योंकि विद्युत लाइनों में सारस एवं फ्लेमिंगो के टकराने से उनकी मृत्यु हो जाती है।

- इस परियोजना का वित्तपोषण 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (Power Grid Corporation of India Limited) द्वारा किया गया है।

विद्युत लाइनें: पक्षियों के लिये एक खतरा:

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) पर किये गए अध्ययन से संबंधित एक रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वर्ष 2019 में जारी की थी जिसमें कहा गया था कि ऊर्ध्वाधर संरेखण के साथ 'हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें' ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिये सबसे बड़ा खतरा हैं।

सारस:

- सामान्य सारस एक मध्यम आकार का सारस होता है जो भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में पाया जाता है।
- ये सारस प्राकृतिक रूप से प्रवासी पक्षी हैं जो आमतौर पर मई महीने के दौरान प्रजनन करते है।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (World Migratory Bird Day):

- वर्ष 2020 में 9 मई के अतिरिक्त 10 अक्तूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया।

थीम:

- इस वर्ष के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम 'बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड' (Birds Connect Our World) थी।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के खतरों (पारिस्थितिक महत्त्व एवं संरक्षण) के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करना है।
- पहली बार 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' को वर्ष 2006 में मनाया गया था। यह दिवस वर्ष में दो बार (मई एवं अक्तूबर महीने के दूसरे शनिवार को) मनाया जाता है।

'कपिला' कलाम कार्यक्रम

15 अक्तूबर, 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Education Minister) ने पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता हेतु बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान (IP Literacy and Awareness Education Campaign) के लिये 'कपिला' कलाम कार्यक्रम ('KAPILA' Kalam Program) शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु:

- कपिला (KAPILA), आईपी (बौद्धिक संपदा) साक्षरता एवं जागरूकता के लिये कलाम कार्यक्रम [Kalam Program for IP (Intellectual Property) Literacy and Awareness] का संक्षिप्त नाम है।
- इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को उनके आविष्कार को पेटेंट कराने के लिये आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे।
- यह कार्यक्रम कॉलेजों एवं संस्थानों को अधिक-से-अधिक छात्रों को पेटेंट फाइल करने के लिये प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसके साथ ही 15 से 23 अक्तूबर तक 'बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह' (Intellectual Property Literacy Week) मनाने का भी निर्णय लिया गया।

नवाचार संस्थान परिषद

- नवाचार संस्थान परिषद (IIC) की स्थापना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी।
- अब तक लगभग 1700 उच्च शिक्षण संस्थानों में इसकी शाखाएँ खोली जा चुकी हैं।
- 'कपिला' कलाम कार्यक्रम के अवसर पर नवाचार संस्थान परिषद 2.0 (IIC 2.0) की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और IIC 3.0 की शुरुआत करने की घोषणा की गई।
    - IIC 3.0 के तहत 5000 उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार संस्थान परिषद बनाई जाएगी।

नोट :

ब्रह्मोस का नौसैनिक संस्करण

18 अक्तूबर, 2020 को अरब सागर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के एक नौसैनिक संस्करण का नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस चेन्नई (INS Chennai) से सफल परीक्षण किया गया।

प्रमुख बिंदु:

आईएनएस चेन्नई (INS Chennai):

- स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई कोलकाता-श्रेणी के स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल विध्वंसक 'INS चेन्नई' को 'सतह-से-सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली' ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है जिससे जहाज़ को तट-आधारित और नौसेना की सतह के लक्ष्यों पर प्रहार करने की क्षमता प्राप्त होती है।
- गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने सतह-से-सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस का नया संस्करण और एंटी-रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सहित कई मिसाइलों का परीक्षण किया है।

- ब्रह्मोस:
  - ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ने तैयार किया है। भारत-रूस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस (BrahMos Aerospace) सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का उत्पादन करता है।
  - इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
  - यह एक क्रूज़ मिसाइल है किंतु जब इसकी गति 2.8 मैक होती है अर्थात् इसकी मारक क्षमता ध्वनि की गति से भी तीन गुना अधिक होती है, तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल कहलाती है।
  - इसकी लक्ष्य भेदन क्षमता अचूक है, इसलिये इसे 'दागो और भूल जाओ' (Fire and Forget) मिसाइल भी कहा जाता है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है।
  - इसे पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, हवा और ज़मीन से दागा जा सकता है।
  - ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के पहले संस्करण को वर्ष 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

'घर तक फाइबर' योजना

चुनाव में संलग्न बिहार में भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी 'घर तक फाइबर' योजना ('Ghar Tak Fibre' Scheme) की शुरुआत अत्यंत धीमी है।

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य भारत के सभी गाँवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि बिहार पहला राज्य है जिसने 31 मार्च, 2021 तक अपने सभी 45,945 गाँवों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - 31 मार्च तक सभी गाँवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिये राज्य को प्रतिदिन औसतन 257 गाँवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
  - हालाँकि इस योजना की शुरुआत के लगभग एक महीने बाद 14 अक्तूबर, 2020 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल सिर्फ 4,347 गाँवों में बिछाया गया है अर्थात् प्रतिदिन 181 गाँवों की दर से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है।

'घर तक फाइबर' योजना:

- 21 सितंबर, 2020 को 'घर तक फाइबर' योजना की शुरुआत करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार के सभी 45,945 गाँवों को उच्च गति वाले ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

- यह योजना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के तहत क्रियान्वित की जा रही है।
  - एक गाँव या ग्राम पंचायत (GP) को भारतनेट (BharatNet) के तहत 'लिट अप' (lit Up) माना जाता है जब उसको लगातार इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्राप्त होती है।

भारतनेट परियोजना (BharatNet Project):

- भारतनेट परियोजना जो कि अक्तूबर 2011 में 'राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क' (National Optical Fibre Network) के रूप में शुरू हुई थी, अब 92 महीनों से अधिक समय की देरी से क्रियान्वित हो रही है।
- अब इस परियोजना के लिये नई समय-सीमा अगस्त 2021 निर्धारित की गई है।
  - हालाँकि इस वर्ष 15 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सभी गाँव अगले 1000 दिनों में इंटरनेट से जुड़ जाएंगे अर्थात् अब इस परियोजना के वर्ष 2024 में पूर्ण होने की संभावना है।

स्लीनेक्स-20

19 से 21 अक्तूबर, 2020 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'स्लीनेक्स-20' (SLINEX-20) का आठवाँ संस्करण त्रिंकोमाली (Trincomalee), श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य परस्पर अंतर-संचालनशीलता को बढ़ाना, आपसी समझ को और ज़्यादा परिपक्व करना तथा दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अभ्यास में श्रीलंका की तरफ से नौसैनिक जहाज़ सायुरा (Sayura) और गजबाहू (Gajabahu), जबकि भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेश निर्मित पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत कमोर्टा (Kamorta) एवं किल्टन (Kiltan) हिस्सा लेंगे।
- यह साझा नौसैनिक अभ्यास भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक जहाज़ों और विमानों की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करेगा।
- स्लीनेक्स (SLINEX) का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था।

सामरिक महत्त्व:

- 'स्लीनेक्स' अभ्यास की यह शृंखला भारत और श्रीलंका के बीच गहरे जुड़ाव को व्यक्त करती है जिसने समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मज़बूत किया है।
- यह भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति और दोनों देशों के बीच तालमेल को दर्शाता है जो भारतीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास- Security and Growth for all in the Region) के अनुरूप है।

ओसीरिस-रेक्स OSIRIS-REx

ओसीरिस-रेक्स (OSIRIS-REx) नामक नासा का एक मिशन जल्द ही एक क्षुद्रग्रह की सतह का अन्वेषण करेगा और विखंडित चट्टानों के नमूने इकट्ठा करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- ओसीरिस-रेक्स (OSIRIS-REx) संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला क्षुद्रग्रह 'सैम्पल रिटर्न मिशन' (Sample Return Mission) है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन के लिये क्षुद्रग्रह से प्राचीन अनछुए नमूनों को इकट्ठा कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है।

नोट :

क्षुद्रग्रह बेन्नू (Bennu):

- अंतरिक्षयान 63000 मील प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे क्षुद्रग्रह बेन्नू (Bennu) की सतह को छूने का प्रयास करेगा।
  - बेन्नू एक क्षुद्र ग्रह है जिसे '1999 RQ36' के नाम से भी जाना जाता है।
  - मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे-छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है।
  - अनियमित आकार वाले ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं।

टच-एंड-गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज़्म (TAGSAM):

- अंतरिक्षयान 'टच-एंड-गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज़्म' (TAGSAM) नामक एक 11 फुट लंबे रोबोटिक आर्म के माध्यम से क्षुद्रग्रह के विखंडित मलबे के कम-से-कम दो औंस (Ounces) को एकत्र करने में लगभग 10 सेकंड खर्च करेगा।

ओसीरिस-रेक्स (OSIRIS-REx):

- 8 सितंबर, 2016 को नासा द्वारा फ्लोरिडा के केप केनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से अंतरिक्षयान ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) को एटलस-U रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया।
- ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) का पूरा नाम-ओरिजिंस, स्पेक्ट्रल इंटरप्रीटेशन, रिसोर्स आईडेंटीफिकेशन, सिक्योरिटी-रेगोलिथ एक्सफ्लोरर एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है।

महत्त्व:

- क्षुद्रग्रह उन शुरुआती सामग्रियों का अवशेष है जिन्होंने हमारे सौरमंडल का गठन किया था और इस तरह के नमूने का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को सौर प्रणाली की उत्पत्ति के बारे में मौलिक प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त 2100 के दशक के अंत में बेन्नू द्वारा पृथ्वी को प्रभावित करने के संभावित जोखिम के मद्देनज़र ऐसे तरीकों की खोज करना है ताकि आपसी टक्कर से बचा जा सके।
- संसाधन की पहचान (Resource Identification):
  - इस मिशन का सबसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य संसाधनों की पहचान करना है। अर्थात् अनिवार्य रूप से अन्य चीजों के अलावा रॉकेट ईंधन के उत्पादन के लिये क्षुद्रग्रह पर खनन क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु बेन्नू के रासायनिक गुणों का मानचित्रण करना।

आयुष्मान सहकार योजना AYUSHMAN SAHAKAR Scheme

19 अक्तूबर, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation- NCDC) ने सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये आयुष्मान सहकार योजना (AYUSHMAN SAHAKAR Scheme) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा।
  - ध्यातव्य है कि 'आयुष्मान सहकार योजना' की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है, जहाँ सहकारी समितियों ने केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 और आयुष्मान सहकार योजना:

- NCDC की यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 (National Health Policy- 2017) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अपने सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के संस्थान, प्रौद्योगिकियों तक पहुँच, मानव संसाधन विकास, किसानों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ इत्यादि को सम्मिलित करती है।

- इसमें अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों जैसे घटकों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है।
- स्वास्थ्य देखभाल संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिये अपने उपनियमों में उपयुक्त प्रावधान के साथ कोई भी सहकारी समिति NCDC निधि तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम होगी।
  - NCDC के तहत सहायता राज्य सरकारों/केंद्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से या योग्य सहकारिताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाएगी। अन्य स्रोतों से सब्सिडी/अनुदान का लाभ उठाया जा सकता है।

आयुष्मान सहकार योजना में शामिल स्वास्थ्य प्रणाली:

- आयुष्मान सहकार योजना में अस्पताल के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीनीकरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढाँचे के साथ निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है।
- योग कल्याण केंद्र
- आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी अन्य पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र
- बुजुर्गों के लिये स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
- उपशामक देखभाल सेवाएँ
- विकलांग व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ और आघात केंद्र
- फिजियोथेरेपी सेंटर
- मोबाइल क्लिनिक सेवाएँ
- हेल्थ क्लब और जिम
- आयुष फार्मास्युटिकल विनिर्माण
- औषधि परीक्षण प्रयोगशाला
- डेंटल केयर सेंटर
- नेत्र देखभाल केंद्र
- प्रयोगशाला सेवाएँ
- डायग्नोस्टिक्स (निदान) सेवाएँ
- ब्लड बैंक/ रक्ताधान सेवाएँअस्पताल/मेडिकल/आयुष/दंत चिकित्सा/नर्सिंग/फार्मेसी/पैरामेडिकल/ फिजियोथेरेपी कॉलेजों में स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने के लिये
- टेलीमेडिसिन और दूरस्थ सहायक चिकित्सा प्रक्रिया
- लॉजिस्टिक, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा
- डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
- बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा
- यूनानी चिकित्सा पद्धति की रेजिमेंटल थेरेपी,
- मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाएँ
- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएँ
- पंचकर्म/थोक्कनम/ क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र
- यह योजना परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्यशील पूंजी और मार्जिन मनी भी प्रदान करती है।
- यह योजना महिलाओं की बहुमत वाली सहकारी समितियों को एक प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention) प्रदान करती है।

नोट :

लाभ:

- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के अनुरूप आयुष्मान सहकार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना को मज़बूत करने में मदद करेगी।
  - चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की उपस्थिति काफी मज़बूत है, इसलिये इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक स्तर पर पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
  - भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए किसान कल्याण क्रियाकलापों को मज़बूत करने की दिशा में यह योजना सहायक सिद्ध होगी।

फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड इनोवेशन सेंटर
Frontier Technologies Cloud Innovation Center

19 अक्तूबर, 2020 को डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिये नीति आयोग (Niti Aayog) ने अमेज़न वेब सर्विसेज़ (Amazon Web Services- AWS) के साथ मिलकर 'फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड इनोवेशन सेंटर' (Frontier Technologies Cloud Innovation Center- CIC) की स्थापना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- यह भारत में एक नई तरह की शुरुआत है जिसकी मदद से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा और प्रशासन में उल्लेखनीय बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा।
- 'फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड इनोवेशन सेंटर' (CIC), AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम (AWS CIC Global Program) का हिस्सा है जो सरकारी संस्थाओं, गैर-लाभकारी एजेंसियों और शिक्षण संस्थानों को उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये नई तकनीक तक पहुँच सुनिश्चित करने, नए विचारों एवं नवाचारों को स्वरूप देने के लिये एक साथ एक मंच पर आने का अवसर प्रदान करती है।
- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिये नीति आयोग के मिशनों में मदद करने हेतु क्लाउड इनोवेशन सेंटर कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।
- फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड इनोवेशन सेंटर (CIC) नवाचार एवं नव उद्यमों को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा, साथ ही क्लाउड आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक, ब्लॉकचेन इत्यादि उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से डिजिटल नवाचार को गति मिलेगी।
- यह केंद्र द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्राथमिकताओं की पहचान करेगा और साथ ही जटिल मुद्दों के समाधान के लिये राज्य एवं ज़िला स्तर पर विषय के स्थानीय विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करेगा।
- गौरतलब है कि 'नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ सीआईसी' ने AWS के वैश्विक नेटवर्क के साथ साझेदारी की है जिसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वजनिक क्षेत्र के क्लाउड इनोवेशन केंद्रों तक है।

अमेज़न वेब सर्विसेज़ (Amazon Web Services- AWS):

- अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS) का 'क्लाउड इनोवेशन सेंटर' (CIC) कार्यक्रम गैर-लाभकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ प्रमुख चुनौतियों के लिये सहयोग करने, अमेज़न की नवाचार प्रक्रिया के साथ नए विचारों की जाँच करने और AWS की प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता तक पहुँचने का अवसर प्रदान करता है।

साधना दर्रा Sadhna Pass

नियंत्रण रेखा (Line of Control) पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिये अर्द्ध-सैनिक बल असम राइफल्स (Assam Rifles) की नौ राइफलवुमेन्स को जुलाई, 2020 में कुपवाड़ा-तंगधार राजमार्ग (Kupwara-Tangdhar Highway) पर साधना दर्रे (Sadhna Pass) पर तैनात किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2020 में केवल तंगधार क्षेत्र में 80 किलो नशीले पदार्थों [ज़्यादातर ब्राउन शुगर (Brown Sugar) ड्रग] को ज़ब्त किया गया था।

ब्राउन शुगर (Brown Sugar) ड्रग:

- ब्राउन शुगर एक सुक्रोज़ शुगर उत्पाद है जिसमें खांड/शीरा (Molasses) की उपस्थिति के कारण इसका एक विशिष्ट भूरा रंग होता है।
- हेरोइन (Heroin) ड्रग मॉर्फिन (Drug Morphine) का एक अर्द्ध-सिंथेटिक व्युत्पन्न रूप है। शुद्ध हेरोइन एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है और इसे नशा करने वालों द्वारा 'सफेद चीनी' (White Sugar) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- जब हेरोइन की गुणवत्ता खराब होती है तो उसका रंग सफेद न होकर भूरा हो जाता है जिसके कारण इसे 'ब्राउन शुगर' (Brown Sugar) कहा जाता है।

साधना दर्रा (Sadhna Pass):

- साधना दर्रा जम्मू और कश्मीर में एक पर्वतीय दर्रा है।
- साधना दर्रे (Sadhna Pass) को पहले नास्ताचुन दर्रे (Nastachun Pass) के नाम से भी जाना जाता था।
- यह हिमालय में अवस्थित है और कुपवाड़ा ज़िले की करनाह (Karnah) तहसील को कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।
- यह विशाल शम्स ब्रि पर्वत शृंखला (Shams Bri Mountainous Range) में स्थित है।
- यह समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, यह ज़िला मुख्यालय कुपवाड़ा से करनाह घाटी (Karnah Valley) को अलग करता है।

कैट जियोग्लिफ्स Cat Geoglyphs

दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की प्रसिद्ध नाज़का लाइन्स (Nazca Lines) जो यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थल है और बड़े-बड़े जानवरों, पौधों एवं काल्पनिक प्राणियों के चित्रण के लिये जानी जाती है, हाल ही में एक अज्ञात नक्काशी (एक बिल्ली का चित्रण) की खोज के बाद सोशल मीडिया में सुर्खियों में आई।

प्रमुख बिंदु:

- 2000 साल से अधिक पुरानी मानी जाने वाली इन नक्काशियों की खोज से संबंधित घोषणा पिछले सप्ताह दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने की थी।
  - इस नक्काशी के रूप में पाम्पा डी नाज़का (Pampa De Nazca) में एक पहाड़ी की ढलान पर एक बिल्ली के चित्र की खोज की गई है।

नाज़का लाइन्स (Nazca Lines):

- माना जाता है कि पेरू में पाई जाने वाली 'नाज़का लाइन्स' जियोग्लिफ्स का एक समूह या पत्थर, बज़री, काष्ठ जैसे भू-दृश्य के तत्त्वों का उपयोग करते हुए रचनाकारों द्वारा ज़मीन पर तैयार किये गए बड़े डिज़ाइन हैं।
- माना जाता है कि इन नक्काशियों के आकार, निरंतरता, प्रकृति एवं गुणवत्ता के कारण ये सबसे बड़े पुरातात्त्विक रहस्य हैं।
  - ज़मीन पर निर्मित ये चित्र आकार में इतने बड़े हैं कि इनको किसी ड्रोन या हेलीकॉप्टर से देखा एवं कैप्चर किया जा सकता है।
  - ये आकृतियाँ दक्षिणी पेरू के शुष्क पम्पा कोलोराडा (Pampa Colorada) की सतह पर 2 सहस्राब्दियों से अधिक पहले खींची गई थीं। जियोग्लिफ्स के इस समूह में विभिन्न विषयों (मुख्य रूप से पौधों एवं जानवरों) को दर्शाया गया है। जैसे- पेलिकन (Pelicans- लगभग 935 फीट लंबा सबसे बड़ा आकार), ऐंडेअन कोंडोर्स (Andean Condors- 443 फीट), बंदर (360 फीट), हमिंगबर्ड (Hummingbirds-165 फीट) एवं मकड़ी (150 फीट)।
  - इनमें कुछ ज्यामितीय आकार जैसे- त्रिभुज, ट्रेपेज़ोइड (Trapezoid) और चक्राकार (Spiral) भी शामिल हैं जो खगोलीय कार्यों से संबंधित हैं।
- नाज़का लाइन्स की खोज पहली बार वर्ष 1927 में हुई थी और वर्ष 1994 में यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।

कैट जियोग्लिफ्स (Cat Geoglyphs):

- जियोग्लिफ्स (Geoglyphs)
    - जियोग्लिफ्स बड़े आकार (आमतौर पर 4 मीटर से अधिक) के चित्र होते हैं जिन्हें ज़मीन पर पत्थरों, बजरी, क्लास्टिक (Clastic) चट्टानों या टिकाऊ तत्त्वों द्वारा निर्मित किया जाता है।
- हाल ही में खोजे गए कैट जियोग्लिफ्स के बारे में माना जाता है कि यह नक्काशी पहले से प्राप्त नाज़का आकृतियों की तुलना में काफी पुरानी है जिसे पुरातत्त्वविदों ने COVID-19 महामारी के दौरान खोजा था।
- क्षैतिज रूप से देखने पर यह आकृति 37 मीटर लंबी है और इसका समय 500 ईसा पूर्व - 200 ईस्वी के मध्य बताया गया है।

दक्षिण अमेरिकी देश: पेरू

- पेरू प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है तथा पाँच देशों के साथ सीमा-रेखा बनता है, जो निम्न है- उत्तर दिशा में इक्वाडोर, कोलंबिया, पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण-पूर्व में बोलिविया तथा दक्षिण में चिली।
    - पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा (क्षेत्रफल में) देश है।
- पेरू 'ऐंग्लोबीज' नामक मछली का सर्वाधिक उत्पादन करता है।
- अमेज़न नदी का उद्गम एंडीज पर्वत, पेरू से होता है, जबकि यह अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। विषुवत रेखा, अमेज़न नदी के मुहाने से होकर गुज़रती है।

राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस National Deworming Day

राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस (National Deworming Day) के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control- NCDC) और अन्य भागीदारों के नेतृत्त्व में अनुवर्ती सर्वेक्षण शुरू किया।

राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस (National Deworming Day):

- राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस एक दिन का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता तक पहुँच, पोषण संबंधी स्थिति एवं बच्चों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिये बच्चों को परजीवी आंत्र कृमि संक्रमण से मुक्त करने के लिये दवा उपलब्ध कराना है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस (National Deworming Day) को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
- यह कार्यक्रम स्कूलों एवं आँगनवाडी संस्थाओं के ज़रिये द्विवर्षीय एकल दिवस कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है।

मृदा-संचारित कृमि संक्रमण (Soil-Transmitted Helminthiases- STH):

- STH जिसे आँतों के परजीवी कीड़ा संक्रमण के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है।
- यह ज़्यादातर मलिन बस्तियों में पाया जाता है। यह बच्चों के शारीरिक विकास और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है तथा एनीमिया एवं कुपोषण का कारण बन सकता है।

एल्बेंडाजोल टैबलेट (Albendazole Tablet):

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) द्वारा अनुमोदित एल्बेंडाजोल टैबलेट (Albendazole Tablet) का उपयोग विश्व स्तर पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (Mass Drug Administration- MDA) कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में बच्चों एवं किशोरों में आँतों के कीड़े के इलाज के लिये किया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन नियमित अंतराल पर कृमि निवारण (डीवर्मिंग) की सलाह देता है, ताकि मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों एवं किशोरों के शरीर से कृमि संक्रमण को समाप्त किया जा सके तथा उन्हें बेहतर पोषण एवं स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराया जा सके।

नोट :

STH के संबंध में भारत की स्थिति:

- वर्ष 2012 में मृदा-संचारित कृमि संक्रमण (STH) पर प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1-14 वर्ष आयु वर्ग के 64% बच्चे STH के जोखिम के दायरे में थे।
- भारत में इस वर्ष की शुरुआत में कृमि निवारण (डीवर्मिंग) के अंतिम दौर में (जो COVID-19 महामारी के कारण रुका हुआ था) 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 11 करोड़ बच्चों एवं किशोरों को एल्बेंडाजोल की गोली दी गई।
- भारत में STH का आकलन करने के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी बेसलाइन STH मैपिंग के समन्वय और संचालन के लिये नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को ज़िम्मेदारी दी है।

अनुवर्ती सर्वेक्षण से संबंधित आँकड़े:

- यह अनुवर्ती सर्वेक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समिति (High Level Scientific Committee- HLSC) के निर्देशन में संचालित किया गया।
- अब तक 14 राज्यों में अनुवर्ती सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। बेसलाइन प्रसार सर्वेक्षण की तुलना में सभी 14 राज्यों के अनुवर्ती सर्वेक्षण में कृमि प्रसार में कमी देखी गई है और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार में कृमि प्रसार में पर्याप्त कमी आई है।

गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के कार्यान्वयन का नेतृत्त्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा उसके तकनीकी सहयोगियों की मदद से पूरा कर रहा है।

भारत का पहला मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
India's first Multi-modal Logistic Park

20 अक्तूबर, 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने असम के जोगीघोपा (Jogighopa) में देश के पहले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (Multi-modal Logistic Park- MMLP) की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु:

- 693.97 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पार्क से लोगों को सीधे हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी की सुविधा मिल सकेगी।
- इस पार्क का विकास भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी 'भारतमाला परियोजना' के तहत किया जाएगा।
- इसके निर्माण का पहला चरण वर्ष 2023 तक पूरा होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (National Highways and Infrastructure Development Corporation- NHIDCL):

- इस मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण 'राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड' (National Highways and Infrastructure Development Corporation- NHIDCL) द्वारा असम के जोगीघोपा में किया जा रहा है जो सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग से जुड़ा होगा।
- NHIDCL केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
    - यह कंपनी पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश के हिस्सों में अंत: परस्पर संबद्ध (इंटर-कनेक्टिंग) सड़कों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सड़कों को उन्नत बनाने, सर्वेक्षण, स्थापना, डिज़ाइन तैयार करने, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण एवं उन्नयन करने का कार्य करती है।

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की अवस्थिति:

- यह लॉजिस्टिक पार्क ब्रह्मपुत्र नदी से लगी 317 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

लाभ:

- इस परियोजना से असम के लगभग 20 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा।
- इस MMLP में गोदाम, रेलवे साइडिंग, प्रशीतन गृह, कस्टम क्लीयरेंस हाउस, यार्ड सुविधा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, प्रशासनिक भवन, रहने एवं खाने-पीने की सुविधाएँ एवं जल उपचार संयंत्र आदि सभी उपलब्ध होंगे।

भारत में अन्य प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क:

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) विकसित करने की परिकल्पना की है।
  - इन सभी MMLP के लिये 'स्पेशल पर्पज़ व्हीकल' (Special Purpose Vehicles- SPVs) का गठन किया जाएगा और प्रत्येक के लिये पेशेवर तौर पर योग्य सीईओ की नियुक्ति की जाएगी।
- नागपुर के वर्धा ड्राई पोर्ट क्षेत्र में JNPT के साथ 346 एकड़ MMLP के लिये प्रारंभिक रिपोर्ट और मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त पंजाब, सूरत, मुंबई, इंदौर, पटना, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोयंबटूर, बंगलूरू, संगरूर, चेन्नई बंदरगाह के पास, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट, कांडला, वडोदरा, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, भटिंडा, हिसार, अंबाला, कोटा, जयपुर, जगतसिंहपुर, सुंदरनगर, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, नासिक, पणजी, भोपाल, रायपुर एवं जम्मू में MMLP प्रस्तावित हैं।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2020
India International Science Festival-2020

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (India International Science Festival- IISF) का 6वाँ संस्करण 22 से 25 दिसंबर, 2020 तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

IISF, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालयों एवं भारत सरकार के विभागों तथा विज्ञान भारती (Vijnana Bharati) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है।

विज्ञान भारती (Vijnana Bharati):

- विज्ञान भारती या विभा (VIBHA), जिसे पहले 'स्वदेशी साइंस मूवमेंट' (Swadeshi Science Movement) के रूप में जाना जाता है, भारत में एक गैर-लाभकारी संगठन है जो आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा और वास्तुविद्या जैसे प्राचीन विज्ञानों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- 'स्वदेशी साइंस मूवमेंट' की स्थापना वर्ष 1982 में भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू में प्रो. के. आई. वासु (Prof. K. I. Vasu) द्वारा की गई थी।
- वर्ष 1991 में इसका नाम बदलकर विज्ञान भारती कर दिया गया।
- इसके वर्तमान में 20,000 सदस्य हैं और भारत के 23 राज्यों में इसकी इकाइयाँ विद्यमान हैं।
- IISF भारत और विदेशी छात्रों, नवोन्मेषकों, शिल्पकारों, किसानों, वैज्ञानिकों तथा टेक्नोक्रेट्स के साथ भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महोत्सव है।
- IISF 2020 में भारतीय और विदेशी युवाओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक एवं संस्थानों की भागीदारी की उम्मीद जताई गई है।
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के समर्थन के साथ IISF 2020 के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
- उल्लेखनीय है कि पहला और दूसरा IISF नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में और पाँचवाँ IISF कोलकाता में आयोजित किया गया था।

नोट :

PMKSY-AIBP के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग (Geo tagging of the components of projects under PMKSY-AIBP)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है।

- PMKSY-AIBP की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (Department Of Water Resources, RD & GR) के तहत की गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP)

- शुरुआत- 1996-97 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा।
- कार्यान्वयन- सिंचाई परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिये।
- पहले से चल रही तथा नई प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।
- विशेष श्रेणी के राज्य/क्षेत्र की लघु सिंचाई परियोजनाओं पर भी विचार किया जाता है।
- मंत्रालय ने इस एप्लीकेशन का विकास भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (BISAG-N) की सहायता से किया है।
- इस मोबाइल एप को विकसित करने का उद्देश्य PMKSY-AIBP के तहत किये जा रहे कार्यों की गति तथा परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है।
  - परियोजनाओं के अंतर्गत समय-समय पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु एक ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) भी विकसित किया गया है।
  - प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कमांड एरिया के अंतर्गत फसलीकृत क्षेत्र का आकलन करने के लिये रिमोट सेंसिंग तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है।
- स्थान, नहर का प्रकार/संरचना, पूर्णता की स्थिति आदि जैसे अन्य विवरणों के साथ परियोजना घटक की छवि (Image) लेने के लिये निगरानी टीम/परियोजना प्राधिकारी BISAG-N द्वारा विकसित इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं।
  - प्राप्त सूचना को उपयोगकर्त्ता द्वारा इस उद्देश्य के लिये विकसित GIS पोर्टल पर जियो-टैगिंग हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

जियो-टैगिंग (Geo-Tagging)

- जियोटैगिंग मेटा डेटा के रूप में भौगोलिक जानकारी को विभिन्न प्रकार से मीडिया से जोड़ने की प्रक्रिया है।
- इस मेटा डेटा में आमतौर पर अक्षांश और देशांतर जैसे निर्देशांक होते हैं, लेकिन इसमें दिक्कोण, ऊँचाई, दूरी और स्थान का नाम भी शामिल हो सकता है।
- जियो-टैगिंग का उपयोग आमतौर पर तस्वीरों के लिये किया जाता है और इससे लोगों को बहुत सी विशिष्ट जानकारी (जैसे- तस्वीर कहाँ ली गई थी या किसी सर्विस में लॉग ऑन करने वाले मित्र का सटीक स्थान) प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

चुनावों में खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जाँच के लिये समिति (Committee to Examine Issues Concerning Expenditure Limits)

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) ने मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महँगाई दर में बढ़ोतरी तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चुनावी खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों का परीक्षण करने के लिये एक समिति का गठन किया है।

- समिति का गठन पूर्व राजस्व सेवा अधिकारी और महानिदेशक (अन्वेषण) श्री हरीश कुमार तथा महासचिव तथा महानिदेशक (व्यय) श्री उमेश सिन्हा की सदस्यता में किया गया है।

- समिति अपने गठन के 120 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।
- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के चलते विधि और न्याय मंत्रालय ने 19 अक्तूबर, 2020 को निर्वाचन अधिनियम 1961 के नियम संख्या 90 में संशोधन अधिसूचित कर वर्तमान खर्चों की सीमा में 10% की वृद्धि की है।
  - खर्च की सीमा में की गई यह वृद्धि वर्तमान में जारी चुनावों में भी तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
  - इससे पहले 28 फरवरी, 2014 को एक अधिसूचना के माध्यम से चुनावी खर्च की सीमा में वृद्धि की गई थी, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संदर्भ में 10 अक्तूबर, 2018 को इसमें संशोधन किया गया था।

यह समिति निम्नलिखित संदर्भों के आधार पर परीक्षण करेगी-

- देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव तथा खर्च पर इसके प्रभाव का आकलन।
- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में बदलाव और इसके चलते हाल के चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले खर्च के तरीकों का आकलन।
- खर्च पर प्रभाव डालने वाले अन्य पहलुओं का परीक्षण।
- अन्य संबंधित मुद्दों का भी परीक्षण।
- उपरोक्त के अलावा समिति राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों से उनके विचार भी जानेगी।

खर्च में वृद्धि की आवश्यकता

- पिछले 6 वर्षों में चुनावी खर्च की सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि मतदाताओं की संख्या 834 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में 910 मिलियन और अब 921 मिलियन हो गई है।
- इसके अलावा लागत मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई है जो 220 से बढ़कर वर्ष 2019 में 280 और अब 301 के स्तर पर पहुँच गई है।

उड़ान दिवस (Udan Day)

21 अक्तूबर, 2020 को उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की चौथी वर्षगाँठ मनाई गई तथा इस अवसर पर 21 अक्तूबर को उड़ान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई क्योंकि इसी दिन 'उड़ान' योजना के दस्तावेज़ पहली बार जारी किये गए थे।

उड़ान योजना

- क्षेत्रीय संपर्क योजना- 'उड़े देश का आम नागरिक' (UDAN) भारत सरकार की एक महत्त्वाकाँक्षी योजना है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई मार्गों द्वारा आम लोगों को सस्ते और सुलभ हवाई यात्रा का लाभ उपलब्ध कराना है।
- देश के उड्डयन क्षेत्र में नए हवाई अड्डों और हवाई मार्ग को जोड़ने में उड़ान योजना का अहम योगदान रहा है।
- संपूर्ण भारत में उड़ान योजना के अंतर्गत 285 हवाई मार्गों के अंतर्गत 50 गैर-सेवारत अथवा सेवारत हवाई अड्डों को जोड़ा गया है। इसमें 5 हेलीपोर्ट भी शामिल हैं।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना के लिये बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा यह वर्ष 2024 तक 100 हवाई अड्डों/वाटरड्रोम/हेलीपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

ब्लू डॉट नेटवर्क (Blue Dot Network- BDN)

अमेरिका में सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक नौसैनिक अभ्यास 'मालाबार' के लिये आमंत्रित किये जाने के फैसले का समर्थन किया है और साथ ही भारत को 'ब्लू डॉट नेटवर्क' (Blue Dot Network) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया है।

- ब्लू डॉट नेटवर्क की शुरुआत नवंबर, 2019 में बैंकाक (थाईलैंड) में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- यह अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (U.S. International Development Finance Corporation) के नेतृत्त्व में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) तथा ऑस्ट्रेलिया के विदेशी मामले और व्यापार विभाग के बीच साझा सहयोग है।

नोट :

- इसका उद्देश्य सरकारी, निजी क्षेत्रकों को एक साथ लाकर साझा मानकों के दायरे में वैश्विक अवसंरचना विकास पर बल देना है।
- इसका कार्य वैश्विक अवसंरचना सिद्धांतों पर आधारित परियोजनाओं का प्रमाणन करना है।
- इस नेटवर्क द्वारा जारी प्रमाणन बाज़ार चालित, पारदर्शी तथा स्थायी विकास परियोजनाओं के लिये मान्य वैश्विक प्रतीक के रूप में कार्य करेगा।
- इस प्रकार BDN विकासशील तथा उदीयमान अर्थव्यवस्था वाले देशों में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिये निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करेगा।
- BDN का नेतृत्त्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किये जाने के कारण इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
  - उल्लेखनीय है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने और सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था है, जबकि BDN में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण (Final User Trial of NAG Missile)

हाल ही में 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (Defence Research and Development Organisation- DRDO) द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (Anti Tank Guided Missile- ATGM) 'नाग' का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- इस मिसाइल को 'नाग मिसाइल वाहक' (NAG Missile Carrier- NAMICA) द्वारा प्रक्षेपित किया गया।
- इस परीक्षण के पूरा होने के बाद 'नाग' मिसाइल का उत्पादन शुरू किया जा सकेगा, गौरतलब है कि इस मिसाइल का उत्पादन रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम 'भारत डायनामिक्स लिमिटेड' (Bharat Dynamics Limited- BDL) द्वारा और NAMICA का उत्पादन मेदक स्थित आयुध निर्माणी द्वारा किया जाएगा।

नाग मिसाइल:

- नाग, 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित तीसरी पीढ़ी की एक टैंकभेदी मिसाइल है।
  - नाग मिसाइल का विकास DRDO के 'एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम' (Integrated Guided Missile Development Programme) के तहत किया गया है।
- यह मिसाइल 'दागो और भूल जाओ' (Fire and Forget) श्रेणी के अंतर्गत आती है, अर्थात् एक बार छोड़े जाने के बाद इसे लक्ष्य को भेदने के लिये अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह मिसाइल सभी मौसमों में दिन और रात के समय समान क्षमता के साथ 500 मीटर से लेकर 4 किमी. की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद सकती है।
- प्रक्षेपण से पहले लक्ष्य को चिह्नित करने के लिये इस मिसाइल में 'इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर' (Imaging Infrared Seeker) का उपयोग किया जाता है।
- वर्तमान में DRDO के अंतर्गत इस मिसाइल के हेलीकॉप्टर संस्करण 'हेलीना' (HELINA) का विकास भी अंतिम चरण में है, गौरतलब है कि हेलीना का सफल परीक्षण वर्ष 2018 में पूरा कर लिया गया था।
  - गौरतलब है कि 'हेलीना' को 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित 'ध्रुव' और 'रूद्र' नामक हेलीकॉप्टरों से प्रक्षेपित किया जा सकता है।

आईएनएस कवरत्ती (INS Kavaratti)

22 अक्तूबर, 2020 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत 'आईएनएस कवरत्ती' (INS Kavaratti) को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

- गौरतलब है कि 'आईएनएस कवरत्ती' प्रोजेक्ट-28 (Project- 28) के तहत 'गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स' (Garden Reach Shipbuilders and Engineers-GRSE) निर्मित चार स्वदेशी युद्धपोतों में से चौथा व अंतिम युद्धपोत है।
- इस युद्धपोत का डिज़ाइन 'नौसेना डिज़ाइन निदेशालय' (Directorate of Naval Design) द्वारा तैयार किया गया है तथा इसके निर्माण में भारत निर्मित उच्च कोटि के DMR 249A स्टील का प्रयोग किया गया है।
- इस युद्धपोत की लंबाई 109 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और वजन 3300 टन है तथा यह चार डीज़ल इंजनों से संचालित होता है।
- यह युद्धपोत रडार से बचने की क्षमता से लैस है जिससे प्रतिद्वंद्वी सेना द्वारा आसानी से इस युद्धपोत का पता नहीं लगाया जा सकता।
- इस युद्धपोत को परमाणु, रासायनिक और जैविक (Nuclear, Biological and Chemical- NBC) युद्ध स्थितियों में लड़ने के लिये स्वदेशी अत्याधुनिक उपकरणों तथा प्रणालियों से सुसज्जित किया गया है।
- आईएनएस कवरत्ती कई उन्नत स्वचालित प्रणालियों से युक्त है जिसमें 'एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली' (IPMS), 'एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम' (TACS), 'युद्ध क्षति नियंत्रण प्रणाली' (BDCS) और 'पर्सन लोकेटर सिस्टम' (PLS) आदि शामिल हैं।
- इस युद्धपोत का संचालन 12 अधिकारियों और 134 नाविकों की एक टीम द्वारा किया जाएगा तथा यह युद्धपोत पूर्वी नौसेना कमान के तहत पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग होगा।।
- इस युद्धपोत का नाम केंद्रशासित प्रदेश लक्ष्य द्वीप की राजधानी 'कवरत्ती' (Kavaratti) के नाम पर रखा गया है।
- यह युद्धपोत पूर्व में इसी नाम से सक्रिय 'अरनाला श्रेणी' (Arnala Class) के युद्धपोत 'आईएनएस कवरत्ती-पी 80' (INS Kavaratti– P80) का नया अवतार है।
    - गौरतलब है कि 'आईएनएस कवरत्ती - पी 80' ने अन्य कई बड़े अभियानों के साथ वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

बिच्छुओं की दो नई प्रजातियों की खोज
(Discovery of 2 species of scorpions in W Ghats)

हाल ही में पुणे स्थित 'प्राकृतिक इतिहास शिक्षा और अनुसंधान संस्थान' (Institute of Natural History Education and Research) के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा पुणे के वरंधा घाट और सांगली के अंबा घाट में बिच्छुओं की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है।

- बिच्छुओं की दोनों प्रजातियाँ चिरोमैचिटेस (Chiromachetes) वंश की हैं।
- बिच्छुओं की इन दो नई प्रजातियों में से एक को पंहाला के पावनखिंड क्षेत्र से खोजा गया है, इसे 'चिरोमैचिटेस पराक्रमी' (Chiromachetes Parakrami) नाम दिया गया है।
    - गौरतलब है कि यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और बीजापुर की सेना के सेनापति सिद्दी जौहर के बीच लड़ाई हुई थी।
- इस वंश की दूसरी प्रजाति को 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत राम दास स्वामी से जुड़ी एक गुफा के नज़दीक खोजा गया है, जिसके कारण इसे 'चिरोमैचिटेस रामदासस्वामी' (Chiromachetes Ramdasswamii) नाम दिया गया है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, चट्टानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बिच्छू पेड़ों या जमीन पर पाए जाने वाले बिच्छुओं की तुलना में अपने प्रवास स्थान को धीमी गति से बदलते हैं।
- क्योंकि ये बिच्छू एक ही क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ऐसे में इनके शरीर में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को पहचाना जा सकता है। साथ ही ये कारक इन प्रजातियों को अत्यधिक सुभेद्य बनाते हैं, अत: उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित किया जाना चाहिये।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय संग्रहालय (Indira Gandhi National Centre for the Arts-IGNCA)

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' (Central Vista Redevelopment Project) के तहत नई दिल्ली स्थित 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र' (Indira Gandhi National Centre for the Arts-IGNCA) और 'राष्ट्रीय संग्रहालय' (National Museum) को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र:

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
- IGNCA की शुरुआत 14 नवंबर, 1985 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी।
- 24 मार्च 1987 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का गठन और पंजीकरण किया गया।
- IGNCA की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कला के प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना, कला, मानविकी और संस्कृति से संबंधित अनुसंधान का संचालन करना तथा कला एवं दर्शन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के समकालीन विचारों के बीच संवाद स्थापित करना था।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली:

- राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन 15 अगस्त, 1949 को भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल आर.सी. राजगोपालाचारी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था।
- राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्तमान भवन की नींव भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 मई, 1955 को रखी गई थी।
- 18 दिसंबर, 1960 को भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय भवन के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन किया गया।
- इसकी स्थापना का उद्देश्य प्रदर्शन, संरक्षण और शोध के लिये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक महत्त्व की कला वस्तुओं को एकत्र करना, इन वस्तुओं के महत्त्व के बारे में ज्ञान का प्रसार करना एवं राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करना था।
- वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय का संचालन भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना Extension of ESI Scheme to Arunachal Pradesh

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर, 2020 से अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना [Employees' State Insurance (ESI) Scheme] की शुरुआत की जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना [Employees' State Insurance (ESI) Scheme]:

- भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो इस योजना में शामिल श्रमिकों और उनके आश्रितों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- इस योजना की शुरुआत सबसे पहले 24 फरवरी, 1952 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में की गई थी।
- इस योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation- ESIC) द्वारा संचालित किया जाता है।
- ESIC द्वारा 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' (ईएसआई अधिनियम) के तहत कर्मचारियों को कार्यस्थल पर चोट, बीमारी या मृत्यु के मामलों में उचित चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ की एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान की जाती है।
- ESIC द्वारा इस योजना के तहत कामगारों के लगभग 3.49 करोड़ परिवारों को कवर किया जाता है और यह लगभग 13.56 करोड़ लाभार्थियों को नकद लाभ तथा उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है।
- वर्तमान में 1520 औषधालयों (मोबाइल औषधालयों) सहित 307 ISM इकाइयों और 159 ESI अस्पतालों, 793 शाखा/वेतन कार्यालयों और 64 क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इसकी अवसंरचना में व्यापक विस्तार हुआ है।

नोट :

- वर्तमान में ESI योजना देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (लक्षद्वीप को छोड़कर) के 568 ज़िलों में लागू है।
- ESI योजना के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभों के अतिरिक्त इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी बेरोज़गारी भत्ते के भी हकदार होते हैं। ESIC द्वारा 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (ABVKY) और 'राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना' (RGSKY) नामक दो बेरोज़गारी भत्ता योजनाओं का संचालन किया जाता है।

दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम South Asian Flash Flood Guidance System

हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) द्वारा दक्षिण एशियाई देशों में अचानक आने वाली बाढ़ या फ्लैश फ्लड की चुनौती से निपटने के लिये 'दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम' (South Asian Flash Flood Guidance System- FFGS) नामक एक मार्गदर्शन प्रणाली की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation- WMO) के आँकड़ों के अनुसार, फ्लैश फ्लड के कारण विश्व भर में हर वर्ष लगभग 5,000 लोगों की मौत हो जाती है।
- IMD की पहल के तहत नई दिल्ली में एक समर्पित FFGS केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहाँ पर सदस्य देशों से वर्षा से प्राप्त संबंधित डेटा की समीक्षा की जाएगी।
- वर्षा और संभावित बाढ़ के अनुमान के आधार पर संबंधित देशों को फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की जाएगी।
- इसके तहत संबंधित देश को राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा फ्लैश फ्लड के खतरे की चेतावनी छह घंटे पहले, जबकि बाढ़ जोखिम की चेतावनी 24 घंटे पहले और जल-विभाजक स्तर के बारे में चेतावनी 12 घंटे पहले जारी की जाएगी।

फ्लैश फ्लड (Flash Flood):

- फ्लैश फ्लड या अचानक आने वाली बाढ़ से आशय ऐसी बाढ़ की उन घटनाओं से है जहाँ वर्षा के कुछ ही घंटों के दौरान (या बाद में) जल स्तर काफी बढ़ जाता है।
- फ्लैश फ्लड, बहुत अधिक उफान के साथ छोटी अवधि वाली अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाएँ होती हैं। आमतौर पर वर्षा की शुरुआत और चरम उफान वाली बाढ़ की घटना के बीच की अवधि छह घंटे से कम होती है।
- विश्व के अधिकांश देशों में फ्लैश फ्लड से जुड़ी चेतावनी जारी करने संबंधी क्षमता का अभाव है।
- फ्लैश फ्लड और इसकी विभीषिका को देखते हुए विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की पंद्रहवीं कॉन्ग्रेस द्वारा वैश्विक कवरेज के साथ एक 'फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम' (FFGS) परियोजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी गई थी।
- इस परियोजना को WMO के जल विज्ञान आयोग, अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा, अमेरिकी जल अनुसंधान केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) आदि के सहयोग से तैयार किया गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार Foreign Exchange Reserves

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, 16 अक्तूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) 3.615 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के साथ अब तक के अपने सर्वाधिक स्तर 555.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु:

- देश के विदेशी मुद्रा भंडार में हुई इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण 'विदेशी मुद्रा आस्तियों' (Foreign Exchange Assets- FCAs) में हुई तीव्र वृद्धि है।
- RBI के आँकड़ों के अनुसार, बीते सप्ताह में FCA 3.539 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के 512.322 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

नोट :

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves):

- विदेशी मुद्रा भंडार में किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित संपत्तियाँ होती हैं। इनमें विदेशी मुद्रा, बॉण्ड, ट्रेज़री बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हो सकती हैं।
- किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्त्व शामिल होते हैं-
  1. विदेशी परिसंपत्तियाँ (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
  2. स्वर्ण भंडार
  3. IMF के पास रिज़र्व कोष (Reserve Trench)
  4. विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (Foreign Exchange Assets- FCAs) :

- किसी भी देश/अर्थव्यवस्था के पास एक समय में उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा (विभिन्न देशों की) उसकी विदेशी मुद्रा अस्तियाँ कहलाती है।
- विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (Foreign Currency Assets) विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा घटक है।

'लाइफ इन मिनिएचर' परियोजना 'Life in Miniature' Project

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 'लाइफ इन मिनिएचर' परियोजना की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इस परियोजना को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और 'गूगल आर्ट्स एंड कल्चर' (Google Arts & Culture) के सहयोग शुरू किया गया है।
  - गौरतलब है कि इस साझेदारी की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी।
- इस परियोजना की शुरुआत के बाद विश्व भर के लोग राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के कई सौ लघु चित्रों को 'गूगल आर्ट्स एंड कल्चर' एप के माध्यम से देख सकेंगे।
- इस परियोजना के तहत कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिये मशीन लर्निंग, संवर्द्धित वास्तविकता या ऑग्मेंटेड रियलिटी (Augmented reality) और हाई डेफिनेशन कैमरे जैसी नवीन डिजिटल तकनीकों का प्रयोग किया गया है।
- इस परियोजना के तहत कलाकृतियाँ का प्रदर्शन मानवीय संबंधों के पाँच सार्वभौमिक विषयों प्रकृति, प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति के अंतर्गत किया जाता है।

'गूगल आर्ट्स एंड कल्चर' (Google Arts & Culture):

- 'गूगल आर्ट्स एंड कल्चर' गूगल (Google) की एक गैर-लाभकारी पहल है, यह विश्व भर में सांस्कृतिक संस्थानों और कलाकारों के साथ मिलकर कार्य करती है।
- इसका उद्देश्य विश्व भर में कला और संस्कृति का संरक्षण करना और इन्हें ऑनलाइन प्रदर्शित करना है, जिससे यह किसी भी व्यक्ति के लिये कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो सके।
- 'गूगल आर्ट्स एंड कल्चर' की वेबसाइट और एप के माध्यम से विश्व भर के 2,000 से अधिक संग्रहालयों में उपस्थित कलाकृतियों को देखा जा सकता है।

विश्व पोलियो दिवस World Polio Day

प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है।

- इस दिवस को मनाने की शुरुआत एक दशक पहले रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस (Poliomyelitis) के खिलाफ टीका विकसित करने वाली टीम का नेतृत्त्व करने वाले जोनास साल्क के जन्म दिवस के अवसर पर की गई थी।

नोट :

- वैश्विक स्तर पर रोग की स्थिति की निगरानी वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (Global Polio Eradication Initiative-GPEI) द्वारा की जा रही है।
  - GPEI की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। यह एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी है, जिसमें रोटरी इंटरनेशनल, WHO, यू.एस. रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (US Centers for Disease Control and Prevention- CDC), यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा अन्य देशों की सरकारें शामिल हैं।

पोलियो क्या है ?

- पोलियोमाइलाइटिस/पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है। पोलियो का विषाणु मुख्यत: मल मार्ग या किसी सामान्य वाहक (जैसे दूषित जल अथवा भोजन) के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित होता है। आँतों में पहुँचकर इस वायरस की संख्या दोगुनी हो जाती है तथा वहाँ से यह तंत्रिका तंत्र में पहुँचता है और पक्षाघात (Paralysis) का कारण बनता है।
- यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों (पाँच वर्ष से कम आयु) को प्रभावित करता है।
- पोलियोवायरस के तीन संस्करण हैं:

1. वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप-1 (WPV1)
2. वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप- 2 (WPV2)
3. वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप- 3 (WPV3)

- उल्लेखनीय है कि WHO द्वारा वर्ष 2019 में WPV3 तथा वर्ष 2015 में WPV2 के उन्मूलन की घोषणा की जा चुकी है, जबकि WPV1 का उन्मूलन होना शेष है क्योंकि अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के क्षेत्रों में यह अभी भी विद्यमान है।
- ध्यातव्य है कि पोलियो उन्मूलन के लिये वाइल्ड तथा टीका-व्युत्पन्न दोनों प्रकार के पोलियो संक्रमण के मामलों की संख्या शून्य होनी चाहिये।

पोलियो के मामले में भारत की स्थिति

- लगातार तीन वर्षों तक पोलियो का कोई मामला न मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया।

किसान सूर्योदय योजना Kisan Suryoday Yojana

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में 'किसान सूर्योदय योजना' की शुरुआत की गई।

- गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिये दिन में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 'किसान सूर्योदय योजना' की घोषणा की थी।
- इस योजना के तहत किसानों को सुबह पाँच बजे से रात नौ बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत विद्युत संचार अवसंरचना (Transmission Infrastructure) स्थापित करने के लिये 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
- परियोजना के तहत 220KV सब-स्टेशन के अलावा कुल 3490 सर्किट किलोमीटर की लंबाई के साथ '66-किलोवाट' की 234 ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित की जाएंगी।
- वर्ष 2020-21 के लिये योजना के तहत दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड, आनंद और गिर-सोमनाथ ज़िलों को शामिल किया गया है। शेष ज़िलों को वर्ष 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा।

आसन संरक्षण रिज़र्व Asan Conservation Reserve

- हाल ही में देहरादून स्थित आसन संरक्षण रिज़र्व को रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि (Wetland of International Importance) का दर्जा दिया गया है।
- आसन संरक्षण रिज़र्व, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है।

- इस रिज़र्व को रामसर द्वारा मान्यता मिलने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 38 हो गई है जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है।
- आसन संरक्षण रिज़र्व ने रामसर स्थल घोषित किये जाने के लिये आवश्यक नौ मानदंडों में से पाँच मानदंडों (प्रजातियों एवं पारिस्थितिक समुदायों, जल-पक्षियों तथा मछलियों से संबंधित) को पूरा किया जिसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई।

आसन संरक्षण रिज़र्व के बारे में

- यह रिज़र्व हिमालयी राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून ज़िले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है।
- आसन संरक्षण रिज़र्व 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- आसन कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे- रूडी शेल्डक (स्थानीय भाषा में सुर्खाब) और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड (स्थानीय भाषा में लालसर) आदि का निवास स्थान है।
- कई लुप्तप्राय पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, कुछ पक्षी प्रवास के दौरान यहाँ आते हैं जिसके चलते यह रिज़र्व पारिस्थितिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण स्थल बन जाता है।
  - आसन संरक्षण रिज़र्व में प्रवासी पक्षियों की लगभग 40 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें रूडी शेल्डक (सुर्खाब), कॉमन कूट, गडवाल, किंगफिशर, इंडियन कॉर्मोरेंट (जलकौआ), बेयर का पॉचर्ड, नॉर्दर्न पिंटेल (सूचिपुच्छ बत्तख), बार-हेडेड गूज (अवरोधक सिर वाले हंस) आदि शामिल हैं।

कोच्चि-मुज़िरिस बिएनेल Kochi Biennale

केरल में प्रचलित महामारी के कारण कोच्चि-मुज़िरिस बिएनेल के पांचवें संस्करण को अगले वर्ष हेतु स्थगित कर दिया गया है।

- यह अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पहले 12 दिसंबर से आयोजित होने वाली थी।
- कोच्चि बिएनेल फाउंडेशन ने सूचित किया है कि एक्सपो को स्थगित करने का निर्णय राज्य में महामारी के चलते लिया गया है।

कोच्चि-मुज़िरिस बिएनेल

- कोच्चि-मुज़िरिस बिएनेल भारत का पहला द्विवार्षिक बिएनेल है, जो वेनिस बिएनले जैसे प्रसिद्ध कला उत्सवों से प्रेरित है तथा दुनिया की नई कलात्मक प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- राज्य सरकार और कुछ व्यवसायों के सहयोग से कोच्चि बिएनेल फाउंडेशन वर्ष 2012 से इस महोत्सव की मेज़बानी कर रहा है।

उद्देश्य

- वसुधैव कुटुंबकम और आधुनिकता की भावना का विकास करना जो कि कोच्चि के जीवंत अनुभव में निहित है।
- केरल में सार्वजनिक कार्रवाई और सार्वजनिक चित्रकारी की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे भारत में कलात्मक व्यवसाय के एक केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- भारतीय लोगों के नए आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करना, जो धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसका उद्देश्य उदार, समावेशी, समतावादी और लोकतांत्रिक होना है।
- भारत की अतीत और वर्तमान कलात्मक परंपराओं में निहित अप्रकट ऊर्जाओं का पता लगाना तथा सह-अस्तित्त्व और महानगरीयता की एक नई शैली का आविष्कार करना।

कोच्चि बिएनेल फाउंडेशन

- यह एक गैर-लाभकारी धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में बोस कृष्णामचारी और रियास कोमू ने की थी।
- यह भारत में कला एवं संस्कृति और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु प्रयास करता है; उनमें से कोच्चि-मुज़िरिस बिएनेल की मेजबानी प्रमुख है।
- कोच्चि बिएनेल फाउंडेशन विरासती धरोहरों, स्मारकों के संरक्षण और कला एवं संस्कृति के पारंपरिक रूपों के उत्थान में लगा हुआ है।

- यह फाउंडेशन समकालीन कला बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और विविध कार्यक्रमों के माध्यम से संपूर्ण भारत में कला के लिये सार्वजनिक पहुँच को व्यापक बनाने के लिये वर्ष भर कार्य करता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनामी हैकथॉन
India-Australia Circular Economy Hackathon (I-ACE)

अटल इन्नोवेशन मिशन, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज़ेशन (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation- CSIRO) के साथ मिलकर सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर दो दिवसीय 'भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनामी हैकथॉन' (India Australia Circular Economy Hackathon {I-ACE}) आयोजित करने जा रहा है। हैकथॉन का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को किया जाएगा।

- I-ACE का विचार इस वर्ष 4 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों की बातचीत के दौरान आया जब दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिये नवाचारों की आवश्यकता जताई।
- I-ACE के अंतर्गत दोनों देशों के स्टार्टअप और MSME तथा प्रतिभावान छात्रों द्वारा नए तकनीकी उपायों के विकास और उनकी पहचान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- शॉर्टलिस्ट किये गए छात्रों और स्टार्टअप/एमएसएमई को हैकथॉन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाएगा और सभी चार विषयों में से प्रत्येक विषय के लिये दोनों देशों से एक-एक छात्र और एक-एक स्टार्टअप/MSME को 11 दिसंबर को पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता घोषित किया जाएगा।

  प्रस्तावित दो दिवसीय हैकथॉन के अंतर्गत चार मुख्य थीम होंगी:

  1. पैकिंग अपशिष्ट में कमी लाने हेतु कम संसाधनों द्वारा पैकिंग के क्षेत्र में नवाचार
  2. खाने की बर्बादी कम करने के लिये खाद्य आपूर्ति श्रृंखला हेतु नवाचार
  3. प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिये अवसरों का सृजन
  4. जटिल ऊर्जा धातु और वेस्ट रीसाइक्लिंग

भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनामी हैकथॉन का महत्त्व:

- यह देखने का प्रयास है कि सर्कुलर इकोनॉमी की चुनौतियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों के निपटान का स्थाई समाधान निकलेगा बल्कि इससे अपशिष्ट पदार्थों के पुन: इस्तेमाल के तौर तरीके भी सामने आएंगे।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रचनात्मक और मज़बूत द्विपक्षीय साझेदारी एक दशक से जारी है और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पारस्परिक सहयोग से महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ आकर अनुसंधान और विकास के प्रयासों को तीव्र कर सकते हैं जिससे चुनौतीपूर्ण समय से निकला जा सके।
- सर्कुलर अर्थव्यवस्था का मॉडल बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन और उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने में दूरगामी परिणाम वाला होगा। इससे लागत में कमी, नवाचार में वृद्धि और उल्लेखनीय पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा।
- यह कम संसाधनों से हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

ऑस्ट्रेलिया के शोध और विकास के साथ भारत के किफायती और वृहद् स्तर के नवाचार क्षेत्र की साझेदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह समय की मांग है कि हम सतत् और नए तौर तरीकों को अपनाएँ और सर्कुलर अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ें।

प्रोजेक्ट-37 Project 37

प्रोजेक्ट-37, अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस, 2016 बैच के अधिकारियों द्वारा एक पहल है, जो राज्य के दूरदराज के ज़िलों में विकास परियोजनाओं हेतु क्राउड फंडिंग कर रहे हैं।

प्रोजेक्ट-37

- प्रोजेक्ट-37, वर्ष 2016 बैच के 37 अधिकारियों द्वारा (और नाम के बाद) समर्थित एक क्राउड फंडिंग पहल है, जिसके अंतर्गत किसी भी चीज की मरम्मत हेतु धन को एकत्रित किया जाएगा।
- योजना के अनुसार, प्रत्येक बैचमेट द्वारा मासिक आधार पर 1,500 रुपए का दान किया जाएगा। यह राशि योजना में शामिल व्यक्तियों के खातों से स्वत: डेबिट हो जाएंगे।
- यह एक यादृच्छिक रोस्टर है और इसमें जीतने वाले विजेता को अपने सर्कल में धन का उपयोग करने का अवसर मिलेगा।
- इसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में माइक्रो-इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, शौचालय, कक्षाओं, फर्नीचर आदि का निर्माण शामिल है।
- इसमें खिम्यांग जैसे क्षेत्र जो कि चांगलांग के सीमावर्ती ज़िले में स्थित है - को प्राथमिकता दी जाएगी। खिमियांग सर्कल म्यांमार सीमा के पास स्थित है तथा यह बहुत दुर्गम और उग्रवाद की समस्या से ग्रसित है

उद्देश्य:

- पुरानी, जर्जर इमारतों को नया रूप देना और उन्हें स्कूलों, पुस्तकालयों में परिवर्तित करना।
- खेल के मैदान, शौचालय का निर्माण; राज्य भर में सड़कों और साइनपोस्टों की मरम्मत।
- गांव से एक होनहार एथलीट के लिये फंडिंग का भी प्रावधान है।

चूँकि सिविल सेवकों को अपने क्षेत्रों के विकास हेतु सांसदों की तरह अलग से फंडिंग नहीं की जाती है, अत: यह नवाचार उन्हें अपने क्षेत्रों में विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

येलो डस्ट Yellow Dust

हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहाँ के नागरिकों को चीन से आने वाली 'येलो डस्ट' (Yellow Dust) के बादलों के संपर्क से बचने के लिये घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है।

क्या है येलो डस्ट ?

- अधिकारियों का तर्क है कि यह डस्ट COVID-19 को अपने साथ ला सकती है।
- येलो डस्ट वास्तव में चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान से आने वाली धूल है जिसे प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट अवधि के दौरान चलने वाली उच्च गति वाली सतही वायु उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों में ले जाती है।
- इन धूल के कणों में औद्योगिक प्रदूषकों जैसे अन्य विषाक्त पदार्थ शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप येलो डस्ट 'श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनती है।
- आमतौर पर, जब येलो डस्ट वातावरण में अस्वास्थ्यकर स्तर तक पहुँच जाती है, तो प्रशासन लोगों से घर के अंदर रहने और शारीरिक गतिविधियाँ, विशेष रूप से भारी व्यायाम तथा खेलों को सीमित रखने का आग्रह करते हैं।
- कभी-कभी जब, वातावरण में येलो डस्ट की सांद्रता 800 माइक्रोग्राम/घनमीटर के आसपास हो जाती है, तो स्कूल बंद कर दिये जाते हैं और प्रभावित क्षेत्रों में बाहरी कार्यक्रम रद्द कर दिये जाते हैं।

एनिग्माचन गोलम Aenigmachanna gollum

हाल ही में केरल में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्माचन गोलम (Aenigmachanna Gollum) नामक मछली को देखा गया है।

प्रमुख बिंदु:

- एनिग्माचन गोलम का नामकरण लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' फिल्म के किरदार 'गोलम' (Gollum) से प्रेरित होकर किया गया है।
    - फिल्म में 'गोलम' हमेशा भूमिगत रहने वाला एक चरित्र है।

नोट :

- यह भूमिगत जलभरों (Underground Aquifers) में वास करती है तथा केवल वर्षा के कारण आई भारी बाढ़ के आने पर सतह पर आती हैं।
- यह ड्रैगन स्नेकहेड (Dragon Snakeheads) नामक एक पुराने कुल की मछलियों से संबंधित है।
  - गोलम के अलावा, इसी के जैसी एक और प्रजाति की भी खोज की गई है, जिसे 'एनिग्माचन महाबली' कहा जाता है।
- इस मछली ने सहस्राब्दियों के बाद भी अपनी आदिम विशेषताओं को बरकरार रखा है।
- एनिग्माचन कुल की लगभग 50 प्रजातियाँ एशिया और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की नदियों और झीलों में पाई जा सकती हैं।
- यह माना जाता है कि इस प्रजाति की उत्पत्ति गोंडवानालैंड में हुई थी, जो बाद में एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में विभाजित हो गया।

ओहाका खादी Oaxaca khadi

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात कार्यक्रम' में लोगों से ओहाका खादी (Oaxaca khadi) का संदर्भ देते हुए त्यौहारी सीज़न के दौरान खरीददारी के लिये 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal For Local) होने का आग्रह किया।

प्रमुख बिंदु:

- 'ओहाका' (Oaxaca) दक्षिण मेक्सिको में स्थित एक क्षेत्र है, जहाँ कई गाँवों के स्थानीय ग्रामीण समूहों में खादी बुनाई का कार्य करते हैं। वर्तमान में यहाँ की खादी 'ओहाका खादी' के नाम से प्रसिद्ध है।
- इसकी स्थापना मेक्सिको में रहने वाले एक अमेरिकी 'मार्कोस ब्राउन' और उनकी पत्नी 'कालिंदी अत्तर' ने की थी।
  - मार्क ब्राउन ने इसकी शुरुआत महात्मा गाँधी पर आधारित एक फिल्म और खादी से प्रभावित होकर की।
  - इसकी शुरुआत करने से पहले, ब्राउन 12 वर्षों तक भारत में रहे और गांधी जी से काफी प्रभावित थे इसके अलावा वे दो वर्षों (1986-88) तक गुजरात के साबरमती आश्रम में भी रहे।
- मार्क ब्राउन ने ही मेक्सिको के ओहाका में ग्रामीणों को खादी के बारे में अवगत कराया और उन्हें प्रशिक्षित किया।
- इसके लिये कपास का उत्पादन और खेती ओहाका तट पर की जाती है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है।
- ओहाका खादी एक 'फार्म-टू-गारमेंट' समूह हैं जिसमें लगभग 400 परिवार संलग्न हैं जो दक्षिणी मेक्सिको के ओहाका क्षेत्र में पारंपरिक खेतों और घरों में रहते हैं तथा काम करते हैं।

पैंटानल वेटलैंड्स Pantanal wetlands

विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमियों में से एक, पेंटानल (Pantanal Wetlands) जुलाई माह के मध्य से आग से झुलस रही है।

प्रमुख बिंदु:

- पैंटानल पश्चिम-मध्य ब्राज़ील में स्थित एक आर्द्रभूमि है जो लगभग 1,50,000 वर्ग किमी में फैली हुई है और बोलीविया तथा पैराग्वे तक विस्तारित है।
- पैंटानल का नाम पुर्तगाली शब्द 'दलदल' (Swamp) से लिया गया है।
- यह आग लगभग 50 वर्षो से पड़ रहे सूखे तथा मानवीय हस्तक्षेपों के कारण फैली है।
  - पैंटानल में लगी आग का 96-98 प्रतिशत कारण मानवीय था क्योंकि सूखे मौसम में भी किसान परंपरागत रूप से चरागाह को साफ करने के लिये आग का उपयोग करते हैं
- इस अनोखे बायोम का लगभग पाँचवा हिस्सा आग के कारण नष्ट हो गया है।

अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट-01

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) द्वारा 7 नवंबर, 2020 को 'ईओएस-01' (EOS-01) नामक अपने 'अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट' (Earth Observation Satellite- EOS) को पीएसएलवी-सी 49 रॉकेट के माध्यम से से लॉन्च किया जाएगा।

- गौरतलब है कि मार्च 2020 में COVID-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के बाद यह इसरो द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण से जुड़ा पहला मिशन होगा।
- साथ ही यह इसरो द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle-PSLV) से भेजा जाने वाला 51वाँ अंतरिक्ष मिशन होगा।
- ईओएस-01, कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने के लिये बनाया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
- ईओएस-01 उपग्रह को नौ अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों (Customer Satellites) के साथ इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Centre- SDSC), श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) से प्रक्षेपित किया जाएगा।
- इस मिशन में शामिल ग्राहक उपग्रहों को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited-NSIL), अंतरिक्ष विभाग के साथ किये गए वाणिज्यिक समझौते के तहत लॉन्च किया जा रहा है।

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle-PSLV):

- PSLV तीसरी पीढ़ी का एक भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है।
- PSLV की ऊँचाई 44 मीटर और व्यास 2.8 मीटर है, इस प्रक्षेपण यान में कुल चार चरण हैं।
- यह 'तरल चरण' (Liquid Stages) से युक्त भारत का पहला प्रक्षेपण यान है।
- PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण अक्तूबर 1994 में किया गया था।
- PSLV का प्रयोग वर्ष 2008 में चंद्रयान-1 और वर्ष 2013 में मंगल मिशन के प्रक्षेपण में भी किया गया था।

कुम्हार सशक्तीकरण योजना (Kumhar Sashaktikaran Yojana)

हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा कुम्हारों के सशक्तीकरण की दिशा में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा शुरू की गई 'कुम्हार सशक्तीकरण योजना' के तहत एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी ज़िलों में 100 कुम्हार परिवारों को बिजली से चलने वाले चाक का वितरण किया गया।

- इस कार्यक्रम में दोनों ज़िलों के 15 गाँवों (नांदेड़ के 10 और परभणी ज़िले के 5 गाँव) के कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक उपलब्ध कराए गए तथा KVIC द्वारा उन्हें 10 दिनों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

कुम्हार सशक्तीकरण योजना (Kumhar Sashaktikaran Yojana):

- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (KVIC) द्वारा भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे कुम्हार समुदाय के सशक्तीकरण के लिये की गई थी।

उद्देश्य:

- कुम्हारों को उन्नत कोटि के मिट्टी के बर्तन व अन्य उत्पाद बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मिट्टी के बर्तन बनाने के लिये नवीनतम और नई तकनीक के उपकरण उपलब्ध कराना।
- KVIC प्रदर्शनियों के माध्यम से बाज़ार तक कुम्हारों की पहुँच को मज़बूत करना।

लाभ:

- बिजली के चाक से कुम्हारों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।
- इस योजना के तहत देश भर में अब तक 18,000 से अधिक बिजली चालित चाक वितरित किये जा चुके हैं।

नोट :

सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन (Dairy Production in Indus Valley Civilisation)

हाल ही में 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के पहले ज्ञात प्रमाण मिलने की वैज्ञानिक पुष्टि की गई है।

- सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के ये प्रमाण 2500 ईसा पूर्व के समय से संबंधित हैं।
- इस अध्ययन का नेतृत्त्व टोरंटो विश्वविद्यालय में पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्त्ता कल्याण शेखर चक्रवर्ती द्वारा किया गया।
- इस अध्ययन का परिणाम कोटड़ा भादली (गुजरात) के एक पुरातात्त्विक स्थल पर पाए गए बर्तनों के टुकड़ों से प्राप्त भोज्य पदार्थों के अणुओं (जैसे- वसा और प्रोटीन) के आणविक रासायनिक विश्लेषण पर आधारित है।
- 'स्थिर आइसोटोप विश्लेषण' नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से शोधकर्त्ता उन पशुओं की पहचान करने में सफल रहे जिनसे यह दूध प्राप्त हुआ था, इसके साथ ही उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि यह दूध बकरी या भेड़ की बजाय गाय और भैंस जैसे पशुओं से प्राप्त हुआ था।
- इस स्थान से प्राप्त बर्तनों के अवशेषों से पता चलता है कि उस समय कच्चे दूध के उपयोग के बजाय प्रसंस्कृत दूध का उपयोग किया जाता था तथा इसकी मात्रा यह दर्शाती है कि दूध का उपभोग घरेलू उपयोग से परे अर्थात् व्यापार अथवा सामुदायिक उद्देश्य के लिये भी किया जाता था।

सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilisation- IVC):

- सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
- गौरतलब है कि लगभग 100 वर्ष पहले (वर्ष 1920) सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों से सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगरों हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी।
- सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है।
- इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा (वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित) नामक स्थान के आधार पर किया गया था, जहाँ पहली बार इस सभ्यता की खोज की गई थी।

इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (Institution of Eminence)

हाल ही में सोनीपत (हरियाणा) स्थित 'ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी' (O.P. Jindal Global University) को 'उत्कृष्ट संस्थान' या 'इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस' (Institution of Eminence- IoE) की उपाधि प्रदान की गई है।

- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) द्वारा देश के 13 अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ 'ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी' को IoE की उपाधि प्रदान करने के लिये चुना गया था, हालाँकि इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिये कुछ विधायी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक था।
- 29 अक्तूबर को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता-ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी को IoE के रूप में घोषित करने की आधिकारिक पुष्टि की गई।

'इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस' (Institution of Eminence- IoE):

- 'उत्कृष्ट संस्थान योजना' या 'इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम' की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2016 के बजट भाषण के दौरान की गई थी।
- IoE के रूप में संस्थानों के चयन हेतु UGC द्वारा सितंबर 2017 में सार्वजनिक संस्थानों के लिये 'यूजीसी (सरकारी शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में घोषित करने हेतु) दिशा-निर्देश, 2017' और निजी संस्थानों के लिये 'यूजीसी (इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस मानद विश्वविद्यालय) दिशा-निर्देश, 2017' को अधिसूचित किया गया।
- इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने तथा उन्हें वैश्विक स्तर के शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बनने में सहायता के लिये सरकार की प्रतिबद्धताओं को लागू करना है।

नोट :

- इसके पहले चरण के तहत वैश्विक स्तर के शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभरने के लिये देश के 10 सार्वजनिक और 10 निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को चिह्नित करने का लक्ष्य रखा गया था।
- इसके तहत वर्ष 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र से आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-बंबई और बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) तथा निजी क्षेत्र से मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एवं बीआईटीएस, पिलानी (BITS Pilani) को चुना गया तथा महाराष्ट्र के जियो इंस्टीट्यूशन को ग्रीनफील्ड श्रेणी में चुना गया था।

चयन प्रक्रिया:

- IoE के रूप में चयन के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (Empowered Expert Committee-EEC) का गठन किया गया।
- इस समिति द्वारा 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' (National Institutional Ranking Framework-NIRF) पर निजी संस्थानों की रैंकिंग और क्यूएस-2020 विश्व श्रेणी में सार्वजनिक संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर उनका चुनाव किया गया।
- IoE के तहत चयनित ग्रीनफील्ड संस्थानों को निर्माण पूरा करने और संचालन शुरू करने के लिये 3 वर्ष का समय दिया गया है।

लाभ:

- IoE के रूप में चिह्नित संस्थानों को पूरी तरह से शैक्षिणिक और प्रशासनिक (फीस, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण) स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।
- IoE के रूप में चिह्नित सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे, हालाँकि निजी संस्थानों को यह सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी।

टाइफून मोलावे (Typhoon Molave)

हाल ही में मध्य वियतनाम में आए टाइफून मोलावे के कारण मूसलाधार वर्षा और भू-स्खलन की वजह से इस क्षेत्र में जन-धन की भारी क्षति हुई है।

- गौरतलब है कि अक्तूबर की शुरुआत से ही वियतनाम तूफान, भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहा है, जिसके कारण देश में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है।
- टाइफून मोलावे वियतनाम में पिछले दो दशकों में आया सबसे बड़ा तूफान है।
- 28 अक्तूबर, 2020 को इस तूफान के कारण वियतनाम के क्वांग नैम प्रांत (Quang Nam Province) के दो ज़िलों में भारी भू-स्खलन की घटनाएँ देखी गईं।
- वियतनाम पहुँचने से पहले टाइफून मोलावे फिलीपींस से गुज़रा था, जहाँ इसके कारण आई बाढ़ और भू-स्खलन में कम-से-कम 16 लोगों की मौत हो गई।

टाइफून:

- टाइफून, हरिकेन (Hurricane) या चक्रवात (Cyclone) ये सभी एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय तूफान है, हालाँकि विश्व में अलग-अलग स्थानों पर इनकी अवस्थिति के आधार पर इन्हें अलग नामों से जाना जाता है।
- उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत क्षेत्र में इसे हरिकेन कहा जाता है, जबकि उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून और दक्षिण प्रशांत तथा हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है।
- उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर में अधिकांश टाइफून मई से अक्तूबर के बीच आते हैं, हालाँकि ये वर्ष भर में कभी भी आ सकते हैं।

नोट :

सर्ब-पावर योजना

[SERB-POWER (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research)]

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्त्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिये प्रोत्साहित करने हेतु 'सर्ब-पावर' (SERB-POWER) नामक एक योजना की शुरुआत की गई है।

- गौरतलब है कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध 'विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड' (Science and Engineering Research Board- SERB) द्वारा लंबे समय से विज्ञान व इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने के लिये एक योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा था।
- इस योजना के निम्नलिखित दो घटक होंगे:
  1. सर्ब-पावर फैलोशिप/छात्रवृत्ति (SERB-POWER Fellowship)
  2. सर्ब-पावर शोध अनुदान (SERB-POWER Research Grant)

1. सर्ब-पावर फेलोशिप :

- लक्ष्य: यह फेलोशिप 35-55 वर्ष आयु वर्ग की महिला शोधकर्त्ताओं पर केंद्रित होगी, इसके तहत प्रतिवर्ष 25 शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी, हालाँकि किसी भी दिये गए समय में इनकी संख्या 75 से अधिक नहीं होगी।
- सहायता: इसके तहत शोधार्थियों को नियमित आय के साथ प्रतिमाह 15,000 रुपए की फेलोशिप, 10 लाख रुपए/प्रतिवर्ष शोध अनुदान और 90,000 रुपए/प्रतिवर्ष अतिरिक्त खर्च के रूप में दिए जाएंगे।
- अवधि: यह फेलोशिप किसी शोधार्थी को उसके पूरे कॅरियर (Career) में एक बार ही दी जाएगी और इसकी अवधि तीन वर्ष (बगैर किसी विस्तार की संभावना के) की होगी।

2. सर्ब-पावर शोध अनुदान:

- सर्ब-पावर अनुदान के तहत महिला शोधकर्त्ताओं को निम्नलिखित दो श्रेणियों के माध्यम से वित्तपोषण प्रदान कर सशक्त बनाया जाएगा।

श्रेणी-I: आईआईटी, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के संस्थानों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के आवेदकों के लिये।

- इस श्रेणी के तहत शोधार्थियों को तीन वर्ष के लिये अधिकतम 60 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।

श्रेणी-II: राज्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और निजी शैक्षणिक संस्थानों के आवेदकों के लिये।

- इस श्रेणी के तहत शोधार्थियों को तीन वर्ष के लिये अधिकतम 30 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- सर्ब-पावर शोध अनुदान को 'विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड-कोर अनुसंधान अनुदान' (Science and Engineering Research Board-Core Research Grant- SERB-CRG) के दिशा-निर्देशों पर आधारित शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- सर्ब-पावर फेलोशिप के लिये शोधार्थियों के चयन हेतु एक 'खोज-सह-चयन समिति' (Search-cum-Selection Committee) का गठन किया गया है।
- सर्ब-पावर शोध अनुदान के लिये शोधार्थियों का चयन 'कार्यक्रम सलाहकार समिति' (Programme Advisory Committee-PAC) तंत्र के माध्यम से किया जाएगा।

मेरी सहेली पहल ("Meri Saheli"initiative by RPF)

रेल यात्रा के दौरान महिलाओं के लिये बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में 'रेलवे सुरक्षा बल' (Railway Protection Force-RPF) द्वारा 'मेरी सहेली' नामक एक पहल (Meri Saheli) की शुरुआत की गई है।

- इस पहल का उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान महिला यात्रियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना और महिलाओं को सुरक्षा संबंधी किसी चुनौती के मामले में प्रभावी प्रतिक्रिया देना है।
- इसके तहत रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की सहायता हेतु महिला अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की एक टीम (एक महिला सब इंस्पेक्टर और हवलदार) गठित की गई है।

नोट :

- यह टीम महिला कोच में जाकर उन्हें यात्रा के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देगी, साथ ही यह टीम अकेले यात्रा कर रही महिलाओं की भी पहचान करेगी तथा उनकी जानकारी (जैसे- सीट और कोच संख्या आदि) नोट करेगी जिसके बाद इसे अगले डिवीज़न या ज़ोन के अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा।
- यात्रा की समाप्ति के समय महिला यात्रियों से उनके अनुभव और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में फीडबैक भी लिया जाएगा।
- इसके साथ ही उन्हें राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के हेल्पलाइन नंबरों 182 (RPF) और 1512 (GRP) की जानकारी देते हुए किसी भी विषम परिस्थिति में इनका प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस पहल को सितंबर 2020 में दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा शुरू किया गया था तथा महिला यात्रियों से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने बाद इसे रेलवे के सभी ज़ोन में विस्तारित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय एकता दिवस (National Unity Day)

प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' (National Unity Day) के रूप में मनाया जाता है।

- वर्ष 2014 में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 31 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।
  - उल्लेखनीय है कि 31 अक्तूबर, 2018 को भारत सरकार द्वारा गुजरात के वडोदरा में नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue Of Unity) का अनावरण किया गया जोकि 182 मीटर (597 फीट) की ऊँचाई के साथ विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है।

सरदार बल्लभ भाई पटेल

- सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्तूबर, 1875 को गुजरात के नाडियाड (Nadiad) शहर में हुआ था।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात देश की सभी रियासतों के एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वर्ष 1928 में समय गुजरात के बारडोली में किसान आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें 'सरदार' (नेता या प्रमुख) की उपाधि प्रदान की।
- वर्ष 1931 में सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें गांधी-इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को स्वीकृति देते हुए 'पूर्ण स्वराज' की मांग को एक बार पुनः दोहराया गया।
- उन्होंने 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' (IAS) और 'भारतीय पुलिस सेवा' (IPS) जैसी अखिल भारतीय की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें 'भारतीय नागरिक सेवाओं के संरक्षक संत' ("Patron Saint" of India's civil services) के रूप में भी जाना जाता है।
- सरदार बल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने।
- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने सरदार पटेल को 'लौह पुरुष' की उपाधि प्रदान की।
- वर्ष 1991 में उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council- NPC)

हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) को कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक विधि से संग्रहण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Certification Bodies-NABCB) और भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा ISO 17020: 2012 के अनुरूप मान्यता प्रदान की गई है।

- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, NABCB द्वारा इस मान्यता के मिलने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा) विनियम, 2018' के तहत खाद्य व्यवसाय से जुड़े संस्थानों की जाँच कर सकेगी।

- साथ ही NPC को भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण नियम, 2017 के तहत गोदामों के निरीक्षण का अधिकार भी होगा।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को प्राप्त यह मान्यता तीन वर्ष के लिये वैध होगी।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC):

- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना वर्ष 1958 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- उत्पादकता के क्षेत्र में अनुसंधान के अलावा NPC सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को कृषि-व्यवसाय, आर्थिक सेवा, गुणवत्ता प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्रों में परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदान करता है।
- NPC टोक्यो (जापान) स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन (Asian Productivity Organisation- APO) का एक निर्वाचक है।
  - उल्लेखनीय है कि भारत APO का एक संस्थापक सदस्य भी है।

संरचना:

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री NPC का अध्यक्ष (President) होता है।
- DPIIT का सचिव NPC के चेयरमैन की भूमिका निभाता है।

ISO 17020: 2012:

- यह निरीक्षण करने वाले निकायों की क्षमता और उनकी निरीक्षण गतिविधियों की निष्पक्षता एवं निरंतरता से संबंधित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। यह A, B, या C प्रकार के निरीक्षण निकायों पर और निरीक्षण के किसी भी चरण के दौरान लागू होता है।

पेलागोर्निथिड्स (Pelagornithids)

वैज्ञानिकों ने एक विशालकाय पक्षी के जीवाश्म की पहचान की है जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था।

- वैज्ञानिकों के अनुसार, पेलागोर्निथिड्स (Pelagornithids) नामक इस इस पक्षी के पंखों का विस्तार लगभग 21 फीट तक था जबकि तुलनात्मक रूप से वर्तमान समय के सबसे बड़े पक्षी वांडरिंग अल्बाट्रोस (The Wandering Albatross) के पंखों का विस्तार केवल 11 और 11.5 तक ही होता है।
- अंटार्कटिका से 1980 के दशक में प्राप्त किये गए ये जीवाश्म दक्षिणी महासागरों के ऊपर घूमने वाले सबसे पुराने तथा विशालकाय पक्षियों के विलुप्त हो चुके समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- पेलागोर्निथिड्स पक्षी अल्बाट्रोस के समान एक ही पारिस्थितिकीय निकेत में व्याप्त थे।
- पेलागोर्निथिड्स का सबसे पुराना तथा अत्यंत छोटा जीवाश्म 62 मिलियन वर्ष पुराना है जबकि इसके नए जीवाश्मों में से एक (पक्षी के पैरों का 50 मिलियन वर्ष पुराना हिस्सा) यह दर्शाता है कि विशाल पेलागोर्निथिड्स पक्षियों की उत्पत्ति 65 मिलियन वर्ष पहले हुए व्यापक विलोपन (इसी समय डायनासोर विलुप्त हुए) के बाद हुई।
- साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, पेलागोर्निथिड्स का दूसरा जीवाश्म जो कि जबड़े की हड्डी का हिस्सा है, लगभग 40 मिलियन वर्ष पुराना है।
- अंतिम ज्ञात पेलागोर्निथिड्स लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले तक अस्तित्व में थे।

नोट :

विविध

न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम

अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम ने हाल ही में अपना 7वाँ परीक्षण पूरा कर लिया है। न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड (Alan Shephard) के नाम पर रखा गया है। इस तकनीक के माध्यम से आम यात्रियों और अनुसंधानकर्त्ताओं को पृथ्वी से तकरीबन 100 किमी. (62 मील) ऊपर ले जाया जाएगा, जिससे उन्हें माइक्रोग्रैविटी (Microgravity) का अनुभव हो सकेगा। ध्यातव्य है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी द्वारा विकसित न्यू शेपर्ड बूस्टर अंतरिक्ष से लौटने के पश्चात् पृथ्वी की सतह पर लंबवत (Vertically) रूप से लैंड कर सकता है। यह सिस्टम अमेरिका की ब्लू ओरिजिन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिसकी स्थापना अमेज़न के संस्थापक जेफ बेज़ोस (Jeff Bezos) ने की है। उल्लेखनीय है कि नासा अपने आर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis Program) के माध्यम से वर्ष 2024 तक मनुष्य (एक महिला और एक पुरुष) को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। इन मिशन की सफलता में न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

खाद्य और कृषि संगठन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए के मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह स्मारक सिक्का कुपोषण को कम करने में खाद्य और कृषि संगठन की आधारभूत भूमिका के प्रति भारत की 130 करोड़ जनता की ओर से सम्मान का प्रतीक है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिये 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस (World Food Day) के रूप में मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है।

भानु अथैया

भारत की पहली ऑस्कर विजेता और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया (Bhanu Athaiya) का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। भानु अथैया का जन्म 28 अप्रैल, 1929 को कोल्हापुर में हुआ था। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पर उन्होंने अपने 60 वर्ष के लंबे कॅरियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें श्री 420, गाइड, अग्निपथ, वक्त और लगान जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। भानु अथैया ने वर्ष 1953 में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत शहंशाह फिल्म के साथ की थी, जिसमें उन्होंने कामिनी कौशल के लिये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। भानु अथैया को वर्ष 1982 में आई फिल्मी 'गांधी' के लिये ब्रिटिश कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जॉन मोलो के साथ संयुक्त तौर पर ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ वे ऑस्कर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई थीं।

बाबा बंदा सिंह बहादुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की 350वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों को सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म वर्ष 1670 में एक राजपूत परिवार में हुआ था। वे एक सिख योद्धा थे, जिन्हें अस्सी के दशक की शुरुआत में श्री गुरु गोबिंद सिंह से मिलने के बाद मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के लिये जाना जाता है। जब उन्होंने पंजाब में अपना अधिकार स्थापित किया तो उनके सबसे प्रमुख कार्यों में, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, और भूमि पर कार्य करने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना था। इसके अलावा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर सिक्कों की शुरुआत की और साथ ही मुख्लिसगढ़ का नाम बदलकर लोहागढ़ कर दिया गया, जो कि वर्ष 1710 से वर्ष 1716 के बीच सिख राज्य की राजधानी बना। वर्ष 1715 में बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को मुग़ल शासकों द्वारा कैद कर लिया गया और वर्ष 1716 में उनकी मृत्यु हो गई।

मदन बी. लोकुर समिति

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्त्व में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ तीन राज्यों (हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश) में किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम के लिये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर (Madan B Lokur) की एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। जस्टिस मदन बी. लोकुर की एक-सदस्यीय समिति, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना और स्काउट्स-गाइड्स में तैनात स्वयंसेवक छात्रों की मदद से दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने का प्रयास करेगी। इस संबंध में तैयार की गई योजना के अनुसार, स्वयंसेवक छात्र तीन राज्यों में राजमार्गों और अन्य क्षेत्रों में गश्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि खेतों में आग न लगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि तीन राज्यों के मुख्य सचिव, इस समिति को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेंगे और छात्र स्वयंसेवकों के लिये पर्याप्त परिवहन की व्यवस्था करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस

प्रत्येक वर्ष 17 अक्तूबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (International Day for the Eradication of Poverty) मनाया जाता है, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में ऐसे लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना है जो अभी भी गरीबी के अभिशाप का सामना कर रहे हैं। ध्यातव्य है कि गरीबी का उन्मूलन किये बिना मानव जाति के विकास की कल्पना करना काफी कठिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 22 दिसंबर, 1992 को एक प्रस्ताव के माध्यम से 17 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी का सबसे अधिक प्रभाव विश्व के गरीब और संवेदनशील वर्ग पर देखने को मिला है, विश्व बैंक ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में आगाह किया है कि महामारी के प्रभाव के कारण वर्ष 2021 तक तकरीबन 150 मिलियन लोग 'अत्यंत गरीबी' की श्रेणी में आ सकते हैं।

सूरोनबे जीनबेकोव

किर्गिज़स्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव (Sooronbay Jeenbekov) ने भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूरोनबे जीनबेकोव का यह निर्णय किर्गिज़स्तान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद आया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा एक स्वर में सूरोनबे जीनबेकोव के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इससे पूर्व राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने राजधानी बिश्केक (Bishkek) में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। दरअसल सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों में किर्गिज़स्तान की मौजूदा सरकार का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, जिसके कारण किर्गिज़स्तान की आम जनता के बीच असंतोष पैदा हो गया था। इसी बीच किर्गिज़स्तान में संसदीय चुनाव आयोजित किये गए और विपक्षी दलों ने सूरोनबे जीनबेकोव पर चुनावी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। यद्यपि प्रथम दृष्टया किर्गिज़स्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शन हालिया चुनावों का परिणाम लग सकते हैं, किंतु विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार विरोधी ये प्रदर्शन काफी हद तक सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों में किर्गिज़स्तान की मौजूदा सरकार की असफलताओं से प्रेरित हैं।

आयुष्मान सहकार योजना

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार (Ayushman Sahakar) योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि 'आयुष्मान सहकार योजना' की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है, जहाँ सहकारी समितियों ने केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आयुष्मान सहकार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की एक शर्त यह होगी कि सहकारी समितियों के सदस्यों को रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की उपस्थिति काफी मज़बूत है, इसलिये इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक स्तर पर पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के अनुरूप आयुष्मान सहकार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना को मज़बूत करने में मदद करेगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निगम के रुप में की गई थी। यह, सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वित्तीय एवं विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांविधिक संगठन है।

नोट :

मिशन शक्ति

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिये 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राज्य सरकार, महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' (Zero Tolerance) की नीति का अनुसरण करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करेगी, जिसके तहत पहला चरण महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता फैलाने पर केंद्रित होगा। दूसरे चरण में 'ऑपरेशन शक्ति' का संचालन होगा, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों को लक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'यदि पहले और दूसरे चरण के बाद भी सुधार नहीं होता है तो ऐसे लोगों को सार्वजानिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा और उनकी तस्वीरों को सार्वजानिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।' उल्लेखनीय है कि 'मिशन शक्ति' में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल 24 विभाग शामिल हैं।

अजय भल्ला

हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव (Home Secretary) अजय भल्ला के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। ध्यातव्य है कि 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके अजय भल्ला आयु संबंधी सेवा शर्तों के कारण 30 नवंबर, 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, किंतु अब नए आदेश के अनुसार, वे 22 अगस्त, 2021 तक केंद्र सरकार को अपनी सेवाएँ देंगे यानी वे 60 वर्ष की आयु के बाद भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 26 नवंबर, 1960 को जन्मे अजय भल्ला वर्ष 1984 बैच के असम-मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने 22 अगस्त, 2019 को गृह सचिव के तौर पर राजीव गौबा का स्थान लिया था, जो कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। गृह सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले, अजय भल्ला गृह मंत्रालय में कार्य कर चुके हैं, साथ ही इससे पहले उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा सचिव के तौर पर भी कार्य किया था।

एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध

हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब रेफ्रिजरेंट वाले एयर कंडीशनर (ACs) को 'निशुल्क' (Free) से 'निषिद्ध' (Prohibited) श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि भारत में घरेलू एयर कंडीशनर का बाज़ार तकरीबन 5-6 बिलियन डॉलर का है। केंद्र सरकार अपने इस निर्णय के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत को एयर कंडीशनर के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इस कदम का उद्देश्य चीन से आने वाले आयात को कम करना भी है, ध्यातव्य है कि इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़े बताते हैं कि इस वर्ष अप्रैल-अगस्त माह की अवधि में, चीन से भारतीय आयात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27 प्रतिशत की गिरावट आई है, और अब यह तकरीबन 21.58 बिलियन डॉलर रह गया है।

जैसिंडा अर्डर्न

न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न (Jacinda Ardern) ने एक ऐतिहासिक चुनावी जीत हासिल की है। वर्ष 1996 में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत के बाद से पहली बार जैसिंडा अर्डर्न की लेबर पार्टी (Labour Party) ने न्यूज़ीलैंड में सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया है। ध्यातव्य है कि जैसिंडा अर्डर्न को हालिया चुनावों में कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध उनकी सफलता का काफी लाभ प्राप्त हुआ है और इसी सफलता की बदौलत जैसिंडा अर्डर्न को कुल वोटों का 49 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ है। 40 वर्षीय जैसिंडा अर्डर्न वर्ष 2017 में न्यूज़ीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी थीं और तभी से वे लेबर पार्टी का नेतृत्त्व भी कर रही हैं। 26 जुलाई, 1980 को न्यूज़ीलैंड के हैमिल्टन (Hamilton) शहर में जन्मी जैसिंडा अर्डर्न मात्र 18 वर्ष की उम्र में लेबर पार्टी में शामिल हो गई थीं और अपनी मेहनत तथा नेतृत्त्व क्षमता की बदौलत उन्होंने वर्ष 2008 में न्यूज़ीलैंड की संसद में प्रवेश किया। इससे पूर्व वे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और न्यूज़ीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क के लिये एक स्टाफ सदस्य के तौर पर कार्य कर चुकी हैं। अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में जैसिंडा अर्डर्न विश्व भर में प्रवासन जैसे मुद्दों के बारे में प्रगतिशील विचार रखने और बच्चों, महिलाओं तथा समलैंगिक के अधिकारों के बारे में मुखर होकर बोलने के लिये काफी प्रसिद्ध हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित पैकेज में केंद्र सरकार ने विशेष अभियान चलाकर 2 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किये जाने की घोषणा की थी। अब इस दिशा में किये गए निरंतर प्रयास के चलते सस्ती ब्याज दर

पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये मछली पालकों और पशु पालकों समेत 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की उपलब्धि हासिल कर ली गई है। ध्यातव्य है कि जारी किये गए सभी किसान क्रेडिट कार्डों के लिये खर्च की कुल सीमा 1.35 लाख करोड़ रुपए है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिये बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की प्रोत्साहन छूट दी जाती है। सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती भी मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क

केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (Multi-Modal Logistics Park) की आधारशिला रखी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण तकरीबन 694 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojna) के तहत किया जाएगा। असम के बोंगाईगांव (Bongaigaon) ज़िले में बनने वाले इस पार्क से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को हवाई, सड़क, रेल तथा जलमार्ग के माध्यम से सीधा जोड़ा जाएगा। इस प्रकार इस परियोजना के माध्यम से तकरीबन 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत आर्थिक गलियारे, फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर, राष्ट्रीय कॉरीडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जा रहा है।

चुनाव अभियान खर्च की सीमा में बढ़ोतरी

चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये चुनाव खर्च की सीमा को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। ध्यातव्य है कि खर्च की सीमा में बढ़ोतरी से बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ एक लोकसभा और 59 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। बीते माह निर्वाचन आयोग ने महामारी के कारण लागू किये गए प्रतिबंधों के बीच चुनाव प्रत्याशियों के लिये चुनाव प्रचार में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए महामारी के दौरान होने वाले सभी चुनावों के लिये खर्च की सीमा में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इस संबंध में विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रचार के लिये अधिकतम खर्च 77 लाख रुपए हो सकता है, जबकि पहले यह राशि 70 लाख रुपए थी। वहीं अब विधानसभा चुनावों के दौरान प्रत्याशियों द्वारा 30.8 रुपए खर्च किये जा सकते हैं, जबकि पहले यह राशि 28 लाख रुपए थी।

आज़ाद हिंद सरकार

21 अक्तूबर, 2020 को आज़ाद हिंद सरकार के 77वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि आज ही के दिन वर्ष 1943 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद (जिसे अरजी हुकुमत-ए-आज़ाद हिंद के रूप में भी जाना जाता है) के रूप में अनंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। साथ ही नेता जी ने स्वयं को आज़ाद हिंद सरकार का प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री (Minister of War) घोषित किया था। सिंगापुर में गठित अनंतिम सरकार ने सुभाषचंद्र बोस को न केवल जापान के साथ समान स्तर पर बातचीत करने में सक्षम बनाया, बल्कि पूर्वी एशिया में भारतीयों को आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) में शामिल होने और समर्थन देने के लिये भी सुविधा प्रदान की। इस तरह आज़ाद हिंद सरकार और नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने विदेश में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप को भारत की स्वतंत्रता के लिये एक सुविधाजनक अवसर के रूप में देखा।

पुलिस स्मृति दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष उन पुलिसकर्मियों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिये 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस (Police Commemoration Day) मनाया जाता है, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। ध्यातव्य है कि यह दिवस वर्ष 1959 में हुई एक घटना की याद में मनाया जाता है, जब लद्दाख में चीन की सेना द्वारा किये गए हमले में 10 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तभी से प्रत्येक वर्ष 21 अक्तूबर को शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया था। दिल्ली स्थित इस राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में सभी केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के 34,844 पुलिसकर्मियों को याद किया गया है, जिन्होंने वर्ष 1947 के बाद से अब तक ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान गंवाई है।

नोट :

विश्व सांख्यिकी दिवस

20 अक्तूबर, 2020 को विश्व भर में 'कनैक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी केन ट्रस्ट' (Connecting the World With Data We Can Trust) विषय पर तीसरे विश्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 2020 के लिये विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों में आम जन की भलाई को रेखांकित करती है। फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC) ने 20 अक्तूबर, 2010 को पहले विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद वर्ष 2010 में पहला विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। वर्ष 2015 में महासभा ने एक अन्य प्रस्ताव पारित किया और वर्ष 2015 में 21 अक्तूबर को दूसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, साथ ही यह भी तय किया गया था कि अब से प्रत्येक पाँच वर्ष बाद वैश्विक स्तर पर विश्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाएगा।

माइकल ईरानी

अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (International Weightlifting Federation-IWF) ने माइकल ईरानी (Michael Irani) को नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि माइकल ईरानी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) की मेडिकल कमेटी के अध्यक्ष हैं और इससे पूर्व वे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) के डोपिंग रोधी आयोग में भी अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) एक स्थायी गैर-लाभकारी संगठन है, जो कि विश्व भर के 192 संबद्ध देशों के राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघों से मिलकर बना है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी, जिसके कारण यह विश्व के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों में से एक है। IWF एक खेल के रूप में वैश्विक स्तर पर भारोत्तोलन को विनियमित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संघ है। भारोत्तोलन (Weightlifting) वर्ष 1896 में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले शुरुआती खेलों में से एक है।

अशफाक उल्ला खान

22 अक्तूबर, 2020 को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अशफाक उल्ला खान का जन्म 22 अक्तूबर, 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। अशफाक उल्ला खान तब केवल 20 वर्ष के थे जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और भारतीयों से सरकार को करों का भुगतान न देने और अंग्रेजों के साथ सहयोग न करने का आग्रह किया था। वर्ष 1922 में गांधी जी ने चौरी-चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे देश के युवा बहुत निराश हो गए और अशफाक उल्ला खान भी इन्हीं युवाओं में से एक थे, इसके पश्चात् वे क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। अगस्त 1925 में, शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही काकोरी एक्सप्रेस में एक डकैती हुई, जिसमें अशफाक उल्ला खान भी शामिल थे। इस योजनाबद्ध डकैती में अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद 'बिस्मिल' समेत 10 से अधिक क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोक दिया और उसमें भरे हुए धन को लूट लिया। इस डकैती के कुछ समय बाद ही क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर 1926 में अशफाक उल्ला खान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मुकदमे की सुनवाई लगभग 1.5 वर्ष तक चली। अप्रैल 1927 में न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, जिसमें राम प्रसाद 'बिस्मिल', अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य क्रांतिकारियों को उम्रकैद की सजा दी गई।

खादी फैब्रिक फुटवियर

हाल ही में केंद्रीय मंत्री मंत्री नितिन गडकरी ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा डिज़ाइन किये गए भारत के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर का शुभारंभ किया। ये फुटवियर रेशम, कपास और ऊन जैसे खादी फैब्रिक से बनाए गए हैं। खादी फैब्रिक फुटवियर के माध्यम से रोज़गार में बढ़ोतरी होगी और दस्तकारों की आय भी बढ़ेगी। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि खादी के ये फुटवियर अपनी तरह के पहले फुटवियर हैं और इनकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। प्रारंभिक तौर पर महिलाओं के लिये 15 और पुरुषों के लिये 10 फुटवियर के डिज़ाइन प्रस्तुत किये गए हैं। खादी के ये हाई क्वालिटी फुटवियर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के ऑनलाइन पोर्टल पर बेचे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फुटवियर निर्माता है। भारत में तकरीबन 1.45 लाख करोड़ रुपए का फुटवियर उद्योग है, जिसमें तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए का घरेलू बाज़ार और लगभग 45,000 से 55,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है।

अदम गोंडवी

हिंदी के मशहूर कवि अदम गोंडवी का जन्म 22 अक्तूबर, 1947 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। उनका मूल नाम तो रामनाथ सिंह था, किंतु उन्होंने जीवन भर अदम गोंडवी के नाम से लिखा और हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट शैली के लिये एक विशेष स्थान हासिल किया। अदम गोंडवी ने आम जनमानस की समस्याओं को आत्मसात किया और उन्हें कलमबद्ध कर अपने अंदाज़ में पेश करने का प्रयास किया। अदम अपनी अंतिम साँस तक समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों के विरुद्ध अपनी कविताओं के सहारे एक योद्धा की तरह लड़ते रहे। अदम गोंडवी को हिंदी गजल में दुष्यंत कुमार की परंपरा को आगे बढ़ाने और एक नई दिशा देने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिंदी में गजलों को लोगों के विरोध का एक माध्यम बनाया और जनता के हाथ में कविता की वो मशाल दी जो आगे कई वर्षों तक जलती रहेगी।

एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक

हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पूरे भारत में एनीमिया की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरू की थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया जिसमें हरियाणा 46.7 सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा देश के उन 11 राज्यों में से एक है जिन्होंने वर्ष 2020 से पूर्व ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य प्राप्त को कर लिया है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमे शारीरिक रक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आवश्यक लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। यह क्षमता आयु, लिंग, ऊँचाइयों, धूम्रपान और गर्भावस्था की स्थितियों से परिवर्तित होती रहती है। लौह (Iron) की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है।

वीज़ा प्रतिबंधों की समाप्ति

कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू किये गए लॉकडाउन से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों में और अधिक छूट देते हुए केंद्र सरकार ने 'ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया' (OCI) कार्डधारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को पर्यटन के अलावा किसी भी अन्य कार्य के लिये भारत में आने की इजाज़त दे दी है। इस संबंध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, श्रेणीबद्ध तरीके से दी जा रही इस यात्रा छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और मेडिकल वीज़ा को छोड़कर सभी मौजूदा वीज़ा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। हालाँकि ऐसे सभी यात्रियों को क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस संबंधी अन्य प्रोटोकॉल्स के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यातव्य है कि सरकार ने इस वर्ष महामारी के कारण फरवरी माह में ही हवाई यात्राओं को प्रतिबंधित कर दिया था। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से निपटने के लिये लगभग दो महीने के निलंबन के बाद सरकार ने 25 मई को अनुसूचित घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया था।

साद अल-हरीरी

लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ओउन (Michel Aoun) ने लेबनान की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति से निपटने के लिये नई सरकार बनाने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री साद अल-हरीरी को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। ध्यातव्य है कि साद अल-हरीरी को लेबनान की संसद के अधिकांश सांसदों का समर्थन भी हासिल है। साद अल-हरीरी सर्वप्रथम वर्ष 2009 में लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे और वर्ष 2011 तक इस पद पर रहे थे, इसके बाद वे वर्ष 2016 में एक बार फिर लेबनान के प्रधानमंत्री बने, किंतु अक्तूबर, 2019 में उन्हें भारी विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देना पड़ा था। साद अल-हरीरी की सरकार के समक्ष बैंकिंग संकट, मुद्रा संकट और गरीबी तथा सार्वजानिक ऋण में बढ़ोतरी जैसी काफी गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा नई सरकार को कोरोना वायरस महामारी की गंभीर चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। ध्यातव्य है कि अगस्त माह में लेबनान की राजधानी बेरुत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। ज्ञात हो कि पश्चिम एशिया में भू-मध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश लेबनान की जनसंख्या लगभग 68.5 लाख है।

CTET और TET प्रमाणपत्र की मान्यता

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रमाणपत्र को जीवन भर के लिये मान्य कर दिया है। इस निर्णय के माध्यम से वे उम्मीदवार जिन्होंने CTET और TET परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अपने पूरे जीवनकाल में शिक्षक भर्ती के लिये आवेदन कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व इन प्रमाणपत्रों की वैधता जारी होने की तारीख से 7 वर्ष तक मान्य थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा अभी तक यह घोषणा नहीं की गई है कि यह निर्णय कब से लागू होगा। NCTE

का यह निर्णय खासतौर पर उन CTET और TET प्रमाणित उम्मीदवारों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, जो 7 वर्ष की वैधता समाप्त होने के कारण शिक्षक भर्ती के लिये आवेदन नहीं कर पर रहे थे। साथ ही यह शिक्षण क्षेत्र में कॅरियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिये रोज़गार के अवसर भी बढ़ाएगा। एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) 17 अगस्त, 1995 को अस्तित्त्व में आई थी। इस परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानको का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना है।

संयुक्त राष्ट्र दिवस

वर्ष 1948 के बाद से प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस (United Nations Day) के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अस्तित्त्व में आने को चिह्नित करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, वैश्विक शांति और समानता की दिशा में कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र (UN) का संस्थापक दस्तावेज़ है। दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के प्रारूप को तैयार करने के लिये 50 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए और 26 जून, 1945 को सभी देशों के हस्ताक्षर के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर (U.N. Charter) के रूप में स्वीकार किया गया था। ध्यातव्य है कि पोलैंड, बाद में इस पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बना था। इसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र (UN) आधिकारिक रूप से 24 अक्तूबर, 1945 को अस्तित्त्व में आया, जब चीन, फ्राँस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत अधिकांश हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि कर दी। इसलिये प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र कुल 193 सदस्यों वाले एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ विश्व शांति की दिशा में कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं- 1) महासभा, 2) सुरक्षा परिषद, 3) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 4) न्यास परिषद, 5) सचिवालय और 6) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।

प्याज की भंडारण सीमा निर्धारित

प्याज की जमाखोरी को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिये प्याज भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी है। ध्यातव्य है कि देश के कई राज्यों में प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर जा चुकी है। पिछले माह आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के बाद यह पहली बार है जब किसी वस्तु अथवा उत्पाद की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रतिबंधों के तहत 31 दिसंबर, 2020 तक थोक व्यापारियों को 25 टन और खुदरा विक्रेताओं को दो टन से अधिक प्याज स्टोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य मूल्य अस्थिरता की मौजूदा स्थिति में प्याज की जमाखोरी और किसी भी प्रकार के संभावित भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। ज्ञात हो कि सितंबर माह की शुरुआत से ही प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और केंद्र ने पहले ही इसके निर्यात पर प्रतिबंध अधिरोपित कर दिया है, साथ ही सरकार द्वारा अन्य देशों से आयात को बढ़ाने के लिये भी कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

डॉ. विजयलक्ष्मी रमानन

भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) डॉ. विजयलक्ष्मी रमानन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फरवरी 1924 को चेन्नई में जन्मी विजयलक्ष्मी रमानन अपनी एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 22 अगस्त, 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन हुईं और वायु सेना में शामिल हो गईं। डॉ. विजयलक्ष्मी रमानन ने भारतीय वायु सेना के विभिन्न अस्पतालों में कार्य करने के अलावा युद्धों के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल का कार्य भी किया और समय आने पर प्रशासनिक कर्त्तव्यों का भी निर्वहन किया। अगस्त 1972 में विजयलक्ष्मी रमानन को विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके पाँच वर्ष बाद विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। वे फरवरी, 1979 में सेवानिवृत्त हुई थीं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

तकरीबन 35 वर्ष बाद भारत को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संचालक मंडल (Governing Body) की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। भारत के श्रम एवं रोज़गार सचिव अपूर्व चंद्रा (Apurva Chandra) को अक्तूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संचालक मंडल (GB), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का शीर्ष कार्यकारी निकाय है, जो संगठन से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट आदि का निर्धारण करने के साथ-साथ संगठन

के महानिदेशक का भी चुनाव करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। अपूर्व चंद्रा, 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं और केंद्र सरकार के कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।

दिल्ली के प्रदूषण हेतु स्थायी निकाय

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह जल्द ही राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण और आस-पास के राज्यों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिये कानून के माध्यम से एक स्थायी निकाय का गठन करेगी। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्त्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र ने इस मामले पर 'समग्र दृष्टिकोण' अपनाया है तथा जल्द ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिये प्रस्तावित कानून का मसौदा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्त्व में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तीन राज्यों (हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश) में किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम के लिये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर (Madan B Lokur) की एक सदस्यीय समिति का गठन किया था, किंतु अब केंद्र सरकार की घोषणा के बाद इस एक-सदस्यीय समिति को निलंबित कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में इस वर्ष प्रदूषण चिंता का एक विषय इसलिये भी है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस संक्रमण की दर में वृद्धि हो सकती है। अक्तूबर माह की शुरुआत में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि नई दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रति दिन 12,000 से 15,000 संक्रमण के मामले देखने को मिल सकते हैं।

थार रेगिस्तान में 'लुप्त' नदी के साक्ष्य

शोधकर्त्ताओं ने थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली लगभग 1,72,000 वर्ष पुरानी एक 'लुप्त' नदी के साक्ष्यों की खोज की है। जर्मनी के 'द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री' (The Max Planck Institute for the Science of Human History), तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी और आईआईएसईआर कोलकाता (IISER Kolkata) के शोधकर्त्ताओं द्वारा किया गया अध्ययन इस तथ्य को इंगित करता है कि पाषाण युग की आबादी आज की तुलना में एक अलग परिदृश्य में निवास करती थी। थार रेगिस्तान में प्रागैतिहासिक काल का एक समृद्ध इतिहास मौजूद है, और अब तक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि थार रेगिस्तान में रहने वाले पाषाण युग के लोग न केवल जीवित रहे बल्कि उन्होंने एक समृद्ध जीवन भी विकसित किया। इस अध्ययन के माध्यम से शोधकर्त्ता, नदी के विकास और थार रेगिस्तान में मानव जाति के विकास के साथ इसके संबंध को समझने का प्रयास कर रहे हैं।

सैन्य कैंटीन में आयात पर प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने अपनी 4000 सैन्य कैंटीनों में किसी भी प्रकार के विदेशी सामान के आयात पर रोक लगा दी है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंतरिक आदेश के मुताबिक, भविष्य में सैन्य कैंटीन्स के लिये प्रत्यक्ष आयातित वस्तुएँ नहीं खरीदी जाएंगी। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार, भारत की सभी 4000 सैन्य कैंटीनों में कुल बिक्री मूल्य का लगभग 6-7 प्रतिशत आयात किया जाता है। भारतीय सेना की कैंटीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य और अन्य सामानों को रियायती मूल्य पर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेचा जाता हैं। ध्यातव्य है कि सैन्य कैंटीनों में तकरीबन 2 बिलियन से अधिक की वार्षिक बिक्री की जाती है, जिसके कारण यह भारत में सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं (Retail Chains) में से एक है।

ली कुन-ही

सैमसंग समूह के चेयरमैन ली कुन-ही (Lee Kun-hee) का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उल्लेखनीय है कि ली कुन-ही के नेतृत्त्व में ही सैमसंग कंपनी, स्मार्टफोन और मेमोरी चिप्स के उत्पादन में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी और वर्तमान में कंपनी का कुल कारोबार दक्षिण कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद के पाँचवें हिस्से के बराबर है। ली कुन-ही ने अपने पिता के एक छोटे से व्यवसाय को एक बड़ी टेक कंपनी और आर्थिक पावरहाउस के रूप में विकसित किया और कंपनी के कारोबार को बीमा और शिपिंग जैसे क्षेत्रों तक लेकर गए। सैमसंग समूह की स्थापना ली कुन-ही के पिता ली ब्यूंग-चुल द्वारा वर्ष 1938 में की गई थी, ली कुन-ही वर्ष 1968 में कंपनी में शामिल हुए और वर्ष 1987 में अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला। उस समय, सैमसंग कंपनी को सस्ते और निम्न-गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माता के रूप में देखा जाता था, लेकिन ली कुन-ही के नेतृत्त्व में कंपनी में काफी कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये गए और वर्तमान में सैमसंग कंपनी विश्व की सुप्रसिद्ध टेक कंपनियों में से एक है।

नोट :

इन्फेंट्री दिवस

27 अक्तूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें इन्फेंट्री दिवस (Infantry Day) पर सैनिकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी बहादुरी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष 27 अक्तूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में आयोजित करती है, क्योंकि इसी दिन सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन की दो इन्फेंट्री कंपनियों को पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आक्रमणकारियों से कश्मीर को मुक्त कराने के लिये दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया था। इस कार्रवाई का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा तब दिया गया था, जब जम्मू-कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिये 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' (Instrument of Accession) यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर किये थे। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्तूबर, 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किये और 27 अक्तूबर, 1947 को भारतीय सेना की दो इन्फेंट्री कंपनियाँ जम्मू-कश्मीर पहुँच गईं। दरअसल विभाजन के दौरान जम्मू-कश्मीर रियासत को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उस समय के शासक महाराजा हरि सिंह ने इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखने का फैसला किया। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के पख्तून आदिवासियों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला कर दिया, और पाकिस्तान की सेना ने इस हमले का पूरा समर्थन किया था और आक्रमणकारियों को रसद, हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराए थे। इस आक्रमण में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने के लिये भारत सरकार ने नई दिल्ली में एक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) 27 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (Vigilance Awareness Week) का आयोजन कर रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल (31 अक्टूबर) का जन्मदिवस आता है। वर्ष 2020 के लिये सतर्कता जागरूकता सप्ताह 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' (Satark Bharat, Samriddh Bharat) विषय के साथ मनाया जा रहा है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु गठित के. संथानम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी,1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना की थी। CVC किसी भी मंत्रालय/विभाग के अधीन नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह या तो CBI के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers- CVO) के माध्यम से मामले की जाँच/अन्वेषण कराती है।

मानव तस्करी-रोधी इकाइयाँ

मानव तस्करी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 40 ज़िलों में मानव तस्करी-रोधी इकाइयों (Anti-Human Trafficking Units-AHTUs) की स्थापना करने का आदेश दिया है। ध्यातव्य है कि इन इकाइयों को पुलिस स्टेशन जैसी मान्यता प्रदान की जाएगी, जिससे इन इकाइयों को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने, जाँच करने और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं और वर्ष 2011 तथा वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकारों ने 35 ज़िलों में मानव तस्करी-रोधी इकाइयाँ (AHTUs) स्थापित करने का आदेश दिया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया निर्णय से अब राज्य के सभी 75 ज़िलों में मानव तस्करी-रोधी इकाइयाँ (AHTUs) स्थापित हो जाएंगी। राज्य सरकार का यह निर्णय, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौरान मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करने और राज्यों को प्रत्येक ज़िले में मानव तस्करी-रोधी इकाइयाँ (AHTUs) स्थापित करने के आदेश के बाद लिया गया है।

डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (DPE) सुविधा

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह में 'डायरेक्ट पोर्ट एंट्री' (DPE) सुविधा का उद्घाटन किया है। 'डायरेक्ट पोर्ट एंट्री' (DPE) की यह सुविधा लॉजिस्टिक लागत को कम करने और बंदरगाहों से निर्यात खेप को भेजने की प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। 'डायरेक्ट पोर्ट एंट्री' (DPE) की सुविधा निर्यातकों के लिये कारोबारी सुगमता को बढ़ाने में मदद करेगी, साथ ही इससे निर्यातकों के काम में दक्षता आएगी और सामान भेजने पर खर्च कम होगा। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (DPE) से निर्यातकों को चौबीसों घंटे अपने कारखानों से कंटेनरों को सीधे बंदरगाहों पर कंटेनर टर्मिनल में भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह सुविधा ट्रक पार्किंग टर्मिनल के अंदर 18,357 वर्गमीटर के क्षेत्र में बनाई गई है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व कारखानों से सील बंद कंटेनरों को पहले तूतीकोरिन में संचालित होने वाले कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFS)/इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) में से एक में ले जाया जाता था और यह सुविधा एक कार्य दिवस में सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही उपलब्ध थी। इसकी वजह से कंटेनरों को कंटेनर टर्मिनलों में अंदर ले जाने में काफी देरी होती थी।

नो मास्क, नो सर्विस' नीति

बांग्लादेश की सरकार ने वर्तमान COVID-19 महामारी को रोकने हेतु 'नो मास्क, नो सर्विस' नीति शुरू की है। सरकारी आदेश के अनुसार, ऐसे लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी, जिन्होनें मास्क नहीं पहना होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी तय किया गया है कि देश में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये सभी कार्यालयों को 'नो मास्क, नो सर्विस' का उल्लेख करते हुए एक नोटिस बोर्ड लगाना होगा।

नासा का SOFIA एयरक्राफ्ट

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। चंद्रमा की सतह पर यह पानी सूरज की किरणें प्राप्त करने वाले क्षेत्र पर खोजा गया है। इस बड़ी खोज से न केवल चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मानव मिशनों को बड़ी ताकत मिलेगी। बल्कि, इसका उपयोग पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिये भी किया जा सकेगा। इस पानी की खोज नासा की 'स्ट्रेटोस्फियर ऑब्ज़र्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी'-सोफिया (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy-SOFIA) ने की है। सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं (H_2O) का पता लगाया है। पहले के अध्ययनों में चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन के कुछ रूप का पता चला था, लेकिन पानी और इसके करीबी हाइड्रॉक्सिल (OH) की खोज नहीं हो सकी थी।

अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं के परिचालन पर रोक

नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं के परिचालन पर रोक को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र भारत में 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएँ निलंबित हैं। हालाँकि मई से 'वंदे भारत मिशन' के तहत और जुलाई से द्विपक्षीय 'एयर बबल' व्यवस्था के तहत कुछ देशों के लिये विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का परिचालन हो रहा है। दो देशों के बीच 'एयर बबल समझौते' के तहत, विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का उनके क्षेत्र के बीच उन देशों की विमानन कंपनियों द्वारा परिचालन किया जा सकता है। देश में घरेलू उड़ान सेवा करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद 25 मई से दोबारा शुरू की गई थी।

साई' (SAI) मोबाइल एप

'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने 'सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट' अर्थात् साई (SAI) नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लिकेशन विकसित की है, जो इंटरनेट पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिये एंड-टू-एंड सुरक्षित वॉयस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है। भारतीय सेना द्वारा विकसित यह मॉडल व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप की तरह ही है और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, 'साई' (SAI) मोबाइल एप का इस्तेमाल अखिल भारतीय स्तर पर सेना के भीतर सुरक्षित संदेश भेजने के लिये किया जाएगा। इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 'साई' (SAI) मोबाइल एप के माध्यम से सेना के बीच सुरक्षित ढंग से संदेश भेजना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही रक्षामंत्री ने यह एप विकसित करने के लिये कर्नल साई शंकर की भी प्रशंसा की।

ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन

पर्यटन और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर दूरवर्ती समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले भारतीय संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन (GHE) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिये वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता है। संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन (GHE) दूर-दराज के लोगों तक सौर ऊर्जा पहुँचाने के लिये पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला विश्व में अपनी तरह का पहला संगठन है। ध्यातव्य है कि हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र में 16 मिलियन से अधिक लोग ऐसे हैं, जो भौगोलिक बाधाओं के कारण बुनियादी ऊर्जा के बिना निवास कर रहे हैं। अभी तक ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन (GHE) ने 131 से अधिक गाँवों का सौर विद्युतीकरण किया है, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर 60,000 से अधिक ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हुआ है, ज्ञात हो कि 60 देशों के तकरीबन 1,300 से अधिक यात्री इन अभियानों का हिस्सा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये विश्व के सबसे नवीन और ग्रहणीय उपायों को मान्यता देने का एक प्रयास है।

ग्रीन दिल्ली एप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में वायु प्रदूषण गतिविधियों को रोकने के लिये 'ग्रीन दिल्ली' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दिल्ली के आम लोगों को अपशिष्ट जलाने, निर्माण कार्य से धूल उत्सर्जन, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, औद्योगिक प्रदूषण जैसी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान करेगा। वर्तमान में यह केवल एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर उपलब्ध है लेकिन सरकार इसे आईओएस (IOS) में भी विस्तारित करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार ने यह मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे समय में लॉन्च की है, जब दिल्ली का प्रदूषण स्तर गंभीर स्तर पर पहुँच गया है। ग्रीन दिल्ली एप्लिकेशन उपयोगकर्त्ताओं को अपनी शिकायतों के साथ वीडियो, ऑडियो क्लिप और तस्वीरें भी अपलोड करने में सक्षम बनाता है, जो बाद में संबंधित विभागों को भेजा जाएगा, जिसमें दिल्ली नगर निगम और केंद्र तथा दिल्ली सरकार के अन्य संबद्ध विभाग शामिल हैं। एप के माध्यम से अपलोड हुई शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने के लिये दिल्ली सरकार ने सचिवालय में एक 'ग्रीन वार रूम' भी स्थापित किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार, एप के माध्यम से की गई शिकायतों को दूर करने में मदद करने के लिये दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में 70 'हरित मार्शल' भी तैनात किये जाएंगे।

भारत को F-18 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका

भारत के साथ और अधिक घनिष्ठ संबंध विकसित करने की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने भारतीय नौसेना की लड़ाकू विमान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है। अमेरिकी सरकार ने अपने F-18 लड़ाकू विमान को मानव रहित विमान सी गार्जियन (Sea Guardian) के साथ भारतीय नौसेना को बेचने की पेशकश की है, साथ ही इसके साथ कई अन्य प्रणालियों अत्याधुनिक प्रणालियाँ भी प्रदान करने की पेशकश की है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय नौसेना को अपनी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिये F-18 और राफेल जैसे कई अन्य लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में जो लड़ाकू विमान हैं, वो दशक के अंत या अगले दशक की शुरुआत में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे।

केशुभाई पटेल

गुजरात के अनुभवी राजनीतिज्ञ और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 93 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया है। 24 जुलाई, 1928 को गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में जन्मे केशुभाई पटेल का मूल नाम केशुभाई देसाई था, जिन्होंने राजनीति में सक्रिय होने के बाद अपना उपनाम 'देसाई' से बदलकर 'पटेल' कर लिया था। केशुभाई पटेल ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत राजकोट नगरपालिका में चुनाव लड़कर की थी, इसके बाद उन्होंने अपना पहला आम चुनाव वांकानेर (Wankaner) (तब राजकोट ज़िले में विधानसभा सीट) से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, हालाँकि वे इस चुनाव में असफल हुए थे। 1970 के दशक में केशुभाई पटेल राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर तब प्रमुखता हासिल की जब इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भेज दिया गया, वर्ष 1977 में उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। वर्ष 1995 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने, हालाँकि उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ा। वर्ष 1998 में पुनः चुनाव आयोजित किये गए और एक बार फिर केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 2001 तक इस पद पर रहे।

आरोग्य वन- गुजरात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा ज़िले में केवड़िया में 'आरोग्य वन' का उद्घाटन किया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, योग, आयुर्वेद और ध्यान को बढावा देने के उद्देश्य से बनाया गया 'आरोग्य वन' 17 एकड़ भूमि पर स्थित है और इसमें 380 चयनित प्रजातियों के पाँच लाख पौधे लगाए गए हैं। साथ ही गुजरात स्थिति इस आरोग्य वन में कैफेटेरिया और दुकानें भी हैं। इस आरोग्य वन में कमल का तालाब, योग और ध्यान उद्यान, इनडोर प्लांट सेक्शन, डिजिटल सूचना केंद्र, दुकान और एक कैफेटेरिया भी है, जहाँ आयुर्वेदिक भोजन परोसा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवडिया में 'एकता मॉल' और चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया है।

तमिलनाडु में मेडिकल पाठ्यक्रम में आरक्षण

तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का कार्यकारी आदेश पारित किया है। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु सरकार ने सितंबर माह में इस संबंध में विधेयक पारित किया था, किंतु अभी यह विधेयक राज्य के राज्यपाल के समक्ष लंबित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा की गई इस व्यवस्था के मध्यम से राज्य की 300 से अधिक मेडिकल सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को मिल सकेंगी। नगरपालिका स्कूलों, आदिवासी कल्याण स्कूलों, कल्ला भर्ती स्कूलों, वन विभाग के स्कूलों और राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रबंधित अन्य स्कूलों से उच्चतर माध्यमिक तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस आरक्षण की व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।

नोट :

'सुमंगल' पोर्टल

अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 'सुमंगल' नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि अंतर-जातीय जोड़ों को आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को मिलनी वाली प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपए से बढाकर 2.5 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस तरह के विवाहों से सामाजिक समरसता में बढ़ोतरी होगी। ध्यातव्य है कि ओडिशा में अंतर्जातीय विवाह से संबंधित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये विवाह में एक पक्ष का उच्च जाति और दूसरे पक्ष का अनुसूचित जाति से होना अनिवार्य है। इसके अलावा विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना भी अनिवार्य है।

'ब्लू मून' घटना

खगोलवैज्ञानिकों के अनुसार, 31 अक्तूबर, 2020 को चंद्रमा से संबंधित एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलेगी, जिसे 'ब्लू मून' (Blue Moon) कहा जाता है। जब पृथ्वी पर किसी माह में दो पूर्ण चंद्रमा होते हैं, तो दूसरे पूर्ण चंद्रमा को 'ब्लू मून' कहा जाता है। अक्तूबर माह में पहला पूर्व चंद्रमा 1 अक्तूबर, 2020 को देखने को मिला था, इस वर्ष 'ब्लू मून' की घटना संयोगवश 'हैलोवीन' (Halloween) के साथ देखने को मिल रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के अनुसार, इससे पूर्व 'हैलोवीन' और 'ब्लू मून' की घटना एक साथ वर्ष 1944 में देखने को मिली थी और आगे यह घटना वर्ष 2039 में देखने को मिलेगी। दरअसल चंद्रमा पर एक माह की अवधि 29 दिन, 12 घंटे, 44 मिनट और 38 सेकंड का होता है, यह अतिरिक्त समय एकत्रित होता रहता है और प्रत्येक 30 माह बाद किसी वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। खगोलवैज्ञानिकों की माने तो जिस माह में 'ब्लू मून' की घटना होती है उस माह में पहली पूर्णिमा महीने की 1 अथवा 2 तारीख को होती है। अगली 'ब्लू मून' की घटना 31 अगस्त, 2023 को देखने को मिलेगी।

सी-प्लेन सेवा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा ज़िले में केवडिया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट के बीच एक सी-प्लेन सेवा (Seaplane Service) शुरू की है। ध्यातव्य है कि यह सेवा स्पाइसजेट की सहायक कंपनी स्पाइसशटल (Spice-Shuttle) द्वारा संचालित की जाएगी। स्पाइसशटल द्वारा कनाडा की एक कंपनी द्वारा निर्मित ट्विन ओटर (Twin Otter) 300 सी-प्लेन का उपयोग किया जाएगा। सी-प्लेन सेवा के माध्यम से अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट और केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी लगभग 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इन विमानों में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों समेत 19 लोगों के बैठने की क्षमता है। सी-प्लेन एक निश्चित पंख वाला हवाई जहाज़ है जो पानी पर उतरने और उड़ने के लिये बनाया गया है। यह एक नाव की उपयोगिता के साथ एक हवाई जहाज़ की गति प्रदान करता है। सी-प्लेन मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं- (1) फ्लाइंग बोट (Flying Boats) और (2) फ्लोटप्लेन (Float-planes)।

भारत और कंबोडिया के बीच समझौता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर को मंज़ूरी दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। ज्ञातव्य है कि यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू होगा और इससे भारत और कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंध काफी मज़बूत होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सरकारों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में मातृत्त्व और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और टीबी, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, रोग नियंत्रण तथा चिकित्सा अनुसंधान और विकास शामिल हैं।

'धरणी' पोर्टल

हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राज्य में भूमि रिकॉर्ड और उससे संबंधित लेन-देन के लिये 'धरणी' नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार के इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य के लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी भूमि-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल, जिसे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, राज्य के लोगों को अपनी संपत्ति की जानकारी प्राप्त करने और ज़मीन के पंजीकरण के लिये स्लॉट बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस पोर्टल के माध्यम से तेलंगाना में राजस्व अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है और अब केवल विक्रेता, खरीदार तथा संबंधित राजस्व अधिकारी के उचित प्रमाणीकरण के बाद ही भूमि का पंजीकरण हो सकेगा।

नोट :